खण्ड-488, अंक-5
मंगलवार, 06 फाल्गुन, शक संवत् 1935
(25 फरवरी, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2014)

(खण्ड 488 में 6 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-33
मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए कार्य-सूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-1 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	33-35
कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-6 का सुसंगत उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	35-36
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-32 के अनुसार प्रश्नों का उत्तर एक दिन पूर्व उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	36-37
दिनांक 16 जुलाई, 2009 को लखनऊ शहर में स्थित प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के आवास संख्या-45 सरोजनी नायडू मार्ग में हुई आगजनी की घटना पर सरकार द्वारा न्यायालय में अभी तक चार्जशीट दाखिल न किये जाने विषयक प्रकरण ... ... (जारी)	37-38
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	38-40
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में वर्ष 2002 से सीनेट का चुनाव न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	40
जनपद सहारनपुर में राशन कार्डों के नवीनीकरण में बाधाओं को दूर करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40-41
जनपद हमीरपुर की तहसील मौदहा के ग्राम खण्डेह के प्राचीन मन्दिरों का रख-रखाव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	41-42
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत कासिमपुर साधु आश्रम मार्ग से तालिबनगर तक के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र में बेल्थरा रोड से बलिया मुख्यालय तक की अर्ध निर्मित सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42-43
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के बाढ़ प्रभावित दियरांचल में छात्र-छात्राओं हेतु पठन-पाठन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	43

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोराबार-कोनी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43-44
जनपद इलाहाबाद में लघु सिंचाई विभाग में चेकडेम के निविदाओं में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद बिजनौर की बिलाई शुगर मिल में बकाये गन्ने का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद बिजनौर के ग्राम श्यामीवाला में रविदास जयंती पर शोभा यात्रा निकालने हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में चेतावाला घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद वाराणसी के ब्लाक-काशी विद्यापीठ की ग्राम सभा-नासिरपुर में जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
जनपद बिजनौर स्थित बिलाई शुगर मिल से खुले में उत्सर्जित हो रहे गंदे पानी को कवर्ड नाले के माध्यम से निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45-46
जनपद पीलीभीत में मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना एवं डा0 जनशेवर मिश्र योजना अन्तर्गत हुए निर्माण कार्यों में व्यापक अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
दिनांक 16 जुलाई, 2009 को लखनऊ स्थित प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के आवास संख्या-45 सरोजनी नायडू मार्ग में हुई आगजनी की घटना पर सरकार द्वारा न्यायालय में अभी तक चार्जशीट दाखिल न किये जाने विषयक प्रकरण	47-48
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	48-49
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विनियोग, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	49
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	49

विषय	पृष्ठ-संख्या
जे0पी0 विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	50
जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बांसी के अन्तर्गत ग्राम उस्की के प्राथमिक विद्यालय से ग्राम के भीतर की सड़क एवं सोनवालिया उस्की से ग्राम देवरिया तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री आशीष व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	50
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत रुद्रपुर रेलवे फाटक से बहारीपुर मुड़िया तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री बृजेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	50
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड पुवायां के अन्तर्गत महुवा फाटक से विकास खण्ड सिधौली के ग्राम दिवाली तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री वेदपाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	50-51
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत खिरिया फाटक से ग्राम चांदा तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शहीद खां व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	51
जनपद आजमगढ़ में मानिकपुर-अभनपट्टी मार्ग पर घाघरा की सोती नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो0 इकबाल, निवासी जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	51
जनपद आजमगढ़ में सोनौरा हनुमानगढ़ी के आगे घाघरा की सोती नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम करन सिंह पटेल, निवासी जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	51
जनपद गाजियाबाद के विजय नगर-प्रताप विहार में राजकीय चिकित्सालय खोले जाने विषयक श्री सुरेन्द्र त्यागी आदि जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	51
जनपद गाजियाबाद के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैला हरिजन इस्लाम नगर गाजियाबाद में माध्यमिक स्तर तक के शिक्षण हेतु माध्यमिक विद्यालय खोले जाने विषयक डा0 नदीम कुरैशी आदि जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ...	52

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजियाबाद में विजय नगर-प्रताप विहार में बालिकाओं के शिक्षण हेतु महाविद्यालय खोले जाने विषयक श्री राकेश श्रीवास्तव आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	52
आश्वासन समिति में लम्बे समय से लम्बित जनपद इलाहाबाद के राजकीय स्थान भूमि घोटाला प्रकरण को विशेषाधिकार में लिये जाने का अनुरोध...	52-54
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें .... (जारी)	54-70
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 (जारी) ...	70
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	70-72
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 (पारित) ...	72-93
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	93-116
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	116-117
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित) ...	117-119
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित) ...	119-123
उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 (पारित)...	123-126
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	126-170
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	170-171
बरेली महानगर में स्मैक के नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार तथा श्री राजेश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	171-173
जनपद मुरादाबाद में तहसील कांठ के ग्राम चंगेरी, ग्राम चैदरी अकबरपुर आदि में नरभक्षी बाघिन द्वारा दस लोगों की जान लिये जाने की जांच कराने एवं मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	173-176
उत्तर प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों, उनके परिवार, जमाकर्ताओं एवं कर्मचारियों के हित की सुरक्षा हेतु बैंकिंग लाइसेन्स जारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य ...	176-179
इलाहाबाद से पुलिस मुख्यालय को लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने की शासन की योजना से लगभग 150 वर्ष पुराने भवनों के पुरातात्विक महत्व को क्षति पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	179-180

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर के ग्राम दौलतपुर में पुल के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री प्रदीप चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	181
जनपद मेरठ नगर में श्री प्यारे लाल शर्मा, राजकीय चिकित्सालय को घनी आबादी के बाहर दिल्ली-मेरठ रोड पर पालीटेक्निक के सामने स्वास्थ्य विभाग की खाली पड़ी भूमि पर स्वास्थ्य चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	181-182
नत्थियां	183-186

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-279

1. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
4. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
5. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
6. अताउररहमान, श्री — बरेली
7. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
8. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
9. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
10. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
11. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
12. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
13. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
14. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
15. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
16. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
17. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
18. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
19. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
20. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
21. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
22. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
23. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
24. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
25. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
26. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
27. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
28. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
29. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
30. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
31. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
32. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
33. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
34. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
35. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
36. आशीष यादव, श्री — बदायूं
37. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
38. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
39. इकबाल, श्री — बिजनौर
40. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
41. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
42. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
43. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
44. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
45. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
46. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
47. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
48. उदयराज, श्री — उन्नाव
49. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
50. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
51. उमाशंकर, श्री — बलिया
52. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ

53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओम कुमार, श्री बिजनौर
55. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
56. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
57. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
58. काली चरन सुमन, श्री आगरा
59. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
60. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
61. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
62. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
63. कैलाश, श्री गाजीपुर
64. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
65. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
66. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
67. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
68. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
69. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
70. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
71. गोमती यादव, श्री लखनऊ
72. गोरख पासवान, श्री बलिया
73. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
74. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
75. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
76. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
77. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
78. जगपाल, श्री सहारनपुर
79. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
80. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
81. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
82. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
83. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
84. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
85. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
86. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
87. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
88. तसलीम, श्री बिजनौर
89. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
90. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
91. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
92. दलजीत सिंह, श्री बांदा
93. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
94. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
95. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
96. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
97. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
98. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
99. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
100. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
101. धर्मराज, श्री बाराबंकी
102. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
103. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
104. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
105. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
106. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
107. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
108. नारद राय, श्री बलिया
109. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
110. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
111. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
112. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
113. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
114. पीतमराम, श्री पीलीभीत
115. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
116. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
117. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
118. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया

119. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
120. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
121. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
122. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
123. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
124. फेरन लाल, श्री ललितपुर
125. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
126. बदलू खां, श्री उन्नाव
127. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
128. बाबू खां, श्री हरदोई
129. बाबूलाल, श्री गोण्डा
130. बावन सिंह, श्री गोण्डा
131. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
132. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
133. बृजेश कटेरिया, इंजी0 मैनपुरी
134. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
135. बैजनाथ, श्री मऊ
136. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
137. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
138. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
139. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
140. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
141. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
142. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
143. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
144. मनबोध, श्री देवरिया
145. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
146. मनीष रावत, श्री सीतापुर
147. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
148. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
149. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
150. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
151. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
152. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
153. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
154. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
155. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
156. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
157. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
158. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
159. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
160. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
161. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
162. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
163. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
164. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
165. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
166. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
167. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
168. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
169. यासर शाह, श्री बहराइच
170. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
171. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
172. रघुनन्दन सिंह भदौरिया,श्री कानपुर नगर
173. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
174. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
175. रणजीत सुमन, श्री एटा
176. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
177. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
178. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
179. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
180. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
181. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
182. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
183. राजकुमार रावत, श्री मथुरा

184. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
185. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
186. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
187. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
188. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
189. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
190. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
191. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
192. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
193. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
194. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
195. राम करन आर्य, श्री बस्ती
196. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
197. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
198. राम गोविन्द, श्री बलिया
199. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
200. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
201. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
202. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
203. राम मगन, श्री बाराबंकी
204. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
205. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
206. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
207. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
208. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
209. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
210. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
211. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
212. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
213. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
214. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
215. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
216. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
217. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
218. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
219. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
220. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
221. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
222. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
223. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
224. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
225. विजय सिंह, श्री रामपुर
226. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
227. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
228. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
229. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
230. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
231. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
232. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
233. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
234. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
235. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
236. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
237. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
238. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
239. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
240. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
241. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
242. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
243. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
244. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
245. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
246. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
247. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
248. संजय कपूर, श्री रामपुर
249. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती

250. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
251. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
252. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
253. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
254. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
255. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
256. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
257. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
258. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
259. सियाराम सागर, डा0 बरेली
260. सीमा, श्रीमती जौनपुर
261. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
262. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
263. सुधाकर, श्री मऊ
264. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
265. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
266. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
267. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
268. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
269. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
270. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
271. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
272. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
273. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
274. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
275. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
276. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
277. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
278. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
279. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :-पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूर्जर) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00 बजे] प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के उपाय

**01-श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 अरुण कुमार तथा श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिये कोई कदम सरकार ने उठाये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति (राज्य मंत्री) (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)-

जी हां।

सभी कार्यालयों/संस्थानों (निजी/सरकारी/अर्द्ध सरकारी) में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के प्रयोजन से महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा शासनादेश संख्या-679/60-3-2001-3 (42)/97, दिनांक 20-3-2001 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को संदर्भित करते हुए उक्त अधिसूचना में निहित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के भी निर्देश शासनादेश संख्या-26/60-3-13-3 (42)/97, दिनांक 10-01-2014 द्वारा प्रसारित किये गये हैं।

उपरिसंदर्भित अधिसूचना दिनांक 09-12-2013 में आन्तरिक शिकायत समितियों एवं स्थानीय शिकायत समितियों के गठन तथा नोडल अधिकारियों के नामांकन की भी व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जब सुबह प्रश्न मिला इसमें जो जवाब दिया गया है और कुछ शासनादेशों का जिक्र किया गया है तो मैं सुबह इस विभाग की बेबसाइट पर जा करके प्रयास करता रहा कि दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियां मिल जाय। जो शासनादेश विभाग की बेबसाइट पर दर्शाये गये हैं उस पर तो लिखा है कि ये शासनादेश फलां तारीख को जारी हुए हैं। उसको क्लिक किया जाता है तो आता है कि ''पेज इज नॉट एबेलेबुल''। उस शासनादेश में लिखा क्या गया है यह मैं नहीं जान पाया खैर यह विभाग के लोग इसको देखेंगे कि ई-गवर्नेंस कितना तेज चल रहा है इस सरकार में। मान्यवर, 09 दिसम्बर का केन्द्र का कानून है यहां उसको लागू किया गया है हम पहले चक्र में दो सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि जो सरकारी विभाग चाहे जिले में हो या प्रदेश की

राजधानी में क्या वहां पर विशाखा समितियां बनाने के लिए आपका पत्र गया है तथा क्या उसमें कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है और वहां पर अभी समितियां गठित हुई या नहीं इसकी कोई सूचना है ? दूसरा यह गैर-सरकारी विभागों में भी यह गठित होना है उसके लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनायी है, क्या निर्देश दिये हैं ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

मान्यवर, समितियों के गठन के सम्बन्ध में अधिनियम 09 दिसम्बर, 2013 में व्यवस्था है। शासनादेश 10 जनवरी, 2014 द्वारा उक्त सम्बन्ध में निर्देश जारी हैं। स्थानीय शिकायत समितियों के गठन की भी व्यवस्था अधिनियम में है। शासनादेश द्वारा उक्त निर्देश भी दिये गये हैं। अधिनियम के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही भी की जा रही है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

आपने राजाज्ञा पढ़ दी वह तो हमारे पास भी है।

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

मान्यवर, जिले में कमेटियां गठित हो रही हैं जिनकी भी शिकायत जा रही है अगर उनकी शिकायत सही है तो उन महिलाओं को पैसा भी मिल रहा है और उनके आने-जाने का भी किराया मिल रहा है। यह हमारे शासनादेश में है। हां कमेटियां गठित हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

कमेटियां गठित हो रही हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

निजी क्षेत्रों के जो कार्यालय हैं उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ।

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

हमारे पास जो भी लेटर्स आ रहे हैं जो भी शिकायतें आ रही हैं जो भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय रहे हैं उनके अनुपालन के लिए हमने समय-समय पर निर्देश भी निर्गत कर दिए हैं और उनमें कार्यवाहियां हो रही हैं।

(श्री नीरज 'कुशवाहा' मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी अखिलेश जी से छुट्टी मिले तब आपका नम्बर आए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, पिछले महीने ही सरकार यह पत्र भेज रही है रिब्यू भी कर ले रहे हैं समय-समय पर बैठक भी कर ले रहे हैं यह बड़ा गम्भीर विषय है। महिलाओं की सुरक्षा की बात है। जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको प्रदेश सरकार भेज रही है या जिले के माध्यम से जा रहे हैं उनमें भी यह व्यवस्था सुनिश्चित हो सके उसके लिए सरकार ने कैसे अरेंजमेंट किया है हम वह जानना चाहते हैं।

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

मैंने आपको पहले ही बताया कि जिलों में कमेटियां पहले से ही गठित हैं और भी गठित हो रही हैं उनमें कार्यवाहियां हो रही हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

जो निजी क्षेत्र के कार्यालय हैं बड़े औद्योगिक घरानों के उनमें भी यह व्यवस्था हो रही है।

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

उनमें भी कार्यवाहियां हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी इनका कहना यह है कि जो औद्योगिक घरानों के बड़े बड़े कार्यालय हैं या बड़े आफिसेज हैं या बड़ा कारखाना है वहां भी इसका गठन हो रहा है कि नहीं यह बता दें।

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

उनमें भी इसका गठन हो रहा है। यह मैंने बताया है जिलों में इस तरह की कमेटी गठित हो रही हैं यह वही कमेटियां हैं।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी आप क्यों पूछ रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपकी अनुमति हो तो पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष-

आप पूछ लें आप जैसा आचरण सबका हो जाए तो यह सवाल ही नहीं उठेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी इसको हल्केपन से नहीं लिया जाना चाहिए था। वैसे तो मेरा सवाल यह था कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न रोकने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई ? कितने महिला उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आए किन्हीं परिस्थितियों में इस सवाल को उसमें शामिल कर लिया गया मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा इसके बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाकर आपसे अनुमति चाहूंगा कि इसके ऊपर जरूर व्यवस्था दी जाय। मान्यवर, इस सवाल के दो पहलू हैं एक वह कि महिला उत्पीड़न रोका जाय और दूसरा यह कि नाजायज लोगों को परेशान भी न किया जाय। जो नया पास्को ऐक्ट आया है और जो 376 की परिभाषा बढ़ाई गई आप हमारे संरक्षक हैं। यह वह समस्या है जो बहुत से लोगों को पीड़ित किए हुए है। इससे बहुत लोग पीड़ित हैं इससे नाजायज तरीके से लोग परेशान न किए जाएं और दोषी लोग बचने न पाएं यह उद्देश्य ला का है। माननीय आजम खां साहब अगर इधर बैठकर यह सवाल पूछ रहे होते तो आज शायद विधान सभा को सर पर उठा लिया गया होता। नाली का पानी देखकर हमें हिमालय पर्वत पर भेज दिया कि नाली का पानी देखो और हिमालय पर्वत पर चले जाओ और वहां से देखो कि कहां से पानी निकला और कहां से आया। 2001 के शासनादेश का जिक्र किया और 10-1-2014 में जो संशोधन किया गया जो उसमें एडीशन किया गया उसका इसमें जिक्र है और उसकी कापी लगाई नहीं गई यह सवाल का उत्तर देने का इतने माननीय विद्वान इतने संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता उनका यह जवाब है ताकि उस पर कोई सप्लीमेंटरी न हो सके। चूंकि बहन हमारी अरुणा कुमारी जी हैं पहली बार हमने देखा कि सदन में वह जवाब दे रही हैं मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जरूर चाहूंगा कि आखिरकार जो संशोधन हुआ उसको देखने के लिए हम जाएं कहां। यह सवाल के जवाब में आना चाहिए था। अगर 10-1-14 को वर्तमान सरकार ने कोई एडीशन किया तो वह भी आना चाहिए था ताकि हम उसे देखकर कोई सप्लीमेंटरी पूछ सकें। अब मैं अपनी बात यहां से शुरू कर

रहा हूं। यह महिला उत्पीड़न दिल्ली की 16 दिसम्बर की घटना ने पूरे देश को हिलाया लेकिन उसमें तमाम तरीके के जितने भी निरोधात्मक प्रयत्न थे वह किए गए लेकिन उसके बाद ही जो परिस्थिति आज बनी है उसमें चेक्स नहीं लगे मान्यवर। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि उसमें प्रभावी कदम, इस प्रकार के उठाये जायं व्यावहारिक जो सार्थक हों जिससे वास्तव में इस समस्या का निदान हो सके। मान्यवर, यदि आवश्यक समझें तो मेरा यह भी सुझाव है कि इस सम्बन्ध में आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी जाय जो अलग से इस पर विचार कर लें। दूसरा, मान्यवर, हमारा सवाल करने का कारण यह भी है कि यह जो ऐक्ट बनाया गया और 376 की परिभाषा को चौड़ा किया गया कि कोई व्यक्ति किसी को छू ले अगर तो भी मान्यवर 376 अट्रैक्ट होने लगा। यह अपने आप में उस जो वर्तमान सोसाइटी का स्वरूप है, कोई भी व्यक्ति, किसी के खिलाफ कोई भी जरा सी बात कह कर के उसे करा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

376 से इससे क्या मतलब है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं उसी के ऊपर कह रहा हूं। मान्यवर, क्षमा करें तो जब आप अनुमति दें तो...

श्री अध्यक्ष-

आप हमारा भी सुनें। सवाल यह है कि प्रदेश के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिये कोई कदम सरकार ने उठाये हैं ? तो उन्होंने बता दिया कि यह-यह शासनादेश है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सरकार ने जो कदम उठाये वह छुपाए। यह बात कहने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जो कदम उठाये वह सदन के सामने नहीं आये। अगर वह कदम सदन के सामने आये होते तो सप्लीमेन्ट्री क्वैश्चन उसके ऊपर होते।

श्री अध्यक्ष-

सुनिये। आप बैठिये, मेरा भी सुनिये ना। आपका पूछना यह है कि 376 की संसद ने जो नई परिभाषा बनाई वह इसमें नहीं दिया गया। उसमें आने का क्या मतलब है। आपने पूछा था कि उसे रोकने के क्या उपाय किये गये, उन्होंने बता दिया कि यह यह शासनादेश जारी किये गये। अब 376 की परिभाषा का इसमें क्या मतलब है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मतलब है, मतलब यह है कि एक तरफ यौन उत्नीड़न रुके और दूसरी तरफ उसका नाज़ायज़ इस्तेमाल रुके।

श्री अध्यक्ष-

यह ऐक्ट पार्लियामेन्ट से संबंधित है, उस पर आप कोई सप्लीमेन्ट्री करते तो उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम नहीं थी जवाब देने के लिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेट्री बेल इसलिये लागू नहीं हुई कि स्टेट एमेन्डमेंट हमने लागू किये। इस 438 में सी0आर0पी0सी0 में मान्यवर, एमेन्डमेंट हमने लागू किये, इसलिये एन्टीसिपेट्री बेल चौधरी चरण सिंह के जमाने से लागू नहीं हो पाई। मैं इसलिये इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इसमें सरकार को यह पावर है मान्यवर, स्टेट एमेन्डमेंट करने की।

श्री अध्यक्ष-

आप चाहते क्या हैं ? आप सवाल तो पूछ नहीं रहे हैं, भाषण दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम यह चाहते हैं कि महिला उत्पीड़न रुके और उसके साथ-साथ यह भी चाहते हैं मान्यवर, कि उसका दुरुपयोग रुके। मेरी बात यहीं समाप्त होती है। दूसरा यह कि 10-1-14 के प्राविधान, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ज्ञाता हैं, उन्हें याद होगा उन्हें पढ़ाई के जमाने की बहुत सी चीजें याद रखी हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये ना, कितना भाषण करेंगे। सुनिये जवाब।

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-8-97 के अनुपालन में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को प्रतिषेद्ध करते हुए संविधान की धारा-32 एवं 141 के अन्तर्गत उपरोक्त विषय पर कतिपय मार्ग दर्शन सिद्धान्त एवं मापदंड प्रतिपादित किये हैं और इसी क्रम में संविधान की धारा 141 के अधीन कानून घोषित किया गया है। उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 660-60-3-97 दिनांक 28-11-1997 द्वारा इसके क्रम में शासनादेश द्वारा प्रत्येक कार्यालय, संस्थान, निजी, सरकारी, अर्द्धसरकारी में निम्नवत् शिकायत समिति का गठन कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी जारी किये गये हैं। महिला सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या के आधी से कम नहीं होगी। इस समिति का अध्यक्ष एवं सदस्य, महिला को बनाया जायेगा। एक गैर सरकारी संस्था एन0जी0ओ0 जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध के क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रतिष्ठित हो, को भी इस समिति का सदस्य बनाया जायेगा।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, इस तरह की घटनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं वहां पर एफ0आई0आर0 के बाद स्थिति जो पीड़ित परिवार, पीड़ित महिला या पीड़ित लड़की होती है उसके साथ क्या बीतता है इसको पीड़ित परिवार ही महसूस कर सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी को एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि जिस तरह की समितियां बनाने के बारे में मा0 मंत्री जी ने सदन को बताया है और आश्वासन भी दिया है ऐसी समितियां गांव स्तर पर भी बनाकर ऐसे उत्पीड़नों को रोकने पर विचार किया जाए, साथ ही साथ जो महिला पीड़ित है जो लड़की पीड़ित है, उसके लिए क्या सरकार ब्लाक स्तर पर, तहसील स्तर पर, कोई ऐसे केन्द्र बनाएगी जहां पर उसकी मनःस्थिति को ठीक करने के लिए काउन्सिलिंग की जा सके और वह अपना दुबारा सही तरह से जीवन यापन कर सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुपूरक करना चाहता हूं अभी

मंत्री जी के महिला कल्याण विभाग में विगत महीने में श्रेणी-4 में एक लड़की है गुड्डी, जिसका यौन उत्पीड़न हुआ।

श्री अध्यक्ष-

यह शिकायत है। यह प्रश्न का अंग नहीं है इसको आप लिखकर दे दें।

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

आपने जो सुझाव दिए हैं वह पसन्द आए हैं उन पर विचार किया जाएगा।

डा0 अरुण कुमार-

मान्यवर, दिनांक 10-1-2014 को जो शासनादेश आया है उसकी प्रति कम्प्यूटर पर नहीं है उसको लगा दें ताकि हम लोग देख सकें। दूसरी बात यह है जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि स्थानीय समितियों का गठन हो रहा है मैं जानना चाहता हूं कि यह कितने दिनों में होगा ?

श्री अध्यक्ष-

कोई सूचना है आपके पास ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

समितियों का गठन कुछ जगह हो भी गया है और कुछ जगह हो भी रहा है आपको पता चल जाएगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अरुण जी आप क्यों खड़े हैं आप बैठें। डा0 साहब को पूछने दें। आपकी महिला मिनिस्टर हैं और बहादुरी से जवाब दे रही हैं तो थोड़ा धैर्य से सवाल पूछिए।

डा0 अरुण कुमार-

मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन जिलों में समितियां बन गई हैं।

श्री अध्यक्ष-

बता तो दिया कुछ जगह बन गई हैं कुछ जगह समितियां बन रही हैं। दूसरा कोई सवाल है ? डा0 साहब अब आप पूछिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संवेदनशील विषय इस समय सदन में चर्चा में है और पूरे सदन की चिन्ता है। महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। एक प्रकरण मैं सदन के संज्ञान में इस प्रश्न के माध्यम से लाना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि सरकार को इसे बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। 26 दिसम्बर को बीस साल की एक नवयुवती..

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दें। इस प्रश्न में इसको बताने का क्या मतलब है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

प्रश्न से सीधा-सीधा संबंध है आप सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न से संबंध नहीं है आप लिखकर दे दें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आप सुन लें मान्यवर, 26 दिसम्बर को एक नवयुवती दोपहर को 12.00 बजे गोरखपुर में अर्धनग्न अवस्था में पाई गई पुलिस उसको मेडिकल कालेज में भर्ती कराकर गायब हो गई बीस दिनों तक इलाज होता रहा सामाजिक संस्थायें हल्ला मचाती रहीं कि युवती के साथ असामान्य आचरण हुआ है बीस दिनों बाद पुलिस चुपके से आई। उस युवती को डिस्चार्ज कराकर मेडिकल कालेज से ले गई। वह कहां है, वह कौन थी ? उसके साथ क्या अनाचार हुआ ? किन लोगों ने किया ? पुलिस ने सारा का सारा मामला दबा दिया। मैं इस यौन उत्पीड़न के मामले को इसलिए लेकर आया हूं इस आग्रह के साथ कि यह बहुत गम्भीर घटना है, यह सरकार के संज्ञान में आनी चाहिए क्योंकि नीचे की बहुत सी सूचनायें ऊपर तक नहीं आती हैं सिर्फ इतनी उम्मीद मैं करता हूं कि सरकार इसका संज्ञान लेगी क्या उस महिला की खोज खबर ली जाएगी और जो उसके साथ असामान्य आचरण हुआ है उसके अपराधियों को खोजने का प्रयत्न किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष-

आपने कह दिया है सरकार के संज्ञान में आ गया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं आपको 20-25 साल की उम्र बता रहा हूं। वह युवती अर्धनग्न अवस्था में पाई गई है गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें।

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आपने मुझे दोबारा मौका फिर से दे दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हम एक संरक्षण चाहते हैं, जब मान्यवर, आप अनुमति दे दें तो प्रश्न के बीच में टोका-टाकी ठीक नहीं लगती है।

श्री अध्यक्ष-

जब आप पटरी से उतरने लगते हैं तो जरूरी हो जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यदि एक भी बात मेरी असंसदीय हो तो मेरे खिलाफ आचार समिति में मामला रखकर जो उचित समझें सजा दें, मुझे स्वीकार होगा।

श्री अध्यक्ष-

असंसदीय का सवाल नहीं है, सवाल है कि जो संदर्भ है, उस संदर्भ से जब आप भटकने लगते हैं, तब रोकना पड़ता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, श्री माता प्रसाद जी एक सदस्य हुआ करते थे, इसी विधान सभा में मान्यवर, और यहां बैठते थे, हमारे पास और हमेशा व्यवस्था का प्रश्न उठाते थे। अगर मान्यवर, प्रश्न का यह जवाब आपके सामने आता, जब आप यहां बैठे होते तो हरगिज इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होते। मान्यवर, कभी-कभी बगावत आवश्यक हो जाती है। अध्यक्ष जी, जब आप संरक्षण हमें देते हैं और मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं और हमारी बात पूरी नहीं हुई है तो बीच में टोका-टाकी उचित नहीं लगती है।

श्री अध्यक्ष-

आप समझा रहे हैं, इतनी देर में तो आप अपनी बात कह लेते।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस सदन में चाहे इधर बैठे हुए लोग हों, चाहे उधर बैठे हुए लोग हों, मैज्योरिटी ऐसे सदस्यों की होगी जो यौन उत्पीड़न मामलों में नाजायज तरीके से उत्पीड़ित किए जा रहे होंगे। हमारे दायें, बायें, इधर, उधर बैठे अधिकांश लोग हमारी बात से सहमत होंगे। मैं सरकार से एक आश्वासन चाहता हूं कि इस प्रकार के केसेज में जो नाजायज तरीके से लोगों को फंसा कर राजनैतिक रंजिश की वजह से या अन्य किन्हीं कारणों से नाजायज तरीके से जो इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जो नाजायज तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है, सरकार उसका परीक्षण कराकर उसको रोकेगी, यह सरकार से हम एक आश्वासन चाहते हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री न्यायप्रिय हैं, हम उनको इस बात के लिए बधाई देते हैं। वह हाउस में हमेशा न्यायप्रिय बात कहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री इस बात को कहें कि जो नाजायज तरीके से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोका जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो आश्वासन चाहते हैं, उस पर आप कुछ बोलेंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, खन्ना जी की जिज्ञासा, उनकी परेशानी, बेचैनी वाजिब है। सारी जिन्दगी दस्ती शैय्या में ही गुजर गयी, अब कस्ती किनारे लगी है तो यह कानून बन गया। अच्छी नीयत से हाथ लगायेंगे तो बहन कहलायेगी, बुरी नीयत से हाथ लगायेंगे तो 376 लग जायेगी। लेकिन मान्यवर, जिस वक्त यह सारा विरोध देश भर में हुआ है और बहुत सी चीजें ऐसी जो मीडिया के माध्यम से सामने आती हैं और आयी हैं, उनमें बहुत हद तक सच भी है और यह सच है कि ऐतिहासिक तौर पर कल्चरल नार्म्स जिन्हें हम कहते हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें महिला कितनी ही पढ़ी-लिखी क्यों न हो जाए, कितने ही उच्च पद पर क्यों न हो जाए, लेकिन जिसे हम पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, उसमें उसे आज भी वह दर्जा हासिल नहीं है, यह बिल्कुल सही है। आपने देखा कि कई बड़े राज खुले और उन्हें रोकने के लिए कोई कानून जरूरी था। तहलका डॉटकाम,

जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया, खुद हिन्दुस्तान में भी, लेकिन क्या पोल खुली, गोवा की जेल में हैं। ऐसे लोगों पर जिनके गिरेबान तक कानून का हाथ नहीं जा सकता था। उनके गिरेबान तक पहली बार कानून का हाथ गया। यह बात सही है कि यह कानून जिस वक्त बना है उस वक्त पूरे देश के हालात बहुत अजीबोगरीब हो गये थे और पूरे देश का नौजवान खड़ा हो गया था और ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि इसके माध्यम से कहीं राजनीतिक बगावत न हो जाये। वह बहुत बड़ा एक इंकलाब था उसको दबाने के लिए बहुत ही तेजी से यह कानून लाया गया। यह शंका जो खन्ना जी ने आज जाहिर की है कुछ लोगों ने दबी जबान से ऐसी शंका का जिक्र उस वक्त भी किया था। कानून इंसाफ दे इसे सरकार सुनिश्चित करती है और आपकी इस परेशानी के बारे में यकीनन विचार होना चाहिए कि महिलाओं के साथ किसी भी स्तर पर कोई उत्पीड़न न हो। यह बिलकुल सही बात है और यह भी सही है कि किसी बेगुनाह को सजा न मिले चाहे सौ गुनाहगार छूट जायें लेकिन इस कानून से शायद बहुत फायदा नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि बेगुनाह बच तो जरूर गया लेकिन गुनाहगारों की तादात बहुत ज्यादा हो गयी और इतनी ज्यादा हो गयी कि सही को सही कहने वालों की तादात भी बहुत कम रह गयी। मैंने शायद इसी सदन में पहले भी कहा है कि बेईमानी की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो रिश्वत ले रहा है, वह जब बिजली का बिल जमा करने जाता है और काउंटर पर वह कहता है कि दो रुपये टूटे नहीं हैं तो वह बेईमान अधिकारी या कर्मचारी व्यवस्था का अंग यही कहता हुआ जाता है कि देखो कितना खराब जमाना आ गया कितनी रिश्वत बढ़ गयी मेरे दो रुपये वापस नहीं किये। अच्छाई आज भी अच्छाई है लेकिन अच्छाई को करने वाले उसको करने वालों की तादात बहुत कम है। मैं खन्ना जी को इस बात की मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जिस मजबूती से अपने सवाल को रखा है। अध्यक्ष जी यह बात बिलकुल सही है कि उस पीठ पर बैठकर आपकी और इस जगह पर खड़े होकर हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। उन्हें हम मजबूरियां नहीं कहेंगे। हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ हमें भी यह भी याद है कि कभी जब हम वहां रहते हैं तो हमारी वहां की जिम्मेदारियां होती हैं और आज खन्ना जी ने उस जिम्मेदारी को बहुत बहादुरी से बहुत सलीके से निभाया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं और मा0 अध्यक्ष जी के बारे में आप सब जानते हैं किस चरित्र के हैं कैसे मन के हैं और कैसी विचारधारा के हैं। शायद एक ही बार किसी मा0 सदस्य ने हलकी बात कही थी पिछले सत्र में और पूरा सदन अध्यक्ष जी के साथ खड़ा था। अध्यक्ष जी की खूबी में उनके भावुक होने में उनके संवेदनशील होने में उनके न्यायप्रिय होने में किसी को कोई शुभा नहीं हो सकता और यह इसलिए नहीं कि मैं यहां होकर यह कह रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे जैसा व्यक्ति इस बात से परेशान है, चिंतित है कि यहां से जाने के बाद हम किसे उस कुर्सी पर बिठायेंगे किससे यह कुर्सी सुशोभित होगी। इसलिए यह मानना कि मा0 अध्यक्ष जी कोई सदस्य की बात नहीं सुन रहे हैं या उन्हें नहीं बोलने दे रहे हैं या खन्ना जी के साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं ऐसा भी सच नहीं है। हम आप मा0 अध्यक्ष जी के साथ बैठ लेंगे, मंत्री जी भी रहेंगे और कैसे उस शंका को दूर किया जा सके जो आपकी ही नहीं पूरे समाज की शंका है उसका निदान कैसे हो उसका समाधान कैसे हो इस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा न कहता हूं। मान्यवर, यह यौन उत्पीड़न के जो मामले उत्तर प्रदेश में हैं उससे निश्चित तौर पर पूरा सदन इस समय चिंतित है। प्रायः यौन उत्पीड़न की जो घटनायें होती हैं जो विशेष तौर पर निचले तबके से लोग आते हैं उनकी तो पहले एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाती फिर उनका मेडिकल नहीं होता वह चक्कर लगाते रह जाते हैं। मान्यवर, मैं सरकार से, मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की घटना है मैं उस लड़की और उसके पिता का नाम नहीं लूंगा। 17 तारीख को 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, चोगापुर गांव है जनपद कौशाम्बी, थाना कौशाम्बी। मान्यवर, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, 17 तारीख से पहले तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, रिपोर्ट लिखने के बाद महिला थाना भेज दिया गया, महिला थाना वालों ने आज तक उसका मेडिकल नहीं कराने का काम किया। मैं सरकार से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ऐसे कोई निर्देश देगी कि ऐसे यौन-उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें तुरन्त एफ0आई0आर0 लिखी जाय और तुरन्त मेडिकल हो, जिससे जो भी दबंग लोग हैं, वह पीड़िता को प्रभावित न कर सकें। मान्यवर, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पहले तो मैं माननीय सदस्य को इसके लिए आश्वस्त करूं कि सरकार बहुत संवेदनशील है और सरकार का काम वर्गों में बांटना नहीं है, सरकार का यह काम नहीं है और खासतौर से समाजवादी पार्टी का समाजवादियों का कि वह जाति और धर्म के आधार पर निर्णय ले। किसी भी महिला के साथ कोई अन्याय होता है, बलात्कार उच्च जाति के साथ हो, किसी अन्य जाति के साथ हो, बलात्कार-बलात्कार है और इस गुनाह को किसी तराजू में तौला नहीं जा सकता है। तो एक तो आपसे निवेदन यह है कि आप यह बंटवारा न करें, न्याय सबको बराबर से मिले, मैंने पहले ही कहा था जो सदियों से कमजोर थे उनकी वजह से और जिनके साथ अनदेखी हो रही थी, उसकी वजह से यह कानून बना है। आज संज्ञान में आपने लाया है, लेकिन अगर आप इसे इस तरह करेंगे कि सिर्फ राजनीतिक जिक्र यहां पर आ जाय और उससे आपकी पार्टी का नाम हो जाय, तो मेरे ख्याल से आप उस वर्ग के साथ भी न्याय नहीं करेंगे, जिसके साथ अन्याय हुआ है। बराबर आश्वासन दिया जा रहा है, आपकी मंशा के साथ अपनी मंशा को जोड़ा जा रहा है, लेकिन आपने आखिरकार घुमा कर उसे ऐसी जगह ला कर खड़ा करना चाहा, जहां सरकार को रांग बाक्स में ले आयें। सरकार तो खुद कह रही है कि इस कानून की बहुत जरूरत थी और इसको सख्ती से लागू करेंगे, कमेटियां बना रहे हैं, आपके साथ बैठकर बात करेंगे, लेकिन आपने एक ऐसे वाकये का संज्ञान ला दिया, जो फिलहाल हमारे सामने नहीं है, हम अभी इसका जवाब नहीं दे सकते और होगा ये कि आपकी बात तो अखबार में छपेगी, हम क्योंकि जवाब देने की पोजीशन में नहीं हैं, प्रश्न यह नहीं था, आपने एक नया सवाल उठा दिया, तो इस तरह आप उस वर्ग के साथ भी कोई बहुत न्याय नहीं कर रहे हैं, लिहाजा निवेदन है ये आपसे कि जो एक नियम बन जाय, उस नियम में सबको बराबर से न्याय मिले, इसकी कोशिश करिये, महिला कोई भी हो, किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, अमीर हो, गरीब हो, यहां की हो, वहां की हो, उत्तर की हो, पश्चिम की हो, उसके साथ न्याय हो, ऐसा माहौल बने।

श्री अध्यक्ष-

सरोज जी अब आप बैठिये, आपने जो पूछा था प्रश्न, उस पर घटना का उल्लेख कर रहे थे, तो उन्होंनें बता दिया कि हमारे पास इस समय सूचना नहीं है, अब कुछ नहीं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है और इस पर दोनों पक्षों से सकारात्मक चर्चा भी गम्भीर चली, केवल आज यह सदन के अन्दर का ही मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से नैतिकता का पतन हुआ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं गुजारिश करूंगा नेता प्रतिपक्ष से कि इस सवाल को सवाल की ही हद तक रखा जाय, यूंकि अगर आप इसे अन्यथा लेंगे और इसको राजनीतिक लाभ उठाने का प्रश्न बनायेंगे, तो मान्यवर, अगर आप यह कहेंगे कि इस सरकार में ये पतन हो रहा है और वो हो रहा है, तो फिर ये प्रश्न क्योंकि दूसरा है और मैंने शायद अपनी हदों से बाहर निकल कर कुछ बात कह दी है, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा। प्रश्न जितना है, प्रश्न की हद तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये इतना संवेदनशील और गम्भीर मामला है, जो राजनीति से ऊपर है, इससे पूरा समाज, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश सीधे आज कहीं न कहीं कुप्रभावित हो रहा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मान्यवर, ये सबके लिए चिन्ता का विषय है, जिस तरीके से आज बड़े पैमाने पर इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ आई है । सदन से इसकी चिन्ता व्यक्त किये जाने का प्रस्ताव भी जाना चाहिये और साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से सरकार अपने एजेण्डे में एक अभियान के रूप में शामिल करके जनचेतना के रूप में लोगों को नैतिक उत्थान के प्रति भी सावधान करती रहे क्योंकि हमारे देश की संस्कृति हमेशा स्त्रियों को सम्मान देने की रही है। 'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, तत्र रमन्ते देवता' यह हमारी संस्कृति रही है। आज वहीं पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर नैतिक पतन हो रहा है। यह सभी के लिये चिन्ता का विषय है, यह पार्टी से ऊपर उठ करके है, राजनीति से ऊपर उठ करके है, विपक्ष से ऊपर उठ करके है, सत्ता पक्ष से ऊपर उठ करके है इसलिये मान्यवर, हम तो चाहेंगे कि सरकार इसकी पहल करे और इसके लिये जो तमाम रोकने के उपाय मा0 मंत्री जी द्वारा या सरकार द्वारा किये जा रहे हैं, उसमें इसको इस एजेण्डे के रूप में शामिल करें कि जगह-जगह जनचेतना के माध्यम से इसको हतोत्साहित करने, मां-बहन के महत्व को समझाने, स्त्रियों को सम्मान देने से सम्बन्धित जगह-जगह पर इसको अभियान के तहत लोगों की जनचेतना के लिये चालू करें जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज मानसिक विकृति का शिकार हो चुकी है। कहीं न कहीं, कभी-कभी परिवार में ही ये हादसे हो जाते हैं जो बहुत दुखद पहलू है इसलिये मान्यवर, मा0 मंत्री जी से और सरकार से मैं चाहूंगा कि इसको उस रोकने के अभियान में अपने एजेण्डे में अभियान के रूप में चालू करके इसको भी शामिल करने का कष्ट करें। केवल इतनी सी बात है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, ऐसा हमारे एजेण्डे में था, हमारे एजेण्डे में है और हमारे एजेण्डे में रहेगा। जो बुराइयां चली आ रही हैं और जिनका ग्राफ काफी ऊंचा था उसे कम करने में सरकार ने कोई कसर उठाकर नहीं रखी है। वक्त नहीं है इस बात का कि हम विरासत में मिली हुयी चीजों का यहां जिक्र करें लेकिन खुद उनकी सरकारों में जो बड़े चैम्पियन रहे हैं, उनकी सरकारों में जो कुछ अन्याय हुआ है उस वर्ग के साथ जिस वर्ग की आज बात चल रही है। यह सरकार बिल्कुल वचनबद्ध है उनको पूरा न्याय देने के लिये। बाढ़ आयी है कि नहीं आयी है यह बड़ा चर्चा का विषय है और यह सदन के अन्दर शब्द ऐसे माहौल में राजनैतिक है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। हां लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष की इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना होगा तब ही हम इसमें कामयाबी हासिल कर पायेंगे।

(सदस्य श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

नत्थी 'ख'

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

*01-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

[मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अब हो गया, बहुत प्रश्न हो गये। आप बैठिये, अब बात मत करिये। आपका एक प्रश्न, आपका यही न कहना है कि यह उच्च न्यायालय में विचाराधीन है न।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि यह बहुत गम्भीर विषय है। हमने कार्य स्थलों के बारे में प्रश्न किया था। पूरे प्रदेश की चर्चा हो गयी लेकिन उसका जवाब यह नहीं आया कि यह कानून क्या कोई सरकार हद लाइन रखती है कि उस दिन तक हर जगह इसका गठन हो जायेगा। सिर्फ इतना बता दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, अब कुछ नहीं। अब आप बैठिये। अरे, अखिलेश जी आप बैठो।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

अब आजम खां साहब जवाब देने लगे हैं तो बता दें।

(सदस्य श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

रोशन लाल वर्मा जी, बैठ जाइये, अब कुछ नहीं। मा0 नेता विरोधी दल, आप इनको समझायेंगे। आप बैठिये न।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक के पदों को भरने की मांग

*02-श्री सुरेश राणा, डा0 अरुण कुमार तथा श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक के पदों को भरने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा 20 नवम्बर, 2013 को पारित आदेश के अनुरूप टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

विशेष अपील संख्या-237/2013 शिव कुमार पाठक व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 20 नवम्बर, 2013 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की गयी है, जो सम्प्रति विचाराधीन है।

उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका के निस्तारित होने के उपरान्त परिषदीय विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक के पदों की भर्ती/नियुक्ति की जा सकेगी।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

श्री सुरेश कुमार राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री से पूछना चाहता हूं मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि कल भी इस पर बड़ी गंभीर बहस सदन के अंदर हुई कि आज जो विद्यालयों की हालत है दो-दो सौ बच्चे हैं, एक-एक अध्यापक के पास। कहीं हैं और कहीं नहीं है। कल भी चर्चा थी, सदन के अंदर कि ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां सहायक अध्यापक या अध्यापक नहीं है। मेरे ही क्षेत्र के अंदर कई जानकारियां मेरे पास हैं, जहां केवल शिक्षामित्रों के भरोसे विद्यालय चल रहा है और यही मेरे प्रश्न का उद्देश्य भी है, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अतिशीघ्र कोई अन्य उपाय ऐसा है या सरकार किसी अन्य उपाय पर विचार कर रही है, या तरीकों पर विचार कर रही है कि जहां अध्यापक नहीं हैं, वहां कोई नियुक्ति किसी माध्यम से सरकार करेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य की जिज्ञासा भी सही है। अभी मा0 नेता भाजपा हुकुम सिंह जी ने इस बात को उठाया था कि अधिकांश स्कूल बंद हैं। बंद तो नहीं हैं चल रहे हैं जहां पर टीचर नियमित नहीं हैं, वहां पर दूसरे स्कूल जहां पर अधिक अध्यापक हैं वहां से उनको हटा करके उस पर लगाया गया है, जो उस स्कूल के टीचर नहीं हैं लेकिन पढ़ाने के लिए उनको लगाया गया है। इस तरह से कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है, जिसमें एक सहायक अध्यापक न हो। टीचर की बहुत कमी है, तो टीचर की कमी मा0 सदस्य कोई इस सरकार के आने पर तो नहीं हुई, पहले से कमी आती रही है। जब से यह सरकार आई, तब से लगातार प्रयत्नशील मैं रहा हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी रहे हैं कि अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाए। सबसे पहले मुख्य मंत्री जी ने एल0टी0 ग्रेड में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्राविधान किया उसके बाद हम लोगों ने 72825 प्रशिक्षु का किया, यह बहुत लंबा है, श्रीमन् अगर कहें तो हम डीटेल में बताएंगे। प्रशिक्षु अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया हमने चालू किया, कौन्सिलिंग चालू हो गई थी, तब तक कल जैसे संसदीय

कार्य मंत्री जी ने कहा था कि टीचर ही टीचर के विरुद्ध है, कोई व्यक्ति जाकर के हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर दिया और हमारी कौन्सिलिंग रुक गई। हाइकोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया। उसके बाद हमने 97770 का विज्ञापन फिर निकाला, और उसमें हमने भर्तियां की, फिर हमने 10800 का विज्ञापन निकाला, उसमें भी भर्तियां कीं, फिर हमने 41 हजार अनुदेशकों की भर्तियां की, फिर हमने 29 हजार कुछ विज्ञान और गणित के अध्यापकों की नियुक्ति निकाली उसमें भी एक टीचर साहब चले गए, वह भी हाईकोर्ट से स्टे है। उसके बाद फिर हमने 10,000 विशिष्ट बी0टी0सी0 लोगों की हमने नियुक्ति निकाली, जो प्रक्रियाधीन है और फिर हमने उर्दू मुअल्लिम टीचर्स की 4200 का विज्ञापन निकाला, जिसमें 2500 से अधिक नियुक्तियां हमने कर ली हैं। अब इसमें हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया, जिसकी बात आप कर रहे है, उसमें पूरी नियमावली ही बदल गई थी। आपको याद होगा, इस सदन को भी याद होगा हर सत्र में यह बात आती है और हर सत्र में मैं सदन से आग्रह निवेदन करता हूं कि यह संवेदनशील मामला है, प्राथमिक शिक्षा इसमें जो टी0ई0टी0 की परीक्षा हई थी वर्ष 2011 में उसी बीच चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण से वह प्रक्रिया बंद हुई। इसी बीच कानपुर में चेकिंग चल रही थी, पूरी एजेसी तो हमारे आगे पीछे है, इसलिए चेक हो रहा था कि कहीं लड़ने वाले प्रत्याशी धन तो नहीं ले जा रहे हैं बांटने के लिए, उसमें एक गाड़ी पकड़ी गयी, उसमें काफी पैसे थे, जब पूछताछ हुई कि पैसे कहां से आए यह किसके चुनाव में ले जा रहे हो, किसके लिए है, जब बताना पड़ा पुलिस को तो पैसे के साथ जो पकड़े गए थे उन लोगों ने कहा कि हम किसी चुनाव में नहीं ले जा रहे थे। हम टी0ई0टी0 में नंबर बढ़वाने के लिए हम एक अधिकारी को पैसा देने के लिए ले जा रहे हैं, हम लोगों ने एक किस्त दे दी है, दूसरी किस्त की मांग हो रही है और इसलिए हम लोग यह पैसा वहां ले जा रहे हैं। श्रीमन् वहां पुलिस के लोगों को उस अधिकारी के बारे में पता चला। उन लोगों ने बताया कि जब वह उसके पास नम्बर बढ़वाने के लिए गये, तो उसने कहा कि दूसरी किस्त दे दें तो नम्बर भी बढ़ जायेंगे और रिजल्ट भी निकल जायेगा। मान्यवर, उस अधिकारी पर एफ0आई0आर0 हुई वह सवा साल जेल में रहा उसके बाद अब किसी तरह से जमानत उसकी हुई। मान्यवर, पूरी टी0ई0टी0 जो परीक्षा थी वह प्रभावित हुई। मान्यवर, उस समय आचार संहिता लागू थी मैं किसी पार्टी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मान्यवर, जो यह नम्बर बढ़वाने वाले लड़के थे वह भी कोर्ट में गये। मान्यवर, उसमें कुछ लोगों के नम्बर बढ़े भी जब उनकी कापियां दुबारा जांची गयीं। मान्यवर, वह पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार में लिप्त हो गयी थी। इसी बीच चुनाव सम्पन्न हो गये और हमारी सरकार सत्ता में आयी। तब इस पर गहन विचार-विमर्श हुआ और आपस में राय मशविरा करके यह राय बनी कि परीक्षा दूषित है इसको निरस्त करने पर विचार किया जाये। फिर यह बात आई कि परीक्षा को निरस्त करने में लड़कों की भी हानि हो सकती है इसीलिए जनहित में और शिक्षा के प्रसार के हित में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई उस समिति ने यह पाया कि ठीक है कि भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन इस परीक्षा को पात्र परीक्षा मान ली जाय, तो उपयुक्त होगा और फिर नियमावली के तहत टी0ई0टी0 परीक्षा के तहत नियुक्ति हो जाय। मान्यवर, इस पर बहुत विचार-विमर्श हुआ कि जो लड़के हाई स्कूल, इण्टर और बी0ए0 पास हैं या एम0ए0 में पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखा जाये इसीलिए यह तय हुआ कि इसे अर्हता परीक्षा मान ली जाय। मान्यवर, जो एकेडमिक श्रेणी के अभ्यर्थी थे वह भी रिजल्ट निकालने की मांग करने लगे। इसलिए वह प्रक्रिया लम्बी हो गयी। मान्यवर, जो

नम्बर बढ़वाने वाले छात्र थे और जिस अधिकारी ने नम्बर बढ़वाने की बात की थी वह लोग हाई कोर्ट में चले गये और वहां रिट दायर कर दी। हाई कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था दे दी कि यह प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है इसलिए जो लगभग 25-30 हजार लोग नियुक्त हो गये हैं उनको निकाल बाहर करने की बात हो जो नौकरी पर हैं। (श्री सुरेश राणा के खड़े होने पर) मान्यवर, माननीय सदस्य पहले मेरी पूरी बात सुन लें। मान्यवर, कुछ प्रक्रियाओं की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार के समक्ष कठिनाई आई। मान्यवर, जो नम्बर बढ़वाने वाले अभ्यर्थी थे वह भी कोर्ट में गये और जो सीधे-सादे तरीके से अपने एकेडमिक आधार पर परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वह भी कोर्ट में चले गये। मान्यवर, सरकार भी इस प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गयी है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश इसमें होगा उसके अनुसार पूरी कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुरेश राणा-

श्रीमन् आज बेसिक शिक्षा में मूल कठिनाई जो है वह यह है कि 200 बच्चों पर एक सहायक अध्यापक है हम पूछना चाहते हैं कि मानक के अनुसार कितने बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए ? दूसरे, क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी वैकल्पिक तौर पर कि मानक के अनुसार बच्चों को अध्यापक मिल सकें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक्ट, जो नया शिक्षा अधिनियम बना है आर0टी0ई0 एक्ट उसके अनुसार हमारे यहां शिक्षकों की बहुत कमी है जो आप मानक के अनुसार पूछ रहे हैं। हमारे यहां प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है एक लाख दस हजार तीन सौ छिहत्तर, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है छियालिस हजार पांच सौ एक और कार्यरत शिक्षकों की संख्या है प्राथमिक में एक लाख इकहत्तर हजार एक सौ छियालिस, शिक्षा मित्रों की संख्या है एक लाख अड़सठ हजार तेतालिस, उच्च प्राथमिक में कार्यरत शिक्षकों की संख्या है एक लाख चार हजार नौ सौ अड़तालिस। मान्यवर, ऐसे विद्यालय जहां नियमित अध्यापकों की संख्या शून्य है जो कल माननीय नेता भाजपा भी कह रहे थे आज सुरेश जी भी कह रहे हैं कि जहां शून्य है संख्या, जहां टीचर नहीं है वह संख्या है प्राथमिक विद्यालय की चार हजार पांच सौ तिरासी जिन विद्यालयों में नियमित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं है ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं एक हजार चार सौ चौरासी। जो खाली हैं जहां नियुक्ति नहीं हुई है अध्यापकों की उन स्कूलों में ऐसे स्कूलों से जहां पर 2-3-4 अध्यापक हैं वहां से एक अध्यापक को इक्स्ट्रा करके उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए उसको भेज दिया गया है लेकिन नियुक्ति उसकी वहां नहीं है वह तत्कालिक व्यवस्था की गयी है। कोई स्कूल खाली नहीं है हर जगह एक सहायक अध्यापक और एक या दो शिक्षा मित्र निश्चित रूप से हैं। लेकिन मानक के अनुसार टीचर नहीं हैं इसीलिए हम लोग चिन्तित हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाय। अब दूसरी बात, आर0टी0ई0 एक्ट में मानक बना। माननीय हुकुम सिंह जी हैं, नेता विरोधी दल भी हैं हम लोग भी हैं हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो एक-दो-तीन का था क्लास और एक मास्टर पढ़ाता था और जब 5 तक हो गया स्कूल तो दो अध्यापक और वह अध्यापक उतना ही पढ़ाई करते थे। दो अध्यापक सारे लड़कों को पढ़ाते थे। उस समय यह मानक आर0टी0ई0 का नहीं था 200-300 लड़के एक-एक स्कूल में पढ़ते थे 3-300, 4-400 और वही टीचर बच्चों के लिए पूरे थे वह केवल पैसे के

लिए नहीं पढ़ाने के लिए वह काम करते थे। आज जो स्थिति है कि हर आदमी जिस पद पर है पैसे के लिए है काम के लिए नहीं है। नहीं तो यह आरटीई एक्ट का मतलब ही नहीं होता कि कितने लड़कों को इतने पढ़ायेंगे। पढ़ाने वाला एक मास्टर दो क्लास को पढ़ा सकता है लेकिन फिर भी आर0टी0ई0 एक्ट के अनुसार मानक के अनुसार अध्यापक नहीं हैं हम उसकी पूरी कार्यवाही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी संख्या पूरी हो जाय। इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक लाख सत्तर हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए उन्होंने आर्डर कर दिया कैबिनेट में पास कर दिया उसकी कार्यवाही पूर्ण हो रही है। 2014 में ही 60 हजार हमको टीचर मिल जायेगे, 14 दिसम्बर में हमको 64 हजार टीचर मिल जायेंगे हमारी लगभग कमीं धीरे-धीरे पूरी हो जायेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक इच्छा जाहिर की थी कि मानक क्या है तो आरटीई एक्ट के अनुसार 30 छात्रों पर एक टीचर का मानक है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक करने की अनुमति दी मैं आपका आभारी हूं और लगातार सदन में जब हम लोग क्षेत्र में रहते हैं अध्यापकों की कमी की चर्चा होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक बयान दिया था, अखबारों में पढ़ा था हलांकि अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता कि सेवानिवृत्त अध्यापकों को कान्ट्रैक्ट बेसिस पर लगाकर शिक्षकों की कमी को पूरा करने का प्रयास सरकार करेगी तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई योजना प्रस्तावित है तो कब तक उनको कान्ट्रैक्ट पर लिया जायेगा जो स्वस्थ हैं और पढ़ाना चाहते हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर विचार चल रहा है और केन्द्र से भी इस पर हम लोग सलाह मांग रहे हैं। अगर हमको अनुमति मिल जायेगी तो वह कार्यवाही हम करने पर विचार करेंगे ।

डा0 अरुण कुमार-

अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि जब तक इलाहाबाद न्यायालय के जजमेंट के खिलाफ जो उच्चतम न्यायालय में अनुज्ञा याचिका विचाराधीन है, तब तक क्या अगर हम शिक्षकों को रख सकते हैं तो ..

श्री अध्यक्ष-

कैसे रख सकते हैं। यह कौन सा सवाल है, आप बैठिये।

तारांकित प्रश्न

इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत रोजगार परक समाविष्ट विषय

*01-श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टरमीडिएट के वर्तमान कोर्स में रोजगार परक विषयों का समावेश करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत रोजगारपरक विषय पूर्व से समाविष्ट हैं। इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत कुल 40 ट्रेड विषय एवं हाई स्कूल परीक्षा में 24 ट्रेड विषय सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के पीछे मेरी मंशा सीधे-सीधे थी कि सरकार भी इस बात को महसूस करती है कि लोगों को रोजगार युक्त बनाया जाय और हमारी भी मान्यवर, मंशा यही है। मान्यवर, इसमें इस बात का भी जिक्र होना चाहिये था कि 40 ट्रेड में कौन-कौन से ट्रेड इसमें रखे गये हैं। मैं आपके माध्यम से एक सीधा-सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि जहां जॉब की अपार्च्युनिटी है, जहां सीधे-सीधे रोजगार मिलने की संभावना है, उन स्थानों पर क्या इस प्रकार की विशेष व्यवस्था करने पर आप विचार करेंगे कि जैसे कहीं पर केमिकल फर्टीलाइजर का कारखाना है, कहीं पर इलेक्ट्रिकल का कारखाना है या कहीं क्लोदिंग का कारखाना है तो क्या उन जिलों में या उन मंडलों में ऐसे विषयों को पढ़ाने वाले और इंटरमीडिएट में जब यह विषय समावेश करेंगे तो उन जनपदों में और उन मंडलों में क्या उन विषयों को पढ़ाने के लिये विशेष व्यवस्था करेंगे। जैसे शाहजहांपुर में क्लोदिंग फैक्टरी, फर्टीलाइजर फैक्टरी, बिजली का कारखाना है अंबानी का, तो यहां पर आवश्यकता है इलेक्ट्रिकल की, क्लोदिंग की और केमिकल्स की, तो क्या इन विषयों की जिस प्रकार से आई0टी0आई0 में ट्रेनिंग दी जाती है, उस प्रकार से इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट लेकर उनको पढ़ाने की व्यवस्था मान्यवर करेंगे ताकि सीधे-सीधे उनको रोजगार मिल सके ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, शाहजहांपुर में 12 जगह यह सब्जेक्ट हैं, 12 कालेजेज में आपके, जो शायद काफी बड़ी मात्रा में हैं। यह प्रश्न आपका बिल्कुल सही है कि यह पढ़ने के बाद कहां समायोजित किये जायें या कहां ट्रेनिंग मिले, मान्यवर, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के खण्ड शिक्षा अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति

01-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत खण्ड शिक्षा अधिकारियों (राजपत्रित) की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या यह सही है कि फैजाबाद मण्डल के जनपद बाराबंकी में प्रथम नियुक्ति से अनेकों खण्ड शिक्षा अधिकारी यथा ब्लाक बंकी, देवा, मसौली आदि में लगभग 15 वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका स्थानान्तरण अन्य जनपदों में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1/3/96-का-4-2013, दिनांक 18-4-2013 द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक (वर्ष 2103-14) स्थानान्तरण नीति में जिलों में समूह ''क'' एवं ''ख'' के जो अधिकारी अपने सेवाकल में कुल 06 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त जिलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। ऐसे ही समूह ''क'' एवं ''ख'' के जो अधिकारी मण्डल में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त मण्डलों से स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान है।

जी हां।

जनपद बाराबंकी में 06 खण्ड शिक्षा अधिकारी, 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की आगामी वार्षिक (वर्ष 2014-15) निर्धारित स्थानान्तरित नीति के क्रम में नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना में चयनित गांवों का विकास कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

02-श्री सुदेश शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए डा0 राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों में विकास कार्य अब तक पूर्ण नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चयनित गांवों का विकास कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामकरन आर्य)-

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में वर्ष 2012-13 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 06 ग्रामों, यथा त्योड़ी-13 बिस्वा, त्योड़ी-7 बिस्वा, कलछीना, नाहली, मछरी एवं सुहाना का चयन हुआ है। उक्त 06 ग्रामों में योजनान्तर्गत 36 कार्यक्रमों में से 35 कार्यक्रम संतृप्त हैं। आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण से सम्बन्धित 01 कार्यक्रम के अन्तर्गत 04 ग्रामों, यथा-त्योड़ी-13 बिस्वा, त्योड़ी-7 बिस्वा, कलछीना एवं नाहली में धनाभाव के कारण कार्य कराया नहीं जा सका।

वर्ष 2013-14 में उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कुल 07 ग्रामों का चयन हुआ है। जिनका प्रगतिवार विवरण संलग्न है।[†]

धनराशि की उपलब्धता पर उक्त विकास कार्य कराये जा सकेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के कस्बा बबीना जल निगम रोड से गनेशपुर हाई-वे तक सड़क निर्माण की मांग

[†] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या-183 पर।)

03-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के कस्बा बबीना जल निगम रोड से सिमिरिया, लहर ठकुरपुरा होते हुए गनेशपुरा हाई-वे तक सड़क का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सम्मिलित कर कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार गोप)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के अन्तर्गत मार्गों का उच्चीकरण हेतु चयन उनके सी0यू0सी0पी0एल0 (काम्प्रेहेन्सिव अपग्रेडेशन कम कन्सौलिडेशन प्रायर्टी लिस्ट) में वरीयता क्रम के अनुसार किया जाता है। प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत झांसी द्वारा अनुमोदित सी0यू0सी0पी0एल0 के वरीयता क्रमांक-86 पर स्थित है। जबकि वर्तमान में वरीयता क्रमांक-8 तक अंकित मार्ग ही योजना के अन्तर्गत चयनित किये जा सके हैं। अतः प्रश्नगत मार्ग जिसका वरीयता क्रमांक-86 है, को वर्तमान में योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में कुपोषण से बचाने हेतु योजनाओं में भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपाय

04-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुपोषण के दुष्परिणाम से बचाने हेतु चलायी जा रही योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु जवाबदेही सुनिश्चित न करने के कारण वांछित परिणाम नहीं आ पाने के विरुद्ध दायर रिट याचिका संख्या-33026/2012, श्रीमती नीलम सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित एवं निर्णीत आदेश दिनांक 13-7-2012 का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

रिट याचिका संख्या-33026/2012, श्रीमती नीलम सिंह व अन्य के द्वारा स्वयं को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मानदेय आधारित आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका की सेवा में पुनः वापस लिये जाने हेतु दायर की गयी जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-7-12 में उक्त याचिका को खारिज करते हुए यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण किया जाय। मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में निदेशक, आई0सी0डी0एस0 के पत्र दिनांक 29-8-12 एवं शासन के पत्र दिनांक 21-9-12 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अन्तर्गत निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार

05-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने हेतु 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिलाये जाने के प्राविधान के तहत वर्तमान सत्र में राज्य में अपेक्षित संख्या में प्रवेश दिलाया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

शासनादेश सं0-3087(1)/79-5-12-29/09 टी0सी0-II दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 एवं शासनादेश सं0-538/79-6-2013, दिनांक 20 जून, 2013 के अन्तर्गत आस-पास के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश एवं प्रवेश के उपरान्त शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था विहित की गयी है और जहां-जहां बच्चों ने इस सुविधा के लिए आवेदन किया है, उन्हें यह लाभ दिया गया है।

जनपद पीलीभीत, बदायूं एवं फिरोजाबाद के क्रमशः 05, 19 एवं 36 बच्चों के प्रवेश की सूचना है। अन्य जनपदों में इस सुविधा का लाभ किसी बच्चे द्वारा नहीं प्राप्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा मित्रों को नियमित/स्थायी करने की प्रक्रिया

06-श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की सेवाओं को नियमित/स्थायी करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों एवं वेतन पर नियमित किया जायेगा ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

स्नातक एवं प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्त किये जाने के लिए उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में यथावश्यक संशोधन की प्रक्रिया गतिमान है।

उक्तवत्।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद सदर के विपम नगर स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज में कामर्स विषय की कक्षाएं खोलने की मांग

07-श्री सुरेश बंसल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद सदर के विपम नगर स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज में कामर्स विषय न होने से उक्त विषय की शिक्षा पाने से छात्रायें वंचित रह जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में कामर्स विषय की कक्षायें खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विजय बहादुर पाल)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कामर्स विषय की शिक्षा देने हेतु जनपद गाजियाबाद में अन्य संस्थायें उपलब्ध हैं।

जनपद गाजियाबाद के राजकीय कन्या इण्टर कालेज विजय नगर में मानक के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

08-श्री सुरेश बंसल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज विजय नगर गाजियाबाद में शिक्षार्थियों के अनुपात में मानक के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में मानक के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय बहादुर पाल-

जी हां।

जी हां।

रिक्त पदों को भरे जाने की नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के शिक्षक एवं विद्यालय विहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती एवं विद्यालय भवन उपलब्ध कराये जाने की मांग

09-सुश्री अनुप्रिया पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के अन्तर्गत कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं मात्र शिक्षामित्र के द्वारा संचालित हैं तथा इनमें से कितने भवन विहीन हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती तथा भवन विहीन विद्यालयों को भवन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद वाराणसी में कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन तथा भवन विहीन नहीं है तथा जनपद वाराणसी में मात्र शिक्षा मित्र के द्वारा कोई भी विद्यालय संचालित नहीं है।

जनपद वाराणसी में कुल 13 प्राथमिक विद्यालय एवं 11 पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक कार्यरत है, जिनके नाम निम्नवत् हैं :-

विकास क्षेत्र	प्राथमिक विद्यालय	पूर्व माध्यमिक विद्यालय
सेवापुरी	प्रा0वि0-पतेरचक	पू0मा0वि0-बिहड़ा
	प्रा0वि0-जगापट्टी	
	प्रा0वि0-लालपुर	
बड़ागांव	प्रा0वि0-असवारी	पू0मा0वि0-सियरहां
	प्रा0वि0-रतनपुर	पू0मा0वि0-हरेहूं
	प्रा0वि0-नेवादा (भिटी)	पू0मा0वि0-फुलबरिया
	प्रा0वि0-नथईपुर	पू0मा0वि0-बलरामपुर
	प्रा0वि0-सर्वीपुर	पू0मा0वि0-शेरवानीपुर
	प्रा0वि0-कुरू	पू0मा0वि0-कुरू
		पू0मा0वि0-बेलवां
		पू0मा0वि0-अकोढ़ा
		पू0मा0वि0-विरांव
आराजीलाइन्स	प्रा0वि0-शिवरामपुर	
चोलापुर	प्रा0वि0-बहुआंव	
	प्रा0वि0-टेकुरी	
	प्रा0वि0-बबियांव	
पिण्डरा		पू0मा0वि0-भोपतपुर

जनपद वाराणसी में कोई भी विद्यालय भवन विहीन नहीं है। मानक के अनुरूप स्वीकृत/रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों की भर्ती प्रारम्भ की गयी थी। उक्त भर्ती से सम्बन्धित नियुक्ति प्रक्रिया के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 20-11-2013 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की गयी है, जो सम्प्रति विचाराधीन है।

उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका के निस्तारित होने के पश्चात् तद्नुसार रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों की तैनाती की जा सकेगी।

उक्तवत्।

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला कार्यक्रम अधिकारी का स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण कराने सम्बन्धी जानकारी

10-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में कितने वरिष्ठ सहायक/अधिकारी स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के तहत इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में श्री सगीर अहमद, प्रशासनिक अधिकारी का कार्यकाल वरिष्ठ सहायक/प्रशासनिक अधिकारी के रूप में लगभग 5 वर्ष से कार्यरत हैं।

स्थानान्तरण नीति 2013-14 से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय ब्लाकों के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानकों के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की मांग

11-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी पसगवां, ईसानगर धौरहरा में संचालित प्राथमिक स्कूलों तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी पसगवां, ईसा नगर धौरहरा में शिक्षकों की तैनाती मानक के अनुसार नहीं है।

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी में स्वीकृत/रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रारम्भ की गयी थी। उक्त भर्ती से सम्बन्धित नियुक्ति प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 20-11-2013 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की गयी है, जो सम्प्रति विचाराधीन है।

माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका निस्तारित होने के पश्चात् तद्नुसार रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों की तैनाती की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में प्राथमिक विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य कराने सम्बन्धी जानकारी

12-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में वर्ष 2012-13 तक कितने प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की गयी ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि स्वीकृत विद्यालयो में से कितने प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने शेष है ? शेष प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत विकास खण्ड पसगवां एवं मोहम्मदी आते हैं, जिनमें वर्ष 2012-13 तक क्रमशः 167 व 193 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए हैं।

समस्त भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में पेयजल उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

13-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में पाइप लाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप-

जी हां।

जनपद-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत 13 पेयजल योजनाएं संचालित हैं, जिनके द्वारा 26 ग्रामों की कुल 42160 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है तथा 11 पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनके द्वारा 15 ग्रामों की कुल 39980 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में मानक के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं जिनके द्वारा क्षेत्रवासियों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की ग्राम पंचायत घिसौली में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने की मांग

14-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घिसौली के मजरा जौनपुर विकास खण्ड बबीना जिसकी आबादी लगभग 1000 है, में विद्यालय न होने के कारण बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में समस्या होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु यहां पर उच्च प्रा0 विद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घिसौली के मजरा जौनपुर, विकास खण्ड बबीना, जिसकी आबादी लगभग 500 है, में प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2003-04 से संचालित है। विद्यालय की छात्र संख्या-102 है तथा विद्यालय में 01 अध्यापक एवं 02 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत घिसौली का मजरा जौनपुर 1.5 कि0मी0 की दूरी पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय घिसौली से सेवित है। अतः उक्त मजरा जौनपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

ग्राम पंचायत घिसौली का मजरा जौनपुर 1.5 कि0मी0 की दूरी पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय घिसौली से सेवित है।

जनपद गोरखपुर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को सरकारी भवनों में स्थानान्तरित करने की मांग

15-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं तथा उन्हें कब तक सरकारी भवनों में स्थानान्तरित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

गोरखपुर महानगर में कुल 14 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय किराये के भवन में संचालित हैं। कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय किराये के भवन में संचालित नहीं है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा विद्यालय भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर से अनुरोध किया गया है। निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने तथा विद्यालय भवन का निर्माण होने के उपरान्त यथावश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कर किराये के भवनों में चल रहे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को निजी भवन से स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों की निशुल्क बोरिंग योजना की धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

16-श्री सुरेश राणा तथा श्री रामचन्द्र यादव-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों के कृषि की उन्नति के लिये सिंचाई हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना में बोरिंग की लागत व प्रयुक्त होने वाली सामग्री की दरें बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना की धनराशि रु0 7000/- से बढ़ाकर रु0 15,000/- करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)-

जी हां।

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत (अ)-सामान्य श्रेणी के लघु कृषक (2.5 एकड़ से 5 एकड़) को बोरिंग पर रु0 5000/- एवं पम्पसेट पर रु0 4500/- कुल अनुदान रु0 9500/- (ब)-सामान्य श्रेणी के सीमान्त कृषक (0 से 2.5 एकड़) को बोरिंग पर रु0 7000/- पम्पसेट पर

रु0 6000/- कुल अनुदान रु0 13,000/- एवं (स)-अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एंव सीमान्त कृषक को बोरिंग पर रु0 10,000/- एवं पम्पसेट पर रु0 9000/- कुल अनुदान रु0 19,000/- की सुविधा अनुमन्य कराई जाती है।

उक्त के अतिरिक्त 25 प्रतिशत लाभार्थियों को 90 एम0एम0 व्यास का अधिकतम 30 से 60 मीटर एच0डी0पी0ई0 पाइप सिस्टम की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 3000/- का अनुदान सभी श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों को दिये जाने का प्राविधान है।

उक्तानुसार अनुमन्य अनुदान के दृष्टिगत वर्तमान अनुदान की दरों में और वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विद्यालयों व मदरसों में उर्दू की पुस्तकों के वितरण की जांच की मांग

17-श्री दलवीर सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2013-14 में प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों में व मदरसों में छात्र को बांटने हेतु 24,000 उर्दू की पुस्तकें भेजी गयी थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त पुस्तकों का समय पर वितरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा समय से पुस्तकों का वितरण न कर पाने पर दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2013-14 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय और मदरसों में 23,159 उर्दू की पाठ्य पुस्तकें वितरण का लक्ष्य था।

वर्ष 2013-14 में उर्दू पाठ्य पुस्तकों में संशोधन किये गये, जिसके कारण उर्दू पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति विलम्ब से हुई है।

जनपद अलीगढ़ में उर्दू की पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति प्राप्त होते ही तत्काल वितरण सुनिश्चित किया गया तथा समस्त 23,159 छात्रों को उर्दू की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ कलेक्ट्रेट में प्रतिदिन बिल पास करने में की जा रही अनियमितता की जांच सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

18-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोषागार कलेक्ट्रेट, लखनऊ में सेवारत एकाउन्टेन्ट कम डाटाफीडर द्वारा प्रतिदिन बिल पास कराने एवं अन्य कार्य से आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा स0वि0स0 द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम0/पीजी0 10390091, दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 द्वारा निदेशक, कोषागार को प्रकरण

की जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही किये जाने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी जी 103990091 दिनांक 11-12-2013 प्राप्त नहीं है, बल्कि मा0 मुख्य मंत्री जी को संबोधित मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र जिस पर मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी जी 10390091 दिनांक 11-12-2013 अंकित है, निदेशक, कोषागार उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त है। शिकायती-पत्र द्वारा कोषागार लेखाकार, लखनऊ के विरुद्ध शिकायतें की गयी हैं, जिसके नियुक्ति प्राधिकारी, जिलाधिकारी, लखनऊ हैं। इसलिये निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने प्राप्त शिकायती-पत्र को अपने पत्र दिनांक 27-12-2013 द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को जांच हेतु प्रेषित कर दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

[11.56 बजे] मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए कार्य-सूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-1 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। नत्थी 'ख' में हमारा पहला तारांकित प्रश्न है। पहले हमें लिखित सूचना दी गयी थी कि यह अल्पसूचित में स्वीकार हुआ है। अभी 3 दिन पहले हमें एक पत्र दिया गया और उसकी कापी प्रमुख सचिव तथा माननीय राज्य मंत्री को भी दी गयी कि यह तारांकित में कर दिया गया है और आज जो कार्यवाही है उसमें बताया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार वहां से फैसला आ चुका है इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जवाब सदन में आये।

श्री अध्यक्ष-

अगर यह हाईकोर्ट में विचाराधीन नहीं होगा तो हम इसे दिखवा लेंगे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, विचाराधीन नहीं है, मा0 मंत्री जी सदन में बैठे हैं, उनसे आप पूछ लें।

श्री अध्यक्ष-

यह तो हम बाद में पूछेंगे, इस समय कहां पूछा जा सकता है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, प्रश्न का समय बचा है, आप बता दें कि प्रश्न क्या था ताकि यह सभी को पता लग जाये, मान्यवर, 12.20 तक प्रश्न काल है, अभी समय है।

श्री अध्यक्ष-

हम इसे दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी के यहां से लिख करके आया था कि यह वहां विचाराधीन है। यह तो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जो लिख करके आया है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, क्या लिखा है यह पढ़ करके बता दें।

श्री अध्यक्ष-

यह पूरा पत्र है, इसे आप हमारे कार्यालय में आ करके देख लीजिएगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

जो अन्त में लिखा है वह क्या है, न्यायालय ने तो आदेश कर दिया, आदेश पर कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें तो लिखा है कि प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है, अतः अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली-1958 में दी गई उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इसे निरस्त किया जाए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रकरण पर मा0 न्यायालय से बीस दिन पहले जजमेंट आ चुका है। जजमेंट के बाद कार्यवाही शुरू हो गई है। तीन दिन पहले मुझे आपके सचिवालय द्वारा पत्र दिया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था और विभाग को निर्देशित भी किया गया था कि उत्तर की 125 प्रतियां आप यहां पर भिजवा दें। तो मान्यवर, दो-तीन दिन तक तो यह था कि उत्तर दिया जा रहा है, जजमेंट न्यायालय का 15 दिन पहले आ चुका है, 10 दिन पहले सी0बी0आई0 अपनी कार्यवाही शुरू कर चुकी है, प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई नहीं है या तो सरकार यही कह दे कि प्रदेश सरकार एस0एल0पी0 में सुप्रीम कोर्ट गई है।

श्री अध्यक्ष-

अभी रिट पेंडिंग है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, कहां पेंडिंग है, किस स्तर पर पेंडिंग है।

श्री अध्यक्ष-

यह हम कहां बता पायेंगे। हमारे यहां लिख करके आ गया कि हाईकोर्ट में पेंडिंग है। आप हमें लिख करके दे दीजिए हम सरकार से पूछेंगे कि ऐसा कैसे किया गया। हम कहां से बता दें हमारे पास तो लिख करके आया कि पेंडिंग है। आप हमको लिख करके दीजिए तो हम सरकार से पूछेंगे, ऐसे कैसे हम बता दें कि कहां पेंडिंग है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, दो-तीन दिन तक जो चीज हमको दी जा रही है। तीन दिन तक सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि यह प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है, तीन दिन तक सरकार बता रही थी कि जवाब दिया जायेगा और तीन दिन के अन्दर सरकार को ज्ञान हो गया कि यह प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष-

आप हमको लिख करके देंगे तो हम दिखवा लेंगे। जब सरकार के संज्ञान में आया होगा तो सरकार ने लिखा होगा। आप हमको लिख करके देंगे तो हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, हमें जब आपका ही संरक्षण नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

हम आपको पूरा संरक्षण दे रहे हैं, आप हमको लिख करके दीजिए हम प्रकरण की छानबीन करा लेंगे और मा0 मंत्री जी के अधिकारियों से भी पूछ लेंगे कि ऐसा कैसे कहा गया। अब कृपया आप बैठ जायें।

[12.05 बजे] कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-6 का सुसंगत उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज की कार्य-सूची में मान्यवर, अतारांकित प्रश्न सं0-6 है। वैसे तो मा0 अध्यक्ष जी आपके विनिश्चय पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न या टिप्पणी नहीं होती है लेकिन मान्यवर, एक अनुरोध जरूर करना चाहते हैं। मान्यवर, आज की कार्य-सूची में 20 प्रश्न तारांकित होने चाहिए थे। मान्यवर, इस प्रश्न के महत्व को देख लें इसे तारांकित की सूची में होना चाहिए, यह हमारा अनुरोध है और हमारी पीड़ा भी है। दूसरी बात, जो हमारा अधिकार भी है कि प्रश्नों का सुसंगत उत्तर हमें मिले। कल भी शिक्षा मित्रों के बारे में चर्चा हुई, समाचार-पत्रों में इतना ज्यादा छपा एक लाख सत्तर हजार लोगों के बारे में और लखनऊ में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें जो व्यवस्था है वह बताइये, प्रश्न का उत्तर मत समझाइये ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

व्यवस्था यह है मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर आपको मिला या नहीं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उत्तर मिला था।

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर से संतुष्ट हैं या असन्तुष्ट ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अगर उत्तर से संतुष्ट होते तो फिर व्यवस्था का प्रश्न क्यों उठाते ?

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो नियमावली में व्यवस्था है नियम-63 है, नियम-167 है, तमाम व्यवस्थायें हैं उसमें लिखकर दीजिए। इसको उठाकर समय बर्बाद क्यों कर रहे हो ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिए। इसमें जो अतारांकित प्रश्न है उसके बारे में यह अपेक्षा की जाती है कि सम्पूर्ण उत्तर आयेगा। इसमें सम्पूर्ण उत्तर नहीं आया। जबकि यह विषय मा0 मंत्री जी के अच्छी तरह से संज्ञान में है। अगर अतारांकित प्रश्नों का सुसंगत उत्तर नहीं आयेगा, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं, अगर इस पीठ से संरक्षण नहीं मिलेगा तो हम जायेंगे कहां और यहां हमारे आने का परपज क्या है ? मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं, आप उत्तर देख लें इसमें फिर हमें हिमालय पर्वत पर भेज दिया गया है कि 'जी हां'। स्नातक एवं प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्त किये जाने के लिए उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1991 में यथावश्यक संशोधन की प्रक्रिया गतिमान है। नीचे हमने पूछा था कि यदि हां, तो किन-किन शर्तों एवं वेतन पर नियमित किया जायेगा ? शिक्षा मित्रों के सम्बन्ध में है। उसमें आ गया कि उक्तवत्। मान्यवर, उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता कि सरकार की क्या मंशा है, क्या नीयत है ? किन शर्तों पर शिक्षा मित्र नियमित किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमों के अन्तर्गत हमारे पास प्रश्न रखिये, हम उसके बारे में छानबीन करेंगे। उत्तर देने-दिलाने में मेरी भी एक सीमा है यह आप जानते हैं। इसलिए जो उत्तर आया है उससे आप संतुष्ट हैं या असन्तुष्ट हैं वह अलग बात है। उसमें कोई कमी है या गलतबयानी है तो आप हमको लिखकर दीजिए, नियमों में प्राविधान है उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

[12.06 बजे] उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-32 के अनुसार प्रश्नों का उत्तर एक दिन पूर्व उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 का नियम-32 देखने की कृपा करें-'उत्तरों की प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध कराना तथा सदन में प्रश्नोत्तर का निस्तारण'। इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्नों के उत्तर के लिये जो दिन नियत किया गया हो, उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व प्रश्न के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध कर दी जायेगी। मान्यवर, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, इसमें एक दिन पूर्व लिखा हुआ है। मेरे संज्ञान में नहीं है कि वह एक दिन पूर्व आता है।

अगर वह आता भी है तो वह सवेरे आता है। अगर एक दिन पूर्व हमें उपलब्ध करा दिया जाये जिसकी व्यवस्था आपने नियमावली के अंतर्गत की है। आपके माध्यम से यह व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल से संबंधित है इसलिए विनम्र निवेदन है कि एक दिन पूर्व प्रश्नों का उत्तर सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाए, जिसकी व्यवस्था है तो थोड़ा सा हम सबको सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष-

आपने नियमावली के जिस नियम की तरफ ध्यान आकर्षित किया है इसमें तो लिखा है लेकिन प्रश्न के उत्तर जब सरकार की तरफ से आते हैं तो आपको उपलब्ध कराये जाते हैं। अभी तो हमेशा सुबह 5-6 बजे प्रश्न का उत्तर दिला दिया जाता है कि आपको कुछ अनुपूरक पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन यह सही है कि नियमावली में एक दिन पूर्व लिखा हुआ है तो हम देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है ?

[12.10 बजे] दिनांक 16 जुलाई, 2009 को लखनऊ स्थित प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी उनके आवास संख्या-45 सरोजनी नायडू मार्ग में हुई आगजनी की घटना पर सरकार द्वारा न्यायालय में अभी तक चार्जशीट दाखिल न किये जाने विषयक प्रकरण

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, मेरा एक व्यक्तिगत विषय है जो मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं। 16 जुलाई, 2009 को लखनऊ शहर में एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुई और कई दिनों तक वह पूरे देश की मीडिया में चर्चित रहा। उस दिन 45 सरोजनी नायडु मार्ग जहां मैं निवास करती हूं जो योजना भवन के बिल्कुल बगल में है, सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, राजभवन के बगल में हाई-सिक्योरिटी जोन में है वहां बड़ी तादाद में करीब 11.45 बजे रात्रि में बहुत लोगों ने मेरे घर के अंदर घुसकर आगजनी की उनके हाथ में ऐसे पदार्थ थे, जो अग्नि जलाते थे। वह पेट्रोल था क्या था मैं नहीं जानती और जिस घर में मैं रहती थी उस घर के अन्दर घुसकर गाड़ियां कमरे सब जलाए गए फुटेज टी0वी0 वालों ने पूरे देश को दिखाया जिसमें पुलिस के अधिकारी और जो इधर बैठे हैं यह लोग पहले उधर बैठे थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी इनके निर्वाचित सदस्यगण इनकी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें स्पष्ट रूप से गोला बना-बनाकर दिखाए गए हैं। चश्मदीद गवाहों ने हमारे घर के लोगों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें एफ0आई0आर0 लिखाई क्योंकि हमारी एफ0आई0आर0 में शासकीय दल के कई सारे महत्वपूर्ण नेताओं का और पुलिस अधिकारियों का नाम था और हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें इनसे जस्टिस मिलेगी न्याय मिलेगा इसलिए हम हाई कोर्ट चले गए थे कि इस प्रकरण सी0बी0आई0 की इन्क्वायरी हो उसकी सुनवाई होती रही, चलती रही, जैसी न्यायालय की प्रक्रिया है और उसी बीच 2012 में दूसरी सरकार आ गई और कोर्ट ने हमारा मामला यह कहकर डिसमिस किया कि एक नई सरकार आ गई है और अब यह न्यायपूर्ण ढंग से जांच करेगी तो हम लोगों को आदेशित किया गया कि आप को-आपरेट करिए जांच पूरी हो। आदेश में लिखा हुआ है कि यदि यह आवेयक में को-आपरेट न भी करें तो भी सरकार उसमें कोर्ट में चार्जशीट फाइल करे। दिसम्बर 2012 में इन्क्वायरी पूरी हो गई हम सबने बयान भी दर्ज कराए मेरी संज्ञान में जांच दिसम्बर, 2012 में पूर्ण हो गयी। दिसम्बर, 2012 से दिसम्बर, 2013 हो गया अब 2014 भी आ गया लेकिन चार्जशीट

फाइल नहीं हो रही है। मैं जानना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी बात है कि जो अब शासन में बैठे हैं, जो लगातार कहते थे कि अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया रूलिंग पार्टी बसपा के समय में, वह क्यों नहीं 12 महीने में चार्जशीट फाइल कर सके।

श्री अध्यक्ष-

यह आप प्रश्न के रूप में देती यह आपका व्यक्तिगत मामला है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मैं व्यक्तिगत रूप से अफेक्टेड हूं मेरा घर जल गया मुझे बताएं कि उसमें जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल होनी चाहिए या नहीं इस पर सरकार मुझे कोई आश्वासन देगी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं आपकी बात आ गई ।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मैं ऐसे नहीं बैठूंगी पहले मेरी बात का जवाब आ जाए। यह लोग तो वेल में आ जाते हैं। कल लॉ एण्ड आर्डर पर पूरी बहुजन समाज पार्टी वेल में खड़ी थी। इस पर सरकार आश्वासन तो दे।

श्री अध्यक्ष-

आप इतनी सीनियर लीडर हैं इधर से कुछ जवाब तो आने दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जब यह हुआ था तब भी यह बहुत संवेदनशील था। यह सही है कि मीडिया ने भी इसको काफी कवरेज दिया था गम्भीर मामला है। क्या स्थिति है पूरी तरह से इस वक्त मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इसे दिखवा लूंगा और जो बेहतर कार्यवाही होगी की जाएगी। जो कानूनी कार्यवाही होगी की जाएगी।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

इसमें चार्जशीट फाइल हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी बता रहे हैं कि जो कानूनी कार्यवाही होगी की जाएगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पूरी बात मेरी जानकारी में नहीं है। इसलिए मैं इसमें कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि इसमें चार्जशीट फाइल करवा दीजिए।

[12.14 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26-02-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 54 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 16 सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में वर्ष 2002 से सीनेट का चुनाव न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में।

दूसरी सूचना श्री राघव लखनपाल शर्मा की जनपद सहारनपुर में राशन कार्डों के नवीनीकरण में बाधाओं को दूर करने के सम्बंध में।

(तीसरी सूचना पर श्री अमर पाल शर्मा का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

चौथी सूचना श्री गयादीन अनुरागी की जनपद हमीरपुर की तहसील मौदहा के ग्राम खण्डेह के प्राचीन मन्दिरों का रख-रखाव कराये जाने के सम्बंध में।

(पांचवीं सूचना पर श्री गजराज सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

(छठी सूचना पर ठा0 दलवीर सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

सातवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिज़वी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र में बेल्थरा रोड से बलिया मुख्यालय तक की अर्धनिर्मित सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। (माननीय सदस्य श्री जियाउद्दीन रिज़वी ने अपनी सूचना पढ़ी)। छठवीं सूचना ठा0 दलवीर सिंह की थी, वह आ गये हैं इसलिये उनकी सूचना ले लेते हैं। उनकी सूचना जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत कासिमपुर साधु आश्रम मार्ग से तालिबनगर तक के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल जी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के बाढ़ प्रभावित दियरांचल में छात्र-छात्राओं हेतु पठन-पाठन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है। (नवीं सूचना पर माननीय सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अनुपस्थित थे।) दसवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोराबार-कोनी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। (ग्यारहवीं सूचना पर माननीय सदस्य हाजी मुसर्रत अली बिट्टन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अनुपस्थित थे)। बारहवीं सूचना श्री दीपक पटेल की जनपद इलाहाबाद में लघु सिंचाई विभाग में चेकडैम के निविदाओं में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर की बिलाई शुगर मिल में बकाये गन्ने का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है। (चौदहवीं सूचना पर माननीय सदस्य श्रीमती लालमुन्नी सिंह का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्या अनुपस्थित थीं)। पन्द्रहवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के ग्राम श्यामीवाला में रविदास जयन्ती पर शोभा यात्रा निकालने हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री प्रभू दयाल वाल्मिकी की विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में चोहा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर अपनी सूचना लिये जाने का अनुरोध करने पर)

देखिये मेरे पास क्रम से नम्बर लिखा है, हम उसके अनुसार ले लेंगे। श्री अमर पाल शर्मा जी के स्थान पर श्रीमती अनुप्रिया पटेल की, श्री रविदास मेहरोत्रा जी के स्थान पर श्री लोकेन्द्र सिंह की, हाजी मुसर्रत अली बिट्टन के स्थान पर श्री अगयश राम सरन वर्मा की, और श्रीमती लालमुन्नी सिंह के स्थान पर श्री सुरेश राणा की सूचनाएं ली जाती हैं। शेष माननीय सदस्यों श्री बावन सिंह, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री प्रदीप चौधरी, श्री सुरेश बंसल, श्री दलजीत सिंह, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री पूरन प्रकाश, श्री अनीसुर्रहमान, श्री कमाल युसुफ मलिक, श्री विजय कुमार पासवान, श्री सुधाकर सिंह, श्री गोरख पासवान, श्री संजय कपूर, श्री हाजी इरफान सोलंकी, श्री महेन्द्र कुमार

सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री उमाशंकर सिंह, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री काली चरन सुमन, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री ममतेश शाक्य, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री शमशेर बहादुर, श्री राज नारायन बुधौलिया, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री रामहेत भारती, श्री राजेन्द्र, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री उमेश पाण्डेय, डा0 अरूण कुमार, श्री मदन चौहान की सूचनाएं अस्वीकार की गईं।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में वर्ष 2002 से सीनेट का चुनाव न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[महोदय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में वर्ष 2002 से सीनेट कोर्ट का चुनाव नहीं हुआ है जबकि सरकार प्रत्येक वर्ष जनप्रतिनिधि को नामित करती चली आ रही है। चुनाव न होने के कारण कोई बैठक नहीं हो पा रही है जिसके कारण जनप्रतिनिधियों को कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। जबकि नियम है कि वर्ष में एक कोर्ट की बैठक अवश्य हो। विश्वविद्यालय में नई प्लानिंग हेतु भी सीनेट कोर्ट में पास होना आवश्यक है। सीनेट कोर्ट के सामने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट भी पेश होनी चाहिए। लेकिन चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय में सीनेट कोर्ट की प्रक्रिया पिछले 12 वर्ष से बन्द पड़ी है। इन पिछले 12 वर्षों में विश्वविद्यालय में अनेक घोटाले, मूल्यांकन, कापी, रद्दी, उत्तर पुस्तिका घोटाले सामने आये हैं लेकिन इनमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं स्वयं लगभग 1.5 वर्ष विश्वविद्यालय का सदस्य रहा हूं लेकिन 1.5 वर्ष में एक भी बैठक विश्वविद्यालय में नहीं हुई। इससे अधिक खराब विषय और क्या हो सकता है।

अतः चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को सीनेट चुनाव कराने तथा बैठक बुलाने हेतु निर्देशित करने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर में राशन कार्डों के नवीनीकरण में बाधाओं को दूर करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघव लखन पाल शर्मा-

[महोदय, अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रदेश में राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। सहारनपुर जनपद में भी राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। यहां पर राशन कार्डों के नाम पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। राशन कार्डों के नवीनीकरण के नाम पर विभिन्न-विभिन्न कागजों की मांग की जा रही है जो जनता के पास उपलब्ध ही नहीं हैं और इससे सहारनपुर की जनता में बहुत रोष फैलता जा रहा है, जो भयानक रूप ले सकता है :-

1-पहचान-पत्र की मुख्य समस्या आ रही है, जो जनता के पास 30 प्रतिशत परिवार सहित उपलब्ध है बाकी पहचान-पत्र की एक बड़ी समस्या आ रही है जिससे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सहारनपुर जनपद में 70 प्रतिशत राशन कार्ड जिनके परिवार के पास कोई पहचान-पत्र नहीं है उनके राशन कार्ड निरस्त होने के कगार पर है। आपसे अनुरोध है कि पहचान-पत्र के प्रपत्र में छूट दी जानी चाहिए जिससे गरीब जनता के राशन कार्ड निरस्त न हो पायें।

2-सहारनपुर जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के हुए डाटा डिलाईजेशन के सम्बन्ध में 12-03-2013 को विधान सभा में यह मुद्दा हमारे द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था कि डाटा डिलाईजेशन सही ढंग से नहीं किया गया है इसको तत्काल सही कराया जाना बहुत आवश्यक है ताकि किसी भी गरीब परिवारों के राशन कार्ड निरस्त न हो पायें। मेरे जनपद सहारनपुर में ही कई लोगों के नाम डाटा से गायब हैं और उनके राशन कार्ड बने हुए हैं और उनको राशन कार्डों के फार्म भी नहीं मिल पा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि डाटा डिलाईजेशन दोबारा कराकर उन राशन कार्ड को सम्मिलित किया जाना बहुत ही आवश्यक है। ताकि कोई गरीब आदमी राशन कार्डों से वंचित न होने पाये।

3-राशन कार्डों के फार्म चेक करते समय यह पाया गया कि कई कार्डों में मुखिया का नाम सही और पिता का नाम गलत व पूरे परिवार के नाम ही गलत दर्शाये गये हैं जिससे जनता में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि कहीं हमारे राशन कार्ड सरकार द्वारा निरस्त न कर दिये जायें।

4-यही हाल ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को राशन कार्ड बनवाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान-पत्र भी नहीं बने हुए हैं पूर्ति कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के पूरे परिवार सहित आई0डी0 भी उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के परिवार के पास भी पूरी आई0डी0 भी उपलब्ध नहीं है जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता में इस बात को लेकर बेहद रोष व्याप्त है। इसे तत्काल दूर कराया जाये।

5-सहारनपुर जनपद में पिछले कुछ माह पहले बहुत जबरदस्त बाढ़ आ गयी थी उसमें हजारों परिवारों के राशन कार्ड, पहचान-पत्र सहित अन्य जरूरी कागजात भी बाढ़ आने के कारण पानी में बह गये थे अब उन लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाने में बहुत कठिनाई आ रही है। इसको तत्काल दूर कराने का कष्ट करें।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर आपसे अनुरोध है कि खाद्य एवं रसद विभाग को राशन कार्डों के नवीनीकरण में जो बाधायें आ रही हैं उनको तत्काल दूर करने का निर्देश दिया जाये।]

जनपद हमीरपुर की तहसील मौदहा के ग्राम खण्डेह के प्राचीन मन्दिरों का रख-रखाव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयादीन अनुरागी-

[महोदय, जनपद हमीरपुर के तहसील मौदहा के ग्राम खण्डेह में बहुत प्राचीन तथा अद्भुत नक्काशीदार ग्रेनाइट पत्थर से मन्दिर बने हुए हैं। इन मन्दिरों का समुचित रख-रखाव न होने के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण नक्काशीयुक्त दीवारें टूट रही हैं। इन मन्दिरों में प्रमुखतः राम मन्दिर एवं शिव मन्दिर हैं। इन मन्दिरों में रामलीला एवं रामकथा का सचित्र वर्णन किया गया है। पुरातत्व विभाग का मानना है कि पूरे उत्तर भारत में इस तरह का एक मात्र यह अनूठा मन्दिर है। यहां पर स्थापित देवी, देवताओं की मूर्तियों के दर्शनार्थ इस क्षेत्र में सैकड़ों कि0मी0 से लोग चलकर आते हैं। यदि इस मन्दिर प्रांगण का समुचित विकास कर दिया जाय तो यह एक पर्यटन केन्द्र के रूप में भी विख्यात हो जायेगा तथा सरकार के प्रति लोगों की भावनाएं भी बदलेंगी। इस सम्बन्ध में वर्तमान जिलाधिकारी, हमीरपुर ने भी इसे पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने हेतु पर्यटन विभाग, उ0 प्र0 शासन को लिख चुकी है। यह मन्दिर महोबा से मात्र 30 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है। यदि इसे पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाता है तो खजुराहों आने वाले विदेशी पर्यटक भी इस स्थल पर भ्रमण एवं दर्शन हेतु आयेंगे जिससे यहां रोजगार के साथ-साथ क्षेत्र के अन्य संसाधनों का विकास होगा। इसलिए शीघ्र पर्यटन विभाग द्वारा जनपद हमीरपुर के तहसील मौदहा स्थित खण्डेह के मन्दिर का विकास एवं आवश्यक निर्माण कराया जाय। प्रकरण लोकमहत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के अन्तर्गत कासिमपुर साधू आश्रम मार्ग से तालिबनगर तक के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

ठा0 दलवीर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली (अलीगढ़) के अन्तर्गत कासिमपुर साधू आश्रम मार्ग से तालिबनगर का सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 1 कि0मी0 है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है। जगह-जगह पर गड्ढे हो गये हैं। क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में काफी परेशानी होती है। कृपया जनहित में इन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के लिये मैं उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

अतः मैं चाहूंगा कि अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र में बेल्थरा रोड से बलिया मुख्यालय तक की अर्धनिर्मित सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

महोदय, बलिया जनपद में सोनौली-बलिया मार्ग जो मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर से बलिया को जाता है। यह जनपद का मुख्य मार्ग है। जनपद की हृदयरेखा है। यह मार्ग बेल्थरा रोड से सिकन्दरपुर होते हुए बलिया मुख्यालय तक वर्ष 2009-10 में दूरी 38.7 कि0मी0 स्वीकृत हुआ था जिसका ठेका छात्रशक्ति कान्सट्रक्शन कम्पनी ने ले रखा है। इस सड़क पर शासन 2010-11 दूरी 22 कि0मी0 स्वीकृत लागत 90.4 करोड़ एवं 37.2 करोड़ हुई थी। कुल लागत 127.6 करोड़ है। इस राज्य मार्ग पर अब तक आहरित धनराशि 2009-10= 18 करोड़ 2010-11= 20 करोड़,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2011-12= 08 करोड़, 2012-13= 15 करोड़ तथा 2013-14 में आवंटित धनराशि 5+4=9 करोड़ उपरोक्त के सापेक्ष्य केवल 12+2 कि0मी0 कार्य का अपूर्ण निर्माण कार्य कराया गया है। जबकि उपरोक्त धनराशि जो आहरण हुई है इस पैसे से 35 कि0मी0 सड़क बन जानी चाहिए थी। परन्तु ठेकेदार ने आहरित धनराशि को दूसरे सड़कों पर खर्च कर दिया और इस सड़क का बुरा हाल कर दिया है। यह सड़क दो लोक सभा क्षेत्र सलेमपुर-बलिया से गुजरती है। बरसात में 20 कि0मी0 सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। जिस पर आम आदमी का चलना दूभर हो गया है। वाहन नहीं चल पा रहे हैं। दूसरे रास्ते से जनता जनपद मुख्यालय जा रही है जिसमें 3 घण्टे का सफर तय होता है। जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल आहरण की हुई धनराशि से ही ठेकेदार से बलिया से सिकन्दरपुर-बेल्थरा रोड तक सड़क का निर्माण कार्य कराने एवं विलम्ब करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के बाढ़ प्रभावित दियरांचल में छात्र-छात्राओं हेतु पठन-पाठन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बलिया अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बैरिया दियरांचल का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। जहां पर छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन की कोई व्यवस्था नहीं हैं जिसके कारण क्षेत्र में अशिक्षा का माहौल बना हुआ है। मैंने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से बार-बार पत्राचार भी किया है। लेकिन शासन व प्रशासन शिक्षा के प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। बैरिया क्षेत्र के गोपाल नगर, मानगढ़, शिवाल मठिया व वशिष्ठ नगर आदि में राजकीय इण्टर कालेज खोला जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त क्षेत्र में विद्यालय न होने के कारण आम जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से उक्त क्षेत्र में विद्यालय खोले जाने हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोराबार कोनी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोराबार अन्तर्गत सिक्टौर-कोनी मार्ग जो देवरिया रोड को जोड़ता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग जो ग्राम जंगल अयोध्या प्रसाद, सिमरी, डांगीपार, मिर्जापुर, बड़गो, कजाकपुर, भरवलिया, सिक्टौर जैसे ब्लाक खोराबार के अनेकों के साथ-साथ तारामंडल जैसे महत्वपूर्ण मार्ग को भी मुख्य मार्ग से जोड़ने में यह सम्पर्क मार्ग कार्य करता है। जिससे प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोगों का आवागमन ब्लाक मुख्यालय से लेकर देवरिया तक होता है। ऐसे अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग के जर्जर होने के कारण आये दिन स्कूली बच्चों के साथ-साथ बुजुर्गों की आये दिन दुर्घटनाओं साथ-साथ बड़ी गाड़ियों के पलटने के कारण मार्ग जाम हो जाता है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग का निर्माण न कराये जाने से जनमानस में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। जनहित में इस मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग का निर्माण जनहित में कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद में लघु सिंचाई विभाग में चेकडैम के निविदाओं में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है जनपद इलाहाबाद के तहसील एवं विधान सभा क्षेत्र करछना में लघु सिंचाई विभाग के द्वारा 13 चेकडैम स्वीकृत किये गये थे। जिसकी निविदा दिनांक 13 फरवरी को सम्पन्न हुई है। विभाग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया में भारी अनियमितता की गयी है। विभाग के अधिकारियों द्वारा खुले आम 10 फीसदी अग्रिम कमीशन लेकर अपने चहेते एक दो ठेकेदारों को सारे काम दे दिये गये हैं तथा निविदा प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त लघु सिंचाई विभाग के स्थानीय अधिकारियों के इस कृत्य की जांच कराकर इनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर की बिलाई शुगर मिल में बकाये गन्ने का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जिला बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र, नहटौर के अन्तर्गत बिलाई शुगर मिल के द्वारा गतवर्ष में पड़े हुए गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे उनकी फसलों में खाद, पानी की गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है, किसानों का भुगतान न होने से रोजी रोटी का संकट एवं अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनता/किसानों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में किसानों का गन्ने का भुगतान तत्काल कराने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के ग्राम श्यामीवाला में रविदास जयंती पर शोभा यात्रा निकालने हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद बिजनौर के ग्राम श्यामीवाला में लगभग 55 वर्ष से संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा ग्राम मुझादा पट्टी से परम्परा के अनुसार गत वर्षों से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लगातार शोभा यात्रा निकाली जा रही है लेकिन 2 वर्ष से प्रशासन द्वारा उसको निकालने की अनुमति नहीं दी गयी है, जिससे क्षेत्रीय जनता द्वारा स्थानीय प्रशासन से कई बार मौखिक व लिखित रूप से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक शोभा यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान नहीं की गई जिससे क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में मेरा सरकार से अनुरोध है, जनहित में स्थानीय/क्षेत्रीय जनता की भावनाओं पर विचार करते हुए संत रविदास जयंती में शोभा यात्रा निकालने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर मे चेतावाला घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभू दयाल बाल्मिकी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में गंगा के चेता वाला घाट है जो हस्तिनापुर से चांदपुर (बिजनौर) से जोड़ता है। ऐसे में पुल का निर्माण होने से हस्तिनापुर से चांदपुर (बिजनौर) की दूरी लगभग 5 कि0मी0 हो जायेगी। परन्तु पुल का निर्माण न होने से चांदपुर (बिजनौर) जाने की दूरी लगभग 50 कि0मी0 है। इस पुल का निर्माण अधूरा है जिससे जनमानस आक्रोशित है।

अतः जनहित में उक्त गंगा के चेतावाले घाट का पुल का निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि शीघ्र अवमुक्त किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी के ब्लाक काशी विद्यापीठ की ग्राम सभा नासिरपुर में जल-भराव की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

[मान्यवर, जनपद वाराणसी, विधान सभा रोहनियों, ब्लाक काशीविद्यापीठ के अन्तर्गत ग्राम सभा नासिरपुर में शंकर मन्दिर से श्री करिमन सिंह, पूर्व प्रधान की चक्की से होते हुए करौंदी नाला तक लगभग (01) किलो0मी0 तक भीषण जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। अनेक बार सम्बन्धित अधिकारियों को क्षेत्रवासियों द्वारा अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। क्षेत्रवासियों को निरंतर जलभराव के कारण दुर्गम परिस्थितयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही के जरिए जलभराव की समस्या का तत्काल निस्तारण होना अत्यन्त आवश्यक है।]

जनपद बिजनौर स्थित बिलाई शुगर मिल से खुले में उत्सर्जित हो रहे गंदे पानी को कवर्ड नाले के माध्यम से निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र सिंह-

[महोदय, जनपद बिजनौर स्थित बिलाई शुगर मिल का गंदा पानी मुख्य सड़क के किनारे-किनारे बह रहा है। जिससे आसपास के सैकड़ों गांवों की आबादी प्रभावित हो रही है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियमतः शुगर मिलों का गंदा पानी रिफाईन्ड करके छोड़ा जाना चाहिए अथवा रिफाईन्ड पानी को किसानों के खेतों में सिंचाई के उद्देश्य से छोड़ना चाहिए। मिल द्वारा गंदा पानी खुले में डाले जाने से आसपास के इलाकों के भयंकर बदबू एवं गन्दगी व्याप्त है। नागरिकों में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है। निकटवर्ती गांवों में लोगों का जीन दूस्वार हो गया है।

बिलाई शुगर मिल द्वारा पानी का उत्सर्जन खुले मे करने के बजाय नाला बनाकर उसमें से पानी की निकासी की जाय जिसे कवर्ड कर दिया जाय, तो कुछ सुविधा हो सकती है। खुले में पानी निकासी से पर्यावरण को भी खतरा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बिलाई शुगर मिल से खुले में उत्सर्जित हो रहे गंदे पानी को कवर्ड नाले के माध्यम से निकासी कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत में मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय, जनपद पीलीभीत में सात क्षेत्र पंचायत एवं 599 ग्राम पंचायतें हैं। अप्रैल माह वर्ष 2008 के अन्तर्गत मनरेगा योजना प्रारम्भ हुई इलेक्ट्रानिक उपकरणों फर्नीचर, स्टेशनरी आदि-आदि के क्रय किये जाने में घोटाला आरम्भ हुआ क्योंकि वगैर निविदा के क्रीत जिंसों को दुगने मूल्यों पर दर्शाया गया है। 30,55,533 रु0 का फर्नीचर क्रय किया जाना तथा 79,793 रु0 की स्टेशनरी क्रय की जानी परिलक्षित है। उक्त उल्लिखित ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सचिवों ने औपचारिकताओं एवं विधिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर भारी लूट की है। फर्जी मजदूर दर्शाकर भारी कमाई की गयी है। श्रम सम्बन्धी आरक्षित व्यवस्थाओं का भी उल्लंघन किया गया है। जनपद पीलीभीत में 2011-12 के अन्तर्गत 233 राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर 10 लाख रु0 प्रति केन्द्र निर्माण पर व्यय होने हेतु धन आवंटित है। जिसमें अनुपयुक्त एवं मानक के विपरीत निर्माण सामग्री प्रयुक्त की गयी है। साथ ही साथ सभी राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण भी नहीं हुआ। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत लगभग 60 हजार करोड़ का घोटाला है। इस प्रकार सम्पूर्ण मनरेगा योजना के सम्बन्ध में हुए घोटालों की उच्च स्तरीय जांच तकनीकी, प्रशासनिक, विधायी एवं विभागीय अधिकारिताओं की संयुक्त समिति अथवा सी0बी0आई0 से कराये जाने की अपरिहार्यता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महम्व के इस प्रश्न पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुमति प्रदान कराने की कृपा की जाय साथ ही साथ सम्बन्धित विषय पर कार्यवाही कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना एवं डा0 जनेश्वर मिश्र योजना अन्तर्गत हुए निर्माण कार्यों में व्यापक अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा-

[महोदय, जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं डा0 जनेश्वर मिश्र समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों में हुए निर्माण कार्यों में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं की गयी हैं। मानकानुसार कोई भी कार्य नहीं किया गया है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त निम्न गुणवत्ता का है। इससे ग्रामीणों में अत्याधिक रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[12.20] दिनांक 16 जुलाई, 2009 को लखनऊ स्थित प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के आवास संख्या-45 सरोजनी नायडू मार्ग में हुई आगजनी की घटना पर सरकार द्वारा न्यायालय में अभी तक चार्जशीट दाखिल न किये जाने विषयक प्रकरण (क्रमागत)

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, रीता बहुगुणा जोशी जी ने अपना व्यक्तिगत प्रश्न उठाया था जिसमें उनके घर में तत्कालीन सरकार के समय आग लगा दी गई थी आपने सरकार से जवाब देने के लिए कहा है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है चूंकि कल विधान सभा उठ जाएगी और हम फिर चार-पांच महीने बाद बैठेंगे तो मैं चाहूंगा और आपसे अनुग्रह करूंगा कि उसका जवाब सरकार कल तक दे दे।

श्री अध्यक्ष-

सुन लीजिए, यह प्रश्न के रूप में नहीं उठाया गया था यह व्यक्तिगत मामला उठाया गया था मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि जो भी बेहतर कानूनी प्रक्रिया होगी कार्यवाही की जाएगी। अब अलग से जवाब देने का कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि वह प्रश्न नहीं था।

श्री प्रदीप माथुर-

अध्यक्ष जी, इसमें जवाब आ जाए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपके लिए छोटी सी बात है, यह व्यक्तिगत मामला भी है और बहुत बड़ी बात भी है और आपके संरक्षण की भी आवश्यकता है।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा विशेष आग्रह आपसे यह है कि घटना है दिसम्बर 2009 की, और आज 2014 में हम बैठे हुए हैं मान्यवर, सरकार बदल गई नई आ गई यह तो अलग बात है, लेकिन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकारें निरंतर चलती रहती हैं यह इतनी भयावह घटना थी, आग लगाई गई, जो भी कुछ उपद्रव हो सकता था वह किया गया मान्यवर, उसमें राजनैतिक लोग शामिल थे, खासतौर से चिन्ता का विषय यह है कि यह केवल विधायक ही नहीं एक पार्टी की बहुत बड़ी सदस्य हैं उनके आवास पर इस तरह की घटना की जाए और राजनैतिक लोग उसमें शामिल हों और 2009 की यह घटना हो तो चिन्ता का विषय नहीं होगा कि 2009 से लेकर अब तक, चार साल से ऊपर हो गए हैं चार्जशीट उसमें नहीं आई तो यह चिन्ता का विषय नहीं है क्या ? कल कानून व्यवस्था पर कार्यस्थगन भी दिया गया था महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी चल रही है और बार-बार सवाल उठाए जा रहे हैं तो चिन्ता का विषय है या नहीं मान्यवर ? शाम तक जानकारी आ सकती है, कल सुबह तक जानकारी आ सकती है स्थानीय मामला है कोई बाहर का मामला भी नहीं है इससे पहले भी माननीय अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सदन उठने के पहले जानकारी कर दी जाए। मन में घबराहट जरूर आती है एक सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई, आखिर यह हो क्या रहा है। इस सरकार को आए हुए पौने दो साल हो गए और इसके बाद भी घटना की जानकारी नहीं है आखिर किसके बारे में जानकारी होगी। रीता बहुगुणा जी इतनी बड़ी सदस्य हैं इतना लम्बा उनका राजनीतिक इतिहास है अगर उनके बारे में भी जानकारी नहीं आएगी तो सामान्य नागरिक के बारे में जानकारी कहां से आएगी। मेरा अनुरोध है मान्यवर, सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप इसमें निर्देश दें कि सदन उठने के पहले या कल तक कार्यवाही भी हो जाए और जानकारी भी हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि मैं इसमें जानकारी करके सख्त कार्यवाही करूंगा तो जब मंत्री जी ने इसमें आश्वासन दे दिया कि इसमें कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी सारी कार्यवाही में, जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी वह कराई जाएगी तो आपको उनके आश्वासन को मानना चाहिए, सदन में आश्वासन हो गया। अब क्या कार्यवाही की जाएगी यह क्या बताया जाए। आप बैठ जाएं मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से इस बारे में बात करके आपको सूचना दूंगा। आप बैठिए।

एक मा0 सदस्य-

मेरा व्यक्तिगत मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए, आपका तो रोज सुनते हैं वही ब्लाक वाला झगड़ा होगा। आप बैठ जाइए। आपके लिए मैंने क्या नहीं किया। सारे अधिकारियों को तलब किया आपके दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की, अब रोज दरोगा से न लड़ो।

[12.25] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 25 फरवरी, 2014 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 07 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की प्रथम सत्र 2013 में 22 मार्च, 2013 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गयी घोषणा के बावजूद नगरीय क्षेत्रों में मा0 विधायकों की संस्तुति पर 100-100 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने का शासनादेश जारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। यह आश्वासन समिति के विचाराधीन है, इसलिए इस पर कुछ नहीं किया जा सकता है। माननीय खन्ना जी से बात कीजिए।

दूसरी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन में प्रवचन एवं कथावाचन व्यवस्था हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

तीसरी सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों में वीर शहीदों को प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में रखे जाने के सम्बन्ध में। यह भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

चौथी सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की नगर निगमों/नगर निकायों के सभासदों को मानदेय प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में। यह भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

पांचवी सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत 2012-13 एवं 2013-2014 में चयनित लोहिया समग्र ग्रामों में अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में। यह भी कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

छठवीं सूचना डा0 अरूण कुमार की है जनपद बरेली में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। यह भी औचित्य का प्रश्न नहीं है।

सातवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा बीसलपुर में विभिन्न विभागों की योजनाओं/परियोजनाओं हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। यह भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

[12.27] उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विनियोग, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 21 फरवरी, 2014 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 21 फरवरी, 2014 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 24 फरवरी, 2014 को वापस प्राप्त हो गया।

जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2014, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 24 फरवरी, 2014 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष- मद सं0-5 में कुछ नहीं है।

[12.28 बजे] जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बांसी के अन्तर्गत ग्राम उसकी के प्राथमिक विद्यालय से ग्राम के भीतर की सड़क एवं सोनवालिया उसकी से ग्राम देवरिया तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री आशीष व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री कमाल युसुफ मलिक-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बांसी के अन्तर्गत ग्राम उसकी के प्राथमिक विद्यालय से ग्राम के भीतर की सड़क एवं सोनवालिया उसकी से ग्राम देवरिया तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री आशीष व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

[12.29 बजे] जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत रुद्रपुर रेलवे फाटक से बहारीपुर मुड़िया तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री बृजेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत रुद्रपुर रेलवे फाटक से बहारीपुर मुड़िया तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री बृजेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड पुवायां के अन्तर्गत महुवा फाटक से विकास खण्ड सिधौली के ग्राम दिवाली तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री वेदपाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड पुवायां के अन्तर्गत महुवा फाटक से विकास खण्ड सिधौली के ग्राम दिवाली तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में

---

† छापी नहीं गयी।

मरम्मत कराये जाने विषयक श्री वेदपाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत खिरिया पाठक से ग्राम चांदा तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शहीद खां आदि जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत खिरिया पाठक से ग्राम चांदा तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शहीद खां व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आजमगढ़ में मानिकपुर-अभनपट्टी मार्ग पर घाघरा की सोती नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो0 इकबाल, निवासी जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

[12.30 बजे] श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ में मानिकपुर-अभनपट्टी मार्ग पर घाघरा की सोती नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो0 इकबाल, निवासी जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आजमगढ़ में सोनौरा हनुमानगढ़ी के आगे घाघरा की सोती नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम करन सिंह पटेल, निवासी जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आजमगढ़ में सोनौरा हनुमानगढ़ी के आगे घाघरा की सोती नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम करन सिंह पटेल, निवासी जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के विजय नगर-प्रताप विहार में राजकीय चिकित्सालय खोले जाने विषयक श्री सुरेन्द्र त्यागी आदि जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री सुरेश बंसल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजियाबाद के विजय नगर-प्रताप विहार में राजकीय चिकित्सालय खोले जाने विषयक श्री सुरेन्द्र त्यागी व श्री राकेश श्रीवास्तव, निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद गाजियाबाद के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैला हरिजन इस्लाम नगर गाजियाबाद में माध्यमिक स्तर तक के शिक्षण हेतु माध्यमिक विद्यालय खोले जाने विषयक डा0 नदीम कुरैशी आदि जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री सुरेश बंसल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजियाबाद के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैला हरिजन इस्लाम नगर गाजियाबाद में माध्यमिक स्तर तक के शिक्षण हेतु माध्यमिक विद्यालय खोले जाने विषयक डा0 नदीम कुरैशी व श्री हाजी फकरूद्दीन सैफी निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गाजियाबाद में विजय नगर-प्रताप विहार में बालिकाओं के शिक्षण हेतु महाविद्यालय खोले जाने विषयक श्री सुरेन्द्र त्यागी व श्री राकेश श्रीवास्तव आदि जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री सुरेश बंसल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजियाबाद में विजय नगर-प्रताप विहार में बालिकाओं के शिक्षण हेतु महाविद्यालय खोले जाने विषयक श्री सुरेन्द्र त्यागी व श्री राकेश श्रीवास्तव, निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

[12.31 बजे] आश्वासन समिति में लम्बे समय से लम्बित जनपद इलाहाबाद के राजकीय स्थान भूमि घोटाला प्रकरण को विशेषाधिकार में लिये जाने का अनुरोध

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा यह विशेषाधिकार का प्रश्न कोई अपना निजी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपने यह जो दिया है पहले इसका परीक्षण तो करा लेने दीजिए।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, बस दो मिनट, जरा इसका संदर्भ समझ लिया जाये। मान्यवर, यह सदन और सदन द्वारा स्थापित जो हमारी समितियां हैं उनके गरिमा का सवाल है जिसका अभी विशेषाधिकार भंग किया जा रहा है। भारतवर्ष में संसदीय प्रणाली है संसद और विधान सभा कानून बनाती है कार्यपालिका उसका पालन करती है। लेकिन आज इस पूरे संसदीय प्रणाली पर ही कुछ गैर सरकारी संस्थायें जो विदेशों से धन प्राप्त करती हैं सवाल उठा रही हैं। और पूरे भारतवर्ष में संसद क्या है विधान सभा क्या है इसके संबंध में बहुत ही विचित्र प्रकार की भावना व्याप्त हो रही है। यह केवल एक संस्था है जो चल रही है इसका कोई महत्व नहीं है। इसका कारण यही है कि जाने-अंजाने जब हम लोग इस पर शिथिलता बरतते हैं यह भावना बलवती होती जा रही है। आज जो मेरा सवाल है यह नियम-63 के अंतर्गत है।

श्री अध्यक्ष-

आपने दे दिया है न, हम उसका परीक्षण करायेंगे।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इसमें सवाल यह है कि आश्वासन समिति आप गठित करते हैं आपने उसमें हमको सदस्य बनाया है मा0 सुरेश खन्ना जी उसके चेयरमैन हैं। 1987 से जब हम लोग इधर बैठते थे आपके साथ, तो इलाहाबाद में राजकीय स्थान भूमि का घोटाला हुआ था जिसमें 37 अधिकारियों ने 63 एकड़ जमीन 25 पैसे प्रति वर्ग गज ले ली थी। उस समय यहां पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसकी जांच करायेंगे और इसमें जो मध्यम कमजोर वर्ग के लोग बसे हैं। उनका विनियमितीकरण करायेंगे। मान्यवर, 1987 से यह मामला चल रहा था। जब फिर अभी हम 2007 में आये तो हमने 05 जुलाई 2007 में एक सवाल उठाया कि क्या राजकीय स्थान की भूमि को भी नजूल की भूमि की तरह फ्री होल्ड किया जाएगा। आश्वासन मिला कि विचाराधीन है हम करेंगे। यह प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया के दौरान प्रमुख सचिव, राजस्व ने 10 नवम्बर, 2010 को साक्ष्य में बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् के साथ ही साथ आम नागरिकों से भी इस संबंध में आपत्तियां/सुझाव मांगे जायेंगे। 20 अगस्त, 2007 को मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि 2003 की जो नियमावली बनी है उसके आधार पर परीक्षण करके इसको आप लागू करिये। फिर मान्यवर, इसमें 21 जनवरी, 2011 को राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि उ0प्र0 राजकीय स्थान नियमावली 2010 को दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराइये, तहसीलों में लगवाइये और उसके बाद जो आपत्तियां सुझाव आये उसको हमें संकलित करके दीजिए। 3232 लोगों ने अपने सुझाव/आपत्तियां दीं। यह प्रक्रिया चल रही है। इस बीच अभी 21 जनवरी 2014 को एस0डी0एम0 सदर, इलाहाबाद ने इलाहाबाद में राजकीय स्थान पर लगभग 7000 मकान बसे हैं, मध्यम वर्ग, कमजोर वर्ग के लोगों के, उनको नोटिसें जारी कर दिया कि आप लोग एक हफ्ते में अपना मकान गिरा कर जमीन खाली कर दीजिए, पूरा हंगामा मचा हुआ है, एक तरफ तो विधान सभा सदन में कार्यवाही चल रही है, नियमावली बन रही है और दूसरी तरफ एक अधिकारी इस तरह के आदेश वह भी गलत नियमावली, 1987 की एक नियमावली जो निरस्त हो चुकी है, उसके आधार पर उन्होंने यह आदेश दे दिया। मान्यवर, यह केवल इसलिए दिया कि विधान सभा सदन में यह विषय चलता रहे-चलता रहे। हम अधिकारी हैं, हम इसको करेंगे। मान्यवर कर तो क्या पायेंगे, 50-60 हजार लोगों को बेदखल करने वाले कौन हैं। अभी यहां पर कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि दो लाख लोग एक साथ अगर गिरा दिये जायेंगे तो हमारे आपके यहां रहने का कोई मतलब नहीं है, न तो सदन का और न ही सरकार का।

श्री अध्यक्ष-

आपने विशेषाधिकार दिया है ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

जी हां।

श्री अध्यक्ष-

तो इसका परीक्षण कराते हैं, फिर हम इसको विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर देंगे, वह जांच कर के पूरा निर्णय देगा और आप कह रहे हैं कि यह मामला आश्वासन समिति में भी पहले से पड़ा हुआ है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

जी हां मान्यवर, आश्वासन समिति में यह मामला लम्बित है।

श्री अध्यक्ष-

तो जब आश्वासन समिति में मामला लम्बित है, तो इसमें विशेषाधिकार बनेगा ही नहीं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, विशेषाधिकार इसलिए है कि लम्बित होने के बावजूद जो साक्ष्य हुआ।

श्री अध्यक्ष-

यह समिति का विशेषाधिकार बनेगा, समिति अपनी कार्यवाही करेगी, आपने दे दिया मैं इसका परीक्षण करा लूंगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, यह इसलिए बनेगा कि समिति साक्ष्य लेती है, जो साक्ष्य देती है वो इण्डियन एविडेन्स ऐक्ट की धारा 155(3) में अगर कोई साक्ष्य दे और उसके बाद उससे मुकर जाय तो उसके खिलाफ दण्ड का प्राविधान है और इण्डियन पैनल कोड की 193 धारा में अगर न्यायालय में साक्ष्य से मुकर जाय, तो उसका दूसरा प्राविधान है, लेकिन अगर उसके अतिरिक्त कहीं अन्य जगह पर भी कोई साक्ष्य देता और उससे अगर मुकरता है, तो दो वर्ष की सजा है।

श्री अध्यक्ष-

अरे सुनिये तो, इण्डियन पैनल कोड और क्रिमिनिल प्रोसीजर तो न्यायालय का विषय है, हमारे यहां हमारी नियमावली के अन्तर्गत जो आयेगा वही इसमें प्रीविलेज में आयेगा। अब यह विशेषाधिकार समिति के समक्ष अपनी बात रखिये, मैं देख लूं, परीक्षण करा लूं क्या विशेषाधिकार समिति को इसे रिफर किया जा सकता है, क्योंकि यह मामला आश्वासन समिति में भी लम्बित है। अगर इसे विशेषाधिकार समिति को रिफर किया जा सकता है तो कर देंगे, आप उसमें अपनी सारी बातें रखियेगा, अब बैठिये, हो गई बात आपकी।

[12.37 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11, 12 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-13 कार्य-स्थगन प्रस्ताव यदि कोई हों।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 25-02-2014 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री रमेश चन्द्र बिन्द, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री संतराम कुशवाहा, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री ममतेश शाक्य, श्री लोकेश दीक्षित, श्री महावीर सिंह राणा, श्री शमशेर बहादुर सिंह, श्री छोटेलाल वर्मा, श्री कालीचरन सुमन, श्री त्रिभुवन राम, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री वहात चौधरी, श्री उदयलाल मौर्य श्री ओम कुमार,

श्री तस्लीम अहमद, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री मोहम्मद गाजी, श्री मुसर्रत अली बिट्टन ठा0 दलवीर सिंह श्री संजय प्रताप जायसवाल की प्रदेश के गन्ना किसानों का एवं जनपद बस्ती के शुगर मिल, अरदमा, रूदौली तथा शुगर मिल गोविन्द नगर के किसानों का गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री विजय कुमार दुबे, श्री दिलनवाज खां, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री राधेश्याम की मथुरा जनपद स्थित छाता शुगर मिल के बन्द होने से मजदूरों के बकाये का भुगतान न होने एवं किसानों की उपज का लाभ न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा कराये जा रहे अनियोजित खुदाई एवं समय पर काम पूरा न होने से महानगर की सड़कों की बदहाली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह श्री हुकुम सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री योगेन्द्र उपाध्याय की जनपद आगरा में दूषित पेयजल आपूर्ति व जनपद अलीगढ़, हाथरस तथा जनपद आगरा की एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र होकर गुजरने वाली करबन नदी में फैले प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु सुनी जायेगी ।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं-

1-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी

2-श्री गयादीन अनुरागी, श्री दलजीत सिंह, श्रीमती उमाकान्ती सिंह

3-श्री लोकेन्द्र सिंह

4-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल

5-श्री रविन्द्र भड़ाना

6-श्री कमाल युसुफ मलिक

7-श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट

8-श्री सुरेश कुमार खन्ना

9-श्री लोकेश दीक्षित

10-श्री बब्बन सिंह चौहान

11-श्री कालीचरन सुमन, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत

12-श्री गुटियारी लाल दुबेश

13-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल

14-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल

15-श्री उमेश पाण्डेय

16-श्री विजय बहादुर यादव

17-श्री अगयश राम सरन वर्मा

18-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया ।

मा0 हुकुम सिंह जी, उस दिन इसी नाले पर काफी बहस भी हो चुकी थी प्रदूषण पर, तो दोबारा इस पर कैसे चर्चा कराई जायेगी, संकल्पों के माध्यम से भी आ चुका है और प्रश्नों के माध्यम से भी आ चुका है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं क्या करूं, 20 लाख व्यक्तियों के जन-जीवन का प्रश्न है, यह बीमारी पहले फैल चुकी और अगर यह प्रदूषित जल की आपूर्ति रोकी न गई, शुद्ध जल वहां पर उपलब्ध न कराया गया मान लीजिये, अगर महामारी फैल गयी और हजार, दो हजार आदमी वहां मर गये।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप कहियेगा, आपको जब बुलायेंगे तो कहियेगा। आपको बाद में बुलायेंगे तो कहियेगा। अरे, मौर्य जी, गन्ना किसानों के बारे में तो बहुत भाषण आपने कल ही किया है कि बकाया है तो फिर अलग से काहे उठा रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, कल कहां बोले थे। गन्ना किसानों के बारे में नहीं बोले थे।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा लेकिन बहुत संक्षेप में बोलेंगे। अब आपके सदस्यों की संख्या बोलने वालों की बहुत आयी है तो थोड़ा संक्षेप में बोलेंगे। आप बोल लीजिये और फिर ठाकुर दलवीर सिंह जी बोल लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारे एक-दो सदस्य गन्ना क्षेत्र के बोलेंगे और मैं मात्र दो मिनट में बोल लूंगा।

मा0 अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में गन्ना किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है और मा0 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद कि किसानों की विगत वर्ष की पेराई की बकाया धनराशि का ब्याज सहित भुगतान कराया जाये लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कोई पहल गन्ना किसानों के भुगतान को सुनिश्चित कराने के लिये प्रयास नहीं किया। जिसके चलते आज गन्ना किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है, उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, शादी-ब्याह सब कुछ स्थगित हो चुका है। मान्यवर, ऐसे हालात में वर्तमान सत्र तक, अब तक 6000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया चीनी मिल मालिकों पर हो गया है। मान्यवर, जिसमें आज वर्तमान सत्र का 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा है और सरकारी चीनी मिलों के बकाया की राशि 400 करोड़ रुपया और निजी चीनी मिलों के बकाये की हालत 4800 करोड़ रुपया और पिछले वर्ष का बकाया 550 करोड़ रुपया, ब्याज की धनराशि 60 करोड़ रुपये से अधिक है। मान्यवर, आज हालात ये हो गये हैं कि जिस तरीके से गन्ना किसानों के साथ धोखा किया गया। आज वह गन्ना किसान आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो रहा है और यहां तक कि चीनी मिल मालिकों से पैसा न मिलने के नाते गन्ना किसान खेतों में गन्ना जलाने के लिये मजबूर हो रहे हैं इसलिये मान्यवर, यह बहुत ही तात्कालिक है, अविलम्बनीय है, जनहित से जुड़ा है और करोड़ों-करोड़ किसानों की रोजी-रोटी की समस्या इससे ठप पड़ी है इसलिये मान्यवर, इस अति गम्भीर मामले पर सदन की सारी कार्यवाही रोक करके चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं।

ठा0 दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह गन्ना का विषय मुख्य रूप से हम लोगों का है। हमारी पार्टी का सबसे प्रमुख मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करायी जाये। मा0 हुकुम सिंह जी ने कई बिन्दुओं पर पिछले दिन प्रकाश डाला था। मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि पिछला बकाया लगभग 5000 करोड़ रुपये का है। आज की तारीख में लगभग 6000 करोड़ रुपये का बकाया है। भारत सरकार का एक निर्णय हुआ पिछला बकाया भुगतान करने के लिये यदि सरकारी चीनी मिल या सहकारी चीनी मिल ऋण लेना चाहें तो जीरो ब्याज पर उनको ऋण दिया जायेगा। यह भारत सरकार ने सैंक्शन किया, धन मंजूर हो गया लेकिन प्रदेश सरकार ने इसमें पहल नहीं की। बैंक तब तक ऋण नहीं देंगे चीनी मिलों को जब तक यह हमारी वर्तमान सरकार गारण्टी नहीं लेगी। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 मुख्य मंत्री जी से और उक्त हमारे जो बड़े मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे यह सवाल कर रहा हूं और जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जिज्ञासावान है इस विषय पर कि क्या सरकार गारण्टी लेकर चीनी मिलों को ऋण दिलवायेगी जीरो ब्याज पर जिनके ऊपर किसानों को लगभग 5000 करोड़ रुपया बकाया है। बस यह एक प्रश्न है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आपकी सरकार का ही काम है यह। अगर आपकी सरकार करेगी तो पिछला भुगतान जरूर हो जायेगा। दूसरा जो वर्तमान सत्र में 6000 करोड़ रुपया बकाया है, उस पर सरकार बिल्कुल भी चिन्तित नहीं है। पूरे प्रदेश में घटतौली इरादे से ताल ठोंक कर हो रही है। कहीं एफ0आई0आर0 हो नहीं रही। अभी गन्ना ऐक्ट के तहत मा0 हुकुम सिंह जी ने कल कहा था कि अगर गन्ना ऐक्ट में यह नियम आता है कि कोई भी क्रेशर, कोल्हू या इस तरीके का नहीं चला सकता है। पूरे प्रदेश में जहां हम लोग रहते हैं, देखते हैं कि गन्ना की ब्लैक मेलिंग कराने के लिये, चोरी कराने के लिये सरकारी क्रय केन्द्रों पर खरीद कर प्राइवेट चीनी मिलों के लिये दिया जाता है और हर गन्ना क्रय केन्द्र के बगल में ही एक कोल्हू लगा हुआ है। अभी तक पूरे प्रदेश में मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि एक भी एफ0आई0आर0 नहीं हुयी है, घटतौली पर एक भी एफ0आई0आर0 नहीं हुयी है। किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है और आपने देखा होगा कि यह केवल मुख्य मांग हमारे दल की है। हमारे विधायक जो उस गन्ना क्षेत्र से चुनकर आते हैं। कांग्रेस के भी विधायक चुनकर आते हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

आपने क्या ट्रेड मार्क करा रखी है।

श्री दलवीर सिंह-

हां ट्रेड मार्क है हमारा। ये आप लोगों का ट्रेडमार्क नहीं है, ये हम लोगों का ट्रेडमार्क है। बहुत विस्तार से हुकुम सिंह जी, चर्चा करेंगे यह सरकार गारंटी ले पिछले बकाये का भुगतान करने के लिए, जब तक गारंटी सरकार नहीं लेगी तब तक पिछला भुगतान मिल मालिक करेंगे नहीं। मैं आपके माध्यम से इस मांग को बहुत प्रमुखता से उठाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में कई मिलें हैं, प्राइवेट मिल बंद हो गई, आर0सी0 कट गई, सब जगह से लेकर कोई वसूली नहीं की गयी और यहां तक हो गया कि उस मिल मालिक ने सारा रिकार्ड जो कम्प्यूटर में था, वह सब खत्म कर दिया, किसान बेचारे मारे-मारे फिर रहे हैं। सहकारी शुगर मिल सारथा, सहकारी शुगर मिल छाता की क्षमता बहुत कम है, वह लगभग 2 अरब 28 करोड़ के घाटे में चल रही है, मैं बार-बार इस सवाल को उठाता

हूं कि सहकारी शुगर मिल सारथा की क्षमता बढ़ाई जाए, उसी प्रकार से मथुरा में, माथुर साहब उठायेंगे छाता मिल एकमात्र मिल है पूरे मथुरा जनपद में।

श्री प्रदीप माथुर-

उस पर मुझे बोलने दीजिए।

श्री दलवीर सिंह-

अच्छा आप बोल लीजिएगा। ये बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे। अभी कर्नाटक की सरकार ने 15 रुपये और एक्स्ट्रा देने का वायदा किया। हमारी सरकार एक्स्ट्रा देने की बात तो कर ही नहीं रही है, हम तो चाहते हैं कि 260 रुपये का जो रेट है, उसे ही दिलवा दें, उससे ही किसान संतुष्ट हो जायेंगे, इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

संजय प्रताप अग्रवाल जी हैं, नहीं हैं। मा0 मंत्री जी आप भी गन्ना का इसी में जवाब देंगे।

(श्री ओम कुमार और श्री लोकेश दीक्षित के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, एक आदमी से आप बुलवा दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, दो-दो मिनट बालेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, दोनों को बोलने दें।

श्री लोकेश दीक्षित-

मा0 अध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे ज्यादा फसल बोता है किसान तो वह गन्ने की फसल है। किसी के पास 10 बीघा जमीन है तो वह 9 बीघे में गन्ना बोयेगा और जब से यह समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, तब से किसानों का जीना दूभर हो गया है हमारे यहां। मा0 अध्यक्ष जी, 2012 में जब बहन जी ने सत्ता छोड़ी थी, उसके बाद से मिल मालिकों ने अपने कानों में रुई डाल रखी है। हमारे यहां टनकपुर मिल है, वर्ष 2012 का कोई पेमेण्ट नहीं दिया गया, 2013 का नहीं दिया गया और वर्ष 2014 का भी उस पर बकाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भुखमरी की कगार पर है। बहन-बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है और यह सरकार क्या कर रही है, उन किसानों को उठवाकर मंगवाया जा रहा है। एक मेरे क्षेत्र का प्रकरण मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि एक हमारे यहां मिथली गांव हमारी विधान सभा में, वहां से रमेश कुशवाहा एक छोटा-सा किसान है, जिस पर कर्ज है सरकार का, तहसीलदार उठाकर ले आते हैं। हमारी इस सम्बन्ध में पहले डी0एम0 साहब से बात हुई थी कि जब तक किसानों का गन्ने का पेमेण्ट नहीं मिलेगा, तब तक किसी किसान को नहीं उठाया जायेगा, पर यह किसान विरोधी सरकार इनके अधिकारी बिल्कुल नहीं मानते और कानों में रूई डाले हुए हैं, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

*श्री ओम कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मा0 अध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला बिजनौर गन्ने की खेती में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मा0 अध्यक्ष जी, बिजनौर के अंदर जो सबसे ज्यादा राजस्व

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आता है, वह गन्ने से किसानों को मिलता है। आज बिजनौर के अंदर में तीन-चार हमारी शुगर फैक्ट्रियां हैं, जिसमें नहदौर विधान सभा के अंदर में बिलारी शुगर मिल के नाम, उस शुगर मिल में काफी दिनों से हम लोगों ने प्रयास किया मैं खुद सेन्ट्रो के ऊपर जाकर देखा, वहां पर मैंने एस0डी0एम0 को भी बताया कि यहां पर घटतौली होती है, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, उसके ऊपर जरा भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, पिछले 2 महीने हो गए जब से मिलें चली हैं, आज तक किसानों का कोई भी पैसा वहां पर नहीं मिल पाया है। श्रीमन् जिसकी वजह से किसान अपनी बहू-बेटियों की शादी समय से न कर पाने पर मजबूर हो रहा है उसके पास पैसे की गम्भीर समस्या है। मान्यवर, पिछले कई दिनों से वहां इसको लेकर धरना-प्रदर्शन चल रहा है लेकिन प्रशासन और मिल मालिकों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन किसानों के गन्ने के बकाये का जल्द से जल्द भुगतान कराया जाय। मान्यवर, जो वहां गन्ना पर्ची आती है सेण्टर पर गन्ना तुलवाने के लिए वह समय से नहीं आ पाती है, जिससे गन्ना किसानों को अपना गन्ना बेंचने में समस्या होती है। इसका समाधान कराया जाय और गन्ना किसानों के बकाये का जल्द से जल्द भुगतान कराया जाय।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर हमारे यहां लखीमपुर में अयरा चीनी मिल है। मान्यवर खमरिया पंडित लखीमपुर के निकट समरदा हरिग्राम के कब्रिस्तान-कर्बला की भूमि पर वह चीनी मिल कब्जा करने का काम कर रही है। उसको रुकवाने पर सरकार कार्यवाही करे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमन् माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता लोकदल ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की है। मान्यवर जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार की बात है श्रीमन् हमारी विचारधारा शुरुआत से ही किसान से मेहनतकश मजदूर से जुड़ी होती है। हम भी इसमें कहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हमीं हैं और आप भी हैं जो इससे जुड़े हैं। आप कहां से नेता प्रतिपक्ष हो गये इसमें, इसमें कमीशन गठित होना चाहिए। मान्यवर, गन्ना के प्रश्न को लेकर, नेता प्रतिपक्ष और दूसरे सदस्य परेशान हैं और आप देखें अपने-अपने कानों पर इयर-फोन लगा रखे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, कभी-कभी आप जनानी आवाज में बोलने लगते हैं, इसलिए इसे लगा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

चलिए श्रीमन् आपको जनानी की पहचान तो होने लगी।

श्रीमन् यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और मैं माननीय नेता सदन से इस सिलसिले में बात भी करूंगा और ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है उस पर कोशिश करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

श्रीमन् यह चीनी मिल मालिक माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर रहें हैं। सरकार को इनके निर्णय के आधार पर जो कार्यवाही करनी चाहिए थी वह नहीं की जा रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार गन्ना किसानों से मिली हुई हैं। हमारी सरकार के समय में जिन मिल मालिकों ने बकाये का भुगतान नहीं

किया था उनको हमारी सरकार ने जेल के सीखचों के पीछे भेजने का काम किया था। (मेंजों की थपथपाहट)। और हमारी सरकार ने ब्याज सहित भुगतान कराने का अभियान चलाया था। अब जब मान्यवर, माननीय न्यायालयों का निर्णय आ गया है तो इस सरकार को उसका आधार बनाते हुए मिल मालिकों पर भुगतान का दबाव बनाना चाहिए, और जो चीनी मिल भुगतान नहीं कर रही हैं उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। किसान जो अपने भुगतान को लेकर त्राहि-त्राहि कर रहा है उसको इन्साफ मिलना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमन् तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय में पैंतिस चीनी मिलें लगी थीं। और ब0स0पा0 के शासन कार्यकाल में सत्ताइस चीनी मिले बेंची गयीं। (शेम-शेम की आवाजें)।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान पर उत्तर न देकर, मामले को इधर-उधर घुमा रहे हैं। यह चीनी मिल मालिकों से मिली हुई सरकार है। यह किसानों के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं और मिल मालिकों पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं।

(इसी मध्य श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे कि किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी)। (घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर चीनी मिल बेंचने वाले यह लोग कहां से गन्ना किसानों के हित से जुड़ गये हैं ? चीनी मिलों को बेंचकर अपनी तिजोरियों को भरने वाले यह बहुजन समाज पार्टी के लोग किसानों के हित से कैसे जुड़ गये हैं ?

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य ''किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चीनी मिल के दलालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी'' के नारे लगाते रहे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

किसानों और मजदूरों की चीनी मिलें बेचने वालों, अपनी तिजोरियां भरने वालों, लूटमार करने वाली बसपा सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में डाका मार दिया, सारी मिलें बेच दीं कौड़ियों के दाम, कौड़ियों के दाम भी नहीं जर्रे के दाम बेच दी और अपनी तिजोरियां नोट गिनने वाली मशीनों से गिनकर भर लीं। मान्यवर, यह मां की कोख बेचने वाले कहां से किसानों के हितैषी हो गये। यह तो सिर्फ यह चाह रहे हैं कि किसी तरह यह सब करके जो बकाया इनका रह गया है, जिनके हाथ मिल बेचीं थीं, भाग गये इनका कुछ पैसा लेकर, वह मिल जाय इन्हें। यह विरोध नहीं है यह पुराना दर्द बोल रहा है इनका।

27 मिल बेच खाये आप, किसानों के 27 मिल बेच लिये बसपा सरकार ने 35 मिल लगवाये थे हमने जिसमें 27 मिल बेच दिये, प्राइम लोकेशन के शहरों के अन्दर के मिल बेच लिये। मां की कोख

बेच दी, किसान बेच दिया। मान्यवर, यह तो बड़े एक्सपर्ट हैं बेचने में इनका बस चलता तो एक मिल नहीं छोड़ते किसान को भी बेच लेते।

(सदन की वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, आप नेता विरोधी दल हैं आप तो अपनी सीट पर बैठें, आप भी नारा लगा रहे हैं। अब आप लोग बैठे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

(वेल से) माननीय अध्यक्ष जी, आपका आदेश है हम जा रहे हैं ।

(सदन के वेल में आये हुए माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो चिन्ता गन्ने के भुगतान के बारे में की गयी, हमने कल भी यह विषय रखा था। मेरा एक निवेदन है संसदीय कार्य मंत्री जी से कि उस पर गम्भीरता से विचार कर लें। केन्द्र सरकार ने जो व्यवस्था की है गन्ने के भुगतान की कि जीरो प्रतिशत, शून्य प्रतिशत पर ऋण देने की बात की उन बिलों पर जिनका भुगतान होना है और उसमें शर्त यह है कि जो पैसा ऋण के रूप में दिया जायेगा वह केवल किसान को भुगतान के लिए दिया जायेगा। इसमें कमीं क्या है गलती क्या है अभी तक क्यों नहीं हुआ यह ? उसको घोषणा हुए कई महीने हो गये क्योंकि आज का विषय तो यह है नहीं विषय तो पुराने साल के भुगतान का भी है और इस साल के भुगतान का भी है। एक व्यवस्था दी गयी है एक सुविधा दी गयी है उस सुविधा का इस्तेमाल हमारे प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। एक तो मेरा बिन्दु यह है इसको गम्भीरता से ले लें और दूसरा मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने किसी कमींशन की बात कही थी मेरा अनुरोध आपसे खास तौर से यह है कि पिछले 5-7 साल में कहीं न कहीं कमीं तो आई है, आई है निश्चित रूप से कमीं आई है और यह मिलों की जो हालत हुई है हम तो कह रहे हैं कि इनको जेल भेज दो फलां भेज दो, आज उद्योग की जो हालत है वह उद्योग की हालत यहां तक पहुंची क्यों उसके कई कारण हैं। उसका कारण यह भी है कि किसान को भुगतान देने के बजाय प्राथमिकता इस बात की रही कि उनसे बेजा तरीके से रुपया वसूल किया गया। आप कमीशन बैठा दें, जांच हो जायेगी और जांच होने के बाद में सारा पक्ष सामने आ जायेगा उद्योग भी बच जायेगा और किसान भी बच जायेगा। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग की भी दिक्कत यह है और किसान तो तबाह हो ही रहे दो साल से। मैं चाहता हूं कि दोनों प्रश्न एक प्रश्न यह कि जो केन्द्र सरकार द्वारा ऋण दिया गया उसको वसूल करके किसानों का भुगतान करायें और दूसरा मान्यवर, 5 वर्ष की गड़बड़ियों की आप जांच करा लें किसी कमीशन के द्वारा ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने गम्भीरता से ही लिया था और इसीलिए कहा था कि नेता सदन से बात करूंगा। आप भी जानते हैं कि मेरी अपनी हदें हैं और इसमें जो भी निर्णय लेना है नेता सदन को ही लेना है। मैंने पहले ही कहा था कि नेता सदन से इस सिलसिले में बात करेंगे तो बात उसमें करेंगे और आपकी सबकी भावनाएं उन तक पहुंचायेंगे। जहां तक कमीशन की बात है तो

कमीशन बनाने वाली या कमीशन लेने वाले तो अब जो कमीशन ले लिया गया है, उस पर कमीशन बनाना है, आयेगा वह जमाना भी, आयेगा, कभी न कभी आयेगा। धन्यवाद ।

(श्री सुरेश राणा द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका इसमें विषय नहीं है। माननीय माथुर साहब, माननीय नेता विरोधी दल को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

(श्री सुरेश राणा द्वारा पुनः खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अरे हो गयी बात, आपके नेता बोल चुके, नियम-56 में आपका नाम भी नहीं है। अब आप अपने नेता से ज्यादा जानकारी देंगे क्या। आपके नेता ने सारी जानकारी दे दी। अब आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आपके नेता ने सारे तथ्य रख दिये। कल भी रखे थे, आज भी रख दिये।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि जब तक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता, तब तक बिजली की वसूली तथा अन्य जो तमाम प्रकार की वसूलियां हैं, उन पर रोक लगाई जाय, मेरा केवल इतना आग्रह है। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, बता दें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आपकी बात आ गयी ।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की पूरी विधान सभा गन्ना किसानों को लेकर चिन्तित हैं और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त गन्ने की पैदावार होती है और किसानों को कहीं-कहीं गन्ने को जलाना भी पड़ रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश की तमाम चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। इन चीनी मिलों में पश्चिम में आगरा मंडल की एकमात्र चीनी मिल, जो कि मथुरा जनपद में छाता विधान सभा क्षेत्र में स्थित है, वह बंद पड़ी हुयी है। उसी तरह से पड़रौना में शुगर फैक्टरी बंद पड़ी हुयी है इसी तरह सहारनपुर में गागलहेड़ी और बिजली शुगर मिल बंद पड़ी हुयी है। वहां के किसानों की अपनी फसल बेचने में दिक्कत आ रही है और आसपास के राज्यों में वह अपना गन्ना कम दामों पर बेच रहे हैं। आज स्थिति यह है कि मथुरा जनपद स्थित आगरा मंडल की एकमात्र जो छाता शुगर फैक्टरी है, उसका 1975 में तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय तिवारी जी के कर कमलों से शिलान्यास हुआ था, 1978 में वह शुगर फैक्टरी बनकर तैयार हुयी थी, बड़े अच्छे तरीके से वह शुगर फैक्टरी चल रही थी और पूरे आगरा मंडल का वह गन्ना उठाती थी। आखिर इस फैक्टरी पर कुछ आउटस्टैन्डिंग पेमेंट हुआ, किसानों ने आन्दोलन किये और उसके बाद वह शुगर फैक्टरी बंद हो गयी। उसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी थी कि उसकी कैपेसिटी 1200 क्विंटल से बढ़ाकर 2500 क्विंटल कर दी गयी। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि गन्ना किसान चाहे मथुरा जनपद का हो, चाहे आगरा जनपद का हो, चाहे फिरोजाबाद जनपद का हो, चाहे मैनपुरी जनपद का हो, उनके आसपास दूर-दूर तक

कोई शुगर फैक्टरी नहीं है। आज गन्ना किसानों को अपना गन्ना पास के लगे राज्य हरियाणा में भेजना पड़ रहा है। उसकी ढुलाई की कास्ट इतनी हो जाती है जिससे गन्ना किसानों को बहुत हानि हो रही है। आज स्थिति यह है कि गन्ना किसान अपनी पुत्रियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं और उनके परिवारों के मरने तक की नौबत आ रही है। मान्यवर, कई बार सत्ता पक्ष के मंत्री मथुरा जनपद गये और उन्होंने छाता शुगर फैक्टरी चलवाने की बात कही। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि छाता शुगर फैक्टरी को तत्काल चलवाया जाये क्योंकि तमाम किसान वहां धरने और प्रदर्शन पर बैठे हैं, उन लोगों ने आमरण अनशन कर रखा है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात को आश्वस्त करें कि शीघ्र ही इस शुगर फैक्टरी को चलवा कर वहां के गन्ना किसानों की सुरक्षा की जायेगी और यह जो किसान हितैषी सरकार बनती है तो इनको इन गन्ना किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसी तरह मान्यवर, सहारनपुर में गागलहेड़ी और बिजली शुगर मिल है। यहां भी तमाम किसानों का बकाया है। कुल 6 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने विषय तक रहिये ।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं मथुरा जनपद की बात कर रहा हूं और पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने सूचना दी थी छाता शुगर मिल बंद होने से मजदूरों के बकाये का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री प्रदीप माथुर-

छाता शुगर फैक्ट्री इसलिए नहीं बन्द पड़ी, छाता शुगर फैक्ट्री वर्षों से नहीं चल रही है उसका पुनर्वास किया जाए उसको चलाया जाए और उसको पैकेज दिया जाए प्रदेश सरकार के द्वारा जिससे आगरा मण्डल की एक मात्र शुगर फैक्ट्री फिर से शुरू की जा सके और वहां के गन्ना किसानों के जीवन की रक्षा हो सके उन्हें अपना गन्ना दूसरे राज्य हरियाणा में न भेजना पड़े और न बेचना पड़े। इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि जब मा0 मुख्य मंत्री जी बहुत पॉजिटिव सोच के हैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी उनके बिहॉफ पर यहां घोषणा करें कि छाता शुगर फैक्ट्री शीघ्र चालू कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर कुछ कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं इसे बिल्कुल दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 प्रदीप माथुर जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके पांच मिनट मुझे दे दें क्योंकि यह आपसे सम्बन्धित मामला है यदि आप सुनेंगे तो इसका कुछ निस्तारण होगा। मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत मान्यवर केन्द्र सरकार के द्वारा पोषित और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ प्रतिशत धन मिलाकर काम हो रहा है। बड़े शहरों को नया स्वरूप देने का विषय था लेकिन मान्यवर नया स्वरूप न देकर बड़े शहरों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यह बन गया। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी चूंकि नगर विकास मंत्री जी भी हैं इसीलिए मैंने पहले आपसे निवेदन किया था कि पांच मिनट आप सुन लें। मान्यवर, जिस समय मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने पद भार ग्रहण किया तो उस समय इन्होंने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के बारे में बहुत कड़वी और बहुत उचित टिप्पणी की थी। एक उसकी स्टैण्डिंग कमेटी है उस कमेटी की मीटिंग भी बुलाई थी। इस कमेटी की मीटिंग में जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उनसे जितनी सख्ती से कहा जा सकता था इन्होंने कहा भी, लेकिन मान्यवर, उसका कुछ परिणाम नहीं मिला। उस कमेटी की मीटिंग में मैंने कहा था कि एक ओवरहेड टैंक विश्व बैंक बर्रा में 25 साल पहले से बना खड़ा है वह चालू नहीं हुआ और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत पिछले पांच साल में एक दूसरा नया टैंक बनाकर खड़ा कर दिया गया तो मा0 मंत्री जी के द्वारा वहां पर बड़ी सख्ती से कहा गया कि एक चालू नहीं हुआ तो दूसरा बनाकर क्यों खड़ा कर दिया गया, सबसे पहले इसका जवाब दें नहीं तो मैं मीटिंग नहीं करूंगा और इन्होंने मीटिंग स्थगित भी कर दी। मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधान सभा सत्र में लिखित उत्तर में कहा गया था कि पिछले नवम्बर में उसे चालू कर दिया जाएगा, उसका भी कोई अता-पता नहीं है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत कानपुर महानगर और मैं सभी बड़े महानगरों की बात कर रहा हूं, विशेष रूप से कानपुर महानगर की। सारी सड़कें टूटी हुई हैं। आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर की मालरोड बड़े चौराहे से लेकर मेघदूत होटल तक की सड़क पिछले दो सालों में पांच बार खुदी। क्या कारण है कि एक बार खुदती है उसके बाद सड़क बन जाती है और फिर दोबारा खुद जाती है। उस रोड की यह हालत है कि दो साल से कोई उस पर चलने की स्थिति में नहीं हैं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत जहां सीवर लाइन डाली गई थी पिछले 6-7 साल से यह प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी का कनेक्शन आज तक नहीं हुआ और किसी का भी उपयोग नहीं हो रहा है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत पेयजल के लिए फूलबाग की टंकी पिछले पांच साल से बनी खड़ी है उसमें पानी नहीं डाला जा रहा है जब उसमें पानी डालने की नौबत आयेगी तब तक वह ध्वस्त हो जायेगी। मान्यवर, इसी योजना के अन्तर्गत, मैं गऊखेड़ा एक क्षेत्र है उसमें कानपुर महानगर के सफीपुर वार्ड में, वहां पर सीवर की लाइन के लिए पैसा दिया गया, मेरे द्वारा वहां पर सड़कें बनवाई गईं, मान्यवर, आज जो वित्तीय स्थिति है उसे देखते हुए सड़क बनवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं जाकर एक आधी सड़क बन पाती है। मान्यवर, बनाना बड़ा मुश्किल होता है उसके बाद आकर उन्होंने खोद दी, खोदकर सीवर लाइन डाल दी और सीवर लाइन के बाद कहा गया कि आखिर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कनेक्शन तो कर दो तो उन्होंने कहा कि पूरा पैसा खत्म हो गया। सीवर लाइन का पूरा का पूरा पैसा वहां पर लगा दिया गया और सड़कें तोड़ दी गईं, सड़कें बनाई नहीं गई और सीवर कनेक्शन की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। ऐसी परिस्थितियों में पूरे कानपुर महानगर में चलना मुश्किल है। विगत सत्र में इसी सदन में हमने एक फोटो भी प्रस्तुत की थी जो मा0 मंत्री जी की जानकारी में है उसमें था कि एक कार जा रही थी और पूरी की पूरी कार बैठ गई। यह बात समाचार-पत्रों ने भी छापी थी उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बड़ी सख्ती के साथ जिस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं नगर विकास मंत्री जी मीटिंग करते हैं सख्ती के साथ निर्देश देते हैं लेकिन उसका परिणाम भी उसी सख्ती के साथ आना चाहिए, जो नहीं आया। मान्यवर, मैंने बहुत सारी चीजें लिखकर दी थी और मंत्री जी ने कहा था कि हम उसकी जांच करायेंगे, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। मान्यवर, कोई भी बिल्डिंग बनती है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसलिए संज्ञान में लाना चाहता था कि कुछ न कुछ फर्क पड़े। अगर कोई बिल्डिंग बननी है तो पहले उसकी नींव खुदेगी, फिर स्ट्रक्चर का काम होगा, बाद में जिस समय रंगाई-पुताई हो जायेगी उस समय बल्ब खरीदा जायेगा और उसके स्विचेज लगेंगे। बहुत सारे ऐसे जोनल पम्पिंग स्टेशन हैं जहां पर अभी खुदाई शुरू नहीं हुई लेकिन उसके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का सारा सामान पिछले दो साल से आकर पड़ा हुआ है। इसलिए खरीदकर रख दिया जाता है कि कल पता नहीं हम इस सीट पर रहेंगे या नहीं, हम अपने कार्यकाल में खरीद लें और उसका कमीशन मुझको मिल जाये। यह बात मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। वह सामान इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो दो साल पहले खरीदा गया था जहां पर अभी जोनल पम्पिंग स्टेशन की अभी खुदाई भी नहीं हुई है वह दो साल तक वहां पर रखा गया था जहां पर गंगा एक्शन प्लान है और ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगा हुआ है। वह सारी की सारी गैस के कारण या तो खराब हो गये या चोरी हो गये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का सामान आज से दो साल पहले खरीदे गये थे कितनों का उपयोग हुआ, कितने खराब हुए और कितने चोरी हो गये ? मान्यवर, इसकी जानकारी कर लें। जो भी कमीशन बिठाना हो, जो भी इन्क्वायरी करनी हो, जिस भी माध्यम से करना हो वह आप सक्षम हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे से ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। मान्यवर, कानपुर महानगर में अधिकारी कहते हैं कि सड़क हमने खोद दिया और जितना पैसा था उतना काम कर दिया। विषय यह नहीं है, विषय यह है कि अगर आपके पास 4 गली में सीवर लाइन डालने का पैसा था और आपके पास कनेक्शन का पैसा नहीं है तो वह चारों शून्य हो गये। आप दो गलियों में सीवर लाइन डालिये और उसका कम से कम कनेक्शन कर दीजिए तो दो गलियों को उसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, पूरे कानपुर महानगर के सड़कों की दुदर्शा है। उस दुदर्शा के कारण एक दिन बारिश हो जाती है तो कीचड़ के कारण एक्सीडेंट्स भी हुये हैं और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। ऐसा सार्वजनिक रूप से समाचार-पत्रों में छपा और यह सच है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से इस बात की इजाजत चाहूंगा कि जहां पर भी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अंतर्गत अगर दुर्घटना के कारण कोई मृत्यु होती है तो मैं स्वयं उन अधिकारियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 कराकर दफा-302 का मुल्जिम बनाने का प्रयास करूंगा। वह उसके लायक हैं, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो जो यह पिछले 5-7 सालों से चल रहा है आगे भी चलता रहेगा। एक हमने एफ0आई0आर0 भी करायी। जिस समय वह गाड़ी पूरी की

पूरी गड्ढ़े में चली गयी थी हमने एक एफ0आई0आर0 भी करायी। वह एफ0आई0आर0 इसलिए नहीं हुई। क्योंकि एफ0आई0आर0 को बचाने वाले बहुत सारे अधिकारी हैं क्योंकि चोर-चोर मौसेरे भाई। वह स्थितियां हो जाती हैं। (माननीय अध्यक्ष द्वारा लालबत्ती जलाने पर) मान्यवर, आपका आदेश हुआ है, आपके आदेश का पालन करते हुए मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, ऐसी स्थितियों में अगर सड़क के ऊपर चलना मजबूरी है, घर से निकलना मजबूरी है, लेकिन हम सड़क पर चलेंगे और वापस भी आयेंगे या नहीं स्थितियां यहां तक खराब है। ऐसी परिस्थितियों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर जैसे महानगर को जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला शहर है उसके सड़कों को समयबद्ध तरीके से सारी की सारी सड़कों का निर्माण कराने का प्रयास करें। माननीय मंत्री जी उसके लिए आदेश दें और जितने भी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के काम हुये हैं उसका भी एक समयबद्ध रूप से बतायें कि इतने दिन में यह ओवरहैड टैंक चालू हो जायेगा, इतने दिन में यह सीवर लाइन का कनेक्शन हो जायेगा, इतने दिनों के अंदर यह काम हो जायेगा, उसका समयबद्ध चार्ट बना देंगे तो शायद उसका लाभ मिल सकेगा। आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, लोकमहत्व का है और तात्कालिक है इसलिए आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बड़ी ज्यादती से काम लिया है महाना जी ने, कितना काम आपके यहां चल रहा है यह आप भी जानते हैं और कितनी सख्ती की जाती है अच्छा काम करने के लिए यह भी आप जानते हैं। अब आप चाहेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर काम भी हों और बरसात में कोई फिसले भी नहीं, उसके लिए तो कदम बहुत एहतियात से रखना पड़ेगा। जहां कमी है वहां दिखवा लेंगे। कुछ तो अच्छा हुआ होगा, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, उसमें अगर कुछ अच्छा हुआ हो तो मंत्री जी बता दें। मान्यवर, अच्छा और खराब बताने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जो खराब हुआ वह मैंने बताया मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस विधान सभा के सत्र में आन रिकार्ड कहना चाहता हूं अगर उन्होंने जो जोनल पम्पिंग स्टेशन बनाए हैं अगर आपको लगता है कि जितने उन्होंने बनाए हैं उसमें से 25 प्रतिशत आज की तारीख में चालू हैं तो आप यहां बता दें। अगर आपको लगता है कि माल रोड चार बार खुदी तो आप यहां पर बता दें अगर आपको लगता है कि गऊ खेड़े के बारे में मैंने बताया कि जो सीवर लाइन डाली गई उसमें कनेक्शन नहीं हुआ तो आप यहां पर बता दें। अगर आपको लगता है कि सड़कों को खोदने के बाद उसको दुबारा बनाया गया है तो आप यहां पर बता दें। जो अच्छा है वह आप यहां पर बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ऐसा है मैं जानकारी लेकर अच्छा-अच्छा भी बताऊंगा कुछ अच्छा हो न हो महाना जी अच्छे हैं और इन्हें अच्छा ही रहना चाहिए जो भी कमी है उसे पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर श्री सतीश महाना जी को सुना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

चौथी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री योगेन्द्र उपाध्याय की जनपद आगरा में दूषित पेयजल आपूर्ति व जनपद अलीगढ़, हाथरस तथा जनपद आगरा की एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र होकर गुजरने वाली करबन नदी में फैले प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में है। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि इसमें बहुत सीमित भाषण करें क्योंकि यह संकल्पों के माध्यम से माननीय धर्मपाल सिंह जी और अन्य सदस्यों के प्रश्नों के माध्यम से इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन आपने नई बात बताई है और माननीय हुकुम सिंह जी कुछ नया बता रहे हैं इसलिए मैं हुकुम सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वह अपनी बात रखें।

श्री हुकुम सिंह-

यह श्री योगेन्द्र उपाध्याय के क्षेत्र का मामला है इसलिए उनको सुन लें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी मैंने 21 फरवरी को भी इस सदन में एक बात कही थी कि राजकपूर ने फिल्म के माध्यम से बताया था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते लेकिन हमारा बाथरूम हमारी किचेन बताती है कि कृष्ण तेरी यमुना मैली हो गई ओखला दिल्ली के नाले ढोते-ढोते यह स्थिति है और इस स्थिति से सरकार अवगत नहीं है यह मैं मान नहीं सकता क्योंकि माननीय शिवपाल जी ने कहा था कि अगर दिल्ली वाले यमुना में गन्दे नाले यह गंदा पानी छोड़ते रहे तो हम गंगा का पानी दिल्ली को देना बन्द कर देंगे वह शेर की तरह दहाड़े थे लेकिन आगरा की जनता जो भुगत रही है वह लगता है कि कागजी शेर की दहाड़ थी कुछ हो नहीं रहा है। 1993 में ऐसी स्थिति हुई थी जो आज है। हिण्डन नदी से वेस्ट यमुना में डाला जा रहा है दिल्ली से वेस्ट नाले डाले जा रहे हैं ओखला से डाले जा रहे हैं 1993 में ऐसी स्थिति हुई थी और 23 लोगों की मौत हुई थी सैकड़ों लोग बीमार हुए थे यह स्थिति आगरे में हुई थी लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों ने चरण बद्ध तरीके से प्रशासन को अवगत कराया महाप्रबन्धक जल संस्थान को जिलाधिकारी आगरा को कमिश्नर आगरा को कि यह सब हो रहा है आने वाले समय में महामारी हो जाएगी शहर के अन्दर लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया फिर एक दिन चुने हुए जनप्रतिनिधि सांसद जी दोनों विधायक जी और कुछ पार्षदगण कमिश्नर साहब को अवगत कराने के लिए मिलने के लिए गए। कमिश्नर साहब मिलने के लिए नहीं आए हम सब लोग वहीं पर धरने पर बैठ गए वह सोच रहे थे कि यह सब राजनीति के कारण कर रहे हैं अखबार में फोटो छपेगी और यह उठकर चले जाएंगे हम राजनीति नहीं कर रहे थे हम जनता का दर्द जानते थे। हमने कहा कि जब तक कमिश्नर यहां नहीं आएंगे हम यहां से उठेंगे नहीं रात के 9 बजे फिर कमिश्नर साहब ने वार्ता की जब उन्हें लग गया था कि यह उठने वाले नहीं है भरे जाड़े में जब हमने रजाइयां मंगा ली बिस्तर मंगा लिए कि हम यहीं सोएंगे तब वह वार्ता के लिए आए और उन्होंने आश्वस्त किया कि 18 फरवरी तक आगरा में जल शुद्ध मिलेगा और यमुना में जो विसंगति हो रही है वह रोकी जाएगी। लेकिन यह अभी तक जारी है। हाउस में भी चर्चा हुई यानी सड़क से लेकर सदन तक इस बात को अवगत कराया जा रहा है लेकिन नतीजा वही है ढाक के तीन पात। स्थिति यह बनी है कि कल आगरा के सांसद जी आगरा

के महापौर जी कुछ पार्षदगण अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठ गए हैं। हम भी कल उनका साथ दिया था क्योंकि यहां हमें आना था इसलिए 12 घंटे अनशन पर उनके साथ बैठे। यह सिलसिला चल पड़ा है। अभी भी वहां सब अनशन पर बैठे हैं। आखिर दो घूंट पानी के लिये भूखो रहना पड़ रहा है जन प्रतिनिधियों को। यह स्थिति शहर की बन रही हैं। आखिर क्यों ? क्योंकि 20 लाख की जनता के जीवन और मरण का प्रश्न है मान्यवर। ऐसी स्थिति में अभी तक यमुना काली चादर बनी हुई है। महाप्रबन्धक, जल संस्थान ने जो आपके प्रशासन का अंग है, उसी ने यह घोषणा कर दिया है कि हम इस पानी को साफ नहीं कर सकते। जनता अपने आप व्यवस्था करे। पानी की आपूर्ति ठप्प कर दी जायेगी। यह स्थिति बन रही है। आगरा सैनिक का बहुत बड़ा अड्डा है, सेना के अधिकारी अपने सैनिकों से कह रहे हैं, कि इस पानी को मत पीजिये। पर्यटक दहशत में आ गये, छोड़कर भाग रहे हैं। पर्यटन उद्योग वहां का चौपट हो रहा है, वहां जनता भयभीत है, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे विषय पर चर्चा जरूरी है सदन में और निराकरण जरूरी है। धन्यवाद।

*डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। करवल नदी बुलन्दशहर से निकलती है और अलीगढ़ हाथरस होते हुए मेरी विधान सभा एत्मादपुर से हो के ताजमहल से नीचे यमुना में मिलती है। मान्यवर, यह नदी बरसाती नदी थी, और उसके ऊपर से हमारी हाथरस ब्रांच निकलती है। हाथरस ब्रान्च वाला जो सिस्टम है वह गंग नहर का सिस्टम है। यह नदी हमेशा गंगा जल लाती थी। उस गंग नहर से जो पानी रिसता था वह इस नदी में गिरता था वह हमेशा गंगाजल लाती थी और उससे पास के गांव के लोग सिंचाई करते थे और पीने का काम भी करते थे। अध्यक्ष जी, अभी पिछले कुछ सालों से खुर्जा इन्डस्ट्रियल एरिया का, अलीगढ़ इन्डस्ट्रियल एरिया का और हाथरस की जितनी फैक्ट्रियां हैं, उन सबका बेस्ट है वह सीधा इस करवल नदी में गिर रहा है और यह करवल नदी इतनी अधिक प्रदूषित हो गई कि अभी पिछले 5-7 दिन पहले जो जंगली नील गाय होती है उन्होंने इसमें पानी पिया तो वह वहीं मर गई। करीब सौ नील गाय उसमें मरी पड़ी हैं। जब अधिकारियों को सूचना दी गई तो उन्होंने उन नील गायों को निकालकर बाहर वहां गाड़ कर उनका अंतिम संस्कार किया। मान्यवर, वहां पानी इतना ज्यादा प्रदूषित है कि जब नील गाय पानी पीते ही मर रही है और वही नदी आगे नीचे जाकर यमुना में मिलती है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसमें जो खुर्जा, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस की फैक्ट्रियों का पानी जो सीधा इसमें गिर रहा है, हाथरस के नालों का पानी इसमें गिर रहा है, उसको तुरन्त रोका जाय। मान्यवर, यह विषय अत्यन्त लोक महत्व का है, मैं आपसे चाहता हूं कि इसमें सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, चर्चा का विषय तो नहीं है, फिर भी यह सब दिखवायेंगे भी और करेंगे भी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सदस्य भारतीय जनता पार्टी, माननीय सदस्य बहुजन समाज पार्टी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। मैं इसको अग्राह्य करता हूं। श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री गयादीन अनुरागी, श्री दलजीत सिंह, श्रीमती उमाकान्ती सिंह, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री कमाल युसुफ मलिक, श्री पूरन प्रकाश, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री लोकेश दीक्षित, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री काली चरन सुमन, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री उमेश पाण्डेय, श्री विजय बहादुर यादव, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की सूचनाएं अस्वीकृत की गईं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

अध्यक्ष जी, यह बहुत लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब जो आपको नियम-56 में कहना है वह आप राज्यपाल के अभिभाषण में बोल लीजियेगा।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, 100-100 हैंड पम्प देने की बात सदन में कही गई थी। सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए, अध्यक्ष जी, यह जरूरी है। यह सदन में कहा है, सदन के नेता ने कहा है, नगर विकास मंत्री ने कहा है फिर भी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। अध्यक्ष जी, पानी की समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

आप जो कहेंगे वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री रघुनन्दन भदौरिया-

[x x x] [x x x] [x x x]

(सदस्य श्री रघुनन्दन भदौरिया सदन के वेल में आ गए)

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-14 ले रहे हैं। आप अभी बैठो ना। राज्यपाल के अभिभाषण पर जितना भी बोलना होगा, बोल लीजियेगा। यह उसी में बोल लीजियेगा। माननीय नेता भाजपा इनको समझाइये।

आप बैठिए।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया सदन के फ्लोर से-मान्यवर, घोषणा के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है)

माननीय नेता भा0ज0पा इनको समझावें इनकी दवा भी करानी पड़ेगी यह बिना दवा के ठीक होने वाले नहीं हैं। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपको मौका मिलेगा उसमें जितना बोलना हो बोलिएगा। आपको पूरा अवसर मिलेगा, अब अपनी सीट पर चलिए। मा0 महाना जी जब आप

नोट :-[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही निकाल दिया गया।

कानपुर जाएंगे तो किस तरह से यह करते हैं जनता को बता दीजिएगा जिससे इनका सम्मान वहां बढ़ जाएगा।

श्री सतीश महाना-

जो पीड़ा इनकी है मान्यवर,

श्री अध्यक्ष-

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर इनको बोलने का पूरा अवसर मिलेगा उसमें जो कहना हो कहिएगा।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के समझाने पर श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया सदन के वेल से अपने स्थान पर वापस चले गए।)

मद संख्या-14 लेते हैं।

[1.28 बजे] उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अभी मंत्री जी आप रुक जाएं। मा0 अग्रवाल जी आप शुरू करें।

श्री मनीष आसीजा-

[x x x] [x x x] [x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए, अब लिखा नहीं जाएगा। जब कह दिया महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलिएगा। आपको बोलने का अधिकार है। अब लिखा नहीं जाएगा न यह कार्यवाही का अंग बनेगा न प्रेस में जाएगा। अग्रवाल जी आप शुरू करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो विषय यहां रखा गया उसमें थोड़ा विचार कर लें। नेता सदन द्वारा घोषणा की गई, नगर विकास मंत्री जी यहां बैठे हैं यह नगर के विधायक हैं नगर की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं कुछ तो मान्यवर, जवाबदेही हो, वहां अगर पेयजल की समस्या है चाहे कानुपर हो, चाहे फिरोजाबाद हो चाहे और कोई नगर हो तो इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है आखिर इनका भी तो मजाक बनता है सदन में घोषणा हुई और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष-

जब महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसमें कहिएगा उसमें पूरी बात कहने का अवसर है। जब मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो उसमें यह स्पष्टीकरण पूछ लेंगे जवाब आ जाएगा।

नोट :-[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपसे आग्रह यह है कि एक आश्वासन यहां पर दिया गया वह जनपदों तक पहुंचा, नगरों तक पहुंचा, इस आश्वासन के बावजूद भी वह व्यवस्था नहीं की गई तो यह अपनी पीड़ा यहां नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। मान्यवर, भाषण करने की बात नहीं है समस्या का समाधान करने की बात है सरकार यहां बैठी हुई है महीने भर का, 15 दिन का समय दे दें इनको।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी यह लोग अलग-अलग समस्यायें उठा रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह समस्या तो है और आपके संज्ञान में पहले से भी है और मांग भी आती रही है यह बात भी आपकी सही है कि जब नेता सदन अपना उत्तर देंगे तो मैं भी उनसे दरख्वास्त कर लूंगा।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। डा0 राम मनोहर लोहिया..

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दीजिए नियम-56 से आगे बढ़ गए हैं।

सोलंकी जी, आपका क्या है ?

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

अध्यक्ष जी, डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों के चयन के सम्बन्ध में मैं अपनी बात कहना चाहती हूं। मा0 विधायकों के सम्मान का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी, आप बैठिए, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं रोज नियमों में इनकी सूचनाओं को लेता हूं। आप हमें लिखकर दे दीजिएगा, हम दिखवा लेंगे। यह नियम-56 में भी शासन को गया होगा।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, इनकी केवल इतनी बात है, सदन में भी यह आश्वासन था कि जो लोहिया ग्राम का चयन होगा, वह विचार-विमर्श करने के बाद में होगा, विश्वास में ले करके होना चाहिए, लेकिन मान्यवर, वह नहीं हो रहा है।

(श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी बोलने का प्रयास करती रही)

श्री अध्यक्ष-

बिमला सिंह सोलंकी जी, आप बैठिए। वह आपकी ही समस्या नहीं है, सबकी समस्या है। अब आप बैठिए।

(श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी बोलने का लगातार प्रयास करती रही)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए। जो आप कह रही है, यदि नहीं हो रहा है तो मेरे वश में नहीं है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, पूरे विपक्ष का आप पर और इस पीठ पर पूरा भरोसा है, अगर पीठ से यह कहा जायेगा कि हमारे वश में नहीं है तो हम लोगों का कैसे कल्याण होगा। हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठिए।

[1.29 बजे] उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब, मद सं0-14 में संशोधन का प्रस्ताव रखें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जल प्रबन्धन और नियामक आयोग की नीति, 1999 में एक समिति का गठन हुआ था और जिसका उद्देश्य था कि जल का उपयोग कैसे हो और जल की कीमत कैसे निर्धारित हो। इस बारे में अच्छे सुझाव दिए जायें। लेकिन यह 29 अगस्त, 2008 में उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग का गठन अधिनियम संख्या-26, सन् 2008 में कर दिया गया। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग को इतनी शक्तियां दे दी गयीं कि वह राज्य सरकार से भी ऊपर हो गया और जल की जो कीमत थी, उसकी इतनी कीमत लागू कर दी गयी, ऐसे-ऐसे सुझाव आ गए जो किसानों से ले करके और दूसरे जो जल के उपभोग करने वाले थे, जल की कीमत इतनी बढ़ा दी गयी थी और पूरी तरह से यह नियामक आयोग को इतनी शक्तियां दे दी गयी थी कि सरकार भी उस पर कुछ नहीं कर सकती थी और चार साल के अन्दर इस जल प्रबन्धन और नियामक आयोग ने कोई काम भी नहीं किया, कोई सुझाव भी नहीं दिए गए। जो किसान थे, जो उपभोग करते थे पानी का, जो उद्योग धन्धे जल पर आधारित थे, उन पर पांच गुना जल की कीमत बढ़ा दी गयी। जल प्रबन्धन और नियामक आयोग को इतनी शक्तियां दे दी गयी थी, इसलिए हम यह प्रस्ताव लाए हैं, जो संविधान की धारा-166 के अन्तर्गत बनायी गयी है, संचालन नियमावली, इन प्रावधानों के अनुरूप राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्य सरकार के विभागों में ही नियत होंगी और जो आयोग हम लाए हैं। इसमें अनुभवी लोग होंगे जिनको 25 साल का कम से कम होगा। जिनको जल का अनुभव होगा। तो ऐसा नियामक आयोग हम बनायेंगे। इसलिए इस नियामक आयोग को हमने भंग किया है और नया बिल लाकर हम ऐसा आयोग बनायेंगे इसलिए इसे

लाये हैं। जो राज्य सरकार के अधीन होगा और जो अच्छे-अच्छे विचार लायेंगे उन पर विभाग विचार करेगा। ऐसा नियामक आयोग बनाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम पूर्व में गठित जल नियामक आयोग जो 4 वर्षों में कुछ भी काम नहीं किया था कुछ भी सुझाव नहीं दिये थे। तो इसलिए हमने पांच गुना इसमें निर्धारित शुल्क बढ़ा दिया था। हमारी सरकार ने जो किसानों का पानी माफ किया है और इस तरीके से किसानों के हित में उद्योगों के हित में जो भी सुझाव आयेंगे उस पर राज्य सरकार और हमारा विभाग विचार करेगा और नियामक आयोग के जो अच्छे सुझाव होंगे उस पर हम विचार करके उसे लागू करेंगे इसलिए हम यह नियामक आयोग लाये हैं। इसमें अनुभवी लोग होंगे और इसके अध्यक्ष भी अनुभवी होंगे और पांच सदस्य होंगे। जिनको 25 साल का अनुभव होगा। इसलिए इसे लाये हैं इस पर विचार करके पारित करें।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी की बातों को मैं सुन रहा था। मुझे लगता है कि न तो मा0 मंत्री जी यह जानते हैं कि 2008 के विधेयक के प्राविधान क्या थे और न यह जानते हैं कि 2012 में जब अध्यादेश लाकर 2008 के अधिनियम को समाप्त किया गया तो क्यों समाप्त किया गया और न ही पूरे तथ्यों कि आज जानकारी है कि आज दोबारा यह विधेयक क्यों लाया गया। यह दोनों विधेयक मेरे पास हैं। यह भी ठीक बात है कि आपकी व्यस्तता है पढ़ने का समय नहीं मिलता होगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कभी इन्हें पलटकर देखने की कोशिश करियेगा। दो-चार छोटे-मोटे परिवर्तन छोड़कर हुबहू 2008 का वह विधेयक 2014 में पुनः हम लोगों के सामने नई बोतल में पुरानी शराब की तरह पुनः हम लोगों के सामने रख दिया गया है। मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि यह इसलिए रखा गया कि पहले वाला विधेयक बड़ा खतरनाक था और बड़े कड़े प्राविधान कर दिये गये थे सरकार ने तय किया कि वह कड़े प्राविधान नहीं होने चाहिए इसलिए हमने वह कड़े प्राविधान हटा दिये। अभी जब मा0 मंत्री जी बोल रहे थे तो मैं पिछले विधेयक के प्राविधानों को और इस विधेयक के प्राविधानों को पढ़ रहा था। और बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि सत्य ठीक इसके विपरीत है। जो शक्तियां इस आयोग को दी गयी हैं, कल मैं मा0 सदस्यों को बोलता हुआ सुन रहा था। मा0 सदस्य इस समय हैं नहीं, सिंचाई और किसानों को मुफ्त पानी देने की बात बहुत चीख-चीख कर कह रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी शक्तियों को देख रहा था जो शक्तियां 2008 के इस विधेयक में नहीं दी गयी थीं, 2014 के विधेयक में इस आयोग को दे दी गयी हैं। मा0 मंत्री जी पानी के दाम की बात कर रहे थे। 2008 का विधेयक कोई भी स्पष्ट अधिकार इस आयोग को पानी के दाम तय करने का नहीं देता था। 2014 में जब यह विधेयक आया है तो बहुत स्पष्ट रूप से पहला अधिकार जो सरकार ने इस आयोग को दिया है घरेलू, कृषि, औद्योगिक एवं अन्य प्रयोजन के लिए सतही जल एवं उक्त सतही जल के उपयोग के लिए टैरिफ प्रणाली और प्रभारों को नियत करना और उन्हें विनियमित करना। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पुराना विधेयक निकलवा कर देख लें। मेरे पास है। आप चाहें तो मैं भेज भी सकता हूं। यह पूरा का पूरा प्राविधान पुराने विधेयक से गायब है। जन-मूल्य तय करने का अधिकार तो दिया गया था, लेकिन बहुत वेव शब्दों में दिया गया था। सरकार इतने से संतुष्ट नहीं थी, वह इस प्रदेश के किसी भी किसान को छोड़ना नहीं चाहती है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको एक बूंद भी पानी मुफ्त में मिल सके, इसलिए सरकार ने बहुत कड़ाई के साथ स्पष्ट शब्दों में अब इस आयोग को अधिकार दे दिया है कि वह सिंचाई के, कृषि के उपयोग के लिए मिलने वाले पानी की दर को भी तय करेगी। जीवन-रक्षक पानी 135 लीटर हर आदमी को मिले, हम लोगों ने देखा दिल्ली में कितना बड़ा आन्दोलन इसके लिए खड़ा हो गया। इस सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि जो घरेलू उपयोग के लिए दैनिन्दनी उपयोग के लिए हम लोग पानी लेंगे, उसकी भी दर तय करने का अधिकार इस आयोग का हो जायेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, नई परियोजनाओं के अधीन कार्यान्वित किये गये बाढ़ संकरण और जल निकास के संकरण द्वारा लाभान्वित भू-स्वामी से प्रभावित किये जाने वाले उपकर की दर, अर्थात् अब अगर पूरे प्रदेश में कहीं कोई बंधा बनेगा, चाहे नगर चाहे गांव, कहीं कोई जल निकासी की व्यवस्था की जायेगी, तो इसका रेट निकाला जायेगा, इसकी लागत निकाली जायेगी और लागत निकाल कर के जो उसके लाभार्थी नागरिक होंगे, वह हाऊस टैक्स देते होंगे, वाटर टैक्स देते होंगे, सीवरेज टैक्स देते होंगे, उसके बाद एक नया आयोग टैक्स जोड़ दिया जायेगा और यह अधिकार लिखित रूप से दिया गया है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे, अध्यक्ष महोदय कि आयोग की सीमाएं ताकत बहुत अधिक हो गई हैं, सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, इसलिए हमने सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके, इसका प्राविधान किया है। मैंने पलटने की कोशिश किया कि सरकार और आयोग के बीच में क्या सम्बन्ध होगा। जो शक्तियां दी गई हैं इस आयोग को क, ख, ग, घ से होती हुई ठ तक पहुंची हैं, तकरीबन 11-12 शक्तियां, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है, वह कर वसूलने की शक्ति है, वह क है और अगर बंधे और जल निकासी का निर्माण हुआ, तो उसका उपकर लगाने की जो शक्ति है वह है ख और अध्यक्ष महोदय इसी विधेयक के इसी क्लाज में नीचे लिखा हुआ है, उपरोक्त ख से ठ की शक्तियां और कृत्य संतुति सलाह के रूप में रहेंगी, राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा अननुमोदन के पश्चात् उन पर कार्यान्वयन होगा। अर्थात् ख के पहले जो शक्तियां दी गई हैं राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं होगा कि वह उस पर कोई पुनर्विचार कर सके, वह राज्य सरकार के लिए सलाहकारी नहीं होंगी, राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी, आयोग जिस प्रकार का भी निर्देश देगा, राज्य सरकार को वह निर्देश यथासम्भव लागू करना पड़ेगा, यह विधेयक स्पष्ट रूप से कह रहा है और वह अधिकार होगा घरेलू पानी का दाम तय करना, कृषि के योग्य पानी का दाम तय करना, औद्योगिक और अन्य प्रयोजन के लिए सतही जल और उप सतही जल, अगर किसी के घर में कोई नीचे से पानी निकालने का प्रयास कर रहा है तो उस पानी पर, आप पानी देंगे भी नहीं, जो देंगे सबसे कम मात्रा में होगा, वह प्रदूषित भी होगा, लोग अगर अपने घर में कुछ पम्प लगा कर उसको निकालने का प्रयास करेंगे, तो आप आयोग को शक्ति देंगे कि वह तय करे कि उसका दर कितना होगा और खूबी यह कि मा0 मंत्री जी का कहना कि राज्य की शक्तियों से बड़ी हो गई थी आयोग की शक्तियां, इसलिए हमने नया विधेयक ला दिया। सच्चाई यह है कि पुराने विधेयक में यह शक्तियां दी ही नहीं गई थीं, आपने जो नया विधेयक लाया, उसमें यह असीमित अधिकार दे कर के, अबाध अधिकार दे कर के राज्य की ताकत के परे, जिस प्रकार से हम लोगों के यहां एक विद्युत नियामक आयोग काम कर रहा है, क्या स्थितियां प्रदेश में विद्युत दर की पैदा हुई हैं, हम सब भली-भांति जान रहे हैं। आज करीब-करीब हम निःसहाय महसूस करते हैं। हम बहुत सारी सुविधायें अपने नागरिकों को देना चाहते हैं, लेकिन नियामक आयोग के प्राविधानों के नाते दे नहीं पाते, फिर भी दोनों में एक अन्तर है अध्यक्ष महोदय,

यह जो विद्युत का विषय होता है यह केन्द्र सरकार का विषय होता है, अगर केन्द्र सरकार एक केन्द्रीय नियामक आयोग बना दे, तो आपकी बाध्यता होती है कि आप राज्य स्तर पर उस नियामक आयोग की प्रक्रिया को संचालित करें, लेकिन यह जो जल है, यह राज्य सेक्टर का विषय है, विद्युत केन्द्र सेक्टर का विषय है, हमारी बाध्यता हो सकती है, जल केन्द्र सेक्टर का विषय नहीं है, जल राज्य सेक्टर का विषय है, केन्द्र हमें किसी प्रकार के नियामक आयोग के लिए बाध्य नहीं कर सकता, इसका अर्थ है कि हमने सुविचारित नीति के तहत जानबूझकर अपने आधार पर निर्णय लेकर ऐसे आयोग का गठन किया है जो आने वाले समय में नागरिकों को पीने का पानी भी मुहाल नहीं होने देगा। अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि इस आयोग में बहुत प्रतिष्ठित सदस्य रखे गये हैं जिन्हें अपने विषय का ज्ञान है लेकिन यह तथ्य 2008 में भी थे तो 2014 में पहली बार रख दिये गये हैं ऐसा नहीं है। 2008 में भी जब यह विधेयक आया था तो यह जो प्राविधान 25 साल के मैं 2008 में जब यह विधयेक प्रस्तुत हुआ था तो मुझे याद है कि उस समय हम लोगों ने इस विधेयक के बारे में बहस की थी और मुझे तो एक बार आश्चर्य हुआ था कि यह विधेयक दोबारा क्यों आ रहा है। जब मैंने दोबारा पढ़ने की कोशिश की तो पता चला कि बसपा की सरकार जाने के बाद चूंकि इस विधेयक को निरस्त कर दिया गया था। आज सरकार को यह महसूस हो रहा है कि इसे निरस्त करना गलत था इसलिये दोबारा यह विधेयक हम लोगों के सामने आ गया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा दूसरा है। किसी आयोग में किसी जनप्रतिनिधि का होना न होना महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक सैद्धान्तिक विषय है। सरकार एक सैद्धान्तिक निर्णय लेती है कि निगमों में, आयोगों में कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि रहेगा या नहीं रहेगा। एक निर्णय लेने के बाद बात करने के स्तर पर हम इसे नीचे तक सबके ऊपर लागू कर देते हैं। इस प्रदेश को हम जानते हैं कि बहुत सारे निगमों, आयोगों में राजनैतिक लोगों को नियुक्ति दी गयी है। खुलेआम दी गयी है, हम जानते हैं उन्हें अधिकार दिया गया है। यह जो आयोग की नियमावली बनायी गयी, इसमें जो क्राइटेरिया फिक्स किये गये थे, उसमें कोई राजनैतिक आदमी आ ही नहीं सकता था। मुझे इससे कोई एतराज भी नहीं था। हमने इस बात की व्यवस्था कर दी है कि जो अधिकारी जब कभी सेवानिवृत्त होगा, यह सब अधिकारियों का खेल है अध्यक्ष महोदय। हम जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ते थे तो हम कहते थे कि हम अंग्रेजी अधिकारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश की सत्ता हमें मिली, हम समझे कि हमें लोकतंत्र मिल गया। हमने बहुत सारे अधिकार जनता को दे दिये। धीमे-धीमे अब देखने में आ रहा है कि ये अधिकारी सुनियोजित षडयन्त्र के ये अधिकार जनता से छीन रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से छीन रहे हैं, मतलब जनता से छीन रहे हैं। हमारी अपनी कोई हैसियत अपने में नहीं होती। हम नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और इसलिये इस प्रकार के आयोगों की स्थापना की जाती है। यह आयोग जो बनाया गया है, यह सत्य है कि जो सेवानिवृत्त मुख्य सचिव होगा वह इसका सदस्य हो पायेगा। जो सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता होगा वह इसका सचिव हो पायेगा। वो हों मुझे इसमें एतराज भी नहीं है क्योंकि एक स्पष्ट विषय है लेकिन अपमान की पराकाष्ठा क्या है। पराकाष्ठा यह है कि इसके बाद भी सरकार को संतोष नहीं हुआ। सरकार ने लिखा कि संसद या किसी राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय आयोग का आसीन या भूतपूर्व सदस्य या उसके निर्वाचन का प्रत्याशी या किसी राजनैतिक दल का कोई सदस्य या राजनैतिक दल में पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होगा। मैं सहमत हूं, आप एक सैद्धान्तिक निर्णय लीजिये। देश में, प्रदेश में जितने निगम हैं,

जितनी आपकी ऐसी स्वायत्त संस्थायें हैं। आप अगर उस निर्णय को आज लागू कर रहे हैं, मैं सहमत हूं कि स्पेसिफिक टाइप का आयोग आप बना रहे हैं। आप निर्णय ले लीजिये, ढेर सारे हमारे ऐसे ही विशेषज्ञ निगम हैं, हम उनमें अपने प्रतिनिधियों को क्यों भेज रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी खूबी यह है कि 2008 के विधेयक में यह कहा गया था कि वर्तमान सदस्य इसका मेम्बर नहीं हो सकता। 2014 का यह विधेयक कह रहा है कि निवर्तमान सदस्य भी इसका सदस्य नहीं हो सकता। आखिर हम इस प्रकार से जानबूझ करके घोषित तरीके से इस जाल में अपने आपको क्यों फंसा रहे हैं मा0 मंत्री जी ये मेरी समझ के परे है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति जिस भी अधिकार के साथ, मैं उन लोगों में से हूं जो इससे सहमत हैं। आप अगर सहमत नहीं हैं तो आपको इस विधेयक को अन्तिम रूप से पारित कराने से पहले सरकार को यह घोषणा भी करनी चाहिये कि अब से प्रदेश के किसी भी निगम या किसी भी आयोग में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बैठेगा। अध्यक्ष महोदय, संतुष्टि का विषय इतना भी खत्म नहीं हुआ। जो पुराना आयोग बना था उसे व्यापक सोच के साथ बनाया गया था। वह आयोग यह नहीं चाहता था कि यह जो घरै-घराना खाय वाला खेल चलता है। उत्तर प्रदेश के अधिकारी मिलकर के उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इसमें नियुक्त कर डालें। बड़ी सावधानी के साथ बचाव किया गया था और बचाव करके यह व्यवस्था की गयी थी कि ये उत्तर प्रदेश के अधिकारी अपना कोई प्रदूषित खेल न कर पायें और वे स्वयं अपने परिचित लोगों का नामांकन न कर पायें इसलिये एक 5 सदस्यीय समिति बनायी गयी थी। जिसमें बहुत सावधानी के साथ केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य को या उसके अध्यक्ष को इसका मेम्बर बनाया गया था और निदेशक भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ हम सब जानते हैं कि आई0आई0एम0 लखनऊ इस पूरे देश की सर्वोत्तम प्रबन्धन संस्थान मानी जाती है, उसका अध्यक्ष इसका सदस्य बनाया गया था। सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इन दोनों लोगों को इस नये आयोग के विधेयक में इस टीम से बाहर कर दिया गया और अगर आप सुने तो कृषि उत्पादन आयुक्त, औद्योगिक विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव शहरी, प्रमुख सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव भू-गर्भ, प्रमुख सचिव सिंचाई यानि यह जो हमारा जो सचिवालय मण्डल है। यह करीब-करीब सामूहिक रूप से इसमें बैठेगा और बैठकर के इसके बारे में निर्णय लेगा। इसमें अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है और सरकार से भी आग्रह है। हम सब लोकतंत्र में जी रहे हैं और हम सब बड़े संघर्षों के बाद इस देश में लोकतंत्र लेकर आए हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस लोकतंत्र की रक्षा करें। आपने इस आयोग को अधिकार दे दिया और जो संवैधानिक अधिकार पुराने आयोग को दिया गया था, आपने उन अधिकारों को छीन लिया। इस आयोग को दन्तहीन बना दिया, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई में उपस्थित होने का अधिकार नहीं, नोटिस देने का अधिकार नहीं, आप ने यह सब गायब कर दिया और सबसे बड़ी चीज मा0 अध्यक्ष जी आयोग के किसी निर्णय के खिलाफ एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक प्रक्रिया है कि यदि कोई असहमत होता है, तो वह किसी ट्रिब्यूनल में जाता है, मध्यस्थ में जाता है, पुराने विधेयक में ट्रिब्यूनल की व्यवस्था थी। नागरिकों को अधिकार दिया गया था कि वह आयोग के निर्णय के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। नये विधेयक में नागरिकों को यह ट्रिब्यूनल और माध्यस्थ का अधिकार यह भी समाप्त कर दिया गया है अर्थात् आयोग अब जो भी दर तय करेगा, न राज्य सरकार उसके खिलाफ बोल पायेगी, न किसी ट्रिब्यूनल में जाकर के आप किसी प्रकार की आप

सुनवाई कर सकेंगे। मा0 मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा आप विचार करिएगा इतने अधिक पॉवर देकर आप जो यह आयोग बना रहे हैं, क्या यह हम सब के हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा और क्या आपका उद्देश्य है। आप तो कभी नारे देते थे कि ''दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, बिजली, पानी सस्ती हो'' यही था न, मान्यवर हम लोगों ने भी नारे लगाये हैं। मैंने भी लगाए हैं, आप जानते हैं, और इन नारों को लगाते-लगाते हम यहां पहुंच गए, जहां दर सस्ती होने की तो बात खत्म हो गई, लागत मूल्य यह तय किया जायेगा कि जो सुविधा हम डेवलप कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी आई है, उसकी बेनिफिट कितनी होगी, उसके आधार पर दर तय करेंगे, जो दर तय करेंगे उसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी होगा। उसके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। इसमें अध्यक्ष महोदय, मा0 सिंचाई मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, सोच-समझ करके आदमी को कार्यवाही करनी चाहिए। वर्ष 2008 में यह आया था, उस समय भी इसमें गलतियां थीं। आपने वापस किया था, ठीक काम किया था। फिर आप ले आए हैं, उससे अधिक खतरनाक ले आए हैं। हम सब यहां बैठे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, इसे पक्ष या विपक्ष का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आप कहें तो मैं उस पक्ष में आकर ये बातें कह सकता हूं। ये लोकतंत्र का मुददा है, हम सबका दायित्व है और एक बात याद रखिएगा- ''लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई'' जब दाम बढ़ेगा इस आयोग के आधार पर, तब आप जनता को यह नहीं कह पायेंगे कि भाई ये कानून बन गया है, हमारा अधिकार इसे रोकने का नहीं है, क्योंकि बिजली के बारे में तो बड़ी चतुराई से आप कह देते हैं कि भारत सरकार ने आयोग बनाया है, हम क्या करे? पानी के बारे में आप यह नहीं कह पायेंगे कि भारत सरकार ने बनाया। यह उत्तर प्रदेश का आप के द्वारा लिया गया निर्णय है, इसलिए आप जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, मान्यवर, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने आप से कहा है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए। आप इस प्रवर समिति को भी हटा दीजिए। आप स्वयं इस पर विचार करिए कि क्या सरकार को इस पर एक बार पुनर्विचार पूरे दिल से करना चाहिए या संख्या के बल के आधार पर इसे पास कराने की जिद करनी चाहिए। धन्यवाद।

*श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, इस आयोग को हम बहुत सोच-समझकर लाए हैं, जैसा कि अभी मा0 सदस्य जी ने कुछ सुझाव दिये हैं, उन पर भी मैंने विचार किया था श्रीमन् और यह सही है कि जल ही जीवन है और जल के बिना सब सूना है। मान्यवर, जैसा कि आपने कहा कि हमारी सरकार ने दवा, पढ़ाई और सिंचाई मुफ्त की है। मान्यवर, इस आयोग के बन जाने से भारत सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग एक हजार करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हो सकेगा, जिससे प्रदेश की विभिन्न नहर प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण आदि के कार्य कराये जा सकेंगें जिससे जनता को सींच का पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सकेगा। मान्यवर, इस आयोग का गठन हो जाने पर इस वित्तीय वर्ष के बाद भी चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदेश सरकार को भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होता रहेगा। मान्यवर, इससे नहरों का सुदृढ़ीकरण होगा और सफाई कार्य बढ़ेगा। मान्यवर, वैसे मैंने अभी भी पानी को बढ़ाया है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं पड़ी है। उत्पादन भी बहुत बढ़ा है। मान्यवर, उत्पादन में उत्तर प्रदेश गेहूं में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबसे आगे है और धान में भी सबसे आगे है। इस तरीके से उत्पादन भी बहुत बढ़ा है। हमने इसमें यह व्यवस्था की है कि यह आयोग राज्य सरकार के ऊपर नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद-166 के अन्तर्गत बनाई गयी कार्य-संचालन नियमावली तथा कार्य बटवारा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्य सरकार के विभागों में ही निहित होती हैं। इसलिए यह प्राविधान किया गया है कि यह आयोग विभाग के ऊपर नहीं होना चाहिए, यह आयोग अपने सुझाव हमें दे। श्रीमन् चार साल पहले यह बना था लेकिन उसमें कोई सुझाव नहीं मिले थे, कोई काम भी उसने नहीं किया था। जब कोई काम भी नहीं किया गया है, तो इसमें संशोधन की बात आई। इसी बात को लेकर, हम इस आयोग के गठन की बात को लेकर यह विधेयक लाये हैं। प्रमुख सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे, जिनका कम से कम पच्चीस साल का अनुभव होगा, और भी इसमें अनुभवी सदस्य होंगे। मान्यवर, इसमें हमने आयोग के अध्यक्ष व सदस्य बने रहने की अधिकतम आयु-सीमा जो सत्तर वर्ष की थी उसे घटाकर पैंसठ वर्ष किया है। मान्यवर, जब अनुभवी लोग इसमें काम करेंगें और अच्छे सुझाव देंगे तो उससे काम आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि पुराने अनुभवी चार-छह लोग इसमें आयें और अच्छे सुझाव दें ताकि उत्तर प्रदेश में पानी की कमी न पड़े। लोगों को शुद्ध पानी मिले चाहे वह घरेलू उपयोग के लिए हो, सिंचाई के उपयोग के लिए हो, चाहे उद्योंगों के उपयोग के लिए हो, सस्ते दामों पर पानी मिले और जितना चाहें पानी मिले। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी पानी की कमी नहीं है। बुन्देलखण्ड में भी पानी की कमी नहीं है। जो कमी थी उसको मैने इस दो साल के समय में पूरा करने का काम किया है और भी हम करने जा रहे हैं। मैंने उस पर विचार भी किया है, आश्वासन भी दिया है और मैंने निर्देश भी दिये हैं, कि जो भी फैक्ट्रियां हैं उनका जो गन्दा पानी है उसके प्रवाह को रोका जाय। दिल्ली के गन्दे नाले हैं, हरिद्वार में दो गन्दे नाले का पानी गंगा में आ रहा है उस पर मैंने गम्भीरता से विचार किया है। मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा, भरपूर पानी मिलेगा और जो भी नियामक आयोग आयेगा वह हमें अच्छे सुझाव देगा। जो भी अच्छे सुझाव होंगें उस पर भी हम अमल करेंगे। अगर फिर भी इसमें कहीं कोई कमी रह जायेगी, तो फिर हम विधान सभा में आ जायेंगे। अगर अच्छे लोग जनता चुनेगी, जनता को पूरा अधिकार है, कि अच्छे लोगों को चुने, अच्छे लोग विधान सभा में भी आयें और अच्छे लोग इस नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बनें। वह ईमानदान भी हों, अच्छे लोग हों, अनुभवी लोग हों, इसी भावना को लेकर हम इस विधेयक को लेकर आये हैं। मेरा अनुरोध है डॉ0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी से कि वह अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस लें और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करने का मार्ग प्रशस्त करें। मान्यवर, मैं तो इनके हित की बात कर रहा था अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो इनकी समस्या है। हर राजनैतिक दल को अधिकार है अपनी नीतियों को तय करना और उन नीतियों को लागू करना इसी को लोकतंत्र कहते हैं इसी के आधार पर आप जनता के बीच में जाते हैं। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं बिजली की दरों को लेकर के जितना आक्रोश है आप बहुत साफ बहाना करके बच जाते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेशन कमीशन कर रहा है हमारी नहीं सुनता। पानी की दर के बारे में आप कह नहीं पायेंगे समय के पहले मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं तीन साल अभी आपको काम करना है तीन साल में सब सामने आने लगेगा। दूसरी चीज इसका अध्यक्ष प्रमुख सचिव नहीं होता है। जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें प्रमुख सचिव के अध्यक्ष बनाने का कोई प्राविधान नहीं है। सेवानिवृत्त मुख्य सचिव चयन समिति के द्वारा चयनित हो सकता है या भारत सरकार का कोई सचिव स्तर का अधिकारी चयनित हो सकता है

और तीसरी चीज सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी केन्द्र सरकार से एक हजार करोड़ रुपया आ रहा है जो इस सरकार को चाहिए, क्यों चाहिए किसलिए चाहिए यह जानें। इस प्रदेश में 74000 कि0मी0 नहरें बन चुकी हैं उन नहरों को हमने ठीक से बनाया होता उनकी मेन्टीनेंस की होती तो हमें इतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ती जैसे आप पानी की कमीं की बात कर रहे हैं वैसे मैं कहता हूं पैसे की कमीं समस्या नहीं है। पैसे का इमानदारी से उपयोग न होना सबसे बड़ी समस्या है। अब हजार करोड़ की लालच आप अगर किसानों से उनके एक एक बूंद का दाम वसूलना चाहते हैं तो आप लोकतंत्र में जीते हैं आपके पास संख्या है आप इस विधेयक को पारित करा लें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, फ्री दे रहे हैं और दिया है सस्ता दिया है, फ्री दिया है, माफ किया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

आयोग आपको जो दर कहेगा उस दर को आपको लेना पड़ेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उद्बोधन में, अपने भाषण में कहा है कि हमारा प्रयास होगा कि न्यूनतम दर उसकी तय करें यही कहा है न मान्यवर। कम से कम दर उसकी तय करे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फ्री है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि न्यूनतम दर तय करे यही दोनों बाते है। चलो कुछ न कुछ तो आप लगायेंगे। अभी जो सुझाव आयेंगे तब आप न्यूनतम तय करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम फ्री में पानी देंगे दूसरी तरफ आप उनको अधिकार दे देंगे कि उसका न्यूनतम मूल्य तय करेंगे, सुझाव आने पर न्यूनतम मूल्य, मैं मानता हूं कि आप उसका न्यूनतम मूल्य तय करेंगे। न्यूनतम मूल्य एक विषय हो गया।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

नहीं, न्यूनतम मूल्य नहीं है, अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम मूल्य का प्राविधान नहीं है लागत का प्राविधान है कि किसी योजना को बनाने में कितनी लागत हुई उस लागत को हमें बेनिफिट के रेशियो में निकाल करके उसको वसूल लेना है। कहीं न्यूनतम स्यूनतम का सवाल नहीं है। नो प्राफिट नो लास का मामला है। यह आप तय करिये आपका अधिकार है, राजनैतिक निर्णय है यह तो आप जनता से एक एक बूंद का दाम वसूलिये। आपको अधिकार है भगवान आपको और ताकत दे ऐसी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-23 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग विधेयक, 2014

राज्य के भीतर कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजनों के लिये राज्य जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु टैरिफ को संस्तुत एवं विनियमित करने एवं लाभान्वित भू-स्वामियों से बाढ़ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकर की दर का उद्ग्रहण करने के लिये राज्य को नीति तैयार करने एवं जल संसाधन के निष्पादन में सहयोग प्रदान करने तथा विवेकपूर्ण, साम्यपूर्ण और पोषणीय प्रबंधन, राज्य के पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग की स्थापना और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।

(4) इस अधिनियम के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 या उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अन्य विधि, जिसके अन्तर्गत भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित किसी प्रविष्टि के अधीन अधिनियमित केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्ध भी हैं, में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, लागू होंगे।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(एक) ''कार्यक्षेत्र'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से है जिसमें जल का प्रबंधन और उसका संभरण सार्वजनिक या निजी अभिकरण द्वारा प्रयोग करने वाले विभिन्न खण्डों को किया जाता हो या ऐसे क्षेत्र से है जो बाढ़ संरक्षण और जल-निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित होता हो;

(दो) ''कछार'' का तात्पर्य किसी नदी के इर्द-गिर्द के ऐसे भू-क्षेत्र से है जिससे धारायें उसमें प्रवाहित होती हैं;

(तीन) ''थोक जल हकदारी'' का तात्पर्य किसी परियोजना, नदी प्रणाली या भण्डारण सुविधा द्वारा उत्पादित जल संसाधन की, हकदारी प्रदान करने वाले आदेश में यथाउपबंधित किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिये, हिस्सेदारी हेतु आयोग द्वारा किये गये मात्रात्मक प्राधिकार से है;

(चार) ''उपयोग की श्रेणी'' का तात्पर्य विभिन्न प्रयोजनों यथा पेय और घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक, सिंचाई, विद्युत, कृषि और पर्यावरण संबंधी प्रयोजन आदि और उसके अंतर्गत यथाविहित अन्य प्रयोजन भी हैं, के लिये जल उपयोग के वर्णीकरण से है;

(पाँच) ''उपकर'' का तात्पर्य बाढ़ संरक्षण और जल-निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर ऐसी भूमि के स्वामी/पट्टाधारियों से प्रभारित की जाने वाली धनराशि से है;

(छः) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;

(सात) ''आयोग'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग से है;

(आठ) ''हकदारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये जल के उपयोग हेतु आयोग द्वारा किये गये प्राधिकार से है;

नौ) ''भूजल'' का तात्पर्य ऐसे जल से है, जो किसी विशिष्ट स्थान पर, ऐसे भू-वैज्ञानिक संरचना को छोड़कर जिसमें जल स्थिर या गतिमान हो, जिसके अंतर्गत भू–जल के जलाशय भी हैं, भू–तल के नीचे किसी जलकुण्ड में विद्यमान रहता हो;

(दस) ''भू-गर्भजल हकदारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार सम्यक् एवं विधिक रूप से अनुज्ञाप्राप्त, पंजीकृत और निर्मित किसी नलकूप, बोरिंग कूप या अन्य कूप से या भू-गर्भजल निकालने के किसी अन्य साधन द्वारा, मैदानों और कुओं से निकाले जाने वाले जल की आयतनिक मात्रा के लिए व्यक्तिगत या थोक जल हकदारी से है;

(ग्यारह)''व्यक्तिगत जल हकदारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट थोक जल हकदारी से भिन्न जल के प्रयोग के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी प्राधिकार से है;

(बारह) ''एकीकृत राज्य जल योजना'' का तात्पर्य सतही और भू–जल दोनों के प्रयोग के लिये राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित जल योजना से है;

(तेरह) ''लाइसेंस'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रूप से प्रदान किये गये लाइसेंस से है;

(चौदह) ''लाइसेंसधारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/संगठन से है जो जल संभरण प्रणाली का अनुरक्षण करता हो, जल का संभरण करता हो और जल टैरिफ एकत्रित करता हो या जो नलकूप/डीजल पंपिंग सेट का स्वामी हो या किसी प्रयोजन के लिये, जिसके अंतर्गत भू-गर्भ जल के दोहन द्वारा यथाविहित घरेलू उपयोग नहीं है, भू-गर्भजल का उपयोग करता हो;

(पन्द्रह) ''सदस्य'' का तात्पर्य आयोग के किसी सदस्य से है;

(सोलह) ''अधिसूचित क्षेत्र'' का तात्पर्य अत्यधिक दोहित या संकटपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत आने वाली इकाई/विकास खण्ड से है, जैसा कि राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश भू–गर्भ जल विभाग द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाय;

(सत्रह) ''विहित प्राधिकारी'' का तात्पर्य जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली के भीतर विभिन्न स्तरों पर किसी ऐसे प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध जल का कोटा या उसकी मात्रा का उपयोग राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत हकदारी के आवंटित प्रतिशत के रूप में वार्षिक या मौसम के आधार पर करने हेतु अवधारित या घोषित करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;

(अठ्ारह)''परियोजना स्तरीय इकाई'' का तात्पर्य किसी जल संसाधन परियोजना के अंतर्गत किसी सामान्य संभरण स्रोत से समस्त जल उपभोक्ता इकाइयों के किसी समूह से है;

(उन्नीस)''कोटा'' का तात्पर्य किसी हकदारी धारक को उपलब्ध कराये गये जल की ऐसी आयतनिक मात्रा से है जिसे वार्षिक या मौसम के आधार पर आवंटन प्रतिशत द्वारा हकदारी में गुणा करके प्राप्त किया जाता है;

(बीस) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों से है;

(इक्कीस)''चयन समिति'' का तात्पर्य अध्याय–दो की धारा 6 के अधीन गठित चयन समिति से है;

(बाईस) ''सीवर व्यवस्था'' का तात्पर्य किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उच्छिष्ट जल, व्यर्थ द्रव्य पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने से है;

(तेईस)''राज्य जल नीति'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित राज्य जल नीति, 1999 से है;

(चौबीस)''स्वारा'' और ''स्वारडैक'' का तात्पर्य क्रमशः राज्य जल संसाधन अभिकरण और राज्य जल संसाधन आँकड़ा और विश्लेषण केन्द्र से है जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् आयोग के प्राविधिक सलाहकार के रूप में कार्य करेगा;

(पच्चीस)''टैरिफ'' का तात्पर्य जल संभरण उपलब्ध कराने हेतु लागू विनिर्दिष्ट प्रभार या प्रभारों के वर्ग से है;

(छब्बीस)''उपयोगकर्ता'' का तात्पर्य किसी जल प्रयोक्ता इकाई यथा अभिकरण, कंपनी, व्यक्ति, निदेशक आदि से है जो जल के प्रबन्धन, शोधन और कृषि, बागवानी, घरेलू, उद्योगों, नगरपालिका/ग्रामीण जल संभरण को वितरण करने के लिए या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रयोजन के लिये उत्तरदायी हो;

(सत्ताईस)''भू-गर्भ जल प्रयोक्ता'' का तात्पर्य व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर, घरेलू उपयोग को छोड़कर, किसी प्रयोजन के लिये भू–जल का स्वामित्व रखने या उपयोग करने वाली किसी कंपनी या अधिष्ठान, चाहे वह सरकारी हो या निजी, सहित किसी संस्था के व्यक्ति या व्यक्तियों से है;

(अट्ठाईस)''जल'' का तात्पर्य नदियों में या किसी नदी के किसी भाग में, धारा, झील, जलभ्रत या प्राकृतिक जल-निकास की नहर में जल के प्राकृतिक संचयन से, मल और औद्योगिक उच्छिष्ट आदि के शोधन के पश्चात् पुनः चक्रित जल अर्थात् जल संभरण और सीवर-व्यवस्था, सिंचाई और नहरों, जल-निकास और तटबंधों, जल संग्रहण और जल विद्युत से प्राप्त होने वाले जल या जलीय चक्र के अंतर्गत संग्रहीत या प्रवाहित सभी प्रकार के (ठोस, द्रव या वाष्प) ऐसे जल से है जो जीवन के पोषणीय गुणवत्ता या पोषणीय प्राकृतिक पर्यावरण के लिये आवश्यक है;

(उनतीस)''जल प्रयोक्ता इकाई'' का तात्पर्य जल प्रयोक्ता संघ, उपयोगकर्ता, औद्योगिक जल प्रयोक्ता संघ या किसी अन्य समूह या व्यक्ति सहित किसी ऐसी जल प्रयोक्ता इकाई से है जो जल हकदारी को प्राप्त करने एवं उसका उपयोग करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत की गयी हो;

(तीस) ''जल उपलब्धता'' का तात्पर्य किसी अवधि, या मौसम या वर्ष, के लिये प्रयोग हेतु सतही या भू–जल जो पुनःभरण योग्य है, की उपलब्धता से है;

(इक्तीस)''जल गुणवत्ता'' का तात्पर्य ऐसे सुलभ जल से है जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदण्डों या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपभोग व उस प्रयोजन, जिसके लिये उसका संभरण किया जाता है, के लिये सुरक्षित है।

अध्याय–दो

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

3–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर अधिसूचना द्वारा एक आयोग की स्थापना करेगी जिसे उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेषित कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा।

(3) आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(4) आयोग में एक अध्यक्ष और पाँच से अनधिक संख्या के सदस्य होंगे।

(5) अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति धारा 6 में निर्दिष्ट चयन समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता

4–(1) केवल ऐसे ही व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा जो नीचे उल्लिखित अर्हताएं रखता होः–

(क) **अध्यक्ष** :–

अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास न्यूनतम 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान की स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल संसाधन से संबंधित विभागों का अनुभव रखता हो।

(ख) **सदस्यगणः**–

(एक) एक सदस्य जल संसाधन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो और सिंचाई/ जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष की सेवा का अनुभव रखता हो और मुख्य अभियंता या उसके समकक्ष किसी पद पर कार्य किया हो।

(दो) एक सदस्य जल संसाधन अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो या वित्त/एकाउण्टेंसी में एम0बी0ए0 हो। उसको किसी प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थान में आचार्य के रूप में या कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 4–क के अधीन विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अर्थान्तर्गत किसी अनुसूचित बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य करने के साथ कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिये या उसकी वित्त, विनियम, टैरिफ संरचना आदि से संबंधित सारभूत व्यावसायिक पृष्ठभूमि अवश्य होनी चाहिये।

(तीन) एक सदस्य पेयजल और उच्छिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल/सार्वजनिक स्वास्थ्य/ पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो। उसको नगरीय/ ग्रामीण जल संभरण/जल निकास/सीवर व्यवस्था और उच्छिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये और उसने जल संभरण के लिए भू–जल विकास और वृहद जल शोधन संयंत्र में विशिष्ट अनुभव रखने के साथ मुख्य अभियंता के रूप में या उसके समकक्ष पद पर सेवा की हो।

(चार) एक सदस्य कृषि/भू-प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो। उसको कृषि/उद्योग/अध्यापन/अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये।

(पाँच) एक सदस्य नलकूप/पम्प नहर/भू-गर्भ जल अनुसंधान एवं अध्ययन/वर्षा जल संचयन एवं सम्बन्धित महत्वपूर्ण यांत्रिक/लघु सिंचाई कार्यों के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक/भू–गर्भ शास्त्र या भू-भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि रखता हो और कम से कम 20 वर्ष की सेवा का अनुभव रखता हो एवं मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता या उसके समकक्ष किसी पद पर कार्य किया हो।

(2) आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा/करेगी।

(3) अध्यक्ष आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(4) जहाँ अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, त्याग–पत्र के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो या जहाँ अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया हो, वहाँ राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से नाम–निर्दिष्ट कोई सदस्य, और ऐसे नाम–निर्देशन के अभाव में या जहाँ कोई अध्यक्ष न हों, वहाँ विद्यमान सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

अध्यक्ष या सदस्य होने के लिये अनर्हता

5–कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह हो जायेगा, यदि वह,–

(क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो; या

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया हो; या

(ग) नैतिक अक्षमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो और कारावास की सजा से दण्डित किया गया हो; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ड.) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(च) संसद या किसी राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय आयोग का आसीन/भूतपूर्व सदस्य हो या उसके निर्वाचन के लिये प्रत्याशी हो; या

(छ) किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य हो या उसमें कोई पद धारण किया हो।

चयन समिति का गठन और कृत्य

6–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगी। समिति में निम्नलिखित होंगेः–

(क)	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	–पदेन अध्यक्ष
(ख)	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार	–पदेन सदस्य
(ग)	औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार	–पदेन सदस्य
(घ)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	–पदेन सदस्य
(ड.)	प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	–पदेन सदस्य
(च)	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	–पदेन सदस्य
(छ)	प्रमुख सचिव, भूगर्भ जल एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	–पदेन सदस्य
(ज)	प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	–पदेन सदस्य सचिव

(झ) अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित कोई स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ अथवा विशेषज्ञों जो सदस्य/सदस्यों के अपेक्षित विशेषज्ञता से सम्बन्धित हों।

(2) राज्य सरकार मृत्यु, त्याग–पत्र या हटाये जाने के कारण कोई रिक्ति होने के दिनांक से एक माह के भीतर और अध्यक्ष या सदस्य की अधिवर्षिता या उसके कार्यकाल की समाप्ति से छः माह पूर्व रिक्ति को भरने के लिये चयन समिति को निर्देश देगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय चयन समिति को यथास्थिति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में चयनित किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति के कार्यनिष्पादन, अभिलेख, योग्यता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, अर्हताओं और अनुभव पर समुचित रूप से ध्यान देना होगा।

(4) चयन समिति निर्देश दिये जाने के दिनांक से दो माह के भीतर सदस्यों के चयन को अंतिम रूप देगी।

(5) चयन समिति उसे निर्देशित की गयी प्रत्येक रिक्ति के लिये दो नामों के पैनल की संस्तुति करेगी।

(6) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिये विचार किया जाय, चयन समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचित करेगाः–

(क) निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय को कर रहे किसी कार्यालय, नियोजन या परामर्शदात्री अनुबंध या व्यवस्था की जो उस व्यक्ति या उसके नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या अन्यथा नियंत्रण में किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमित निकाय के नाम/माध्यम से करता होः

(एक) सतही जल अपयोजन, जल वितरण, भू–जल का निकाला जाना या जल संभरण;

(दो) जल उद्योग से संबंधित मशीनरी, संयत्र, उपस्कर, उपकरण या साज सज्जों का विनिर्माण, विक्रय, पट्टा, भाड़ा या उनकी आपूर्ति या उनका संव्यवहार;

(तीन) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी कारबार के लिये कोई व्यावसायिक सेवायें उपलब्ध कराने वाली कोई इकाई।

(ख) ऐसे अन्य विवरण और सूचना जैसाकि चयन समिति द्वारा विहित किया जाय।

(7) उप धारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त विवरण को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्ति के चयन और उसकी संस्तुति के समय चयन समिति के विचारार्थ रखा जायेगा।

(8) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने के पूर्व अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में उपधारा (6) में उल्लिखित कारबार में रूचि से स्वयं को निर्निहित रखेगा।

(9) यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला कोई व्यक्ति राज्य या केन्द्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद धारण करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्यथा द्वारा लाभपूर्वक सेवा में नियोजित किया गया या लगाया गया हो तो वह आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस सेवा से अपना त्याग–पत्र प्रस्तुत कर देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेगा।

(10) जब तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारण करता है और किसी भी कारण, जो भी हो, से अध्यक्ष या सदस्य से उसके प्रविरत हो जाने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि तक वह उपधारा (6) में उल्लिखित किसी कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई पद, नियोजन या परामर्शदात्री व्यवस्था या कोई वित्तीय हित प्राप्त, धारण या अनुरक्षित नहीं करेगा और यदि वह अनैच्छिक रूप में या उत्तराधिकार या वसीयती व्ययन स्वरूप ऐसा कोई हित प्राप्त करता है तो वह ऐसा हित प्राप्त किये जाने के तीन माह की अवधि के भीतर उस हित से स्वयं को निर्निहित कर लेगा।

(11) किसी व्यक्ति को संस्तुत करने के पूर्व चयन समिति स्वयं का समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति के पास उपधारा (6) में यथानिर्दिष्ट ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।

(12) चयन समिति के समस्त विनिश्चय बहुमत द्वारा होंगे।

(13) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसीकि विहित की जाय।

(14) अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति, चयन समिति में केवल किसी प्रकार की रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

7–(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य को लगातार दो से अनधिक अवधि के लिये पुनर्नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष या कोई सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को एक माह की लिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकता है या उसे धारा–8 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है।

(3) अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष और प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष के समक्ष ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) अध्यक्ष या सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन एवं सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसीकि विहित की जाय।

(5) अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों में, नियुक्ति के पश्चात, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे।

(6) इस रूप में पद धारण से प्रविरत होनेवाला अध्यक्ष या कोई सदस्य;–

(क) राज्य सरकार के अधीन अग्रतर नियोजन के लिये राज्य सरकार की अनुज्ञा के सिवाय उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये पात्र नहीं होगा जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है।

(ख) उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये किसी वाणिज्यिक नियोजन को स्वीकार नहीं करेगा जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है; और

(ग) आयोग के समक्ष किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण :–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ–

(एक) ''राज्य सरकार के अधीन नियोजन'' में किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य आयोग के अधीन या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित किसी निगम या समिति के अधीन नियोजन सम्मिलित है।

(दो) ''वाणिज्यिक नियोजन'' का तात्पर्य जल संसाधन से संबंधित उद्योग में वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में संलग्न किसी व्यक्ति के अधीन या उसके अभिकरण में किसी हैसियत से नियोजन से है और उसमें किसी कम्पनी का निदेशक या किसी फर्म का साझीदार भी सम्मिलित है और इसमें, या तो स्वतंत्र रूप में या किसी फर्म के साझीदार के रूप में या किसी सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में संव्यवहार स्थापित किया जाना भी सम्मिलित है।

समिति का गठन और कृत्य

अध्यक्ष या किसी सदस्य का हटाया जाना

8–(1) इस प्रयोजनार्थ उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से राज्य सरकार द्वारा सचिव स्तर के अधिकारियों को दिये गये निर्देश पर राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष अधिकारियों से नियुक्त तीन जांच अधिकारियों के पैनल द्वारा की गयी जांच के आधार पर सूचित किये जाने के पश्चात, कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किसी आधार पर और विपक्ष के नेता के परामर्श से सूचित किए जाने के पश्चात कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिये, प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही राज्य सरकार द्वारा उसके पद से हटाया जायेगा :

परन्तु यह कि ऐसे जांच रिपोर्ट और मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित पैनल, जिनके अन्य सदस्य सिंचाई मंत्री एवं विपक्ष के नेता होंगें, की संस्तुति पर अध्यक्ष या किसी सदस्य को उनके पद से हटाया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि उसने धारा 5 में उल्लिखित किसी अनर्हता को प्राप्त किया हो।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी अध्यक्ष या किसी सदस्य को धारा 5 के खण्ड (ख), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से उपधारा (1) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार हटाया जायेगा।

(4) राज्य सरकार यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के अनुसार समुचित आदेश पारित करेगी और राज्य सरकार के अन्तिम विनिश्चय की सूचना, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष या संबंधित सदस्य को दी जायेगी।

आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने की राज्य सरकार की शक्ति

9–(1) आयोग, अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन ऐसे कर्तव्यों, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, को करने एवं उनका निष्पादन करने के लिये एक सचिव, जो राज्य सरकार के अधीक्षण अभियन्ता (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त)स्तर से नीचे का न हो एवं जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की सिविल/यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि रखता हो और जिसे जल प्रक्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, को नियुक्त कर सकता है।

(2) आयोग राज्य जल संसाधन अभिकरण/ राज्य जल संसाधन डाटा एवं विश्लेषण केन्द्र से आवश्यक आदान प्राप्त करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपने कार्यों के अतिरिक्त आयोग हेतु तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जैसा कि वह अपने कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे।

(3) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसीकि विनियमों द्वारा विहित की जांय।

(4) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की निबंधन एवं सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व उनके लिये लागू निबंधन एवं सेवा शर्तों से कम लाभकारी नहीं होंगी और वे उनके लिये अलाभकारी नहीं होंगी।

(5) राज्य सरकार आयोग द्वारा इस संबंध में किये गये प्रस्ताव के आधार पर आयोग में प्रतिनियुक्ति पर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करेगी।

(6) आयोग में किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की होगी सिवाय इसके कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे आधारों यथा पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, पदच्युति या अधिवर्षिता पर या प्रतिनियुक्ति के किसी अन्य कारण से संप्रत्यावर्तित किया जाना अपेक्षित हो तो वह राज्य सरकार के अधीन सेवा से संप्रत्यावर्तित रहेगा :

परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन, अवकाश भत्तों, सेवानिवृत्ति पेंशन, भविष्य निर्वाह निधि और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित समस्त मामलों का विनियमन, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा नियमावली या ऐसी अन्य नियमावली, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनायी जाय, द्वारा किया जायेगा।

(7) आयोग, अपने कृत्यों के निर्वहन के निमित्त आयोग की सहायता करने के लिये अपेक्षित परामर्शदाताओं को ऐसे निबंधन और शर्तों पर जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय, नियुक्त कर सकता है।

आयोग की कार्यवाहियाँ

10–(1) आयोग राज्य के भीतर ऐसे समय और स्थान पर, जैसाकि अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा और अपनी बैठकों में (अपनी बैठकों की गणपूर्ति सहित) कारबार को संव्यवहृत करने में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का संप्रेक्षण करेगा जैसाकि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय।

(2) अध्यक्ष या यदि वह आयोग की बैठक में सम्मिलित होने में असमर्थ हो तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में या जहां कोई अध्यक्ष न हो वहां उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वयं के मध्य से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे समस्त मामलों, जो आयोग के समक्ष आते हैं, पर विनिश्चय, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों के समान होने की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास द्वितीय या निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।

(4) आयोग के समस्त विनिश्चय, निदेश और आदेश तर्कसंगत आधार पर लिखित में होंगे और किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षणार्थ उपलब्ध होंगे और उनकी प्रतियां भी ऐसी रीति से उपलब्ध करायी जाएंगी जैसीकि आयोग अवधारित करे।

(5) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

(6) आयोग के समस्त आदेशों और विनिश्चयों को सचिव या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

रिक्तियां आदि कार्य या कार्यवाही को विधिमान्य नहीं करेगी

11–आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी या उसको अविधिमान्य नहीं किया जायेगा कि कोई रिक्ति विद्यमान थी या आयोग के गठन में कोई त्रुटि थी।

आयोग की शक्तियाँ एवं कृत्य

अध्याय–तीन

आयोग की शक्तियॉ, कृत्य और कर्त्तव्य

12–आयोग निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात :–

(क) घरेलू, कृषि, औद्योगिक एवं अन्य प्रयोजन के लिए सतही जल एवं उप–सतही जल के उपयोग के लिए टैरिफ प्रणाली और प्रभारों को नियत करना और उन्हें विनियमित करना;

(ख) विभिन्न श्रेणी के उपयोग के लिए और प्रत्येक श्रेणी के उपयोग के अन्तर्गत हकदारी के संवितरण को अवधारित करना और उन्हें विनियमित करना;

(ग) समय-समय पर टैरिफ/ जल प्रभारों का पुनर्विलोकन करना एवं उनकी अनुश्रवण करना;

(घ) नयी परियोजनाओं के अधीन कार्यान्वित किये गये बाढ़ संरक्षण और जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भू–स्वामी से प्रभारित किये जाने वाले उपकर की दर को अवधारित करना;

(ङ) समय-समय पर यथा संशोधित राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अंतर्गत जल संसाधनों के सम्पोषणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य जल संसाधन अभिकरण द्वारा विकसित किये गये एकीकृत राज्य जल योजना/नदी कछार योजनाओं के लिए राज्य सरकार को सलाह देना;

(च) राज्य जल नीति के अनुसार विभिन्न सेक्टर सम्बन्धी जल आवश्यकता के लिए जल के हकदारी के आवंटन एवं वितरण को अवधारित करना;

(छ) संबंधित इकाई द्वारा नदी कछार/उप–कछार स्तर पर प्रस्तावित नई जल संसाधन परियोजनाओं का पुनर्विलोकन करना और उन्हें यह सुनिश्चित करते हुये स्वीकृति प्रदान करना कि प्रस्ताव, विशेष रूप से प्रत्येक इकाई के जल आवंटन के संबंधन में, एकीकृत राज्य जल योजना के अनुरूप है अर्थात आर्थिक रूप से, जल भू–गर्भ विज्ञान की दृष्टि से और पर्यावरणीय रूप से जीवनक्षम है;

(ज) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मात्रा और उपयोग के प्रकार दोनों में वास्तविक जल उपयोग, हकदारियों के अनुपालन में है, जल उपयोग की हकदारियों की प्रवर्तन, अनुश्रवण और माप प्रणाली स्थापित करना;

(झ) पर्यावरण के संरक्षण का अनुश्रवण करना और स्थापित मानदण्डों तथा मानकों के अनुसार सतही और भू–जल संसाधनों की गुणवत्ता की संरक्षा और सुरक्षा के लिये रूपरेखा के विकास को सुगम बनाना;

(ञ) जल के अपव्यय को न्यूनीकृत करने के लिये जल और अपशिष्ट जल क्षेत्र के क्रियाकलापों में स्पर्द्धा, कार्यक्षमता और मितव्ययिता को बढ़ावा देना;

(ट) उत्तम जल प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देना;

(ठ) भू–गर्भजल पुनर्भरण में वृद्धि करने के लिये वर्षा जल संचयन को प्रवर्तित करना;

(ड) किसी उपयुक्त अभिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी विनिश्चयों या आदेशों को प्रवर्तित करना या इस प्रयोजन के लिये किसी विद्यमान अभिकरण को सशक्त करना;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किसी मामले में राज्य सरकार की सहायता करना और उसे परामर्श देना।

उपरोक्त (घ) से (ढ) तक की शक्तियां और कृत्य संस्तुति/सलाह के रूप में रहेंगी एवं राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् कियान्वित होंगी।

आयोग की सामान्य नीतियाँ

13–(1) आयोग, राज्य जल नीति की रूपरेखा के अंतर्गत कार्य करेगा;

(2) आयोग राज्य में कार्यदायी अभिकरणों के माध्यम से राज्य जल नीति के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में ठोस जल संरक्षण एवं प्रबंधन रीतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को परामर्श देगा;

(3) आयोग, सुसंगत राज्य अभिकरणों के पूर्ण समन्वय से राज्य के भीतर जल गुणवत्ता में वृद्धि और उसके संरक्षण के निमित्त सहायता एवं अनुदान प्रदान करेगा।

निर्देश जारी करने की शक्ति

14–राज्य सरकार समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अध्यादेश से असंगत न हों।

जल सम्भरण और समग्र निष्पादन का मानक

15–आयोग, समय–समय पर राज्य सरकार के निर्देश पर निम्न पर सलाह दे सकता है–

(क) जल सम्भरण सेवा और उपभोक्ताओं द्वारा जल के कुशल प्रयोग के संवर्धन के संबंध में समग्र निष्पादन के ऐसे मानकों का अवधारण कर सकता है जो उसकी राय में मितव्ययितापूर्ण हो और ऐसे लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त किया जा सके और भिन्न–भिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा भिन्न–भिन्न मानक अवधारित किये जा सकते हैं; और

(ख) इस प्रकार अवधारित मानकों को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से प्रकाशित कर सकता है जैसा आयोग उचित समझे।

सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध

16–(1) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी व्यक्ति या कारबार के संबंध में कोई सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग को उपलब्ध करायी गयी है या उसे प्राप्त हुई है, वर्गीकृत के रूप में समझी जायेगी और उसे आयोग द्वारा संबंधित व्यक्ति या कारबार के प्रभारी व्यक्ति की सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसी सूचना को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य के महालेखाकार को या ऐसे व्यक्ति को जिसे कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध उसकी आवश्यकता हो, प्रकट किया जा सकता है।

(2) उपधारा(1) के अन्तर्विष्ट प्रतिबंध टैरिफ से संबंधित सूचना पर लागू नहीं होगा।

(3) आयोग के पास उपलब्ध सूचना गोपनीय रखी जायेगी और उसे किसी व्यक्ति या अभिकरण को केवल आयोग की अनुमति से ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

अध्याय–चार

लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

राज्य सरकार द्वारा आयोग को अनुदान

17–(1) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझे :

प्रतिबंध यह है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय राज्य की समेकित निधि से भारित किया जायगा।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निष्पादन के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जाएगा और आयोग के व्यय के लिये फीस भी प्रभारित कर सकता है।

लेखा और लेखा परीक्षा

18–(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा महालेखाकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, तैयार करायेगा।

(2) आयोग के लेखे की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे अन्तराल पर जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, की जाएगी और ऐसी लेखा परीक्षा से संबंधित उपगत व्यय का भुगतान आयोग द्वारा महालेखाकार को किया जाएगा।

(3) आयोग के लेखे के वार्षिक विवरण की प्रतियां लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएंगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आयोग के लेखे के वार्षिक विवरण की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित एक प्रति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

19–(1) आयोग विगत वित्तीय वर्ष में अपने कार्यकलापों का पूरा विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये तैयार करेगा और इसकी प्रतियॉ राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएंगी।

(2) राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–पॉच

प्रकीर्ण

आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक आयोग

20–आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति

21–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में सभी विषयों या निम्नलिखित में से किसी एक के संबंध में व्यवस्था हो सकती है अर्थात :–

(क) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) रीति और तरीका जिसमें आयोग के लेखे अनुरक्षित किए जाएंगे; और

(ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किए जाने की अपेक्षा हो या विहित किया जा सकता हो।

विनियम बनाने की शक्ति

22–(1) आयोग इस अध्यादेश के अधीन दक्ष निष्पादन और उसके कृत्यों के लिए विनियम बना सकता है जो इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल न हों।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था हो सकती है, अर्थात :–

(क) अपने कृत्यों के निष्पादन में आयोग के कार्यकलापों का प्रशासन;

(ख) लाइसेंस धारियों और जल के क्रय, वितरण या सम्भरण में अन्तर्ग्रस्त अन्य व्यक्तियों को सौंपे जाने वाले कृत्यों का निर्धारण, वह ढंग जिसमें ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा और जल सम्भरण प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण के संबंध में अपनाई और लागू की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) लाइसेंस स्वीकृत करने की प्रक्रिया और शर्तें, लाइसेंस के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले विवरण और दस्तावेज, मानक और सामान्य शर्तें जिनके अधीन लाइसेंस स्वीकृत किया जाएगा, लाइसेंस की अपेक्षा से छूट की स्वीकृति, लाइसेंसों का विखण्डन और संशोधन और उनका प्रभाव और उससे संबंधित सभी विषय;

(घ) लाइसेंसधारियों के कर्त्तव्य, शक्तियाँ अधिकार और दायित्व;

(ङ) उन व्यक्तियों द्वारा जो जल वितरण और जल संभरण या उसके प्रयोग में अन्तर्ग्रस्त हों, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और सूचना, विवरण, दस्तावेज, लेखे और बहियां, प्रस्तुत करने की रीति और तरीका;

(च) राजस्व और टैरिफों के निर्धारण की निबंधन और शर्तें और प्रक्रिया;

(छ) राज्य में जल वितरण या सम्भरण में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के कार्य निष्पादन के मानकों का निर्धारण;

(ज) लाइसेंसधारी और जल उपभोक्ता द्वारा देय फीस और प्रभार;

(झ) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड और शास्ति की धनराशि जिसमें अर्थदण्ड और शास्तियों के अधिरोपण की रीति और तरीका और उसके संग्रह का ढंग सम्मिलित है;

(ञ) किसी अन्य विषय की, जिसकी विनियमों द्वारा अपेक्षा हो या हो सकती हो, व्यवस्था की जा सकती है।

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

23–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात से या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के कारण से, कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, जैसा उस स्थिति में आवश्यक हो, आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे आदेश के दिनांक के पश्चात बारह मास की अनधिक अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जाएगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-23 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शिव पाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2014 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[2.05 बजे] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव†

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब आपका 5 मिनट का समय है । आप कल बोल चुके हैं, आज आप चर्चा जारी करें ।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर कल अधूरा रह गया था, उसको कंटीन्यू करने के लिये आपने आज कहा है, मैं उसी के संदर्भ में अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मान्यवर, जहां हमने कल यह बताया था कि माननीय श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण एक मृगमरीचिका की तरह का है जो यह बताता है कि इस 107 पेज के दस्तावेज में कोई भी बात जनहित की नहीं है। मान्यवर, जहां हमने तमाम बिन्दुओं को लिया था, वहीं हम आपका ध्यान कुछ मुद्दों की ओर और ले जाना चाहेंगे। यदि आप प्रदेश की सड़कों पर जायें तो माननीय हमारे जो लोक निर्माण मंत्री हैं, उनकी चाहत तो बहुत है कि प्रदेश की सड़कें ठीक हों और ठीक बनें। लेकिन अगर आप विगत वर्ष में देखें तो कितनी कटौती लोक निर्माण विभाग के सप्लीमेंटरी बजट में की गयी है यह या तो मंत्री जी जानते हैं या इस पूरे विधान सभा में बैठे हुये सदस्य जानते हैं क्योंकि हर सदस्य को एक-एक सड़क के लिये कितना संघर्ष करना पड़ा और हर बार यह बताया गया कि इतना पैसा लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकार से मांगा गया था और उसकी दो तिहाई कटौती करके सप्लीमेंटरी बजट लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। अब बताइये यह कहां का इंसाफ है। आज स्थिति यह है कि सीधे-सीधे लग रहा है जैसा मैनें पूर्व में कहा कि एक शीत युद्ध चल रहा है और शीत युद्ध के चक्कर में पूरा प्रदेश विसंगति के दौर से गुजर रहा है। यहां पर भी शीतयुद्ध का प्रभाव सड़कों के मामले में नजर आता है और उसमें भी कटौती कर दी जाती है और जो मंत्री जी हैं, वह चाहते हुये भी सदस्यों के लिये सड़कें नहीं दे पाते और कहते हैं कि मेरे ही बजट में कटौती कर दी गयी। मान्यवर, उदार हृदय होना पड़ेगा, आज पूरे प्रदेश में सड़कों का पुरसाहाल है, चाहे वह स्टेट हाईवेज हों, चाहे वह नगरों की सड़कें हों, चाहे वह गांव को लिंक करने वाली रोड्स हों। पूरे प्रदेश में गड्ढायुक्त सड़कें हैं और स्थिति यह है कि आम जनता का चलना दुश्वार हो गया है। मान्यवर, यह दिखाता है कि यह मृगमारीचिका का सपना दिखाते हैं वहां यह हालत है।

(इस समय 2 बजकर 07 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

---

† दिनांक 24 फरवरी, 2014 की कार्यवाही से।

इसी तरह बात चाहे पर्यटन की करें। उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो पहले पर्यटन की संभावनायें थी, वह पहले जैसी नहीं रह गयी। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिये था कि वह एक विस्तृत पर्यटन योजना बनाती, उसमें पूरे प्रदेश के लिये पर्यटन नीतियों की घोषणा करती और जो एक लिमिटेड 80 से 100 करोड़ का बजट आपने पर्यटन के लिये रखा था लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिये कम से कम 300 से 500 करोड़ का बजट पिछली बार पर्यटन विभाग का लाना चाहिये था। मैं बताना चाहता हूं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय आगरा मंडल में मथुरा यमुना एक्सप्रेस हाई-वे पर एयरपोर्ट बनाना चाहता है लेकिन प्रदेश सरकार जमीन देने को राजी नहीं है, जैसा कि पर्यटन मंत्रालय कहता है। आज इनको अपनी विस्तृत रूप से आंखे खोलनी होंगी और यदि पर्यटन को बढ़ावा देना है तो छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स बनाने होंगे और जब छोटे-छोटे हवाई अड्डे बनेंगे तभी पूरे देश और विदेश से पर्यटक उत्तर प्रदेश में आयेंगे। प्रदेश में ऐसे-ऐसे स्थान हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन प्रदेश सरकार की इसमें रूचि नहीं है। आज स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार की परियोजनाओं का भी पूरा पैसा लाने में यह सरकार असक्षम है और केवल जनता से लोक लुभावने वायदे कर रही है । मान्यवर, इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणायें भी करते हैं, वह चाहे संस्कृति विभाग की घोषणायें करें या पर्यटन विभाग की घोषणायें करें, सरकारी अफसर उन घोषणाओं को भी रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने वृन्दावन में एक हजार सीटिंग कैपेसिटी के आडीटोरियम की बात करी तो प्रमुख सचिव वित्त ने उस पर अड़ंगा लगा दिया और कहा कि 500 सीटिंग कैपेसिटी का आडीटोरियम बनवाइये, मुख्यमंत्री जी तो घोषणा करते रहते हैं, उनको यह नहीं पता कि उसका संचालन कैसे होगा जब इस तरह की सोच अधिकारियों की होगी तो मुख्य मंत्री को जीरो करने की जो साजिश की जा रही है वह ब्यूरोक्रेट्स और इनके कुछ मंत्री लोग कर रहे हैं। मान्यवर, जहां तक नगर विकास मंत्री अभी नहीं हैं मंत्री जी तो सत्य हैं लेकिन जल निगम की हालत देखिये तो उनका जो तानाशाही रवैया है कोई भी जल निगम का अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। आज स्थिति यह है कि यदि आप काम की बात कीजिए तो जल निगम के अधिकारी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। उनको यह डर रहता है कि उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ससपेंड कर दिया जाएगा। मान्यवर, ऐसा डर और भय भी नहीं होना चाहिए कि अधिकारी अपना काम भी न कर पायें। मान्यवर, जहां तक शिक्षा का मामला है शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर सभी मा0 सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तो मैं तारीफ करूंगा, स्थिति यह है कि उन्होने बहुत काम किया मिड-डे-मील से लेकर स्कूलों को बनाने तक का। परन्तु आज यदि माध्यमिक और उच्च शिक्षा की बात करें तो भारी नकल हो रही है, नकल के केन्द्र खुले हैं, उसके ठेके दिये जाते हैं यहां तक कि जो वाइस चांसलर का ऑफिस होता है वह एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बन जाता है और स्थिति यह है कि प्रदेश सरकार का उन पर कोई दखल नहीं होता है। जो उच्च शिक्षा के डिग्री कॉलेजेज में प्रोफेसर होते हैं वह कुछ नहीं पढ़ाते हैं। जहां तक विश्वविद्यालय की बात करें तो वहां का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि वहां के पढ़ने वाले छात्र अंग्रेजी में एप्लीकेशन तो दूर रहा वह हिन्दी में भी एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। क्या मुंह दिखायेंगे हम, और आप बखान कर रहे हैं कि बहुत शिक्षा का ऊंचा स्तर जा रहा है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो केन्द्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं चाहे वह मनरेगा हो, चाहे

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 हो, चाहे पी0एम0जी0एस0वाई0 हो, चाहे एन0आर0एच0एम0 हो, चाहे ए0पी0डी0आर0पी0 योजना हो, सबकी धज्जियां प्रदेश में उड़ाई जाती हैं और केन्द्र सरकार की किसी भी योजना को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है उसको सरकारी ऑफीसर समझते हैं कि उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो गई है। अभी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बात हुई उन सात शहरों की हालत इतनी खराब है कि सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, सीवर लाइनें पड़ी नहीं हैं, एस0टी0पी0 प्लान्ट की कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, सीवर लाइन को जोड़ा नहीं जा रहा है तो क्या सुन्दर परिदृश्य आप इस 107 पेज की पोथी में दिखा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लोहिया ग्राम विकास योजना या जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना भी सिर्फ लालीपॉप है, दिखावा मात्र है, इसमें पूरा फण्ड भी नहीं दिया जाता है। आप रोज घोषणा करते हैं कि इन-इन गांवों को इसमें शामिल किया गया परन्तु उन पूरे गांवों को सेचुरेट करने के लिए भी पैसा नहीं दिया जाता। आपके गांव को 18 लाख रुपए दे दिये गये लोहिया ग्राम में जनेश्वर मिश्र में पैसा दे दिया गया तो वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मैं कह सकता हूं कि सरकार जो सपने दिखा रही है वह सिर्फ सपने ही हैं वास्तविकता में जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। जहां तक कानून-व्यवस्था के बारे में मैंने बोला था पर यहां तो प्रदेश में बाघिनें आ रही हैं, यह सरकार तो बाघिनों को नहीं पकड़ पा रही है तो एक आम आदमी की सुरक्षा की क्या बात हो सकती है। कितनी चिन्ता का विषय है कि इंसान का तो खौफ है ही उसके बाद बाघिनों के खौफ से पूरा प्रदेश चिन्तित है तो आप समझ सकते हैं कि यह सरकार इंसानों को तो कन्ट्रोल नहीं कर पा रही है तो यह सरकार जानवरों को कैसे कन्ट्रोल कर पायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि खेल विभाग का मामला, उत्तर प्रदेश के अधिकतर खेल स्टेडियमों पर भैंसें चर रही हैं, खेल नीति शून्य है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। कहां हम बात करते हैं खेल को बढ़ाने की, मेडल लाने की परन्तु जब तक आप ज्वाइनबेंचर नहीं करेंगे देश और विदेश की बड़ी-बड़ी एसोसिएशन से तब तक यह खेल के मैदान, खेल के मैदान नहीं बल्कि भैंसों के चारागाह रह जायेंगे। आप बात करते हैं चार सौ करोड़ रुपए से सैफई में एक-एक खेल स्टेडियम बनाये जाने की, स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की लेकिन होता क्या है कि सरकारें पुराने कामों को छोड़ती जाती हैं और नये कामों को पकड़ती जाती हैं। मैं यह कह सकता हूं कि सरकार को कोई चिन्ता नहीं है और महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सिर्फ बहकावा मात्र है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, इस सरकार को पूरा बजट पेश करना चाहिए था वह आपने नहीं किया और इस पुलिन्दे में आप सरकार की प्रशंसा करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि हमने यह किया, हम यह करेंगे, हम यह करने जा रहे हैं। जो उम्मीदें इस सरकार से थी उन उम्मीदों पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है और अपने तारीफ के डंके पीट रही है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मा0 नेता प्रतिपक्ष, नेता भा0ज0पा0 और नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बड़े विस्तार से प्रकाश डाला। मान्यवर, वैसे तो गन्ने के विषय में बहुत कुछ चर्चा इस सदन में हो गयी है क्योंकि गन्ना हमारे राष्ट्रीय लोकदल का मुख्य विषय है। इसलिए मैं सरकार का पुनः एक दफा ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय

लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह और चौधरी जयन्त के निर्देश पर आज चक्का जाम है, रास्ते रोक दिये गये हैं, हाहाकार मच रहा है। किसानों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इस वर्तमान सरकार में न पिछला भुगतान हुआ लगभग 5000 करोड़ रूपये का और अब आज की तारीख में पूरे 6 हजार करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। मैं चाहूंगा कि सरकार इन किसानों के बकाये का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराये। गन्ना पर काफी चर्चा हो चुकी है, मैं बता चुका हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक चीनी मिल है शारदा शुगर मिल जो बड़े घाटे में चल रही है। प्रदेश में ऐसी कई चीनी मिलें हैं जो छोटी क्षमता की हैं, अलाभकारी हैं। कई बार विधान सभा में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने सम्बन्धित अधिकारियों के सामने बात रखी है जबतक इन छोटी मिलों की क्षमता नहीं बढ़ायी जायेगी तब तक ये सभी मिलें अलाभकारी होंगी। मैं चाहता हूं कि सभी मिलों की क्षमता बढ़ायी जाए। नलकूपों के विषय में अभी सरकार कह रही थी कि हमने नहरों का पानी फ्री कर दिया, ट्यूबवेलों का पानी फ्री कर दिया। हम भी मान रहे हैं कि नहरों का पानी फ्री कर दिया, ट्यूबवेलों का पानी फ्री कर दिया। ऐसे कितने किसान हैं, जो नहरों और ट्यूबवेलों की पानी से सिंचाई करते हैं ? बामुश्किल 20 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो नहरों और ट्यूबवेलों से सिंचाई कर पाते हैं जिसमें प्रदेश के आधे ट्यूबवेल कतई बंद पड़े हैं बिजली के कारणों से, ट्रांसफार्मरों के जलने के कारण से या मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण से। किसानों को क्या लाभ हो रहा है उनसे ? आपकी घोषणा एक घोषणा तक सीमित है। किसान उनसे कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत किसानों को जब तक आप लाभान्वित नहीं करेंगें तब तक यह बात नहीं मानी जायेगी कि सरकार ने किसानों की सिंचाई माफ कर दी। 80 प्रतिशत किसानों को आप फ्री बिजली दो, डीजल की व्यवस्था करायें। तब सरकार को यह कहने का हक होगा कि हमने किसानों की सिंचाई माफ कर दी। मैं इसमें एक-दो बातें और जोड़ना चाहता हूं सिंचाई के लिए जैसे सोलर ऊर्जा के द्वारा अगर ट्यूबवेल लगाये जांय अनुदान पर, तो यह लाभकारी रहेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि अलीगढ़ में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी बनायी जायेगी और अलीगढ़ मण्डल में एक राजकीय महाविद्यालय बनाया जायेगा उसका इसमें उल्लेख नहीं, घोषणा केवल घोषणा तक सीमित रह गयी। न वहां पर स्पोर्टस यूनिवर्सिटी के लिए कोई टोकेन मनी के रूप में न कोई पैसा दिया गया, न स्थल चयन किया गया और न जो मण्डल स्तर पर महाविद्यालय बनना चाहिए था उसकी कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। सड़क गड्ढामुक्त करने की बार-बार घोषणा की जाती है। मा0 मंत्री जी चले गये, इस सदन में आप लोग भी सुनते रहे हो, एक मात्र सड़क है जो पिछली सरकार में तो पूरा पैसा खा ही गये। पिछली सरकार में जितनी भी सड़क बनी थी पी0एम0जी0एस0वाई0 की या किसी की एक रुपये का काम नहीं हुआ, इसमें भारी कमीशन लिया गया था तो वह सब सड़कों का सत्यानाश हो गया। तब से लेकर आज तक दो साल हमें होने जा रहे हैं एम0एल0ए0 बनने के बाद, बार-बार कहने के बाद भी हमारी सड़क जो गड्ढायुक्त सड़क है आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। जनपद अलीगढ़ की एकमात्र सहकारी चीनी मिल है जिसकी क्षमता 1200 मीट्रिक टन है जब तक उसकी क्षमता दोगुनी नहीं होगी तब तक यह अलाभकारी रहेगी। यह दो अरब अट्ठाईस करोड़ रुपये के घाटे में है। मैं चाहता हूं कि इसकी क्षमता बढ़ायी जाय। हाई स्कूल के छात्रों को टैबलेट वगैरह देने का जो सरकार का वायदा है वह झूठा साबित हो गया। जनपद अलीगढ़ में

हरदुआगंज स्टेशन से रेलवे स्टेशन पर एक किलिंकर नामक विषैले पदार्थ का लोडिंग अनलोडिंग होता है। जिससे आस पास के 5 कि0मी0 एरिया में सब लोग प्रभावित होते हैं सबको सांस का और टी0बी0 का रोग हो रहा है। कई बार मैं प्रदूषण विभाग में कह चुका हूं सरकार में कह चुका हूं लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और कई बार मैं लोडिंग अनलोडिंग के ऊपर भी कह चुका हूं लेकिन कोई अंकुश नहीं लगा पाए। खिलाड़ियों के सम्बंध में सरकार बहुत ज्यादा कहती है कि हम खिलाड़ियों के लिए यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मैं अभी स्पोर्ट्स स्टेडियम गया था मैंने वहां देखा कि ईनाम की धनराशि इतनी कम है कि वह ईनाम की धनराशि बांटने में मुझे बड़ी शर्म लगी और जो कोच हैं उनको इतना कम वेतन मिलता है कि पता नहीं वह कैसे गुजर करते हैं। खेल मंत्री जी को भली-भांति मालूम होगा कि इतनी कम धनराशि है ईनाम बांटने में मुझे इतनी शर्म लगी कि मैंने और लोगों से कह सुनकर उनको कुछ कैश पैसा दिलवाया। इसकी राशि बढ़वाई जाए दूसरी बात जो कोचेज हैं उनकी बहुत कम तनख्वाह है मैंने अलीगढ़ में जाकर देखा है वह बहुत दयनीय स्थिति में गुजर रहे हैं तो उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है बहुत बुरी स्थिति कानून व्यवस्था की है। पूरे प्रदेश के लोग सब अपनी-अपनी तरह से कह रहे हैं मैं अपने अलीगढ़ जनपद की बात बता रहा हूं एक लिखित दस्तावेज है माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की तरफ से और एथेन्टिक सूचना है एक जनवरी से 30 नवम्बर तक 634 इनमें 283 गुमशुदा 351 अपहरण के केस इसके अलावा लूट केस 'रेप केस' डकैती केस, हरिजन ऐक्ट के केस पूरे जिले में इस कदर हाल है यह सूचना सरकारी है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दी है मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरस्त रखें। वेस्टर्न यू0पी0 में सबसे बड़ी समस्या है मवेशियों के चोरी की और मवेशी डकैती की माननीय अध्यक्ष जी बड़ा गम्भीर प्रश्न है आप सब लोग सुन लें वेस्टर्न यू0पी0 में अलीगढ़ जनपद में कम से कम 20 स्लाटर हाउस हैं इस कदर कटाई हो रही है बिल्कुल निरंकुश होकर कि प्रदूषण तो हो रहा है रोज झगड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आपको हिन्दू साबित करने के लिए सड़कों पर खड़े हैं और यह रोज अखवारों में आता है कि हमने इतने मवेशी पकड़े यह केवल यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिन्दुओं की बात हमीं करने वाले हैं जबकि हम भी हिन्दू हैं हम कोई बाहर के नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इसमें ध्यान दे वरना अलीगढ़ जैसे संवेदनशील जिले में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। कभी भी भयंकर विस्फोटक स्थिति हो सकती है। अध्यक्ष जी आप भी बैठे हैं इनको सरकार मौका न दे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता जी कृपया समाप्त करें।

श्री दलवीर सिंह-

इस काम को सरकार स्वयं करे। जितने नियमानुसार मवेशी जा सकते हैं उतने ही जाएं जब ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी तो इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में 15 रुपए गन्ने के रेट बढ़ाए गए हैं हम गन्ना रेटे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं जो रेट तय हैं उतने का भुगतान करा दिया जाय। किसान बड़ी मेहनत से गेहूं पैदा करने की कोशिश कर रहा है उसमें काफी लागत आ रही है मैं आपके माध्यम से

चाहता हूं कि कम से कम 200 रुपए कुंतल इसके समर्थन मूल्य में सरकार वृद्धि करे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आभारी हूं कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं अभिवादन करती हूं। राज्यपाल महोदय जी के 107 पेज के अभिभाषण के पूरे दस्तावेज का मैंने विस्तृत अध्ययन किया है और मुझे महसूस होता है कि ऐसे कई अहम बिन्दु हैं जिनका उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया है और जिस पर चर्चा होना अनिवार्य है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे समाज को न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, क्या सोच है, इसकी कोई भी झलक इस अभिभाषण में नजर नहीं आती। अधिवक्ता वर्ग आज विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। गांव की तहसीलों से ले कर न्यायालयों तक उनके बैठने की कोई भी उचित व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं दी गई है जिसके चलते उन्हें आंधी, तूफान सर्दी-गर्मी कैसा भी मौसम हो उन्हें घास फूस के छप्पर में खुले आसमान के नीचे बैठकर लोगों को, समाज को न्याय देने का काम करना पड़ता है। ऐसे में अधिवक्ता वर्ग के लिये मेरी सरकार से यह मांग है कि कम से कम सभी स्तर के न्यायालय में और तहसीलों में उनके बैठने के लिये उचित व्यवस्था की जाय। यह एक बहुत गम्भीर समस्या है, और इसका निदान होना भी उतना ही जरूरी है। साथ ही मैं अधिवक्ता समूह की इस मांग का भी समर्थन करती हूं कि जिस प्रकार से शिक्षक और स्नातक के प्रतिनिधि विधान परिषद् में मौजूद हैं उसी तरह से हमारे अधिवक्ता वर्ग की मांगों को पहुंचाने के लिये उनका भी प्रतिनिधि हमारे विधान परिषद् में होना चाहिए और इस सम्बन्ध में सरकार अपनी ओर से एक मांग-पत्र केन्द्र सरकार को प्रेषित करे। अधिवक्ताओं की तरह हमारे श्रमिक, मजदूर साथी हैं, जिनकी समाज को चलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका है। उनके कठोर परिश्रम के कारण हमारा अपना जीवन कितनी सहूलियतों से भरा हुआ है इस बात से हम सभी वाकिफ है। इसलिये श्रमिक वर्ग के लिये मैं जरूर पूछना चाहती हूं कि केन्द्रीय कानून असंगठित क्षेत्र कर्मकार अधिनियम, 2008 आज तक इस प्रदेश में पूर्णतया लागू क्यों नहीं हो पाया है और उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, इस सम्बन्ध में पूरे तरीके से सरकार हमारे श्रमिक वर्ग के बीच अपनी नीति का खुलासा करने का काम करे, जो आज तक यह नहीं जान पाया है कि सरकार के स्तर से इस अधिनियम को लागू करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं। साथ ही मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत बनी उत्तर प्रदेश नियमावली, 2009 के लिये 281 में सहायता और हित लाभों में पेंशन के सन्दर्भ में भी अभी तक माननीय अधिष्ठाता जी क्या क्या कार्यवाही सरकार के स्तर से की गई है यह भी श्रमिक वर्ग के लिये चिन्ता का विषय है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी उनको प्राप्त नहीं हो रही है। सरकार का क्या नजरिया है, सरकार की क्या सोच है, कौन सी नीति सरकार अपना रही है, यह बात हमारा श्रमिक वर्ग जानना चाहता है। मेरी सरकार से यह मांग है कि श्रमिकों को पेंशन आदि के लाभ दिलवाने के लिये इसमें त्वरित कार्यवाही की जाय। आज हमारे सदन के कई सदस्यों ने इस अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एक ही बात बार-बार दोहराई कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, ऐसे में इस प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एक सबसे

बड़ी चुनौती है और पहले भी सदन के पूर्व सत्रों के उपवेशन के दौरान मैंने महिलाओं की सुरक्षा को दुरस्त करने के सम्बन्ध में इस सदन में अपनी मांग रखी है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला थाना बनाये जाने की मांग की है और आज पुनः सदन में मैं अपनी इस मांग को दोहराती हूं कि हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा महिला थानों की स्थापना की जाय और साथ ही वर्तमान में भी जितने भी हमारे महिला थाने हैं उनमें महिला शोषण शिकायत प्रकोष्ठ का भी गठन किया जाय जो आज कहीं भी नहीं है। तमाम सरकारी विभागों में भी महिला शोषण शिकायत प्रकोष्ठ बनाना अत्यन्त अनिवार्य है। बगैर इसके हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में हम चिन्तामुक्त हो सकते हैं। यह बहुत ही गम्भीर विषय है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं सरकार से यह मांग करती हूं कि एक वरिष्ठ महिला निदेशक का भी पद सृजित किया जाये जिससे इन तमाम महिला शोषण शिकायत प्रकोष्ठ और महिला सुरक्षा के मामलों की मॉनीटरिंग हो सके। महिलाओं पर अत्याचार के ऐसे अनेक प्रकरण हैं पर जिन समयबद्ध तरीके से फालो-अप नहीं होता है, उचित कार्यवाही नहीं हो पाता है। आये दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि महिलाओं पर तेजाब फेंकने जैसी गम्भीर घटनाएं होती हैं और ऐसे तमाम मामलों में उचित कार्यवाही नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में निदेशक का पद पूर्ण रूप से अनिवार्य है जिससे महिला अत्याचार या शोषण से संबंधित जितने भी मामले हों उनकी निरन्तर मॉनीटरिंग की जा सके और महिलाओं को न्याय मिल सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश में कई दिनों से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का धरना चल रहा है और उनकी तमाम ऐसी मांगे हैं जो जायज प्रतीत होती हैं। इस संबंध में मेरा सरकार से यह कहना है कि विभाग के प्रोन्नति के पदों को तत्काल भरा जाए। साथ ही उनका वेतन बहुत कम है, और उनके ऊपर सरकार द्वारा अनेक जिम्मेदारियां डाली जाती हैं कि उनका कम वेतन में गुजारा होना संभव नहीं है इसलिए उनका वेतन, ग्रेड पे उच्चीकृत किया जाए। श्रीमन् तमाम आंगनबाड़ी केन्द्रों में जो आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां पेड़ के नीचे या किसी के घर में, किसी के आंगन में, कहीं भी किराए की जगह लेकर आंगनबाड़ी केन्द्र को चलाने के लिए विवश हैं। यह ऐसे में अनिवार्य है कि इन तमाम आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधायें उपलबध कराई जाएं और विभागीय कर्मियों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही को रोका जाए तथा प्रत्येक दशा में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त, अनुशासन और नियमावली का अनुपालन कराया जाए। सरकार से मैं उम्मीद करती हूं कि इस संदर्भ में सरकार पूरा ध्यान देगी और उन तमाम मांगों पर विचार करेगी। साथ ही मैं एक अन्तिम मांग रखना चाहती हूं कि प्रदेश में कई दिनों से पिछड़े, दलित, पसमान्दा समाज से आने वाले युवा छात्र उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा में त्रिस्तरीय आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आन्दोलनरत हैं इस संबंध में मैं सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में भी त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की सेवाओं में भी त्रिस्तरीय आरक्षण प्रणाली लागू है। इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे पिछड़े दलित पसमान्दा समाज और कमजोर वर्ग से आने वाले छात्रों की भावनाओं और उनके हितों का ख्याल रखते हुए त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने पर विचार करें। अगर इन तमाम अहम पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में मैं यही कहने पर

विवश हूं कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण अपूर्ण है और इसका कोई औचित्य नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 रीता बहुगुणा जोशी जी उसके बाद समाजवादी पार्टी के जाहिद वेग साहब।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार मानती हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सरकार की ओर से जब महामहिम श्री राज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया तो एक आइडियल सिटुएशन यानि एक आर्दश स्थिति समक्ष आने लगी और लगा कि अब तो कोई चीज बची ही नहीं यह तो एक आइडियल स्टेट बन जाएगा। हर वर्ग के लिए उसमें बहुत सारी घोषणायें, लेकिन तकलीफ इस बात की हुई कि दो साल से घोषणायें ही होती जा रही हैं हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, कम्प्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, साड़ी देंगे, कम्बल देंगे, हम कन्या विद्या धन देंगे,हम लक्ष्मीबाई पेंशन देंगे, हम विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, हम प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता को इस प्रदेश के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचायेंगे। पहले भी पहुंचा रहे थे, अब भी पहुंचा रहे हैं, वायदे चलते जा रहे हैं लेकिन क्या हालात हैं इन घोषणाओं के ? बहुत उम्मीदें, आशायें, आकांक्षायें इस सरकार से जनता की थीं। कुछ इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, कुछ इन्होंने सरकार आने के बाद घोषणायें कीं, बहुत सारे निर्णय इन्होंने अपनी कैबिनेट में लिए और उनको सार्वजनिक भी किया, परन्तु उनके क्या हालात हैं हम और आप जानते हैं। सरकार के पास धन नहीं है, सरकार के पास उतने संसाधन नहीं हैं कि वह अपने वायदों को पूरा कर सकें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन योजनाओं के लिए धन उपलब्ध है वह जो केन्द्र की योजनायें हैं वह जो यहां क्रियान्वित हो सकती हैं उनकी ओर इनकी दृष्टि क्यों नहीं गई ? महात्मा गांधी नरेगा इतना बड़ा रोजगार का साधन, वह दुर्दशा को प्राप्त है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, इससे पूर्व जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उनसे अपील करते रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उनसे अपील करते रहे कि भाई इसे ठीक से लागू करिए, भ्रष्टाचार रोकिए, लेकिन सी0बी0आई0 की जांच को न तो इन्होंने स्वीकार किया,न उन्होंने स्वीकार किया था अन्त्योत्गत्वा हाई कोर्ट के आदेश से सी0बी0आई0 की इन्क्वायरी होने जा रही है। अगर इस योजना को कायदे से लागू करते तो धन की उपलब्धता की कमी नहीं थी, वह आपको मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो इस प्रदेश की 12 करोड़ जनता को 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये का गेहूं और 1 रुपये किलो मोटा अनाज उपलब्ध करा सकती थी, उसके प्रति भी उदासीनता दिखाई जब आन्दोलन शुरू हो गए, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर गयी तो आपने उसकी प्रक्रिया को प्रारम्भ किया, 10 महीने के बाद और अभी प्रारम्भिक स्थिति में भी उसके बंटने की स्थितियां नहीं हैं। जहां तक पेन्शन का सवाल है, जो चालू थी, उन पेन्शन का भी कहीं कोई पता नहीं है। ठीक है, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को कुछ हद तक जरूर बधाई दूंगी कि उन्होंने कुछ सुविधाएं देने की कोशिश की है और यह सत्य है कि पूर्ववर्ती शासनकाल में तो किसी बीमारी के लिए कोई धन राजकोष से मिलना असम्भव था लेकिन अब विधायकों के और अन्य लोगों के आवेदन पर जिला प्रशासन की जांच के बाद कहने पर धन उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जहां यह दावा सरकार करती है कि हम बड़ी बीमारियों का

जैसे-कैंसर, लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां आदि का हम मुफ्त इलाज करते हैं, मैं समझती हूं कि यह सत्य नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इलाज 14 लाख में होना है, अगर इलाज में 20 लाख लगना है, 5 लाख लगना है तो 10, 20, 25 प्रतिशत से ज्यादा धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जिसकी किडनी फेल हुई हो, इतने पैसे से वह अपना डायलिसिस तो करा सकता है, लेकिन किडनी ट्रान्सप्लान्ट कराना सम्भव नहीं होता। इस ओर ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हमने इतने अस्पताल, इतनी वैन, इतनी सुविधाएं, एम्बुलेंस की बड़ी चर्चा की लेकिन अगर यह भी कह देते कि यह एम्बुलेंस केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन के जरिए चल रही हैं तो हमें खुशी होती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर चल रही हैं तो ठीक है लेकिन जिन स्वास्थ्य सेवाओं के लिये केन्द्र सेवा में प्राविधान है जिसमें प्रदेश के पास एक मौका था, वह धन प्राप्त कर लेंगे वह भी इन्होंने गंवा दिया। मैं बताती हूं कि तीन-चार योजनाएं थी, जिसके अन्तर्गत उनको पैसा मिलना था। पहले इसमें जो मेडिकल कालेजेज हैं, केन्द्र सरकार की योजना थी कि किसी भी जिला मुख्यालय पर यदि 200 बेड का हास्पिटल है तो उसको मेडिकल कालेज का दर्जा मिल सकता है। मध्य प्रदेश ने 4 ले लिए, वेस्ट बंगाल ने 4 ले लिए, लेकिन हमारे यहां से केवल 01 प्रस्ताव गया फैजाबाद के लिए, वह स्वीकार हुआ लेकिन आज तक एम0ओ0यू0 साइन नहीं हुआ। फिर पिछड़े क्षेत्रों में वायरल डायग्नोस्टिक लैब की बात है, उ0प्र0 के लिये 03 वायरल डायग्नोस्टिक लैब स्वीकृत थे, आज तक एम0ओ0यू0 साइन नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

केवल 02 मिनट और लूंगी। वैसे भी महिलाएं कम बोलती हैं और जब बोलती हैं तो उसमें भी आप पाबन्दी लगाते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

जो अध्यक्ष जी ने टाइम दिया है, उससे ज्यादा हो गया है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

केवल 02 मिनट। एम0ओ0यू0 और एम0आर0एच0यू0, इनके लिए 21 अस्पतालों का चयन किया गया लेकिन उसकी प्रदेश सरकार द्वारा प्रक्रिया भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो मेरा कहना यह है कि इसकी ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं दिया। स्माल एण्ड मीडिएम (SMSE) इन्डस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था और हम यह बात जानकारी के लिए दंग रह गए कि जो जी0डी0पी0 में इतना बड़ा योगदान देती हैं, स्माल और मीडियम स्केल इन्डस्ट्री उनकी उ0प्र0 में हालत दयनीय है। 52 लाख करोड़ रूपया बैंकों से पूरे देश ने ऋण के रूप में वितरित हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल ढाई लाख करोड़ रुपये ही आ पाया। उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं जमीन को फ्री-होल्ड करने के लिये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठिए, जो मा0 अध्यक्ष जी की व्यवस्था है, उसी के आधार पर बोलना है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

ठीक है, लॉ एण्ड आर्डर पर थोड़ा बोल लेती हूं। कल हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने कुछ आंकड़े फीगर्स रखे थे। मैं सदन से कुछ अलग आंकड़े शेयर करना चाहती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

फीगर्स लिखकर दे दीजिए, कार्यवाही का अंश बन जायेगा।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, साम्प्रदायिक हिंसा और साम्प्रदायिक दंगा में फर्क है। मंत्री जी ने साम्प्रदायिक दंगा के कुछ आंकड़े रखे। दिनांक 5 फरवरी को राज्य सभा में भारत के गृह राज्य मंत्री जी ने कुछ फीगर्स रखी हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी। मान्यवर, उन्होंने राज्य सभा में लिखित रूप में फीगर्स रखी है, 05 फरवरी, 2014 में फीगर रखी कि 2012 में इस प्रदेश में 118 साम्प्रदायिक हिंसा की वारदातें हुयीं जिसमें 39 लोगों की जानें गयी और 500 लोग घायल हुये। 2013 में वारदातें 247 हुयीं जिसमें 55 लोगों की जाने गयीं 360 इसमें घायल हुये। ऐसी वारदातें सरकार की कानून व्यवस्था के प्रति गम्भीरता दर्शाती हैं। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं मानती हूं कि महिला सेफ्टी के बुरे हालात के मामले में हमारा प्रदेश अग्रणी है। पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश के बाद हमारा नम्बर आता है। हम देश में तीसरे सबसे बड़े प्रदेश में हम दहेज हत्या के मामलों में सबसे आगे हैं। विसाखा रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। हर वर्किंग प्लेस में महिलाओं के लिए एक वीमेन ग्रीवेन्स सेल होना चाहिए। पुलिस शिकायत की दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। थानों में वूमन डेस्क होनी चाहिए। इसकी हम आपसे मांग करते हैं। इसके साथ मैं कहना चाहती हूं कि 200 आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 अफसरों का तबादला अभी दो-तीन महीने के अंदर हुआ है। कोई तो पालिसी बनाये। कम से कम 2 वर्षों तक तबादला नहीं होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहती हूं कि जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने पेश किया है वह इस प्रदेश के सही चित्र को प्रदर्शित नहीं करता है इसलिए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का कोई औचित्य नहीं।

श्री जाहिद बेग-

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मा0 अनूप सण्डा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है। मैं उसका समर्थन करता हूं। कल से चर्चा चल रही है। नेता विरोधी दल, नेता भाजपा, नेता कांग्रेस, नेता राष्ट्रीय लोक दल और अभी हमारी बहन रीता बहुगुणा जोशी जी ने अपनी बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद मा0 अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी ने जो जनता के बीच वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। एक भी ऐसा एजेण्डा नहीं है चाहे कन्या विद्या धन हो, चाहे लेपटाप वितरण हो सारे वायदों को पूरा करने का काम किया गया है। अभी नेता विरोधी दल साड़ी के बारे में बोल रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि देर हुयी है लेकिन अगर साड़ी 60 प्रतिशत बुनकरों से लेते हैं, हैण्डलूम से लेते हैं तो उसको बनाने में समय लगता है। मुझे जानकारी है कि आज भी पैसा सरकार के पास है। आज मैं कहना चाहता हूं कि 102, 108 सेवा चल रही है और लेपटाप वितरण हो रहा है। अगर आपका विरोध है तो आप जनता के बीच जाकर कह दीजिए कि इसको बंद कर दिया जाये। आज सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त पानी देना अगर आपको गलत लगता है तो उसका विरोध कर दीजिए जाइये

जनता में विरोध कर दीजिए। मा0 सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद चुनी जाती हैं। अमेठी से राहुल गांधी चुने जाते हैं, इलाहाबाद से लखनऊ तक आज तक फोरलेन नहीं बनवा पाये, उत्तर प्रदेश के विकास का ढिंढोरा पीटेंगे, बनारस से लखनऊ तक राहुल गांधी फोरलेन नहीं बना पाये, जिसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। आज जब माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिस स्वास्थ्य विभाग का नाम लेते हुए बसपा के लोग कांप जाते हैं, आज उस स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी जेल में हैं, उस स्वास्थ्य विभाग का नाम सम्मान से लिया जाता है। आज कोई घोटाला नहीं किया जाता है, यह सही है कि हो सकता है कुछ पैसा खर्च करने में देरी हुई होगी, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, लेपटाप के माध्यम से, कन्या विद्या धन के माध्यम से, हमारी बेटी उसका कल के माध्यम से, जनता का पैसा, जनता को देने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी मान्यवर मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, कल नेता विरोधी दल एक बात बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के बारे में, नेता के बारे में, लेपटाप में कैसे नाम आ गया, उसके बारे में और अब ये लोग समाजवादी पार्टी को चरित्र सिखायेंगे, क्या सिद्धान्त सिखायेंगे, जिस पार्टी का जन्म एक जाति को अपशब्द बोल कर किया गया हो वह लोग समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। इतिहास गवाह है कि इस पार्टी का जन्म एक जाति को अपशब्द बोल कर किया गया है और दूसरी पार्टी का जन्म एक धर्म को अपशब्द बोल कर किया गया हो, वह लोग समाजवादी पार्टी को सबक सिखायेंगे, सभ्यता सिखायेंगे। हम लोग जो कहते हैं, वह करते हैं, जो विधान सभा में बोलते हैं, वह पब्लिक में भी कहते और करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां हमारी आवाज और हो और जनता के बीच में जाकर, विधान सभा के बाहर जाकर हमारी आवाज कुछ दूसरी हो, ऐसा चरित्र समाजवादियों का नहीं है। आज मा0 मुलायम सिंह यादव जी की लैपटाप की बात कर रहे हैं, बाबा भीम राव अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने बैकवर्ड को, शोषित को, हरिजनों को शुडूलकास्ट कास्ट को, जो सुविधा मुहैया कराया है, मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने मुहैया कराया है। आज चाहे ब्लाक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे प्रधान हो, हरिजन, बैकवर्ड हिम्मत नहीं पड़ती थी कुर्सी पर बैठने के लिए, मा0 मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य बनाया, यह मा0 मुलायम सिंह यादव जी की देन है, बहुजन समाज वादी पार्टी की देन नहीं है, यह बात कहना चाहता हूं। आज मैं यह बात कहना चाहता हूं, घोटालों की बात करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 बेग साहब, अब कृपया समाप्त करें।

श्री जाहिद बेग-

जिला पंचायत अध्यक्ष, मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में बनाया गया है। आरक्षण, हमारी भावनाओं को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के लोग अगर अम्बेडकर जी के बाद किसी की पूजा होगी, तो मा0 मुलायम सिंह यादव जी की पूजा होगी, संविधान बनाने वाले के बाद, मा0 मुलायम सिंह यादव जी की पूजा होगी। आज वह लोग अपने जिन्दा रहते हुए अपनी मूर्तिया बना लेते हैं, उनकी पूजा नहीं होती, पूजा कर्मों से की जाती है, बुलन्द आवाज कह के, भावनाओं को भड़का के वोट तो आप ले सकते हैं, लेकिन सच्चाई को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, सन्

1992 में मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं सन् 92 में जो आपने गलत किया था, आज भी आप भोग रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर की बात करते हैं लोग, मैं जब से विधान सभा में आया हूं मुजफ्फरनगर की घटना बार-बार लोग कहते हैं, मुजफ्फरनगर की घटना जब लोगों ने देखा कि शहर में कन्ट्रोल किया जा रहा है तो उसको देहातों में फैला दिया गया, क्या एक साथ कोई भी सरकार नियंत्रण कर पाती, लेकिन मा0 श्री अखिलेश यादव को बधाई देना चाहता हूं, आपने कन्ट्रोल किया। और इसलिये मुजफ्फरनगर की घटना कराई गयी है कि जो विकास का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जा रहा है, जो किसानों का काम किया जा रहा है, जो छात्रों का काम किया जा रहा है, जो कन्याओं का काम किया जा रहा है, उसको दबा दिया गया। मुजफ्फरनगर की घटना हाईलाइट करने के लिये उसको दबाने का काम किया गया। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग विकास की बात करते हैं। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, हमारे वहां सड़क ठीक नहीं थीं, लोगों ने बाहर से आना बन्द कर दिया था। फोर लेन भदोही से बाबतपुर 45 कि0मी0 178 करोड़ की लागत से, दो रेलवे ओवरब्रिज भदोही जिले में मा0 मंत्री जी ने दिये हैं। आज पूर्वांचल में विकास हो रहा है।

(सदस्य शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या एवं मा0 सदस्य श्री जाहिद बेग के एक साथ बोलने से व्यवधान)

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हम अपने दल के नेता मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में लाये गये संशोधन के प्रस्ताव पर बल देने के लिये उन्हीं से अपने आप को सम्बद्ध करते हुये मैं कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, राजनैतिक दलों की विचारधारायें होती हैं। सरकार की अपनी प्राथमिकतायें होती हैं। सरकार आती हैं, सरकार जाती हैं लेकिन उनकी योजनाओं को चलाते रहना, उनकी नीतियों को चलाते रहना। यह एक अच्छे पथ को आगे बढ़ाने का काम होता है लेकिन मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली सरकार में जो 29 योजनायें हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा उनके मुख्यमंत्रित्व काल में चलायी गयीं, उनको बन्द कर दिया गया। महामाया बालिका आशीर्वाद योजना, महामाया आवास योजना, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना, मान्यवर कांशीराम शहरी आवाज योजना, इस तरीके की न मालूम कितनी योजनाओं को बन्द करके, कुछ योजनाओं को तो उनका नाम बदल करके चलाया गया लेकिन कुछ योजनाओं को बन्द कर दिया गया। मान्यवर, कोई भी सरकार हो उनका काम गरीबों को, उनका काम मजलूमों को, उनका काम कमजोर वर्गों को, उनका काम किसानों को, उनका काम मजदूरों को, उनका काम व्यापारियों को सुविधा पहुंचाना होता है। हम सभी लोग चुनकर आते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से आयें चाहे शहरी क्षेत्र से आयें। हम उन लोगों की बातों को उठाने के लिये यहां पर आते हैं और उनके भविष्य के लिये, उनको कानूनी संरक्षण देने के लिये, उनके ऊपर कोई जुल्म-ज्यादती न हो, इस चीज को कहने के लिये यहां पर खड़े होते हैं लेकिन मान्यवर, मा0 श्री राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा, उसमें जो गरीबों की योजनायें बन्द की गयीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। महापुरुषों के नाम पर जो पार्क, स्मारक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बने। यह सत्य है कि हर दल महापुरुषों को लेकर के चलता है और चले बगैर उसकी अभिलाषा पूरी नहीं होती, उसकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती, उसके कार्यक्रम नहीं बन सकते। चाहे महात्मा गांधी जी का फोटो यहां लगा है, यह इस चीज का प्रतीक है कि स्वतंत्रता के आन्दोलन में जिस तरीके से बापू ने अगुवाई करके अहिंसा का रास्ता अपना करके अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। मान्यवर, वहीं नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने अपनी एक आजाद हिन्द फौज बनाकर उन अंग्रेजों से लड़ने का काम करके, उनको हतोत्साहित करके उनको यहां से भगाने का काम किया। वहीं मान्यवर, सरदार पटेल जी ने, वहीं मान्यवर, लोहिया जी ने, वहीं मान्यवर, डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान इस भारत को समृद्ध बनाने में, गरीब-पिछड़ों की आवाजों को उठाने में, सावित्रीबाई फुले जी, महात्मा ज्योतिबाराव फुले जी, नारायणा गुरू जी, इन सब ने अपना अदम्य साहस और योगदान दिया है। मान्यवर, जहां यहां पर चर्चा में यह बात आयी कि पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ योगदान नहीं किया। अल्संख्यक वर्ग के लोगों ने कम किया तो मैं बताना चाहता हूं कि लन्दन की पार्लियामेण्ट में ऊधम सिंह ने जाकर उसको मारने का काम किया जिसने जलियावाला बाग में गोली चलाकर हजारों लोगों को मारने का काम किया। हमारी अवन्ती बाई, ऊदा देवी जी, रानी लक्ष्मी बाई जी, बेगम हजरत महल ने सबने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़चढ़ करके हिस्सा लिया। उसके बाद सब लोग राजनीतिक रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में लोग चुन करके आये। जहां तक हमारे पश्चिम में, हमारे पश्चिम के उलेमाओं ने यहां दिल्ली से लगाकर लाहौर तक वह स्वतंत्रता आंदोलन में इस तरीके से कूदे कि अंग्रेजों ने उनको पेड़ों पर लटकाया। आज बांटने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहारनपुर में एक मेडिकल विश्वविद्यालय बनाया था। एक महापुरुष के नाम पर उसका नामकरण किया गया। मैं सभी धर्मों के महापुरुषों का सम्मान करता हूं लेकिन जिस तरीके से इस सरकार ने उसका नाम बदलकर, जो शेखउल मुल्क साहब थे, जिन्हें माल्टा की जेल में अंग्रेजों ने रखा था, उनका जब स्वर्गवास हुआ, उस समय जब उनको स्नान कराया गया, जब उनके जनाजे को नहलाया गया तो मान्यवर, उनकी पूरी पीठ सड़ी हुई थी, उन्होंने इस देश को, इस मुल्क को आजाद कराने में बहुत लड़ाई लड़ी। आज उनके नाम पर नामकरण न करके एक नया विवाद पैदा किया जा रहा है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मा0 श्री राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा है, उसमें न तो किसानों के लिए कोई बात आई है, गन्ना किसानों के लिए न कोई बातें आई हैं। पहली बात मान्यवर, यह है कि चीनी मिलें इस बार बहुत लेट चलीं, रिजर्वेशन की मीटिंग हुईं, रिजर्वेशन की मीटिंग्स में मिल मालिकान नहीं आए, क्या वजह रही। सरकार का कोई दवाब नहीं रहा। इसकी वजह से किसान एक-दो महीने तक गेहूं की फसल नहीं बो पाया, अन्य फसल आदमी समय से नहीं बो पाया। हाइकोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीमकोर्ट का आदेश हुआ, कि गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान किया जाए लेकिन उनको बकाये का भुगतान नहीं किया गया। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के घोषणा-पत्र में जहां पर 350 रुपये गन्ने के रेट देने की बात थी, हमारी सरकार ने 2007 से 2012 के बीच 118 रुपये से बढ़ाकर इसे 280 रुपये करने का काम किया था लेकिन क्या वजह है कि इस सरकार ने 280 रुपये गन्ने के दाम की घोषणा की लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सभी चीनी मिलों में 20 रुपये कम, 260 रुपये के मूल्य पर उसका भुगतान हो रहा है। घटतौली मान्यवर, चरम सीमा पर है, गन्ना किसान मजबूर है। मान्यवर, धान के क्रय केन्द्र खोले नहीं गए हैं। हमारा जनपद लखीमपुर खीरी

मान्यवर, बाढ़ का प्रभावित क्षेत्र है। अधिष्ठाता महोदय, आप को मालूम है कि वहां पर सब नदियां बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के प्रभाव से बीसयों गांव के लोग बेघर हो गए हैं, उनके पुनर्वास की कोई योजना नहीं है। मा0 मंत्री जी से मिले थे, मंत्री जी ने बताया था हमको कि सरकार के पास पैसा पड़ा है, उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन जिला प्रशासन द्वारा आज दो-तीन सालों के अंदर कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया, जिससे 10 हजार बेघर लोगों को, मान्यवर, उनका घर मिल सके। आज किसान अपना अनाज पैदा करता है, धान पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है लेकिन भण्डारण की सुविधा उसके पास नहीं है। भण्डारण गृह नहीं बनाये जा रहे हैं। इस बात पर भी श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं आया कि उसके भण्डारण की कोई उचित व्यवस्था की जाए। मान्यवर, मुजफ्फरनगर का दंगा, जो हिन्दू-मुस्लिम एकता, गंगा-जमुना की तहजीब हमारे प्रदेश की प्रतीक है, मान्यवर, हमारे पश्चिम मे आज तक कोई दंगा नहीं हुआ लेकिन मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, उनको एक साजिश के तहत लड़ाया गया। उनको घरों से उजाड़ा गया, राहत शिविरों में उनकी हालत दयनीय से दयनीय थी। उनके लिए खाने, पानी की व्यवस्था नहीं की गयी, बारिश में वह कायदे से रह नहीं पाये। ठण्ड की वजह से 60 से ऊपर बच्चों की मृत्यु हो गई, शिविरों में, उनका सही से इलाज नहीं हो पाया। कुपोषण के वे लोग शिकार हुए। वहां पर उनकी दवाई वगैरह का इंतजाम नहीं हुआ। उन शिविरों को वहां से जबरदस्ती उखाड़ा गया, वहां से उनको दूसरी जगह भेजा गया। मान्यवर, आज भी 3-4 हजार लोग वहां पर मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं। मान्यवर, मैं एक बस अल्पसंख्यक छात्रों की बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र की बात है, किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, गरीबों की बात है मान्यवर, यह कोई राजनैतिक भाषण नहीं है। उनकी वेदना यहां पर सुनी जाए, अल्पसंख्यक छात्रों की बात है मान्यवर। पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति किस स्तर पर है, यह आज शोचनीय विषय है। मान्यवर, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति सब लोगों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, अल्पसंख्यक छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए लेकिन मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि अल्पसंख्यक छात्रों को फीस पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं मिल रही है। उदाहरणस्वरूप मैं कुछ कालेजों के नाम लेना चाहूंगा, जिसमें बी0एड0 में एस0एम0कालेज चन्दौसी है, उसमें 100 में से 6 को छात्रवृत्ति नहीं मिली। मान्यवर, इसी तरीके से ग्रामोद्य कालेज अमरपुर में 100 में से 6, बालाजी में 100 में से 2 अल्पसंख्यक छात्र थे, लेकिन इन सभी छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिली। मान्यवर, यह अल्पसंख्यकों को अपना हितैषी बताने वाली सरकार, अल्पसंख्यकों की हितैषी नहीं है बल्कि उनके हकों को छीनने वाली सरकार है। यह अल्पसंख्यक विरोधी सरकार उनके खाने पीने की चीजों को छीनने का काम कर रही है। मान्यवर, जब यहां पर बहन मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने मान्यवर कांशीराम उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम किया था। सौ मदरसों को ऐड पर लेने का काम किया था। मान्यवर, आज इस सरकार के समय में हालत यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल है एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पर आसानी से चला जा सके। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बारह-बारह टंकियां बनी हुई हैं ओवर

हैड टैंक बने हुए हैं लेकिन उसमें से एक भी चालू हालत में नहीं हैं। मान्यवर, आधा मिनट और दे दें। मान्यवर, हमारे यहां जो खाद्यान्न के कोटेदार हैं, हमारे विधान सभा क्षेत्र के डेढ़ सौ कोटेदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिये गये और जब उसमें एस0डी0एम0 ने लाखों रुपये उनसे ले लिये तो उनको बहाल करने का काम किया गया। जो उन कोटेदारों से गरीब लोगों को महीने में पच्चीस तीस किलो अनाज सस्ते दाम पर मिल रहा था इस सरकार के अधिकारियों ने उसको उनसे छीनने का काम किया है। एस0डी0एम0 ने पैसे लेकर उन निलम्बित कोटेदारों की दुकानों को अटैच करने का काम किया है। मान्यवर, जब एक-एक कोटेदार एस0डी0एम0 को एक लाख, डेढ़ लाख रुपया देगा तो वह कितना अनाज गरीबों को देगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो खाद्यान्न के कोटेदार की व्यवस्था कायम थी उसको पुनः उचित तरीके से बहाल कराया जाये ताकि गरीबों को सस्ती दर पर अनाज आदि मिल सके। दूसरी बात यह है कि जो बाढ़ से विस्थापित लोग हैं उनको बसाने का काम इस सरकार द्वारा किया जाये। उनको उचित मुआवजा दिलाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन के प्रस्ताव हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखे हैं उसका समर्थन करते हुए इस अभिभाषण की निन्दा करता हूं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने बताया था कि जो इनके समय में टंकियां बनायी गयी थीं वह डांसिंग टंकियां बनायी गयी थीं जो ओवरहैड टैंक की बात माननीय सदस्य कर रहे थे। वह उस पीरियड में बनी हैं और डांसिंग टंकियां हैं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरु भैय्या-

मान्यवर, वह ओवर हैड टैंक पच्चीस साल पुराने बने हुए हैं वह खस्ता हालत में चालू नहीं हैं उनको यह सरकार चालू कराने का काम करे।

श्री मौ0 इरफान-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं मान्यवर, मैं पूर्ण रुप से महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात इस तरह से कहना चाहता हूं कि यह जो हमारे सामने बी0एस0पी0 के मा0 सदस्यगण बैठें हैं इनका शासन पांच साल तक रहा हमारी पार्टी की सरकार के आने के पहले। मान्यवर, यह अभी मा0 सदस्य कह रहे थे कि हमारी सरकार अल्पसंख्यकों की हितैषी नहीं है और इनकी सरकार हितैषी रही है। तो मैं इसका नमूना देना चाहता हूं और इनकी चिन्ता से उनको अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, अल्पसंख्यकों के या समाज के सारे वर्गो के जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको फीस प्रतिपूर्ति या वजीफा का पैसा मिलता है लेकिन यह उसी श्रेणी के बच्चों को मिलता है जिनके वालिदैन की सालाना आमदनी एक लाख रु0 से अधिक न हो। हमारी सरकार के आने से पहले जो इनकी सरकार थी उसने समाज कल्याण विभाग से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जो अल्पसंख्यकों, सभी धर्मों, सभी जातियों के बच्चों को फीस प्रतिपूर्ति और वजीफा मिलता था उसको रोकने के लिए वर्ष 2007 में एक काला कानून बनाया। उस समय सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से या समाज कल्याण विभाग से अल्पसंख्यकों के बच्चों को मिलने वाली उस सुविधा को हटा

लिया था। और, अल्पसंख्यकों के बच्चों के कल्याण के लिए जो बजट समाज कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अलावा आया वह केवल दो प्रतिशत ही मिला। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को समाज कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जो फीस प्रतिपूर्ति और वजीफे की सुविधा मिलती थी वह खत्म हो गयी। वह बच्चे उन सुविधाओं से वंचित रह गये। चूंकि वह काला कानून आपकी सरकार के समय में वर्ष 2007 में बना था, उसकी वजह से वह सारी चीजें आज तक चली आ रही हैं। 2007 का जो कानून है, 2007 में आपकी सरकार थी 2007 में जो कानून बना आप उसमें संशोधन कर लें, 2007 में ऐसा हुआ। जो आपने बात कही अल्पसंख्यक हितों की वह गलत है। हमारी सरकार ने इस बिन्दु पर जो आपने बजट रखा था उस बजट को जस्ट डबल, ट्रिपल और कई-कई गुना कर दिया है । हमारी सरकार ने जो समाजवादी सरकार है उस सरकार ने पूरी तौर पर अल्पसंख्यकों के बारे में सर्वांगीण विकास करके उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया है। हमारी सरकार ने सच्चर कमेटी की पूरी सिफारिशें लागू करने का काम किया है। हमारी सरकार ने 30 विभागों द्वारा संचालित 85 कल्याणकारी योजनाओं को अल्पसंख्यकों के लिए 20 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित करके करने का काम किया है। हमारी सरकार ने वह सब किया है जो हमने जनता से वायदा किया था। आपने केवल जनता, विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों के साथ जो ज्यादतियां अपने शासनकाल में की हैं वह ऐसा एतिहासिक रहेगा कि आपसे ज्यादा ज्यादती अब तक के इतिहास में कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि उस कानून को जो आपने काला कानून 2007 में बनाया था उस कानून को वापस लिया जाय और उसके तहत अल्पसंख्यकों का या पिछड़े वर्ग का या समाज कल्याण का जो आधार है वह केवल आमदनी का मानकर सभी बच्चों को समान रूप से वजीफा और प्रतिपूर्ति कराई जाय। मैं कुछ और बाते कहना चाहूंगा कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने जितनी योजनाओं की जानकारी अपने अभिभाषण में दी हैं वह सारे काम बहुत ज्यादा सराहनीय हैं और मैं पूरी तौर पर इस अभिभाषण की तारीफ करता हूं और मेरी आशा है और मैं यह उम्मीद करता हूं कि हमारे विपक्षी साथी केवल लोजिक के हिसाब से बात करें केवल आरग्यूमेन्ट फार दि सेक आफ आरग्यूमेन्ट नहीं होना चाहिए अपनी बात को वजन देकर कहा जाना चाहिए। अन्त में अपनी बात कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस सहयोग के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अधिष्ठाता महोदय, किसी और को मौका दे दें।

*श्री मनीष असीजा-

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण की चर्चा में आपने मुझे भाग लेने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आदरणीय डाक्टर साहब ने मुझको अपने अवसर की जगह आगे बढ़ा दिया इसके लिए उनका भी आभार प्रकट करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में सरकार की आने वाली योजनाओं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का विस्तार से प्रस्तुतीकरण हैं और पढ़ने पर उसमें अनेक बिन्दु ऐसे हैं जो यह भी दिखाते हैं कि सरकार एक दिशा की तरफ सोच रही है लेकिन उनका अगर परिणाम जमीनी स्तर पर देखें तो बड़ा कष्टप्रद है। विपक्ष के लिए इसलिए कष्टप्रद हैं कि हम लोग जो चाहते हैं वह होता हुआ नहीं दिखता शायद उस पक्ष पर भी अन्दर ही अन्दर उसका असर होता हो। यह लोग भी जो चाहते हैं वह शायद इतनी आसानी से लागू नहीं होता। यह थोड़ा सा राजनीति से हटी हुई बात हो जायेगी कि जब तक यह दोनो पक्षों की मंशा ठीक तालमेल से नहीं चलेगी तब तक शायद ठीक काम नहीं होगा। यह आठवें नम्बर का पृष्ठ है जिसमें यह कहा गया है मेरी सरकार का यह मानना है कि जब तक अनुकूल औद्योगिक वातावरण का सृजन न किया जाय तब तक पूंजी निवेश आकर्षित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अवस्थापना सुविधाएं विकसित कर नये औद्योगिक वातावरण का सृजन किया गया है यह सरकार का उद्देश्य है और बिलकुल साफ और अच्छा उद्देश्य है। मैं आपके माध्यम से शासन से जुड़े लोगों के सामने इसी से जुड़ी एक बात रखना चाहता हूं। फिरोजाबाद एक जिला है उसकी एक विधान सभा फिरोजाबाद नगर है जिससे मैं आया हूं। लगभग 60-70-80 साल पुराना वहां पर कांच का उद्योग है। यह परम्परागत कांच उद्योग है जिसको समाज के सभी वर्गो के द्वारा संचालित किया जाता है और यह कौशल अपने आप में एक इतिहास के रूप में बन गया है। जैसे नोएडा आज विकसित हुआ है, शासन की ताकत उसको लगी है, एन0सी0आर0 की उसको मदद मिली है। लेकिन यह नैसर्गिक डेवलपमेंट है फिरोजाबाद के कांच उद्योग का। यहां पर यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकार अवस्थापना सुविधायें देकर उद्योग को बढ़ाना चाहती है, वहीं इस 60-70-80 साल पुराने उद्योग के ऊपर बहुत भीषण संकट आ गया है। मान्यवर, वर्ष 1996 में एक पर्यावरणविद् हुये थे श्री मेहता जी, उन्होंने एक पी0आई0एल0 सुप्रीम कोर्ट में डाली थी कि ताजमहल के आसपास की जो औद्योगिक इकाईयां हैं, फिरोजाबाद का कांच उद्योग पहले कोयले का उपयोग करता था तो उन्होंने यह इस्टैब्लिश किया था कि कोयले से जो भट्ठियां जलती हैं तो सल्फर-डाई-आक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है और इससे ताजमहल के संगमरमर की रंगत में बदलाव आ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया और ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को जिसमें आगरा केन्द्र रहा और फिरोजाबाद और मथुरा इस पूरे क्षेत्र को टी0टी0जोन के रूप में व्याख्यापित किया गया। यह पूरे भारतवर्ष में एक मात्र टी0टी0जोन है क्योंकि ताजमहल यहीं पर है। इस कारण से फिरोजाबाद की कांच उद्योग में लगी ईकाइयों को, जो कोयले से जलती थीं, इतने कठोर आदेश आये क्योंकि रातों रात उद्योग बंद होने को तैयार नहीं था लाखों श्रमिक भी यहां से अपनी रोजी-रोटी कमा रहे थे, वह भी तैयार नहीं थे कि वह ऐसे किसी मेहता जी के आदेश पर इस तरह की बात को ले लें तो इसके लिये बाकायदा फोर्स को इन्वाल्व किया गया और यह बिल्कुल ऐतिहासिक बात है तत्कालीन रिपोर्टे आप देखेंगे कि फायर बिग्रेड से कांच उद्योग की भट्ठियों को बुझाया गया। कई बार यह बात सच्ची मानी जाती है कि भगवान जो करता है, अच्छे के लिये करता है। वह समय बड़ा मुश्किल रहा शहर के लिये, फिरोजाबाद जनपद के लिये। लेकिन प्राकृतिक गैस आई। इसके आने से जहां वातावरण में, पर्यावरण में प्रदूषण से बहुत बड़ी मुक्ति मिली वहीं गैस की जो सप्लाई थी और जो क्वालिटी आफ फ्यूल है, वह कोयले से कहीं बहुत अच्छा था। धीरे-धीरे उद्योग ने अपने आपको उसके साथ तालमेल के साथ लिया और उस तरह की टेक्नालोजी डेवलप की और काम चलने लगे। अब कठिनाई यहां से शुरू होती है, 1996 में यह आदेश आया था और

1998-99 में वहां गैस आ पाई और 2000 में कुछ लोगों ने पायनियर बनकर इस गैस को लेने का प्रयास किया और जब तक मामला पटरी पर आता, तब तक कठिनाई आ चुकी थी। चूंकि फिरोजाबाद का कांच उद्योग पिछले 60-70-80 साल से एक लघु उद्योग के रूप में नहीं, बल्कि कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हो गया है यानि वहां तो मां-बहन के हाथ में भी कांच का सामान निकल कर जाता है तो एक नैसर्गिक पाठशाला है वहां पर, कुशल कारीगरों की और उस कांच के काम की तकनीक को अच्छे तरीके से कर पाने वाले लोगों की। यह कौशल जो फिरोजाबाद को 60-70 साल की थाती से मिला है, वह प्रदेश से बाहर के उद्योगों को भारी पड़ने लगा और फिरोजाबाद के कांच उद्योग के सामने और कांच के उत्पाद के सामने बाहर का उद्योगपति हिल गया, उन्होंने बड़ी मजबूती से लॉबिग की और पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय को उन्होंने यह बात इस्टैब्लिश की कि 1996 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ए0पी0एम0 गैस जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं, उसके आधार पर जो सस्ती गैस मिलती है, उसमें बाहर के उद्योगपतियों ने इस बात को स्थापित किया कि फिरोजाबाद को कम दर पर गैस मिलती है, इस कारण से इसका रेट बढ़ाना चाहिये और तब जो 11 लाख क्यूबिक घनमीटर गैस का कोटा आगरा और फिरोजाबाद को मिला था, उसका अभी 15 प्रतिशत हाल में काटा गया । मान्यवर, फिरोजाबाद के उद्योग में पूरी तरह से असुरक्षा है, श्रमिक से लेकर उससे जुड़े हुये लोग सब इस बात को देख रहे हैं कि अगर गैस का रेट बढ़ जाता है तो किस तरह बरबादी आयेगी। मैं इस बात को सदन के सामने माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। फिरोजाबाद को, आगरा को टी0टी0 जोन में एक कम्प्लशन है।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें ।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, यह बड़े महत्व का मामला है, मैं इसको पूरा कर लूं तो बैठ जाऊंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप यह भी अवगत करायेंगे कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है।

श्री मनीष असीजा-

मा0 मंत्री जी, मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आप मुझे प्रोत्साहन देते हैं। समस्या उठाने के साथ यदि मैं सुझाव नहीं देता, या कोई भी सदस्य सुझाव नहीं देता तो यह सीधे-सीधे राजनीति है। अब समस्या क्या आ रही है, समस्या यह है कि आगरा, फिरोजाबाद का कांच उद्योग, अल्टरनेटिव फ्यूल वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग नहीं कर सकता। हम लकड़ी नहीं जला सकते, कोयला नहीं जला सकते और इण्डस्ट्रियल ऑयल नहीं जला सकते और एक सबसे ज्यादा आधुनिक इस वक्त फ्यूल चला है जो चाइना से बड़ी मात्रा में आ रहा है उसका नाम है पेट्रोकोक। अब वर्तमान स्थिति बताता हूं पेट्रोकोक की लागत लगभग 11 रुपए प्रति घनमीटर की पड़ती है और इस वक्त जो फिरोजाबाद को फ्यूल मिल रहा है वह लगभग 19 से 20 रुपए प्रति घनमीटर का है। अभी भी हम आधे-आधे पर हैं बाहर का उद्योग यह चाहता है कि इस प्राकृतिक गैस के रेट को इतना बढ़ा दिया जाए कि फिरोजाबाद का उद्योग उसी वक्त वहीं पर काम करना बन्द कर दे और वहां वे लोग उस

गैस को भी लेते हैं तो वह यह काम बड़ी चालाकी से करते हैं। सचिव भारत सरकार के रे साहब और राजीव कुमार साहब जो यहां यू0पी0 से ही गये हैं, उन सब लोगों ने माना है कि इस लॉबिंग को बाहर के उद्योगपतियों ने स्टैब्लिश कर दिया है मोइली साहब के मंत्रालय में। वह यह चाहते हैं कि जब गैस का रेट इतना हो जायेगा तो फिरोजबाद का उद्योग बन्द हो जायेगा और हम पेट्रोकोक से इस काम को चलाते रहेंगे। या तो फिरोजबाद को वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग की अनुमति मिल जाए, वह इसलिए नहीं मिल पायेगी क्योंकि यह टी0टी0 जोन है और यदि टी0टी0 जोन की वजह से हम कोई दूसरा ईंधन नहीं प्रयोग कर सकते और आप कर सकते हो और आप कर रहे हो, इनकी सब फैक्ट्रियों में पेट्रोकोक जल रहा है तो फिर फिरोजाबाद को बरबाद नहीं होने देना चाहिए। इसमें सुझाव क्या है यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैं ए0पी0सी0 श्री आलोक रंजन साहब से मिला था उन्होंने यह कहा था कि फिरोजबाद का उद्योग एक खास उद्योग ही नहीं बल्कि इस जिले की परम्परा है। यह फिरोजबाद खाली फिरोजबाद नहीं है बल्कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और इसका यह कांच उद्योग है यह भी कोई दो-चार दिनों का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। इस शहर को बरबाद होने से रोकने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सीधे-सीधे यह बात जानी चाहिए केन्द्रीय मंत्री साहब को पेट्रोलियम गैस मंत्रालय को कि चूंकि फिरोजबाद आगरा ताज ट्रिपेजियम जोन में आता है, टी0टी0 जोन भारत में मात्र यहीं पर है। गैस के रेट बढ़वाने में लगी हुई इससे जुड़ी इकाईयां मैं उस इकाई का नाम भी ले लेता हूं जो अधिनायकवादी मानसिकता पर काम कर रही है एच0एन0जी0 ग्रुप। फिरोजाबाद में जहां उसके साथ भी एक बड़ी विसंगति है, एच0एन0जी0 ग्रुप एक खास किस्म का उत्पाद पांच हजार टन रोज बनाती है और फिरोजाबाद मात्र चार-पांच सौ टन बनाता है उस उत्पाद को। केवल उस उत्पाद के कारण उसका एकाधिकार टूटता है उसकी मोनोपोली टूटती है इसलिए इतनी बड़ी लॉबिंग करके यह सारी स्थिति बनी है। मा0 मुख्य मंत्री जी का सकारात्मक हस्तक्षेप निश्चित रूप से फिरोजाबाद के उद्योग को संजीवनी देगा। हम रोज बड़े-बड़े एस0ई0जेड0 खोलते हैं, आई0टी0 पार्क खोलते हैं, मैं व्यंग्य में नहीं कह रहा हूं और यह सरकारों का फर्ज भी है लेकिन प्राकृतिक रूप से बने हुए ऐसे उद्योग को बचाने का काम भी सरकार को करना चाहिए। आपकी आश्वासनकारी मुद्रा मुझे सन्तोष दे रही है, मैं चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी तक यह बात गम्भीरता से पहुंचे। मा0 अधिष्ठाता जी, मुझे लगता है कि एक नये सदस्य के रूप में आपने मुझे बहुत मौका दे दिया, यदि अनुमति हो तो एक दो अपने शहर की बहुत छोटी बातें मैं कह दूं, मुश्किल से दो मिनट लगेंगे। मैं सदन के वरिष्ठ सदस्यों की दया के लिए बहुत अनुग्रहीत हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भैंसों पर करीब एक-एक घण्टे की हंसी-मजाक चली है, केवल दो मिनट दे दीजिए साहब।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए, एक मिनट में कह लीजिए।

श्री मनीष असीजा-

फिरोजाबाद में माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से यह चिंता की गयी है कि पानी की व्यवस्था के लिए सथई झेड़ाताल से पानी लाया जायेगा, इसकी घोषणा भी हो गयी है। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि उसकी अभी डी0पी0आर0 भी नहीं बनी है। तो मेरा यह निवेदन है कि वह जो घोषणा है उसका डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाए, उसके बाद उसकी बजट सैंक्शनिंग हो जाए। मेरा

तो अनुरोध है कि यदि स्टेट फण्ड से हो जायेगा तो ठीक रहेगा। एक निवेदन और करता हूं आपसे कि फिरोजाबाद में 2008 में नगरपालिका की सीमा का विस्तार हुआ था तो आसपास की 13 ग्राम सभायें नगरपालिका की सीमा में आ गयी थी। उन 13 ग्राम सभाओं के जो प्राथमिक विद्यालय और परिषदीय विद्यालय थे वह सब शहर की सीमा में आ गये। शहर की सीमा में आने के कारण उनके शिक्षकों को अभी तक 2008 से 2014 हो गयी है जब उनकी प्रोन्नति होती है तो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से तो बोला जाता है कि आप शहर में आ गये हो और शहर के क्षेत्र में कहा जाता है कि अभी तक आप शहर में नहीं आये हैं। जबकि महामहिम श्री राज्यपाल जी की अधिसूचना से 2008 में यह शहरी क्षेत्र में आ गये हैं, यह मैं माननीय मंत्री जी को भी दे दूंगा। इनकी प्रोन्नति रुकी हुई है जो कि तत्काल होना आवश्यक है। मेरे वक्तव्य की बहुत सार्थकता हुई है। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्रीराज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा0 अनूप सण्डा द्वारा पेश किये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद। यह लोकप्रिय सरकार चतुर्दिक सर्वतोन्मुखी विकास कर रही है। पक्ष-विपक्ष की बात होती है उसमें बहस चलायी जाती है लेकिन मूर्तरूप में देखा जाए जो गत वर्षों में जर्जर सड़कें थी, बाधित यातायात था वह मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, जीर्ण-शीर्ण सड़कें बनायी जा रही हैं, ग्रामीण सड़कें बनायी जा रही हैं, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। कई सड़कों को मैंने देखा जो कभी नहीं चली जाती थी उस पर लोग चल रहे हैं। मैं इस सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं साथ ही साथ यह भी निवेदन करता हूं कि जो एक हमारी सड़क है कुन्दहा-सुजानगंज मछलीशहर का अवशेष भाग मडिहान केराकत जो दो तहसीलों को जोड़ता है गर्त की वजह से अत्यन्त संकीर्ण हो गया है यातायात बाधित रहता है उसके चौड़ीकरण का भी निवेदन मैंने किया है और शासन में पड़ा है। काश हमारे माननीय लोक निर्माण मंत्री जी उस पर कृपा कर देंगे तो इस बजट पर चार-चांद लग जायेंगे। इसी ढंग से नदियों पर सेतु बनाये गये। स्वयं मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र की तीन-तीन अर्द्धनिर्मित पुल गोमती व सई नदी पर चाहे वह राजेपुर घाट का रहा हो, चाहे बेलाव घाट का रहा हो, चाहे जफराबाद घाट का रहा हो, तीनों पुलों को पूर्णरूपेण तैयार करके महती कृपा किया है। इसके लिए मैं मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इस सरकार की बलैया करता हूं। लेकिन काश अगर जफराबाद में जहां आपने 8.51 करोड़ रुपया देकर उसे पूर्ण कराया है उसका अभी पहुंच मार्ग न बनने से थोड़ी बाधा है। आशावान हूं कि अतिशीघ्र ही उस पहुंच मार्ग का निर्माण भी करायेंगे। हमारे यहां दो पुल सई पर बनना आवश्यक है। धनेजा घाट और गड़हर घाट जिसकी स्वीकृति हो गयी है धनाभाव की वजह से नहीं बन पा रहा है अगर वह बन जाता है तो बजट की सार्थकता और बढ़ जा रही है। इसी ढंग से नहरों में आशातीत सफलता प्राप्त किया है। हमारे लोक निर्माण मंत्री जी जिस भी विभाग में रहे हैं उन्हें जरूर वरदान के रूप में यह मिला है। उन्होंने गत वर्ष यह कहा था कि हम नहरों का पानी वहां तक पहुंचाएंगे कि टेल के अन्तिम खेत तक वह मूर्त रूप में देखने को मिला है। हमारे यहां चाहे केराकत रजबहा हो चाहे बावतपुर रजबहा हो हमेशा बाधित रहता था लेकिन इधर दो वर्ष से बराबर चल रहा है और अन्तिम खेत तक पानी पहुंचा है यह भी इस सरकार की उपलब्धि प्रतीत होती है। नहरों की पटरियां जो गत

20-25 वर्ष पहले बनी थीं उसे भी पूरा कराने का आपका लक्ष्य है आशावान हूं कि केराकत और बावतपुर रजबहा को आप सुसज्जित करेंगे शिक्षा का हम ज्यादा गुणगान नहीं करेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बेसिक शिक्षा में सुधार आया है आशातीत सफलता मिली है। हम तो बंद ताले हैं अक्सर हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहा करते हैं कि वह स्कूलों को चेक करें। मैंने चेक किया पहले और अब में बड़ा अन्तर है। शिक्षक की नियुक्तियां हुई हैं इसके लिए मैं शिक्षामंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और इस सरकार की उपलब्धि का बखान करता हूं। मैं चिकित्सा की भी बात करता हूं जहां अस्पताल बन्द पड़े थे वह नहीं चल रहे थे जो अभाव की वजह से नहीं बन रहे थे आपने स्वयं बनवाया है हमारे क्षेत्र में भी इस धन से कार्य हुए हैं। एक बहुत दिन का पड़ा हुआ फौज का ट्रामा सेन्टर है वहां आज तक डाक्टर नहीं बैठ पाए हैं। उसमें अगर डाक्टर बैठने लगेंगे और ट्रामा सेन्टर का स्वरूप हो जाएगा तो जरूर माननीय अनूप सण्डा जी के प्रस्ताव पर बल मिलेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता पृष्टपेषण नहीं करना चाहूंगा लेकिन उपलब्धि मिली है इसका बयान करना लाजिमी है। अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करते हुए और माननीय अनूप सण्डा के प्रस्ताव पर बल देते हुए क्योंकि लाल बत्ती जल गई मैं बेजा हरकत नहीं करवाना चाहूंगा मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री कालीचरन सुमन-

माननीय अधिष्ठाता महोदय महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय मौर्य जी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बल देते हुए अपनी बात रख रहा हूं। आपने समय दिया इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। जब से यह समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से बनी है तब से उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी योजनाएं चलेंगी जिससे उत्तर प्रदेश का भला होगा समाज का भला होगा इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार चली थी उस समय की तमाम कल्याणकारी योजनाएं या तो बंद कर दी गई हैं या उनका नामकरण करके आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। अधिष्ठाता महोदय मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटाप मिले या पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को टेबलेट मिले। हम इस बात का विरोध नहीं करते हम इस बात पर जोर देते हैं कि इस प्रदेश में आज शिक्षा के सुधार की जरूरत है। इस प्रदेश में आज सड़कों के सुधार की जरूरत है। इस प्रदेश में आज कृषि के सुधार की जरूरत है। इनके ऊपर वर्तमान सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं माननीय बेसिक शिक्षामंत्री जी बैठे हैं इन्होंने कमियां बताई हैं कि हम शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सकते हैं मान लिया कोर्ट का आदेश होगा। परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में आज तक बाउन्ड्री वाल नहीं है, विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मैं उदाहरण के रूप में अपने क्षेत्र के बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जिन विद्यालयों में बाउन्ड्री नहीं है, उनके बारे में बताना चाहता हूं। प्राथमिक विद्यालय डिजामई प्राथमिक विद्यालय सुजगई, प्राथमिक विद्यालय नगला आनन्दी, प्राथमिक विद्यालय देवरी, प्राथमिक विद्यालय पिचपुरी जैसे तमाम विद्यालय हैं जिनमें बाउन्ड्री वाल नहीं है, इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यहां पर माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, इनसे भी मैं इस पीठ के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, संशोधन करने के लिये मांग करना चाहूंगा क्योंकि हमारे आगरा में यमुना नदी निकल कर के जाती है और यमुना नदी

के किनारे पर जितने भी गांव बसे हैं वह बाढ़ के समय में वह गांव जलमग्न हो जाते हैं, तमाम खेती बर्बाद हो जाती है। हजारों बीघा खेती नष्ट हो जाती है। मैं मांग करना चाहूंगा कि यमुना किनारे पर जो गांव बसे हैं जैसे तनौरा, नूरपुर, मेहरा, नारगंज, समौगर, कलीस, बरौली, बूजर, विसाखा इत्यादि गांव के कटान को रोकने के लिये उसकी खेती को रोकने के लिये, खेती बर्बाद न हो, इसको रोकने के लिये तट पर बन्ध बनाये जायं। बांध बनाकर उसको रोका जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं जैसा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कहा था कि हम उस टेल तक पानी पहुंचायेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पानी तो तब पहुंचेगा जब नहरों की सफाई होगी। माइनरों की सफाई आज तक नहीं की गई है तो पानी कैसे पहुंचेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक आगरा रोहता नहर आती है वहां पर दो पुलियों की बहुत आवश्यकता है। एक जैसे नगला बसुआ के सामने एक पुलिया बन जाय जहां 50 हजार लोगों की आबादी है, आवागमन में बाधित होती है। नगला बसुआ और एक ठाकुरदास की घड़ी पर। इन दो पुलियाओं का बनाना जनहित में बहुत जरूरी है, मैं इसकी मांग करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सड़कों के बारे में कोई जोर नहीं दिया गया है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि प्रदेश की तमाम सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया जायेगा। परन्तु हमने आज तक नहीं देखा कि हमारे क्षेत्र में कोई सड़क गड्ढामुक्त हुई होगी। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि अजीजपुर से लेकर टपरा तक और अजीबपुर से लेकर सौलहाफाटक तक, नगलाकली से लेकर सैमरी और सैमरी से लेकर एस0एस0 पब्लिक स्कूल तक, देवरी रोड इत्यादि तमाम ऐसी सड़के हैं जो आज तक मांग करने के बावजूद, तमाम नियमों के तहत हमने यहां उठाया है परन्तु एक ही जवाब मिलता है कि संसाधनों के ऊपर, धन की उपलब्धता के होने पर इनको बनवा दिया जायेगा। मान्यवर, पीठ से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वह धन कब आयेगा, वह संसाधन कब आयेगा जो प्रदेश की सड़कें गड्ढामुक्त हो पायेंगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक मांग और करना चाहता हूं। इसी सदन में कहा गया था माननीय नगर विकास मंत्री जी ने कि जो सीवर है आये दिन चर्चा हो रही है, सीवरों की खुदाई से तमाम सड़कें खराब हो गई हैं। हमारे क्षेत्र में वर्ष 2008-2009 में सीवर लाइन का काम हुआ था। वर्तमान सरकार ने उसको रुकवा दिया है और सीवर की लाइन डलने के कारण तमाम सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, सड़कें ध्वस्त होने के कारण से आवागमन बाधित हो गया है। माननीय पीठ से मैं कहना चाहूंगा कि तत्काल उन सड़कों का निर्माण कराया जाय और सीवर लाइन को चालू किया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस समय हमारे आगरा में बेमौसम जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार इस ओर ध्यान दे और जो किसानों का आलू, गेहूं तमाम फसलें नष्ट हो गई हैं उसका किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आलोचना नहीं करते हैं, हम यह कहना चाहते हैं कि जो पूर्व की सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थीं उनको लागू किया जाय, उनको आगे बढ़ाया जाय ताकि प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके। इस सरकार ने वायदा किया था कि हम इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे। हमें नहीं लगता कि किस क्षेत्र में उत्तम प्रदेश बन रहा है। यह कहने के लिये हम लोगों को यहां कहना पड़ रहा है। इसलिये मांग करना चाहते हैं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो संशोधन करने के लिये कहा है, उस पर बल देने के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं। पुनः उनकी बात पर बल देता हूं और

अनुरोध करता हूं कि हमने जो भी बातें यहां रखी हैं उनको इसमें जोड़ा जाय और शीघ्र समाधान किया जाय। माननीय अधिष्ठाता जी, धन्यवाद।

श्री अनीसुर्ररहमान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मोहतरम, अभिभाषण के अन्दर बहुत अच्छी बातें आईं लेकिन कुछ चीजें छूट गईं मैं समझता हूं कि सुझाव के तौर पर और प्रस्ताव के तौर पर मैं आपके माध्यम से सरकार के पास तक उन चीजों को पहुंचाऊं। सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना लागू की और यह भी बताया गया कि 31 मार्च तक इसके फार्म भरे जाएंगे लेकिन जब लोग फार्म लेने के लिए प्रधानों के पास, नगर पंचायत के मेम्बरों के पास या ब्लाक में पहुंचे तो यह बताया गया कि अभी तक शासनादेश यहां पर नहीं आया है तो मेरा अनुरोध है कि समाजवादी पेंशन योजना से छोटी जनता को लाभान्वित करने के लिए इस योजना का शासनादेश शीघ्रातिशीघ्र जिले पर और निचले स्तर पर जाना चाहिए। एक अनुरोध और प्रदेश के गरीबों के बारे में, जिन लोगों के मकानों की खाली दीवारें बनी हुई हैं या ईंटे की दीवारे बनी हुई हैं लेकिन वह लोहिया आवास के अन्दर आच्छादित नहीं होते हैं उनकी ईंटों की दीवारों पर पन्नी पड़ी हुई है या छप्पर पड़े हुए हैं ऐसे लोगों की दीवारों पर भी पन्नी हटाकर सरकार खाली लिन्टर और छत पड़वाने का काम करेगी तो काफी लोगों को प्रदेश के अन्दर राहत मिलेगी। आदरणीय अधिष्ठाता जी, मेरे क्षेत्र की तहसील कांठ में तहसील का भवन निर्माणाधीन है परन्तु इस भवन के अन्दर वकीलों के लिए चेम्बरों का निर्माण और उनके लिए हाल के निर्माण की व्यवस्था नहीं की गई है मेरा सरकार से अनुरोध है कि कांठ तहसील के भवन निर्माण के साथ वकीलों के लिए चेम्बर और उनके लिए मीटिंग हाल के निर्माण की व्यवस्था करा देगी तो वहां के वकील आपके आभारी रहेंगे। गन्ना मूल्य के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े नेताओं ने सदन के अन्दर कही हैं मेरा छोटा सा सुझाव है कि गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाए। जो गन्ना किसान अपनी बेटियों की शादियां करना चाहते हैं और जिनकी बेटियों की शादी निर्धारित है और पैसे की अनुपलब्धता के कारण शादी करने में अड़चन आ रही है तो गन्ना मिलों को निर्देशित कर ऐसे लोगों को शीघ्र गन्ना मूल्य भुगतान कराया जाए। साथ ही यह भी अनुरोध करना है कि मेरे क्षेत्र में दीवान शुगर मिल, अफगानपुर, सोहारा शुगर मिल और त्रिवेणी शुगर मिल तीन मिलें आती हैं लेकिन इन्होंने विगत तीन वर्षों से गन्ना कमीशन का दो करोड़ पैंसठ लाख रुपया सोसायटी को नहीं दिया है जिसकी वजह से सड़कों का निर्माण और पुलों का निर्माण क्षेत्र में रुका हुआ है।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

सरकार निर्देश जारी कर इन मिलों से गन्ना समिति का जो कमीशन है उसको दिलाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में बताया है कि सरकार ने प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 की पांच सौ सीटें बढ़ाई गई हैं इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी और सरकार बधाई की पात्र है लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में यूनानी कालेज मात्र दो हैं और दोनों यूनानी कालेज के अन्दर जो सीटें हैं वह चालीस-चालीस हैं मेरा अनुरोध है सरकार से कि जब तक सरकार नये यूनानी कालेज का निर्माण नहीं कराती है तो इन दोनों यूनानी कालेजों के अन्दर

चालीस-चालीस सीटों से बढ़ाकर सौ सीटें कर दी जाएं। आदरणीय अध्यक्ष जी, बड़ा सौभाग्य है कि आप इस वक्त यहां पीठ पर बैठे हुए हैं और सरकार के अहम् मंत्री जनाब शिवपाल जी यहां पर तशरीफ फर्मा रहे हैं, अगर पूरे प्रदेश के अन्दर देखा जाए तो सहारनपुर और मुरादाबाद मण्डल ऐसे हैं जहां पर राजकीय यूनीवर्सिटी नहीं है। इस समय हमारा मण्डल क्षेत्र बरेली यूनीवर्सिटी से जुड़ा है श्रीमन् बहुत बड़ा घोटाला परीक्षा फार्म भरने का हुआ है जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में हुआ है मेरा अनुरोध है कि एक राजकीय यूनीवर्सिटी मुरादाबाद में स्थापित की जाए और अगर सरकार के सामने संसाधनों की कमी है तब तक सरकार यूनीवर्सिटी का कार्यालय स्थापित करे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और निचले संवर्ग की वहां नियुक्ति करके जो वहां डिग्री कालेज हैं उनके एफिलेशन की व्यवस्था कराये। मान्यवर, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि जो सुझाव मैंने सरकार के सामने प्रस्तुत किए हैं सरकार उन पर विचार करेगी और निर्देश जारी करेगी। धन्यवाद।

[3.38 बजे] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 फरवरी, 2014 की बैठक में यह निर्णय लिया है कि दिनांक 24 फरवरी, 2014 को सदन में पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयकों के विचार एवं उनके पारण से सम्बन्धित मदें दिनांक 25 फरवरी, 2014 को ही सदन में विचारार्थ ले ली जायं :-

1-उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014

2-उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014

3-उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष-

अब सप्लीमेंट्री एजेण्डा बंटवाइये। पहले हम ये विधेयक ले लेते हैं। आज जितनी देर तक आप लोग बैठे रहेंगे, कोरम पूरा रहेगा, हम बैठे रहेंगे। आप लोग अपनी बात कह लीजिएगा। अब

आप लोग तय कर लीजिए, जिसको बोलना है, 42 आदमी जोड़ कर बैठिएगा। अगर इसमें 4 कम हो जाओगे तो बन्द हो जायेगा।

अब बिल ले रहे हैं।

[3.40 बजे] उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

श्री हुकुम सिंह जी इसके प्रस्तावक हैं, लेकिन वह तो हैं नहीं। ठीक है, पहले मंत्री जी बोल लें उसके बाद डाक्टर साहब बोल लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो यह संशोधन विधेयक आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इस संशोधन विधेयक में सिर्फ एक संशोधन है और वह बेहद औपचारिक और आवश्यक संशोधन है, बहुत छोटी सी बात है। मैं नहीं समझता कि इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है। जो विधेयक हमने प्रस्तुत किया है, इसमें एक प्रावधान यह किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम में, उसके अध्यक्ष की जो आयु थी, अधिकतम आयु वह 65 वर्ष प्रस्तावित थी। श्रीमन्, इसमें प्रावधान है कि जो किसी विश्वविद्यालय में कुलपति रहे होंगे, वही इसके अध्यक्ष बनाये जा सकते हैं। कुलपति के रूप में कार्य करने की उनकी आयु सीमा भी 65 वर्ष है और इसकी भी 65 वर्ष है तो मान्यवर, मूल अधिनियम में जो प्रस्ताव था, उन दोनों में ही अगर अधिकतम् आयु एक ही रहेगी तो 65 वर्ष की आयु में वहां से रिटायर होंगे और यहां एप्वाइंट नहीं हो सकेंगे। सिर्फ उस आयु सीमा में शिथिलता के लिए यह प्रस्ताव है। इसलिए मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है और इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, यह विधेयक बता रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति को यह सरकार उच्च परिषद् का अध्यक्ष बनाना चाहती है। आप नाम ही बता देते, बात खत्म हो जाती, हम लोग सहमति दे देते। क्योंकि अभी आप सदन में बैठे हुए थे और जल प्रबन्धन नियामक आयोग पर बहस हो रही थी। माननीय सिंचाई मंत्री ने बड़े गर्व के साथ कहा कि हमने इसमें अध्यक्ष की उम्र 70 साल से घटा करके 65 साल कर दी है और इसको वह अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे थे। तो यह किसी के भी समझ से परे है कि एक आयोग में आप 70 साल से 65 साल क्यों करते हैं और दूसरे में आप 65 से बढ़ाते क्यों हैं। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, जो बढ़ाना चाहते हैं उसका उन्होंने उद्देश्य बताया है। सक्षम और प्रख्यात शिक्षाविद् की सेवायें दीर्घकाल तक प्राप्त करने के लिए। उद्देश्य बहुत अच्छा है। जो विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है यह जो मेडिकल कालेजों में डाक्टरों की कमी है मैं

सदन में कहते-कहते थक गया कि इनकी अधिवर्षता आयु को बढ़ाकर 65 और 70 साल कर दिया जाये। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय चिकित्सा संस्थानों में यही है। अगर आप सैद्धांतिक रूप से सहमति दें कि जितने आपके ऐसे संस्थान हैं जहां आपके सक्षम और प्रख्यात शिक्षाविदों की जरूरत है तो उन सबमें अधिवर्षता की आयु आप बढ़ाकर 70 वर्ष कर देंगे तो हम लोग इसके लिए भी सहमत हो सकते हैं। दूसरी चीज आपने सिर्फ 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने की बात नहीं की है बहुत चतुराई के साथ आप तथ्य छिपा रहे हैं। छिपा यह रहे हैं कि आप इन्हें 70 नहीं 75 नहीं 80 तक ले जा सकते हैं। इस पूरे अधिनियम में कही नहीं लिखा है कि किसी अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं होगी बल्कि यह लिखा है कि किसी भी अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति की जा सकेगी। यानी स्पष्ट है कि यह 75 से 70 का मामला नहीं है यह हो सकता है कि यह व्यक्ति 70 के ऊपर का भी हो। तो वह रहस्य खोलिये हम लोग अपनी सहमति दे देते हैं और या यह घोषित करिये विश्वविद्यालयों का रिटायरमेंट सारे मेडिकल कालेजों का रिटायरमेंट आप 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करेंगे। हम उसकी भी सहमति दे दें। अन्यथा हम लोगों का सैद्धान्तिक विरोध तो रहेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

चूंकि डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने जो बात कही है उसमें और इसमें एक अंतर है। अभी सिंचाई मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया था उसमें जो आयु कम करने का प्रस्ताव था वह भिन्न था। उसमें उसकी योग्यता के लिए रिटायरमेंट की जो उम्र है वह 60 या 62 वर्ष है इसलिए उसको 70 साल से 65 साल किये जाने की आवश्यकता थी और इसमें जो नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता होगी वह रिटायरमेंट के बाद होगी और 65 साल तक तो कोई वी0सी0 रहेगा तो 65 साल तक तो इसकी अधिकतम आयु नहीं होगी। दोनों में भिन्नता है इसलिए इसको स्वीकार करें। आगे देखेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

यह जानते हैं कि अधिनियम में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। फिर भी यह कह रहे हैं तो इनकी मर्यादायें हैं कुछ न कुछ तो इनको कहना ही है। अब हर चीज को मैं भी नहीं खोलूंगा। आप मतदान करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि यह संशोधन प्रस्तुत नहीं हुआ है इसलिए इस पर नहीं होगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 1995 की धारा-7 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा-7 में, उपधारा (1) में, परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, आज जो संशोधन विधेयक हमने रखा है। इसमें बहुत मामूली किंतु महत्वपूर्ण संशोधन है। मान्यवर, महत्वपूर्ण संशोधन इसलिए है कि ये पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग विधेयक के मूल प्राविधानों में अल्पसंख्यक वर्ग की नुमाइन्दिगी का कोई प्राविधान नहीं था और इससे बड़ी विडम्बना होती थी, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग में पिछड़े वर्ग के लोग हैं और उनका प्रतिनिधित्व मान्यवर इसमें होना आवश्यक था, इसलिए जो हम संशोधन ले करके आये हैं, इस संशोधन के माध्यम से मा0 अध्यक्ष जी उनका प्रतिनिधित्व इसमें अनिवार्य किया जायेगा और कम से कम एक सदस्य

अल्पसंख्यक वर्ग का अनिवार्य रूप से इस आयोग में रखा जायेगा। दूसरे, जो सदस्य संख्या 17 थी उसको 25 इसलिए किया गया है कि प्रदेश बहुत बड़ा है और पिछड़ा वर्ग की आबादी मान्यवर उसी हिसाब से बहुत बड़ी है और उनके हितों के तमाम सवाल पैदा होते रहते हैं जिसमें आयोग को संज्ञान लेना पड़ता है, इसलिए उन सदस्यों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी जाय, यही मात्र दो संशोधन हैं और मैं समझता हूं कि इससे पूरा सदन सहमत होगा। इन संशोधनों के साथ जो रखे गये हैं विधेयक के प्रस्ताव के माध्यम से इसको स्वीकार किया जाय और सर्वसम्मति से इसको पारित किया जाय।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक पारित किया था पिछले सत्र में आपको स्मरण होगा, अल्प संख्यक आयोग में पहले आठ सदस्य हुआ करते थे जब यह सरकार मा0 मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे, तो उस समय उस सदन में उस आयोग में आठ सदस्य हुआ करते थे, इन लोगों ने उसकी संख्या बढ़ा करके 17 कर दिया था, जब इनकी सरकार आई थी। अब जब 2012 में इनकी सरकार आई तो मा0 अल्प संख्यक विभाग मंत्री ने संशोधन प्रस्तुत किया और बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहीं। अधिक लोगों के होने से क्या-क्या होता है, काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, इतनी बड़ी संख्या बैठती है, खाली बहस करती है, कुछ करती नहीं है। दूसरी चीज सरकार के ऊपर बहुत बोझ पड़ता है, सरकार के ऊपर बहुत खर्चा होता है, क्योंकि जितने भी हम सदस्य रखते हैं, सबको धन देना होता है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने जब वह विधेयक प्रस्तुत किया था, तो बहुत ऊंचे सिद्धान्तों पर ले जा करके उसकी चर्चा की थी और कहा था कि वह जो 17 सदस्य हैं हम उन्हें घटा करके उनकी संख्या 08 कर रहे हैं, उन्होंने उनकी संख्या 17 से घटा करके 08 कर दिया। दूसरी चीज उन्होंनें कहा कि हमारे अल्प संख्यक विधेयक में कोई महिला का प्राविधान नहीं है और इसलिए हम यह शर्त लगा रहे हैं कि हमारे इन आठ सदस्यों में एक सदस्य महिला जरूर होगी, दोनों बहुत प्रगतिशील बात लगी। एक सरकार जो रेवड़ियां बांटती है, अगर यह कहे कि नहीं हमको 17 नहीं हमारा काम 08 से चल जायेगा और यह कहे कि हम एक महिला सदस्य जरूर रखेंगे, तो आप मुस्लिम सदस्य समझ सकते हैं इस बात को कि यह एक प्रगतिशील विचार था और सदन ने मेज थपथपा कर उनके बड़प्पन का स्वागत किया था। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मा0 अम्बिका चौधरी जी को क्या हो गया, अल्पसंख्यक आयोग यह कह रहा है कि 17 से काम फंसता है, इसको घटा कर 08 कर दो, मा0 अम्बिका चौधरी जी कह रहे हैं कि 17 से काम नहीं होता है, इसको बढ़ाकर 25 कर दो, यही मैं बारबार कहता हूं आखिर यह सरकार किसी चीज के बारे में कोई नीति, नियम बनायेगी या सारे निर्णय एढाक लिये जायेंगे। यह स्पष्ट होना चाहिए कि अल्पसंख्यक आयोग 08 सदस्यों के साथ काम क्यों कर पाता है और आपको काम करने के लिए 25 क्यों चाहिए। क्या आपकी प्राथमिकता अल्पसंख्यकों का खाली ढिंढोरा पीटने की है, उनके लिए कुछ करने की नहीं है। आप मूलतः अल्पसंख्यकों की गाड़ी पर चढ़ करके पिछड़ों की बात करते हैं, आप स्पष्ट करिये। दूसरी चीज, इस आयोग में आपने महिला सदस्य की व्यवस्था क्यों नहीं की, अगर आपको लगता है कि आयोगों में महिला सदस्य होनी चाहिए, तो आपको इसमें भी करना चाहिए, अभी समय है, आप अभी कह सकते हैं कि हम इसको जुड़वा देंगे। दोबारा एक संशोधन

विधेयक लाइये उसकी क्या जरूरत है, आप अभी खड़े होइये, कहिइये कि हां इसमें एक महिला सदस्य जोड़ लिया जायेगा, हम इसको वापस ले लेंगे और तीसरी चीज, मा0 अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अधिकृत रूप से स्वीकार किया है, मैंनें इसको पढ़ा है, अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य पिछड़े वर्गों का कोई सदस्य, यानी सरकार यह मानती है कि अल्पसंख्यक में अगड़ा और पिछड़ा होता है, तभी यह शब्द यहां पर आया है, हम इसको मना नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, हम आपकी बात जो-जो आप कहेंगे, हम सब मानते चलेंगे, राजा आप हैं, हम तो प्रजा हैं, तो आप अगर स्वीकार कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक में अगड़ा और पिछड़ा होता है, सैद्धान्तिक रूप से आप कह रहे हैं और जब सदस्य बना रहे हैं तो आप अपने पिछड़ा वर्ग आयोग में यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग का अल्पसंख्यक इसका सदस्य होगा। आप एक सामान्य अल्पसंख्यक को इसका सदस्य क्यों बना रहे हैं ? आप पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यकों की बेहतरी के नाम पर एक सदस्य बढ़ाना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस पिछड़ा वर्ग आयोग में हमें एक पिछड़े वर्ग का अल्पसंख्यक लाना चाहिये। हमें यह विचार करना चाहिये कि हम कितना खर्चा बढ़ाने जा रहे हैं। मैंने जोड़ा है, कुल मिला करके मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने इस सरकार का 36 लाख 67 हजार रुपये एक विधेयक में संशोधन करके बचाया। मा0 अम्बिका चौधरी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और यह विधेयक पारित होने के बाद सरकार का खर्चा 32 लाख 60 हजार रुपये प्रतिवर्ष बढ़ जायेगा। यह खर्चा सरकार समाज के गरीब नागरिकों से लेने वाली है इसलिये इस आर्थिक अपव्यय पर भी मैं सैद्धान्तिक रूप से विरोध करता हूं। अगर यह खर्च, मैं गलती कह करा हूं तो एक-एक सदस्य को आप 4-4, 5-5 लाख रुपये बांटने वाले हैं, न जाने कितने लोग इसमें एडजस्ट होंगे। आखिर वो खर्चा आयेगा कहां से। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होगा इसलिये मैं इस आधार पर भी इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, दो बातें मैं डा0 साहब को स्पष्ट कर दूं। अल्पसंख्यकों की आबादी इस प्रदेश में 16 फीसदी के आस-पास है तो उनके आयोग के सदस्यों की संख्या 8 और जिनकी आबादी 52 फीसदी से ज्यादा है तो उनकी आबादी अगर इस रेसियों में हो तो उनकी संख्या मान्यवर, 26 के आस-पास होनी चाहिये, जो 25 है इसलिये यह उसी रेशियो में है। ये जनसंख्या के हिसाब से आबादी के उसी अनुपात में है। जो अनुपात इस प्रदेश में है। डा0 साहब की शंका का मैंने समाधान कर दिया और इसलिये मान्यवर, मैं उनसे पुनः अनुरोध करता हूं कि वह इसे सर्वसम्मति से पारित करने दें, संशोधन तो कोई है नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 17 फरवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-1 सन् 1996 की धारा-3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1996 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-3 की उपधारा (3) में,-

(क) शब्द ''सत्रह अन्य सदस्य'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस अन्य सदस्य'' रख दिये जायेंगे ;

(ख) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तुक यह कि अल्पसंख्यक समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि आयोग में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ शब्द 'अल्पसंख्यक' का अर्थ वही होगा जैसा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 1994) में परिभाषित है।''

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2014

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधन मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[4.00 बजे] उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई संशोधन तो है नहीं ? क्या बोलेंगे कुछ, सीधे प्रश्न रख दें खत्म हो जाये सब।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं विधेयक के बारे में संक्षेप में बता दूं कि बहुत छोटा सा एक प्राविधान है निरसन का और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं लेकिन फिर भी मान्यवर, यह कुशल कर्मकार तैयार करने तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण देने के लिये इसकी स्थापना की गयी थी। अब चूंकि कौशल विकास के लिये उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इसको ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कर रहा है और मान्यवर, इसके तहत प्रसन्नता होगी सभी सदस्यों को मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं अगवत कराना चाहता हूं कि 36 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके लिए अपना पंजीकरण कराया है और अनेक प्रकार का व्यावहारिक प्रशिक्षण ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ लिस्ट हम कर दें, उसमें नहीं जो व्यावहारिक रूप से बदले हुए माहौल में जिस तरीके के कौशल विकास के लिए आवश्यकता है, उसका प्रबन्ध कौशल विकास निगम द्वारा मान्यवर, किया जा रहा है। इसलिए एक ही कार्य के लिए दो तरीके की संस्थाओं को रखे जाने से भ्रम भी है और वह काम भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मान्यवर, आज हम व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण विधेयक इसके निरसन के लिए मान्यवर, आज यह निरसन विधेयक हमने सदन में प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूं कि सभी इसका समर्थन करेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, आज ही हमने एक जल प्रबन्धन और नियामक आयोग पर बहस किया। सरकार एक साल पहले उसका निरसन विधेयक लेकर आयी थी और एक साल के अंदर सरकार को यह महसूस हो गया कि उसने गलती की थी। जल प्रबन्धन नियामक आयोग वर्ष 2008 में बना था, चूंकि बसपा सरकार ने बनाया था। अब ये इनकी बुद्धिमत्ता है कि इन विधेयकों पर ये नहीं बोल रहे हैं, ये इनकी समस्या है। आपने आते ही मान्यवर, इसको बदल दिया और बदलने के बाद आपको

पता चला की आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है, वह एक हजार करोड़ रुपये जो मिलना था, वह आपको मिलने से रुक गया और एक साल के अंदर आपने पल्टी मारी, निरसन विधेयक को वापस कर दिया और 2008 के इसी विधेयक को फिर से लागू कर दिया, तो इस विधान सभा का समय जो होता है, अध्यक्ष जी, वह बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है और एक-एक शब्द का महत्व होता है।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए वेल में नहीं आना चाहिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

हां, आप तो जानते हैं, अध्यक्ष जी, मैं तो एक-एक सेकेण्ड का इस्तेमाल करता हूं, आपने कभी मुझे अनावश्यक बोलते हुए नहीं पाया। खर्चे जोड़े जाएं अगर तो एक-एक मिनट के खर्चे लाखों में आते हैं। यह विधान सभा विधेयक बनाने के लिए बनायी गयी है। इसका नाम ही विधान सभा इसलिए है और इसलिए अगर सबसे अधिक सावधानी सरकार को अगर किसी काम के लिए लेनी चाहिए तो वह विधेयक बनाने में लेनी चाहिए। बनाने के पहले इसे ठोंक-पीट लेना चाहिए। आपने निरसन विधेयक बनाया, आज उसको फिर से पारित कराया। कोई इसकी गारंटी आप दे सकते हैं कि आज जो आप निरसन विधेयक ले करके आ रहे हैं, उसको फिर से पारित नहीं करायेंगे, क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप पारित कराएंगे। आप जिस कौशल विकास परिषद्, कौशल विकास योजना और व्यावसायिक परीक्षा परिषद् के नाम पर उस इतने अच्छे एक्ट को आप निरसित कर रहे हैं। दोनों के अंतर को समझिये, व्यावसायिक परीक्षा परिषद् सिर्फ परीक्षा लेने के लिए बनी है। हमें वोकेशनल ट्रेनिंग आज जो समाज की आवश्यकता है मा0 अध्यक्ष महोदय, उसमें हमें किताबी शिक्षा की आवश्यकता कम है, व्यावसायिक और व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता ज्यादा है। आने वाले समय में धीमे-धीमे अध्यक्ष महोदय, आज देखेंगे कि हम टैक्निकल यूनीवर्सिटीज अपने आप में वोकेशनल पाठ्यक्रम के लिए डेवलप करेंगे और यह काम एक्ट के माध्यम से हो सकता था, गर्वनमेण्ट आर्डर से नहीं। व्यावसायिक परीक्षा परिषद् किसी एक्ट के माध्यम से स्थापित कोई संस्था नहीं है। 2010 में व्यावसायिक शिक्षा परिषद् बना करके एक्ट के माध्यम से यह सारे प्राविधान किये गए थे। कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता मा0 अध्यक्ष जी, उन बच्चों को दी जाती है, जो कक्षा-5 तक पढ़े हों, आर्थिक कारणों से उससे अधिक पढ़ाई न कर पा रहे हों और इसलिए उन्हें संसाधन देकर, इनपुट्स देकर, इस स्तर पर ही उनके अंदर की क्षमता को विकसित किया जाए, इसका इस विधेयक से क्या मतलब। व्यावसायिक परीक्षा परिषद् परीक्षा कराता है, यह जो पुराना विधेयक है। मा0 अध्यक्ष जी, यह जो एक्ट 2010 में पारित हुआ है, प्रदेश में जितने वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान हैं, और जिस भी किसी नाम से चलते हैं, उनमें क्या पाठ्यक्रम होगा, उनमें नियुक्तियां कैसे होंगी, उनमें किस प्रकार से परीक्षाएं की जायेंगी। कैसा एक प्रांतीय स्तर का स्टैण्डर्ड बनाया जायेगा, उन सबको सम्मिलित करता हुआ एक एक्ट बनाया गया था। एक अच्छा एक्ट था, आपकी अपनी जिद है आप इसे वापस कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमारी सरकार की जो प्राथमिकतायें हैं, हमने वर्ष 2012 के चुनावों में अपना घोषणा-पत्र जो जारी किया था, उसमें हमने अपने जिन मुख्य कार्यक्रमों का उल्लेख किया था उसमें

प्राथमिकता के आधार पर यह बात कही थी कि हम इस प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने का काम करेंगे। उन बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में हमने प्रयास प्रारम्भ किये हैं। मान्यवर, केवल सरकारी नौकरियों के माध्यम से ही सभी बेरोजगारों को रोजगार देना सम्भव नहीं है, इसलिये उन बेरोजगारों को रोजगार करने के लिये सक्षम बनाने के लिये कौशल मिशन विकास योजना की शुरुआत की। मान्यवर, जिनको हम शुरुआती तौर पर रोजगार नहीं दे पाये, उनको हम लोगों ने अपने वायदे के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता दिया और वह भी तीन गुना बढ़ाकर दिया। मान्यवर, लेकिन उस बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं हैं इसीलिये हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की क्षमता से जोड़ा जाय और उन बेरोजगारों के हितों की रक्षा की जाय। मान्यवर, जब तक हम उनको रोजगार नहीं दे सके, हमने उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। अब इस कौशल मिशन विकास योजना के तहत जो पंजीकरण हुए हैं उन लोगों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करके रोजगार देने की व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम यह निरसन विधेयक लेकर आये हैं और डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी से यह अनुरोध करते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस लेकर इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। इसीलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 का निरसन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह विधेयक उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-20 सन् 2010 का निरसन

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[04.05 बजे] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

श्रीमन् आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। मान्यवर, यह जो 107 पृष्ठों का अभिभाषण है इसका मैंने अध्ययन किया है। मान्यवर, इसमें बहुत सी चीजें छूटी हुई हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पिछले दिनों कुछ घटनायें घटीं, उनका जिक्र इसमें नहीं है।

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। 19 अक्तूबर, 2013 को मेरे क्षेत्र मुबारकपुर ब्लाक सठियांव थाना मुबारकपुर में जहरीली शराब पीने से 43 लोगों की मृत्यु हो गयी 19 अक्तूबर से लेकर के 21 अक्तूबर के बीच में। यह बहुत बड़ी घटना है 2-3 दिन में 43 लोग मर गये । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि चूंकि यह सरकार हमेशा यह कहती रही है कि यह गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, कमजोरों की सरकार है और जितने लोगों की मृत्यु हुई है मैं व्यक्तिगत रूप से एक एक के घर गया था। मैंने देखा कि मरने वाला तो मर गया लेकिन वह अपने पीछे अपने मासूम बच्चे, अपनी बेवा, बूढ़ी मां एक भरा पूरा परिवार छोड़ गया जो सब के सब, सारे लोग गरीब हैं, कमजोर हैं। मैंने उस वक्त भी, जब यह घटना हुई थी उस वक्त मैंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया था कि मानवता के आधार पर आप लोग इनको कुछ मुआवजा देने का प्रयास करें या मुआवजा दिलायें। उस वक्त हमें लोकल स्तर पर यह आश्वासन दिया गया था कि हम प्रयास करेंगे और इस बात को सरकार तक पहुेचायेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं चूंकि इस घटना को कई महीने गुजर गये हैं और यह बहुत बड़ी घटना है 43 लोग मरे हैं इसलिए सरकार को इसको गम्भीरता से लेना चाहिए मानवता के आधार पर उनके साथ सहानुभूति रखना चाहिए और वह सारे कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं उनको कम से कम उनके परिवार को 10-10 लाख रूपये के मुआवजे की मैं मांग करता हूं उन मृत परिवार के लोगों के लिए ।

मान्यवर एक और अहम बात आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। महोदय, पिछले 6 महीने से मैं अपने जनपद में यह देख रहा हूं कि छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर के कुछ लोगों के जरिये कुछ विशेष व्यक्तियों के जरिये साम्प्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। अभी कल की घटना है मेरे जिले के मुहम्मदपुर में मामूली सी बात को लेकर के दो समुदाय आमने-सामने आये, फायरिंग हुई जिसमें एक समुदाय के दो लोगों को गोली लग गयी दूसरे समुदाय के लोग भी घायल हुए एक उसमें सीरियस है बनारस उसको रिफर कर दिया गया है। मेरी मंशा यह नहीं है सभी लोग अपने हैं मेरा यह नहीं है कि गलती किसकी है किसने किसके साथ ज्यादती किया

लेकिन चूंकि हम उसी जिले के जनप्रतिनिधि है। मैं यह महसूस कर रहा हूं कि पिछले 5-6 महीने से आजमगढ़ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। चूंकि इससे पहले भी मुबारकपुर में एक घटना हुई और उस वक्त भी एक धार्मिक स्थल पर कुछ लोगों ने गालियां लिखीं लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई, मौके पर पहुंच गयी और वहां माहौल बिगड़ने से रह गया। कल की भी घटना पर मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है कि पुलिस ने तत्परता अगर न दिखाई होती तो कल आजमगढ़ में आग लग गयी होती, बड़े पैमाने पर दंगा हो गया होता। इसलिए जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सचेत करना चाहता हूं कि वह आजमगढ़ पर वह खास तौर से अपनी पैनी नजर रखे क्योंकि कुछ लोग वहां पर साजिशन बड़े पैमाने पर दंगा कराना चाहते हैं। मान्यवर, हमने देखा है कि जरा सी लापरवाही मे मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को इस मामले में सचेत करना चाहता था और जो दूसरी मेरे क्षेत्र की बड़ी घटना है 43 लोग मरे हैं उनकी मानवता के आधार पर मैं सरकार से विनम्रता से अपील करता हूं कि उनके परिवार को कुछ मुआवजा देने, 10 लाख रुपया मुआवजा देने की मैं मांग करता हूं आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री अनूप सण्डा जी द्वारा रखे गये समर्थन के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जब से चर्चा चल रही है विपक्ष के हमारे सभी माननीय सदस्यगण सरकार में अपने-अपने हुनर से कमियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

(इस समय 4 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए।)

आदरणीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा एक बात रखी गयी थी मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा । उन्होंने पीछे लैपटाप पर झुनझुने की बात कही थी, जब पूरा बजट आया था । कल भी उन्होंने इस बात पर अपनी बात रखी और माननीय मुख्य मंत्री जी की फोटो के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो लैपटाप पर आने का उन्होंने ताना भी कसा । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं और स्मरण कराना चाहता हूं कि लखनऊ के अंदर बहुत सी जगहों पर मान्यवर कांसीराम जी की मूर्ति भी इनकी बहनजी के साथ लगी हुयी है और यह स्पष्ट है कि वह सरकारी पैसे से लगी है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबांन में झांक कर के हमारी पार्टी पर आरोप लगाने का काम करें । उस मूर्ति से वह लाभ नहीं मिल पा रहा है जो प्रदेश के नौजवानों को लाभ लैपटाप के माध्यम से मिल रहा है। लैपटाप हमारी पार्टी का झुनझुना नहीं था, हमारे नेता की, हमारे मा0 मुख्य मंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी हमारे जैसे गरीबों, किसानों, मजलूमों के जो लड़के बड़े लोगों के लड़कों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे, पढ़ाई-लिखाई और ग्लोबल स्टडी से पूरी दुनिया से जुड़ने, साइन्स से जुड़ने से उनको जोड़ने के लिये वह यह महत्वाकांक्षी योजना लाये ।

मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कहना चाहता हूं कि एक और बात आई थी, नाम बदलने की, वह सदस्य इस समय नहीं हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम लोग लोहिया जी को पढ़कर बड़े हुये हैं और हमारा दल माननीय लोहिया जी के सिद्वान्तों पर, माननीय चौधरी जी के सिद्वान्तों पर यहां तक आया है तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय लोहिया जी जहां पैदा हुये थे, अकबरपुर,

वहां का नाम किसके नाम पर रखा गया, क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती थी, हम उस तरफ इनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि यह बातें न आये सदन में, हम अपनी पार्टी की बात कहना चाहते हैं कि मान्यवर, चाहे वह समाजवादी पेंशन हो अभी हमारे इस लेखानुदान में है कि 500 रुपया प्रतिमाह और हर साल 50 रुपये बढ़ाई जायेगी और 750 पर जाकर रोकी जायेगी और उसका लाभ दिया जायेगा। इसी तरह से सिंचाई के संबंध में कहना चाहता हूं कि इधर से बात आई कि सिंचाई 22 परसेंट है, 33 परसेंट है, यही नहीं कन्फर्म है कि कितने परसेंट है। हम माननीय अधिष्ठाता महोदय कहना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर जितनी नहरें हैं, जितने नलकूप हैं जो प्रदेश सरकार से संचालित होते हैं, सबका पानी मुफ्त कर दिया गया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। तो हम आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित कराना चाहते हैं कि चाहे वह खाद हो बिजली हो और मेडिकल कालेजों की कल भी बात आई थी, हम आज इस पर कहना चाहते हैं कि बात आजमगढ़ में सुपर स्पेशियलटी अस्पताल की हो, वहां पर सारी प्लानिंग 500 करोड़ रुपया देकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने उसकी आधारशिला रखी थी और नतीजा यह हुआ कि सरकार बदलने के बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री बसपा ने सारी मशीनों को सारे प्लांट को वहां से उठवा करके अम्बेदकर नगर करा दिया। जैसे ही हमारी सरकार दुबारा बनी, प्रदेश की जनता ने महसूस किया तो हमारे मुख्य मंत्री द्वारा फिर से वहां पैरा मेडिकल चला करके और एम0बी0बी0एस0 की सीटें दे करके, तमाम मशीनों की व्यवस्था बना करके और ओ0पी0डी0 चालू करा करके हमारा सुपर स्पेशियलटी अस्पताल स्टार्ट किया गया । कन्नौज में आप ले लें, चाहे जौनपुर में आपका मेडिकल कालेज हो गया, ऐसे तमाम मेडिकल कालेजों के लिये हमारी सरकार ने काम किया है। अभी इधर के साथी कह रहे थे, एन0आर0एच0एम0 की बात आई, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 108 की बात आई, यह शानदार एम्बुलेंस सेवा है। गरीबों, मजलूमों, किसानों के लिये जो अस्पताल से दूर थे और अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते थे, 20 मिनट के अंदर ब्लाक से वह सेवा उन तक पहुंच जाती है। उस समय जब समाजवादी एम्बुलेंस सेवा हटाने का नाम लिया गया, एन0आर0एच0एम0 का पैसा पीछे कहां गया, इसके लिये पिछली सरकार के लोग जवाबदेह हैं। पूछा जाये, जानकारी की जाये तो तमाम लोग जेलों में हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उस योजना के पैसे से 108 और 102 की महत्वपूर्ण योजना चलाकर हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री ने जो गरीबों, मजलूमों, किसानों को लाभ देने का काम किया है, उसके लिये हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि अभी इधर से माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी ने कहा कि केन्द्र के द्वारा समाजवादी एम्बुलेंस सेवा चलाने के लिये पैसा दिया गया है। हम भी पढ़-लिखकर राजनीति में आये हैं। हम भी जानते हैं कि कहीं पैसा नहीं दिया गया बल्कि सरकार से यह कहा गया कि अगर समाजवादी नाम नहीं हटाया जायेगा तो हम पैसा नहीं देंगे। केन्द्र सरकार द्वारा पांच रुपया प्रति किमी0 फीस चार्ज करने के लिये रखा गया था लेकिन हम अपने यशस्वी मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम अपने संसाधनों से चलायेंगे और एक भी पैसा नहीं लेंगे और कहते हैं कि एक भी योजना नहीं चल रही है। मैं कहता हूं कि किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के लिए जो अभी चीनी मिलों की बात आई, मेरी विधान सभा से मेरे निर्वाचन क्षेत्र से लगा हुआ जौनपुर जनपद है, बहुत पुरानी रत्ना चीनी मिल वहां पर चलती थी। हमारे क्षेत्र के पश्चिम के सारे किसान भाई उससे अपनी तरक्की के लिए तमाम योजनाएं चला करके और तमाम

मेहनत करके अपने परिवार के भविष्य को संवारने का काम करते थे लेकिन उस चीनी मिल को इनकी सरकार के द्वारा मात्र नौ करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया गया। 900 करोड़ रुपए तो सिर्फ उसकी लैण्ड प्रापर्टी की कीमत है। उसकी मशीनों को और सारी चीजों को नौ करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया गया। 37 चीनी मिलें मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्य-मंत्रित्व काल में लगाई गई थीं, 27 इन्होंने बेच खाई ऊपर से किसानों की जो लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। प्रदेश के विकास के लिए सड़कों की जो बात है, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी चले गये हैं, जितनी तेजी से अभी सड़कों का निर्माण हो रहा है और नहरों में जिस तरह से टेल तक पानी गया है, वैसा हमने कभी नहीं देखा। हम यह कहना चाहते हैं कि इन लोगों का यहां पर बैठे तमाम कांट्रेक्शन के साथी हैं इन्होंने एक ही सड़क पर पांच-पांच पेमेंट कराये, कभी इधर का नाम उधर करके और कभी उधर का नाम इधर लिख करके एक गड्ढा भी नहीं मुक्त कराया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इन लोगों को अवसर मिल जाता है। अनर्गल प्रलाप करते हैं।

(बीच में टोकाटाकी करने पर)

मान्यवर, जांच करा देंगे आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं, जिसकी जांच हो रही है दीक्षित जी वह जेल जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 यादव जी, आपस में बात नहीं करें, जो भी कहें वह पीठ को सम्बोधित करके कहें।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मैं कहना चाहता हूं कि जिनकी-जिनकी जांच हुई है वह जेल गये हैं जो बाकी हैं उनके ऊपर भी एफ0आई0आर लागू है। जो-जो जांच होगी उसमें विधिक रूप से जो लोग आयेंगे वह जेल जायेंगे, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एम्स के लिए हमारी सरकार के मा0 मुख्य मंत्री जी ने इतनी बड़ी जमीन फ्री ऑफ कास्ट दिया लेकिन उसके शिलान्यास-पूजन में देश के एक बटे छः हिस्से के मुख्य मंत्री को, जिसने फ्री में जमीन दिया एम्स बनाने के लिए उसे सूचना तक नहीं दी।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

दिल बड़ा कीजिए।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

हम कहते हैं दिल बड़ा करे कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय पार्टी है और यह लोग जो हैं, हम यह कहना चाहते हैं, आपने हमें महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया हम आपके प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। और श्री अनूप सण्डा जी द्वारा रखे अभिभाषण के समर्थन पर बल देते हैं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

इसकी उम्मीद उससे करो जिसके पास दिल हो, जिसके पास दिल है ही नहीं वह बड़ा क्या करे और छोटा क्या करे।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मा0 मुलायम सिंह जी को रक्षामंत्री बनाने का काम कांग्रेस ने किया है।

डॉ0 अरुण कुमार-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद् कि आपने मुझे गवर्नर साहब के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस सरकार ने कहीं भी परिवार कल्याण के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। क्या सरकार का यही इरादा है कि जनसंख्या बढ़ाये जाओ प्रदेश की रेंड लगाये जाओ। कहीं भी एक भी लब्ज नहीं कहा है बर्थरेट कम करने के बारे में, जबकि हमारे प्रदेश की जनसंख्या बीस करोड़ से अधिक है, जनसंख्या घनत्व 828 है। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री कितने भी स्कूल खोल लें, जनसंख्या इतनी बढ़ जायेगी कि पांच साल बाद जब वह बच्चा स्कूल जाने लायक होगा तो स्कूल कम होंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार को अपनी नीति में परिवार कल्याण पर और ज्यादा जोर देना चाहिए। दूसरा जो सबसे जरूरी काम है प्रदेश के लिए वह है बेरोजगारी। इस बजट के अन्दर हमारी सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने की बहुत कोशिश की उसके लिए वह बधाई के पात्र हो सकते हैं लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है, प्रदेश का औद्योगीकरण। हमारे यहां प्रदेश में दूर-दूर से उद्योगपति आते हैं उसके बाद चुपचाप यहां से निकल लेते हैं। क्या किसी उद्योगपति ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा उद्योग लगाने की सहमति जतायी है ? जहां तक मैं समझता हूं कि कोई बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं आया जबकि यह जरूरी है। औद्योगीकरण के लिए सबसे जरूरी है, बिजली। इलेक्ट्रीसिटी प्रोडक्शन, हमारे यहां बिजली की हालत यह है कि बिजली आती हुई कम मालुम पड़ती है, जाती हुई ज्यादा मालुम पड़ती है और कम समय तक रहती है, ऐसे में औद्योगीकरण कैसे होगा ? कोई उद्योग लगाने को कैसे सोचेगा ? दूसरी सबसे बड़ी प्राब्लम है लॉ-एण्ड-आर्डर की। जिस जगह पर साम्प्रदायिक तनाव हमेशा बना रहेगा, मोहर्रम सही तरह से निकल जाय, हमारी यात्रायें सही तरीके से निकल जांय तो उस दिन अधिकारी चैन की सांस लेते हैं कि सब ठीक-ठीक निकल गया तो हमारे यहां लॉ-एण्ड-आर्डर सही नहीं है, उसको सही रखना चाहिए। तीसरी चीज, औद्योगीकरण के लिए आवश्यक है इन्फ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहां सड़कों का जाल बिल्कुल नहीं है और जो सड़कें हैं उनमें यह नहीं मालुम पड़ता है कि सड़क में गड्ढ़ा है या गड्ढ़े में सड़क है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, सड़कें सही की जानी चाहिए और साथ ही साथ सरकार की ओर से उद्योगों को और अधिक छूट दी जानी चाहिए। हमारे उद्योगपतियों को जो जमीन दिलायी जाए उसमें कम से कम रजिस्ट्री शुल्क में और अधिक रियायत दी जाए, किसान से वाजिब दाम पर उसे जमीन दिलायी जाए, ट्रेड टैक्स, इन्कम टैक्स आदि में छूट दिलायी जाए, तभी हमारे यहां उद्योगपति आयेगा, वरना हमारे यहां उद्योगपति नहीं आयेगा। थोड़े से समय में हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखण्ड ने उद्योगों के मामले में बहुत तरक्की की है जबकि हमारा प्रदेश उद्योगों के मामले में पिछड़ता चला जा रहा है। इसके साथ ही साथ जहां हम बड़े उद्योग और मध्यम उद्योग की बात करें, लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि लघु उद्योग भी उस तरह से नहीं बढ़े जिस तरह से बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैं यह और कहना चाहूंगा कि टीकों पर और

ज्यादा जोर देना चाहिए। हमारे पूर्वान्चल के क्षेत्र में इन्सेफलाइटिस काफी रहती है और इसके लिए टीकों को और ज्यादा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हेल्थ के लिए जरूरी है कुपोषण का रोकथाम। हमारे यहां बच्चों में आज भी कुपोषण बहुत है। हमारे यहां जो आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, बहुत सी जगहों पर जितने केन्द्र होने चाहिए उतने केन्द्र नहीं हैं। उसमें और बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए। अस्पतालों के बारे में मैं यही कहूंगा कि कृपया हर चीज मुफ्त मत करिये। हर जांच मुफ्त, एक्स-रे मुफ्त सी0टी0 स्कैन मुफ्त, ये मुफ्त, वो मुफ्त, अरे भाई मुफ्त तो आपने कर दी लेकिन कुछ उपलब्ध भी तो करायें। वहॉ पर जांच मुफ्त कर दी, जांच हो नहीं रही है। एक्स-रे मुफ्त, एक्स-रे हो ही नहीं रहा है। अल्ट्रासाउण्ड मुफ्त, अल्ट्रासाउण्ड हो ही नहीं रहा है। तो हमारा कहना है कि आप चाहे थोड़े से पैसे ले लीजिए लेकिन कम से कम सुविधायें उपलब्ध तो करा दें ताकि आदमी जांच करा सके। जो वायदा करें उसे पूरा करिये और जो वायदा करें उसको करने का इरादा होना चाहिए। आज हालत यह है जिला अस्पतालों के अंदर इक्विपमेंट तो है अल्ट्रासाउण्ड मशीन तो खरीद ली गयी लेकिन अल्ट्रासाउण्ड नहीं हो रहे हैं, डायलिसिस की मशीन खरीद ली गयी लेकिन डायलिसिस नहीं हो रहा है। हमारे बरेली में ही डायलिसिस की मशीन लिये हुए पांच-सात साल हो गये लेकिन आज तक शायद 100 डायलेसिस भी नहीं हुई होगी सात साल से मशीन धूल चाट रही है। आखिर किसलिए खरीदा गया है और क्यों पब्लिक मनी वेस्ट किया जा रहा है ? मैं चाहता हूं कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जहां पर डाक्टर्स की कमी है वहां पर डाक्टर्स की नियुक्ति की जाए चाहे आप संविदा पर रखिये। इसके साथ ही साथ कुछ सरकारी मेडिकल कालेज और खोलिये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो प्राईवेट मेडिकल कालेज खोल दिये, उनकी सीटें बढ़ा दीं, उनमें पढ़ा हुआ डाक्टर आपके यहां सरकारी नौकरी करने नहीं आयेगा। जो 30-40 लाख रुपये खर्च करके एम0बी0बी0एस0 में दाखिला लेगा उसके बाद पी0जी0 करेगा, वह आपके यहां नौकरी करने नहीं आयेगा, उसके बाद वह प्राईवेट प्रैक्टिस करेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बी0पी0एल0 कार्ड के बारे में जैसे कि सरकारी योजना है कि बीस हजार रूपये सलाना आय तक ही बी0पी0एल0 में हैं। आप सभी जानते हैं कि बीस हजार के नाम पर बी0पी0एल0 कार्ड बनाना सिर्फ लेखपाल की मर्जी पर होता है। मैं यह चाहूंगा कि यह बी0पी0एल0 कार्ड जहां है वह बी0पी0एल0 ही है। एक बिलो पावर्टी लाइन कार्ड है, एक आप पावर्टी लाइन कार्ड और बना लीजिए जिसकी आमदनी साठ हजार रुपये सलाना तक हो उसको कम से कम चिकित्सा के क्षेत्र में जो चीज हमारे स्टेट गवर्न्मेंट के अण्डर में आती है, जो सेण्टर में हैं वहां से बिलो पावर्टी लाइन चलने दीजिए। एक पावर्टी लाइन कार्ड बना लिया जाए जो उन लोगों को कम से कम ट्रीटमेंट में, एजुकेशन में और ऐसी सहूलियतें जो प्रदेश सरकार से दी जा सकती हैं साठ हजार रूपये वालों को दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदन चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो सण्डा जी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है उसके पक्ष में बोलने का मौका दिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी पक्ष और विपक्ष के लोग जो भी चर्चा करते हैं उस चर्चा में जो भी जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्रों से इस विधान सभा में बैठते हैं सबका एक दायित्व है और हम सबसे पहले वह मतदाता जिसने बहुत मेहनत के वोट हमको दिए हैं वह महसूस करता है कि उनकी तरक्की कैसे हो उनकी समस्याओं का हल कैसे हो। उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वह या तो किसान होता है या गरीब होता है या मजदूर होता है या छात्र होता है या महिलाएं होती हैं जो प्रभावित होती हैं उन सबका ध्यान रखते हुए हमारे इस सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी जो युवा हैं उन्होंने बहुत ही बारीकी से बहुत सारी नीतियां जो सभी विभागों में सभी के लिए शुरू की हैं उनका रिजल्ट भी अच्छा है जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज की सरकार ने किसान के लिए उर्वरक, खाद का जो 2014 में लक्ष्य रखा गया था 121.95 लाख मी0 टन उसको पूरा करने का उसको वितरित करने का काम किया। बहुत सारी योजनाएं किसानों की हैं किसान दुर्घटना बीमा योजना जो समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो माननीय नेता जी माननीय मुलायम सिंह जी के सपनों को साकार करती है। किसान को जब दुर्घटना बीमा का पांच लाख रुपया मिलता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उसी के अनुरूप भूमि सेना योजना, गन्ने का मूल्य मिलना और जिस तरह से गन्ने में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरठ क्षेत्र में मोहद्दिनपुर और शाहजहांपुर का जो बन्द पड़ी मिल थी उसको संचालित करने का काम किया है वह वास्तव में गन्ना किसानों के हित में जाता है। मान्यवर, जिस तरह से कर्जा माफी की योजना किसानों को मिली उससे कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ा है। सात लाख किसान जिसका बजट 1650 करोड़ रुपए था उससे माफी मिली है और किसान को राहत भी मिली है। उसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी न किसान पेंशन यह सब योजनाएं किसान को प्रभावित करती हैं। जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेगा उसकी विकास दर नहीं बढ़ेगी तब तक हम तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकते। किसान बहुत सारी चीजों से जुड़ा है। पशुधन से भी जुड़ा है कभी-कभी पशु क्योंकि दुग्ध का कारोबार करके किसान अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर लेता है। आज इस सम्बंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि पशु मर जाते हैं हालांकि सरकार ने बहुत प्रबन्ध किए हैं बहुत सारा टीकाकरण किया है और बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम भी की है। लेकिन इसके साथ-साथ कभी-कभी बहुत बल्क में बहुत संख्या में पशु मर जाते हैं इनको कोई ऐसी बीमारी घेर लेती है इसी तरह का एक उदाहरण मेरे क्षेत्र में भी है मेरे गढ़मुक्तेश्वर विधान सभा में कई गांव भदा थाना है आलमनगर है, श्यामपुर, चांदनी है, शरीफपुर है इनमें हजारों पशु किसी बीमारी की चपेट में आ गए बहुत कुछ इलाज करने के बाद भी उनके मरने की संख्या बढ़ती चली गई ऐसी घटनाओं पर बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से बहुत सारी सड़कों का विकास हुआ है अधिष्ठाता महोदय मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि नोएडा में अभी कई योजनाएं ऐसी शुरू हुई हैं अभी कल प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि मेट्रो रेल की पूर्व में भी जो शुरूआत हुई वह समाजवादी पार्टी की देन है हां पिछली सरकार ने झण्डी जरूर दिखाई थी लेकिन वह शुरूआत

समाजवादी पार्टी की थी। आज भी ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ इन तमाम जगहों पर अगर मेट्रो रेल की जो योजना बनी है तो उसकी देन हमारे मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार की है।

इसी प्रकार से पर्यटन में कई जगह एयर पोर्ट बनाने की योजना है, चाहे आगरा हो, चाहे बुद्धिस्ट हो और कई जगह पर है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि गढ़मुक्तेश्वर गंगा किनारे एक पवित्र स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, उसका भी बड़ा महत्व है। जब से हरिद्वार उत्तराखंड में गया है तब से यही एक ऐसी जगह है जो एन0सी0आर0 और दिल्ली से नजदीक है, जहां पर पर्यटक बहुत आसानी से आ सकते हैं और वहां के प्रति श्रृद्धा भी है। गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट को पर्यटन के इसी तर्ज पर विकसित करने की सरकार की योजना है लेकिन उसमें त्वरित विकास की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मान्यवर, सड़कों की योजनाएं हैं। आज जिस तरह से काफी सड़कों का निर्माण हुआ है उसमें मैं भी चाहूंगा कि मेरे यहां एक सड़क है एन0एच0-24 वेट गांव से शुरू होती है और पूढे गांव तक जाती है, कुटी मार्ग तक उसका सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण होना जनहित में आवश्यक है। मेरा लोक निर्माण मंत्री जी से आग्रह है कि इसको अपने एजेन्डे में रख लें। इसी तरह से नगर विकास के बारे में कहना चाहता हूं कि आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग गांवों से पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहां पर न तो छात्रों को, न किसानों को गांवों में सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। ज्यादातर लोग नगर की ओर भागते हैं। मैं नगर विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शहरों में शुरू की हैं और वह चल रही हैं। चाहे मलिन बस्ती का विकास हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बस्ती का विकास हो। निःशुल्क मोटर बैट्री, मान्यवर, यह सब वह चीज हैं, आसरा योजना किसके काम आयेगी ? गरीब आदमी के काम आयेगी, कमजोर लोगों के काम आयेगी। राजीव आवास योजना 21 शहरों को स्लम मुक्त बनाने की योजना है। मान्यवर, इसी तरह से जब तक हम मजदूर का विकास नहीं होगा यदि कमजोर का विकास नहीं करेंगे, हमारी नीयत साफ नहीं होगी, आज सरकार की नीयत साफ है। वह चाहती है कि जब तक कमजोर, गरीब आगे नहीं बढ़ेगा तब तक राजनीति का कोई मतलब नहीं होता। मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों में जिस तरह से बेसिक शिक्षा मंत्री जी का प्रयास है और कई योजनाएं हैं, आश्रम पद्धति योजना है। इसमें एक बात है कि जब तक बच्चों का, छात्रों का नैतिक विकास नहीं होगा, उनका संस्कारिक विकास नहीं होगा तब तक उनके भविष्य को संवारने के लिये मौका नहीं मिलेगा। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से समाजवादी पेंशन शुरू की है, वह लाभ गरीबों को, कमजोरों को जा रहा है। उसी तरह से महिलाओं को, जिस तरह से किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाय और उसके यहां शादी हो तो उसमें 11 हजार रुपये का चेक देने की जो योजना है उससे प्रभावित होता है। उससे महिलाओं का उद्धार होता है। जिस तरह से निराश्रित महिलाओं के बच्चों के भरण पोषण के लिये 250 रुपये प्रतिमाह की योजना चालू की गई है वह भी महिलाओं के विकास के लिये जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय चौहान साहब, अब कृपया समाप्त कर दें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मेरे यहां गढ़मुक्तेश्वर में नहरों की पटरियां, रजवाहों की पटरियां, हालांकि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने पटरियों का काफी विकास किया है। किसानों की सिंचाई होगी चाहे वह

ट्यूबवेल के द्वारा हो या रजवाहों के द्वारा हो। मान्यवर, बहुत सारी पटरियों को ठीक किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो योजनाएं लम्बित पड़ी थीं चाहे सरयू योजना हो चाहे और दूसरी योजना हो। मध्य गंगा नहर जो हमारे क्षेत्र में आती है उसकी योजना भी ठप्प पड़ी थी। आज उसका विकास हो रहा है, उसका लाभ किसानों को मिलेगा। मान्यवर, नाबार्ड से पोषित तमाम योजनाएं राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों पर, सब किसानों को मिलने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि उसका लाभ और उसकी उपलब्धि के बारे में भी प्रतिपक्ष के सदस्यों को कहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया है, मैं पुनः अनूप संडा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, स्वामी प्रसाद मौर्या जी के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे सत्ता पक्ष के साथी गन्ना किसानों के हित की बात कर रहे थे कि हमारी सरकार ने, पुरानी सरकार में जो चीनी मिल बन्द पड़ी थी वह चालू कराईं हमारे जनपद शाहजहांपुर में पुवायां सहकारी चीनी मिल चालू कराई जिसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोर-शोर से स्वंय जाकर उदघाटन किया था उस चीनी मिल की आज की रिपोर्ट है, अभी मात्र 15 मिनट पहले की जानकारी की मात्र सात लाख कुन्टल गन्ना की पेराई हुई है इस सरकार ने चीनी मिल चलाईं जबकि वहां पर हजारों हेक्टेयर भूमि पर किसानों के गन्ने का सर्वे छोड़ दिया गया, सर्वे में जो सोसायटी है चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत से गन्ना किसानों का सर्वे छोड़ा गया जिसके कारण, मा0 अधिष्ठाता महोदय, आप भी शाहजहांपुर के निवासी हैं आपको भी जानकारी होगी कि हमारे एक जनप्रतिनिधि का पुवायां में ही पौवा मिल है इसलिए कृषकों का सर्वे छोड़ा गया है जिससे औने पौने दामों में कृषक अपना गन्ना बेचने के लिए मजबूर हों, मान्यवर, 100 रुपये से 120 रुपये तक गन्ना बड़े पैमाने पर पौवा मिल मालिकों ने खरीदा। यह गन्ना किसानों की हितैषी सरकार है। अभी बार-बार बखान सत्ता पक्ष के सदस्य कर रहे थे कि हमारी सरकार ने चीनी मिलें चलाईं पुवायां में मात्र सात लाख कुन्तल गन्ना की पेराई हुई है जबकि उत्तर प्रदेश में हमारे जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां नम्बर एक की कृषि प्रधान तहसील है उनमें बड़े पैमाने पर लोग गन्ने की बुआई करते हैं, मान्यवर, यह तो वही बात हुई कि-

पहले उसने रस कहा फिर गुड कहा फिर ले कहा,
इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए।

इस सरकार ने किसानों की मान्यवर, इन लोगों ने यही हालत की है। हमारी डालमियां चीनी मिल गिरगिचा निगोगी में भी यही हाल रहा है। गन्ना माफियाओं की मिली भगत से वहां भी पिछले साल आज के दिन 25 तारीख को 70 लाख कुन्तल की पेराई हुई थी सरकार चाहे तो अभी रिपोर्ट मंगवा ले और इस साल मात्र अब तक 45 लाख कुन्तल की पेराई हुई है। वहां भी बड़े-बड़े गन्ना माफियाओं ने खेल खेला है मैंने मान्यवर, इससे पूर्व में भी गन्ना किसानों के हितों की बात उठाई थी जिनके नाम एक बिसवां भी जमीन नहीं थी उनके नाम 167-180 पर्चियों का सट्टा बनाया गया था जिनका आज भी मान्यवर, मेरे पास रिकार्ड है मौजूदा सरकार से जांच भी कराई गई थी, जांच हुई लोग दोषी भी पाए गए मा0 मुख्य मंत्री जी का जो जवाब हमारे पास आया है, उसमें लोग दोषी भी

पाए गए, जांच भी कराई गई लेकिन उनके ऊपर इसलिए कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि वह सत्तापक्ष के लोगों से मिले हुए थे। बार-बार यह कहा जा रहा है कि यह सरकार किसानों की हितैषी है किसानों की बहुत हमदर्द है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। अगर बातों को दोहरायेंगे नहीं तो सब आ जाएगा।

श्री रोशनलाल वर्मा-

धान की बात की मान्यवर, ...

अधिष्ठाता महोदय, धान तो तौला गया है लेकिन माफियाओं का, व्यापारियों का, धान मिल मालिकों का। मान्यवर, मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा क्योंकि हम लोग अनुशासित हैं।

'यूं ही गर इस सरकार की, जनता से दूरियां बढ़ती रहीं,
देख लेना एक दिन सरकार की (सेव) कुहनियां छिल जायेंगी।'

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सरकार ने अपनी घोषणाओं में नगर विकास पर बहुत जोर दिया है। लेकिन नगरों/शहरों की बुनियादी जन सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यहां तक कि पिछले साल के बजट में 4 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की व्यवस्था करने के बावजूद शहरों की विकास योजनाएं, सड़क मरम्मत, जलापूर्ति, सीवरेज, कूड़ा प्रबन्धन आदि में किसी भी काम को गति नहीं मिली। पिछले कुछ सालों से महानगरों में बहुमंजिली बिल्डिंग बहुत जोरों से बन रही हैं। लेकिन बहुमंजिली बिल्डिंग के अनुरूप सीवरेज व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया है। जहां पर बहुमंजिली बिल्डिंग हैं, उसके चारों ओर की बस्तियों से जल निकासी और सीवर जाम की समस्या बढ़ जाती है। बहुमंजिली बिल्डिंग अवश्य बनें जो आवास की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है लेकिन साथ ही साथ उसी के अनुरूप सीवर और जल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। लोक कल्याणकारी सरकार का दम भरने वाली सरकार के लिए जरूरी है कि जो बेघर-बार लोग हैं, उनको एक अदद छत मुहैय्या कराई जाए। आज भी वाराणसी के कैंट स्टेशन पर तमाम परिवार पीढ़ियों से स्टेशन पर ही गुजर बसर कर रहे हैं और रात के समय पूरे प्लेट फार्म पर उनके बालकों को चादर ओढ़ कर सोते हुए देखा जा सकता है। इस ओर ध्यान दिया जाए और किसी औपचारिकता का बन्धन न रखकर ऐसे लोगों को एक घर दिया जाए। इसी प्रकार हमारे सामने जलापूर्ति की समस्या है। वाराणसी में गंगा के किनारे स्थित जो बस्तियां हैं, वहां भी जलापूर्ति नहीं हो रही है। गंगा जी का जल प्रदूषित हो जा रहा है। गंगा जी में वाराणसी नगर की सारे नाले, नालियां जाकर गिरती हैं। ऐसी हालत में लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया खर्च कर दिया जाए तब भी गंगा जी शुद्ध नहीं हो सकती हैं। गंगा जी की दूसरी तरफ जो बस्तियां हैं, राम नगर है, वहां पर डुमरी गांव की सारी कालोनी के ट्यूबवेल में, मिनी ट्यूबवेल में जो पानी आ रहा है, वह बिल्कुल काला पानी आ रहा है। मैंने एक प्रश्न भी पिछली बार विधान सभा में

दिया था कि डुमरी गांव के पानी की समस्या को तुरन्त हल किया जाए, लेकिन जवाब मिला- पानी शुद्ध आ रहा है। मेरी इच्छा हुई कि एक बोतल पानी वहां से लाकर यहां रख दिया जाए। लेकिन फिर मैंने सोंचा, यह सवाल उठेगा कि क्या पता यह डुमरी गांव का ही पानी है। राम नगर गंगा नदी के किनारे कीड़े बिलबिला रहे हैं और उसी गंगा जल को बिना शुद्ध किए वाराणसी नगर को भी दिया जा रहा है। वाराणसी में ऐसी भी जगहें हैं, जहां पानी पहुंचता ही नहीं है। बंगाली टोला वार्ड, पाण्डेय हवेली वार्ड ये बनारस की बड़ी घनी, पुरानी बस्तियां हैं, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, आज हम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ तक पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन मुहल्लों में नगर निगम का पानी अभी तक ठीक से पहुंचा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, इसका उल्लेख न करना गलत हो जायेगा, खासकर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार, व्यभिचार हो रहा है, मान्यवर, ऐसा लगता है, व्यभिचार की होड़ लग गयी है कि कौन कितना इसमें आगे जा सकता है। आज का अखबार क्षेत्रीय होता है लेकिन कोई भी अखबार छूटता नहीं है जिसमें 2-4 इस तरह की घटनाओं का जिक्र न हो। जरूरत है, इसके लिए कड़े कानून की, केवल कानून ही नहीं, कानून को लागू करने की जरूरत है। हर जिले में एक महिला थाना हो, हर थाने में एक महिला प्रकोष्ठ हो और इन कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाए और हर बलात्कारी और हत्यारे को फांसी दी जाय। विधान परिषद में सरकार ने ही मान लिया कि डकैती, हत्या और लूट में वृद्धि हुई है और उसके आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं, उनको मैं रिपीट नहीं कर रही हूं, समय की बचत के लिए, लेकिन जरूर इसका निदान होना चाहिए।

इसके अलावा जो निराश्रित महिलायें हैं। पति के मृत्यु की बाद 35 साल तक की विधवायें हैं वह पेंशन के लिए एप्लाई कर सकती हैं, 60 साल पर महिलाओं वृद्धावस्था पेंशन के लिए एप्लाई कर सकती है। लेकिन इस बीच की उम्र की जो महिलायें हैं वह न तो विधवा पेंशन के लिए एप्लाई कर सकती हैं न वृद्धावस्था पेंशन के लिए एप्लाई कर सकती हैं। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए ढांचागत सुविधायें बढ़ाने पर जोर दिया है। लेकिन अभी तक इस सरकार के सामने ऐसी कोई तस्वीर नहीं है कि प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं। इन्होंने आंकड़े जरूरत दिये हैं कि पिछले साल कितने लोगों को रोजगार मिला।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

बस एक मिनट, लेकिन हमारे प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं कितनों को रोजगार दे सकते हैं। रोजगार के क्षेत्र में इस वर्ष कितने नवयुवक रोजगार लेने के लिए आ जायेंगे बेरोजगारी की क्या स्थिति होगी इसका इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

बस अब समाप्त करें।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

एक चीज और कि... (मा0 सदस्या का माइक आफ हो गया, इसके कारण उनकी आवाज सुनाई नहीं दी।)

*श्री माइकल चन्द्रा-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अब तक जो भी यहां पर विचार आये हैं उसमें एक चीज निकलकर आ रही है कि यहां पर चंद लोग कसम खा कर आये हैं कि इन्होंने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है। इनको कुछ अच्छाई दिखायी नहीं देती है इन्होंने सिर्फ अपनी बात करने का बस एक मुद्दा बना रखा है। सच्चाई यह है कि आंकड़ों का खेल नहीं है। यह महसूस करने की चीज है। पूछिये उन परिवारों से जिनकी कन्यायें 30 हजार का चेक लेकर घर जाती हैं तो उनके घर पर दीवाली मनती है। आज उनसे पूछिये जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था वह लेपटाप लेकर घर जाते हैं तो उनके चेहरे पर कितनी खुशी होती है। आज देखिये उन माताओं के हाल कि जिनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी कन्याओं को उनकी शादियों के लिए आज धन दिया जा रहा है। आदरणीय मौर्या जी चले गये हैं कल उन्होंने जिस तरीके से विचार रखा कि कहां बंटे हैं कम्बल कहां बंटी हैं साड़ियां। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे अपने जिले में 20 हजार कम्बल बटा है। मैंने अपने हाथ से 5 हजार कम्बल बांटे हैं।

(विपक्ष के कुछ मा0 सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर)

आप एक चश्में से बात करते हैं। आप भूल गये हैं अपने आपको। यह फूलों की बात करते हैं हमने कांटों से जख्म खाये हैं अरे आप गैरों की बात करते हैं हमने तो अपने भी आजमाये हैं। क्यों बोलते हो अपने आपको दलितों का मसीहा। क्या किया है आपने दलितों के लिए। दलितों को आपने क्या दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए जो आपने ताण्डव किया है। आज आप विकास की बातें करते हैं। मैं इस चीज को आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरा सदन इस बात के लिए गवाह है मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मेरे यहां पर 60 सालों से एक डिमाण्ड चली आ रही थी। 40 गांव मेरे यहां पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं। गंगा के किनारे खादर कहलाता है। 60 साल से वहां पर जनप्रतिनिधि भी रहे लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मा0 मंत्री जी को कि उन्होंने दो साल के अंदर वहां पर एक बांध बनवाने का काम शुरू कर दिया है। 40 गांव, सारे गांव वहां पर शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट के हैं। जब से बांध वहां के लिए स्वीकृत हुआ है तब से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। मैंने उनके चेहरे पर हंसी देखी है। वहॉ पर बहन जी भी गयीं थी, डा0 बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण करके आयीं थीं। उन्होंने वायदा किया था कि एक साल के अंदर-अंदर मैं यह पूरा बांध बनवा दूंगी। वह भी चली गयीं उनका शासन भी चला गया और इसके बावजूद आज तक वहां पर बांध का कोई काम नहीं हुआ था। मैं अपने इस शासन को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हर गरीब के आंसू पोछे हैं। जो सबसे नीचे बैठा हुआ था उस आदमी के आंसू पोछे हैं। उस फूलन देवी के आंसू पोछने वाले आदरणीय मुलायम सिंह साहब जो कीचड़ में पड़ी हुई औरत का हाथ पकड़ कर के हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में ले जा के बैठा दिया, अरे गरीबों का दर्द तो ये जानते हैं, इनकी बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं। इन्होंनें गरीबों का दर्द देखा, आज के समय में आप उठाकर के देखियेगा, आदरणीय मौर्या साहब चले गये, इनसे दो बात मैं करना चाहता था, आप गैरों की बात कर रहे हैं, मैं तो अपना हूं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपका, मैं बाबा साहब का अनुयायी रहा हूं, मेरी कांशीराम साहब के साथ अच्छी घनिष्ठता थी, मैंनें उनसे पूछा था कि कांशीराम साहब कि ये क्या हो रहा है मैं नौकरी में था, जब एस0सी0, एस0टी0 के अफसरों को बुलाकर चंदा इकट्ठा किया जाता था सीक्रेट तौर पर, मैं सीक्रेट सर्विस में था, तब भी जाकर कांशीराम जी को चंदा देकर आया था, यही उम्मीदें थीं हमारी सबकी कि एक दिन आयेगा और एस0सी0, एस0टी0 का परचम लहरायेगा, लेकिन जितना बड़ा शोषण हमारा हुआ, अपनों का हुआ है, एक क्लास को छोड़ कर बाकी सब रोये हैं यहां।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री माइकल चन्द्रा-

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता था छोटी सी कि इस सबके अन्दर जो एक नया सवेरा आ रहा है, इस चीज को देखने के लिए आप लोगों को दिल की जरूरत है, दिल से इस चीज को महसूस करिये, आज जितने लोगों ने यहां पर बात कही है, आदरणीय हमारे सी0एम0 साहब ने साढ़े चार करोड़ रुपया, अभी चले गये यहां से महबूब साहब बैठे हुए थे, साढ़े चार करोड़ रूपया हम लोगों ने अपने हाथों से बांटा है वहां पर, जिनके यहां मृत्यु हो जाती है, वह सब दबे कुचल लोग हैं, कोई साईकिल पर जाते हुए मर जाता है, जिनके लिए साढ़ चार करोड़ रुपया मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं, साढ़े चार करोड़ रुपया, जब चेक देते हैं तो उनके चेहरों को देखने से बनता है, उनके चेहरों पर आप मुस्कराहट देखियेगा, उन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री माइकल चन्द्रा-

मान्यवर, आपका आदेश है तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 श्री गयादीन अनुरागी जी हैं, अगर अनुरागी जी नहीं हों तो श्री बंशी सिंह पहाड़िया जी अपनी बात कहें। थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे, तो जितने लोग बचे हैं, सब लोग बोल लेंगे।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो श्री अनूप सण्डा जी ने प्रस्ताव रखा, उस पर अपनी राय रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह सब एक सरकारी पुलिन्दा है, इसमें जितनी बात कही गई हैं, उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं। माननीय अधिष्ठाता जी मेडिकल के बारे में जितनी बातें कही गई हैं पुराने ढर्रे पर यदि एक दूसरा, समाजवादी पार्टी के लोग बसपा की बुराई, बसपा के लोग समाजवादी की बुराई और करोड़ों रूपया सदन में खर्च हो जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अस्पतालों में क्या इन्होंनें सुधार मशीनों में दवाइयों में किये हैं, क्या कोई ट्रामा सेण्टर इन्होंने बनवाया है, सिर्फ अपने-अपने क्षेत्रों में इन्होंनें हास्पिटल खोलने का काम किया है। दूसरी बात मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी नेता सदन ने, सदन में घोषणा की थी कि

लोहिया ग्रामों में मा0 विधायकों को और उसका अध्यादेश भी इन्होंने कानून भी इन्होंने बनाया और आज तक किसी भी प्रभारी मंत्री ने विपक्ष के विधायकों की राय लोहिया ग्रामों में नहीं ली गई और न उसका इसमें उल्लेख किया गया है। रही बिजली की बात, मा0 अधिष्ठाता जी आपके माध्यम से एक गूंगी, बहरी सरकार के कान खोलने के लिए मैं यह कहना चाहता हूं, आज बिजली की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन देहात में 08 घण्टे और शहर में 12 घण्टे बिजली दी जा रही है। अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से बहुत गम्भीर विषय है, आज स्थिति यह हो गई है कि सरकार की जो ढील है या संरक्षण अधिकारी/कर्मचारियों को किसी भी विधायक का सम्मान सुरक्षित नहीं है, सिपाही से लेकर आई0जी0 तक कोई भी प्रोटोकाल का पालन नहीं कर रहा है। रही गन्ना भुगतान की बात, जब कि यह गन्ना किसानों के बहुत बड़े हमदर्द बनते हैं, सब लोगों ने चिल्ला-चिल्लाकर विशेष तौर पर पश्चिम के लोगों ने गन्ना भुगतान की बात कही, भारत सरकार ने इनको इसमें मदद की गन्ना भुगतान में, आज भी पुराने भुगतान और वर्तमान में जो चालू हुए हैं, उसमें सरकार बहुत निष्क्रिय है। मान्यवर, आज हाईकोर्ट की बात मेरठ मण्डल में, आगरा या मेरठ या गाजियाबाद, बुलन्दशहर कहीं भी पश्चिम में हाईकोर्ट की बात के लिये यह सरकार हठधर्मिता पर उतारू है और हाईकोर्ट की बेंच के लिये सरकार ने कोई प्रस्ताव या उसका उल्लेख महामहिम के अभिभाषण में नहीं किया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं जानकारी के लिये जानना चाहता था कि गन्ना भुगतान के मामले में केन्द्र सरकार ने क्या मदद की है, जानकारी हो जायेगी थोड़ी।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

गन्ना भुगतान के बारे में मैंने अखबार में पढ़ा लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया जाता। मैंने पढ़ा कि गन्ना किसानों के लिये 8000 करोड़ रुपये की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। मा0 अधिष्ठाता जी, ये पुरानी सरकार को बहुत दोष देते हैं सड़कों के बारे में। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का ही हाल नहीं, इनके विधान सभा क्षेत्रों की सड़कों का हाल भी, पता नहीं सड़कों का पैसा कहां जा रहा है। ये इन्हें बेईमान बतातें हैं, वे इन्हें बेईमान बताते हैं। इस तरीके से समय जाया हो रहा है। अधिष्ठाता जी, सिकन्दराबाद इण्डस्ट्रियल एरिया में वैट या राज्य सरकार के करों के कारण 36 रुपये लीटर गैस की सप्लाई है।

श्री अधिष्ठाता-

पहाड़िया जी, अब समाप्त करिये, अब आप बैठिये। अब श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत जी, उसके बाद मिश्रा जी। पहाड़िया जी अब आप बैठ जाइये।

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, मैं जेवर का रहने वाला हूं, वहां पर रोडवेज का डिपो नहीं है। जेवर हमारे यहां से राजस्थान और दिल्ली को मिलाने का एक स्थान है और इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। मान्यवर, हमारे नेता सदन...

श्री अधिष्ठाता-

पहाड़िया जी, अब हो गयी आपकी बात। अभी कुछ लोग रह गये हैं। आप बैठ जाइये, 5 बज गया है।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, केन्द्र के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। खाद्य सुरक्षा बिल लागू नहीं किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी दूर नहीं की गयी और न अभिभाषण में इस तरह का कुछ है।

*श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा के मौके हमारे नेता मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य जी के संशोधन पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा और जब मैंने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण को देखा कि उसमें बुन्देलखण्ड के लिये कुछ भी व्यवस्था नहीं की गयी है और अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने सरकार की बहुत सारी नीतियों के बारे में बताया। मैं लम्बी चौड़ी बात न करते हुये अपने झांसी जनपद की जो भी समस्यायें हैं। मैं कई बार मा0 मंत्रियों के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराता रहा हूं लेकिन आज तक उन कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। न सरकार के किसी मंत्री ने उसको संज्ञान में लिया। जैसे हमने लिखा कि क्रेशर मालिकों द्वारा जो 2-2, 3-3 एकड़ के पट्टे थे, उन पट्टों की जगह को खनिज के जो पट्टे थे। 2-3 एकड़ की जगह पर 5-5 एकड़ जमीन पर अवैध खनन करके सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैंने सरकार को हमेशा अवगत कराया लेकिन सरकार ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इनके क्रेशरों के माध्यम से फोर लेन मार्गों पर जो डस्ट उड़ती है और जो हमारे वाहन चलते हैं, कई बार उस डस्ट की वजह से वहां पर एक्सीडेण्ट हुये हैं और कई मौतें हुयी हैं। मैंने उस पर मा0 पर्यावरण मंत्री जी को भी अवगत कराया, लिखकर भी दिया, सदन में भी बताया और तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी। मेडिकल कालेज, झांसी में मैंने लिखकर भी दिया, सदन में भी बताया कि झांसी मेडिकल कालेज के जितने भी डॉक्टर हैं। वे सारे के सारे डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करते हैं और जो भी मरीज गांव देहात से गरीब, मजदूर मरीज आता है उसको प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचा करके 25-25, 30-30 हजार रुपये की वसूली की जाती है और नर्सिंग होम का मैंने कई बार अपने पुस्तकालय में भी जो मेडिकल कालेज का जी0ओ0 है कि मेडिकल कालेज से कितनी दूरी पर प्राइवेट नर्सिंग होम होना चाहिये। आज तक वह जीयो नहीं मिला और झांसी मेडिकल कालेज के बिल्कुल दीवार से लगे हुए सैकड़ों नर्सिग होम झांसी के अंदर बनाये गए हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, झांसी में मण्डी नहीं है, कई बार लिखकर दिया है और गल्ला मंडी की कई जगह माप की गयी।

श्री अधिष्ठाता-

थोड़ा समय कम लें समय समाप्त हो गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

अभी तो मान्यवर, दो मिनट का समय हुआ है, दस मिनट का समय तो दीजिए

श्री अधिष्ठाता-

यह मजबूरी है, आप हमारी विवशता को समझिये।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

मा0 अधिष्ठाता जी दो मिनट का समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

आप के साथी और लोग भी बोलने वाले हैं, सब लोग बोलेंगे।

श्री अजय मिश्रा ''टेनी''-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर श्री अनूप सण्डा जी के द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस पर मुझे बोलने का आपने समय दिया। वास्तव में श्री राज्यपाल जी का यह अभिभाषण, जो विधान सभा में होता है, वह मात्र औपचारिकता बन करके रह गया है। क्योंकि यह वही भाषण होता है, जो सरकार बना कर देती है, वह यहां पर आकर पढ़ देते हैं, जो सत्य से परे होता है। वास्तव में जो विपक्षी दल में राजनीति कर रहे हैं लोग उनको लगता है कि यह झूठ का पुलिंदा है। इस समय जो परिस्थितियां हैं, वह प्रदेश सरकार असफलता की ओर जा रही है। सरकार असफल हो चुकी है, यह जब आप जमीन पर जाकर देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से लगेगा। इस समय जो परिस्थितियां हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, तो यह कहकर आयी थी कि यह किसानों की सरकार है लेकिन आज बाढ़ के कारण, गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के कारण, धान का पूरा दाम न मिलने के कारण, किसानों की उपज का पूरा मूल्य न मिल पाने के कारण आज किसान की जेब खाली है और किसान आज बहुत बुरी स्थिति में हैं, फिर भी सरकार कह रही है कि हम किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं इस पर कहना चाहता हूं कि मिजाजे मयकदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी, उन्हीं को जाम मिलता है, जिन्हें पीना नहीं आता। वास्तव में परिस्थितियां यह है कि धान का दाम 1310/- रुपये घोषित किया गया, लेकिन आप की सरकारी मशीनरी के द्वारा न तो कांटे लगाये गए न किसानों का धान खरीदा गया। 800/- रुपये में किसानों ने धान बेचा है। गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। लखीमपुर जिले सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ के भीषड़ प्रकोप ने किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया। किसानों के लिए खेती आज घाटे का सौदा हो गया, जितनी लागत लगती है, उतना मूल्य नहीं आ रहा है। किसान हताश है, निराश है कि वह खेती करे या न करे। ऐसी परिस्थतियां आ गई हैं, दूसरी बहुत सारी सरकारी योजनाएं जो आपने यहां सदन में प्रस्तुत कीं, वे योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन क्या आप यह जानने का प्रयास किये हैं कि उन योजनाओं का लाभ जिनके लिए आपने यह योजनाएं बनाई हैं, वहां तक पहुंच रहा है। मुख्य मंत्री जी के जनता दर्शन में ही आपने देखा होगा कि आपका तहसील दिवस वाला फलशफा फेल हो गया, वहां कोई सुनवाई नहीं लेता। ऐसे ही पेंशन और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता और राजनैतिक दबाव के कारण वह असफल सिद्ध हो रही हैं। कानून व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो कानून-व्यवस्था में भी राजनैतिक हस्तक्षेप थानों में पुलिस के अधिकारियों में, दरोगा की नियुक्तियों में, एस0पी0 की नियुक्तियों में इतना बढ़ गया है कि आपराधियों को मालूम होता है जैसे

संरक्षण दिया जा रहा हो। अपराधी निर्द्वन्द हो गए हैं जिसके कारण आज राजनैतिक दवाब के कारण आज ऐसी व्यवस्था हो गई है कि जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। सरकारी मशीनरी में, कर्मचारी में पुलिस में कोई कमी नहीं है, उसका उदाहरण, आप सब लोगों ने देखा है कि रामपुर में जब भैंसों की चोरी हुई थी, तो न भैंसों की फोटो थी, भैसों की शक्ल पहचानना मुश्किल होता है लेकिन 24 घंटे के अंदर भैंसे ढूढ ली गयीं थीं।

श्रीमान् लगभग चौबिस घंटे के अन्दर वह टूटने लगा।

श्रीमन् मेरे जिले लखीमपुर में पचपेड़िया घाट के पुल का निर्माण कराया जाय, इससे लगभग 30 हजार एकड़ जमीन वहां पर छूट जायेगी जिस पर खेती हो सकेगी और इससे जो वहां पर जंगल है उसका संरक्षण होगा और इससे करीब 150 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आमदनी लखीमपुर जिले की बढ़ जायेगी। इसी तरीके से मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेश्नल पार्क का एक दूसरा गेट निघासन विधान सभा क्षेत्र में बिलराया के तरफ बनवाया जाय इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और अपने सुझावों पर सरकार से अमल किये जाने का अनुरोध करता हूं।

श्री अमरपाल शर्मा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैंने इस अभिभाषण को पूरा पढ़ा है, इसमें प्रदेश के पश्चिमी जिलों के विकास की कोई बात नहीं कही गयी है। आप सत्ता पक्ष के लोग पिछली सरकार का हवाला न दें क्योंकि इस सरकार को दो साल हो चुके हैं। आपने दो साल में क्या किया क्या पांच साल तक सिर्फ पिछली सरकार का उदाहरण देते रहेंगे और आप पूरे पांच सालों में भी कुछ नहीं करेंगे। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद में स्थित है और यह पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। मान्यवर, जितनी भी योजनायें सरकार ने इस अभिभाषण में गिनाई हैं उसमें मेरे क्षेत्र व गाजियाबाद के लिए कुछ नहीं कहा गया है। मान्यवर, यहां बैठे माननीय नगर विकास मंत्री जी ने नगर निगम के द्वारा बड़े जोरदार तरीके से गाजियाबाद की विकास की बात कही थी। लेकिन उनकी घोषणाओं के बाद भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। मान्यवर, हर जगह सीवर के पानी से रोडों पर सीवर का पानी लबालब है सीवर जाम पड़े है। उनके निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। जो नगर निगम का सिस्टम सीवर व्यवस्था को संचालन करने का है। वह पूरा सिस्टम वहां फेल हो चुका है। जब भी हम वहां की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से मिलते हैं। तो वह अधिकारी सुनते नहीं हैं और अपने कानों में रुई डाले रहते हैं। जिससे जनता का हाल बेहाल है। मान्यवर, इस अभिभाषण में पश्चिमी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई फण्ड की व्यवस्था नहीं है, जबकि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश के विकास की रूप रेखा का आइना होता है। मान्यवर, मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में बसुन्धरा कालोनी, इन्दरापुरम् कालोनी, बैशाली, राजेन्द्र नगर कालोनी, शालीमार गार्डेन कालोनी, तुलसी निकेतन, डीएलएफ कालोनी, नन्द ग्राम कालोनी आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां सीवर सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। सीवर का पानी रोडों पर बह रहा है। नन्द ग्राम जैसी कालोनी में कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई सड़क नहीं है, सीवर सिस्टम नहीं है, वहां के विकास

पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर इसी तरह से मुरादनगर से लेकर टीलामोड़ तक जो रोड है वह जीर्ण-शीर्ण पड़ी हुई है। वहां किसान दो महीने से धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन सरकार के अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए समय नहीं है। मान्यवर, इससे सैकड़ों ग्रामों की जनता प्रभावित है। मान्यवर, टीलामोड़ से लेकर राजपुर नेनर और जावली होते हुए नहर के ऊपर रोड बनाने की बहुत आवश्यकता है। इसका कोई उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है। इसको उसमें जोड़ा जाय। मान्यवर, अगर यह रोड बन जायेगी, तो उससे पचासों गांवों के लोगों को बहुत लाभ होगा और आवा-गमन सुगम हो जायेगा। मान्यवर इसी तरीके से मेरे विधान सभा क्षेत्र में ट्रान्सहिण्डेन क्षेत्र में गंगा वाटर की डिमाण्ड बहुत दिनों से चल रही है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके फण्ड की जरूरत है। इससे वहां के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिले और क्षेत्र का विकास होगा। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ट्रान्सहिण्डेन में गंगा वाटर प्रोजेक्ट को शामिल कराया जाय। मान्यवर, इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ी कालोनी खोड़ा है यह प्रदेश की सबसे बड़ी कालोनी है। मान्यवर वहां पर वर्षो से मांग उठती आयी है इसे नगर पालिका बनाने की कोई योजना नहीं है। उसको की इस अभिभाषण में जुड़वाया जाय। मान्यवर, इसी तरह से महाराजपुर गांव, झंडापुर गांव, कड़कड़ गांव इसके नाले भी बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। उनको भी ठीक कराया जाय। इसके अभाव में वहां के लोगों को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, इसी तरह से शहीदनगर, वृन्दावन गार्डेन होते हुए विक्रम इनक्लेव यहां से होते हुए नालों की कोई व्यवस्था नही है जिस कारण से आये दिन नालों का पानी बैक होता है और लोगों को असुविधा होती है। इस ओर भी ध्यान दिया जाय। मान्यवर, हमारे यहां भौपुरा से गरिमा गार्डेन, पसुन्डा, हिन्डेन, एअरफोर्स, करहेडा होते हुए हिण्डेन नदी तक एक नये नाले का निर्माण कराया जाय ताकि सैकड़ों कालोनियों का पानी उसमें जाकर मिल सके और स्थानीय लोगों को सुविधा मिल सके। मान्यवर, इस पूरे इलाके में सड़के जर्जर स्थिति में हैं उनको ठीक कराया जाय। मान्यवर, भौपुरा से टीलामोड़ तक चार महीने पहले पी0डब्लू0डी0 द्वारा जो सड़क बनाई गई थी वह टूट गयी है और इसमें तीन-तीन फुट के गड्ढे हो गयें है। इसका पुनः निर्माण कराया जाय। क्योंकि इस महत्वपूर्ण मार्ग के ठीक न होने से वहां 6-6 घंटे का जाम लगता है। मान्यवर, गाजियाबाद प्रदेश का हाट सिटी है सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है इसे ट्रांसहिण्डेन के नाम से जाना जाता है। यहां पर जो सोलह-सोलह घण्टे बिजली की अघोषित कटौती हो रही है उसको बन्द कराया जाय और चौबिसों घण्टे बिजली दिलाई जाय। मान्यवर, पूरे ट्रांसहिण्डेन में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी डिग्री कालेज नहीं हैं, पोस्ट आफिस नहीं है स्टेडियम नहीं है। इन सब चीजों को भी इस अभिभाषण में जुड़वाया जाय। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में भी पूरा गरिमा गार्डेन पसोड़ा से और जो करेहडा से हिन्डन नदी तक का नाला बनना है उसको भी जोड़ दिया जाय। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं दो-तीन बाते आपके माध्यम से रखना चाहती हूं। महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन

की चिन्ता की गयी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए यह चर्चा की है। मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करना चाहती हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, बुन्देखण्ड पिछड़ा है इसकी चर्चा इसमें है। मैं जानना चाहती हूं कि बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बुन्देलखण्ड की खनिज सम्पदा के माध्यम से उससे जो राजस्व वसूली होती है उसमें यदि 50 प्रतिशत बुन्देलखण्ड में लगा दिया जाय तो कोई भी सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सिंचाई, पीने के पानी की सुविधा सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज स्थिति यह है बुन्देलखण्ड में गिट्टी है, नदियों की बहुतायत है, मौरंग है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने पहले सत्र में बसपा की सरकार में जो सिंडीकेट लगा था उसको मैने उठाया था आज बुन्देलखण्ड का कोई भी जनपद सिंडीकेट से अछूता नहीं है। बुन्देलखण्ड की चिन्ता बार-बार होती है। सड़कों की हालत देखी जाय जो फतेहपुर से चित्रकूट जाने वाली सड़क से व्यक्ति कोई जायेगा तो वह परेशान हो जायेगा। बसपा की सरकार थी सड़क के मंत्री थे आधी सरकार बांदा में रहती थी सड़कों का निर्माण होना चाहिए था। चित्रकूट ऐसा धाम है जहां हर अमावस्या को लाखों की तादाद में लोग जाते हैं लेकिन फतेहपुर के बाद वह चित्रकूट जाने वाला व्यक्ति चित्रकूट जा करके पछताता है। परेशान होता है। सड़कों का यह हाल है। मान्यवर, उम्मीद जगी थी कि बसपा की सरकार गयी है माननीय श्री अखिलेश जी की सरकार आई है सड़कों का निर्माण होगा लेकिन बुन्देलखण्ड की सड़कों की हालत आज भी बदतर है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बोलती नहीं हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से कुछ कहना चाहती हूं बुन्देलखण्ड में मौरंग के माध्यम से सड़कों की जो हालत हो चुकी है चाहे आम रोड हो, चाहे लिंक रोड हो सारी सड़के ध्वस्त हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से करोड़ों रुपया सड़कों में लगाया जाता है लेकिन 6 महीने नहीं होता प्रधानमंत्री सड़क ध्वस्त हो जाती है। मेरा आग्रह है मैं यहां विद्धेष की भावना से नहीं, राजनैतिक भावना से नहीं कह रही हूं मैं बुन्देलखण्ड का विकास करना चाहती हूं वहां से जो राजस्व की वसूली होती है उसको वहां लगाने का प्रयास करें। मान्यवर, एक सुझाव और है दो महीना नदी से घिरा रहा हमीरपुर मैंने सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध किया था कि हमीरपुर कटता चला जा रहा है कम से कम 10 मीटर मेरापुर हमीरपुर कट चुका है मैने आग्रह किया था कि हमीरपुर की नदी के किनारे पिचिंग बनाया जाय इसका महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि हमीरपुर को सुरक्षित रखना है तो वहां की अवैध खनन जो पोप लाइन मशीनों के द्वारा हो रही है उसको रोका जाय नहीं तो हमीरपुर को विनाश से कोई रोक नहीं सकता है। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश त्रिपाठी-

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की और गोरखपुर जनपद की जिन समस्याओं की तरफ इंगित कर रहा हूं, उसे सरकार अपनी नीतियों में, अपनी कार्य योजना में शामिल करे। मैं उस पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में

जो धुरियापार चीनी मिल है, वह बंद पड़ी है, सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जो चीनी मिलें बंद हैं, उनको चलाया जायेगा। मैं यह मांग कर रहा हूं कि उस धुरियापार चीनी मिल को, जो गोरखपुर जनपद में बंद पड़ी है उसे अतिशीघ्र चलाया जाय ताकि किसानों का हित हो सके।

दूसरी तरफ हमारे यहॉ गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल की जो सड़के हैं वह पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं उन जर्जर सड़कों का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाय, विशेषकर स्टेट हाईवे जो रामजानकी मार्ग-72 है, उरुवा-गाला-बड़तलगंज उसकी दशा अत्यन्त दयनीय है। सरकार के पास धन के लिए पत्रावली विचाराधीन है, सरकार ने आश्वस्त भी किया था कि सारे स्टेट हाई-वे का एक साल में कार्य शुरू कराया जायेगा, मगर वह कार्य शुरू नहीं हुआ। हम यह मांग कर रहे हैं कि उस स्टेट हाईवे-72 को अतिशीघ्र शुरू कराया जाय। हमारे यहां 45 किमी0 राप्ती नदी पर तटबंध बना हुआ है, मगर 5 किमी0 आछीडीह से सतया तक बंधा न बन पाने के कारण पूरा का पूरा 45 किमी0 का बंधा बेकार पड़ा हुआ है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि इस अभिभाषण में इस बात का भी जिक्र कराया जाय और सरकार अपनी कार्य योजना में यह ले आये, कि वह जो आछीडीह से सरया तक तटबंध है, उसको सरकार अतिशीघ्र शुरू कराये।

साथ ही हमारे यहां राजकीय आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण सरकार द्वारा कराया जा रहा है तथा हमारे यहां राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का भी निर्माण कराया जा रहा है, पिछले ही सत्र में इन दोनों कालेजों का निर्माण पूरा कराकर इसमें इस साल से प्रवेश शुरू कराना था, मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और आई0टी0आई0 कालेज को अतिशीघ्र इस साल पूरा कराकर अगले सत्र से वहां पढ़ाई की व्यवस्था आरम्भ करायी जाये । मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिये जो सरकार की मंशा है, गोरखपुर से गोला तहसील मुख्यालय को जोड़ा जाय, उस काम को शीघ्र पूरा कराया जाय। साथ ही तरैना नाला जो गोरखपुर दक्षिणाचंल में हमारे क्षेत्र का एक प्रमुख नाला है, उसकी खुदाई का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है, मैं यह मांग करता हूं कि सरकार तरैना नाले की खुदाई कराकर उसके दोनों किनारे तटबंध बनवाये ताकि उस इलाके की हजारों हेक्टेयर भूमि और गॉवों की सुरक्षा कराई जा सके।

साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मॉग कर रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में 8 बड़े पुल का निर्माण जारी है, कई पुल बन चुके हैं, लेकिन उनका एप्रोच अधूरा पड़ा है, उन पुलों का एप्रोच पूरा कराया जाय और जो पुल पैसे के अभाव में रुके पड़े हैं, उन पुलों का निर्माण अतिशीघ्र पूरा कराया जाय। मैं आपसे मांग करता हूं कि शासन के पास बड़हलगंज को नगरपालिका बनाने, उरूवा को टाउन एरिया बनाने, हाटा बाजार को टाउन एरिया बनाने, जानकीपुरम् के ब्लाक मधुपुर में पुलिस चौकी स्थापित करने जैसे मॉगें भी शासन के पास विचाराधीन हैं, सरकार इन मांगों को अतिशीघ्र पूरा कराये। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि जो गोरखपुर मण्डल के बच्चों के जान से जुड़ी हुयी हैं, विशेषकर इन्सेफ्लाइटिस की मैं बात करना चाहता हूं, इन्सेफ्लाइटिस के टीकाकरण अभियान में सरकार विशेष ध्यान दे और टीकाकरण अभियान आरम्भ कराये और बचाव हेतु सफाई जागरणकर्ता अभिक्रिया इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भाई श्री अनूप सण्डा के द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके लिये आपने अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं तथा धन्यवाद देता हूं। महामहिम के अभिभाषण पर कल से चर्चा जारी है। साथियों पक्ष और प्रतिपक्ष के तमाम साथियों ने तरह-तरह से अपने विचार रखने का काम किया मैं सत्तापक्ष के सभी साथियों की रखी गई बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं तथा समर्थन करता हूं और साथ ही साथ कहना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों से कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब से बनी है तब से निरन्तर विकास के काम और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम हमारे प्रदेश के मुखिया मा0 मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं। तमाम अभी बसपा के मित्रों ने कहा कि उनके द्वारा चलाये गये कार्यक्रम कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जब से सरकार बनी मात्र 23 महीने की सरकार है क्या एम्बुलेंस सेवा 108, 102 इस प्रदेश में नहीं चल रही है, क्या यह कल्याणकारी योजना नहीं है। क्या कन्या विद्याधन, पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित नहीं की जा रही हैं। किसानों को एल0डी0बी0 बैंक के 50 हजार रुपए के ऋण को माफ करने का काम साढ़े सोलह सौ करोड़ रुपया किसानों को देने का काम इस सरकार ने किया। किसान दुर्घटना बीमा योजना में पांच लाख रुपया हमारी सरकार ने किसानों को देने का काम किया। सिंचाई चाहे नहर की हो चाहे ट्यूबवेल की हो, उसको माफ करने का काम किया। इसी प्रकार छोटे-छोटे कस्बों में लगने वाली तहबाजारी जिसमें गरीब का शोषण होता था, उस तहबाजारी को माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। जनेश्वर मिश्र ग्राम्य योजना के माध्यम से सी0सी0 रोडों का निर्माण, समग्र ग्राम्य विकास योजना जिसमें 36 योजनाओं को संकलित करके काम हो रहा है। लोहिया आवास योजना जिसमें सवा लाख से डेढ़ लाख रुपए एक परिवार को देकर आवास बनाने का काम किया जा रहा है। अभी-अभी चालीस लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन योजना देने का काम किया जा रहा है। कामधेनु डेयरी योजना किसानों के लिए बहुत कल्याणकारी योजना है जो इस सरकार ने शुरू किया है। इसी प्रकार अनेकों तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, आई0टी0 सिटी का निर्माण, मेट्रो ट्रेन का निर्माण, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का निर्माण, जिला मुख्यालयों को फोरलेन से जोड़ने का काम, सड़कों और पुलों पर जितनी तेजी से काम हो रहा है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है और इसके लिए उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसी तरह से कौशल विकास मिशन योजना जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार खोलेगी, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसी तरह से सोलर रिक्शा का वितरण, सोलर ऊर्जा नीति की स्थापना, विद्युतीकरण योजना, आज गांवों में 14 घण्टे बिजली दिखाई पड़ रही है जो पहले 6 घण्टे नहीं मिलती थी। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, मेडिकल की सीटों को बढ़ाने का काम, कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना, सबसे अधिक महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश में श्रमिक हित लाभ योजना शुरू की गई जो श्रमिकों की मृत्यु होने पर उन्हें पांच लाख, चार लाख रुपए देने का काम हो रहा है, उनको साइकिल देने का काम हो रहा है, उन्हें पेंशन देने का काम हो रहा है यह वास्तव में गरीबों के लिए काम हो रहा है। मैं एक मिनट में अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि उन्हें सरकार के सकारात्मक पक्ष को भी देखना चाहिए और कम

से कम उतनी प्रशंसा तो करनी ही चाहिए। जनपद गोण्डा देवी पाटन मण्डल का मुख्यालय है उसे फोरलेन से जोड़ने का काम आगामी बजट में किया जाए। मण्डल मुख्यालय होने के नाते मेडिकल कॉलेज की स्थापना वहां की जानी जरूरी है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में मण्डी की स्थापना की बात मा0 मुख्य मंत्री जी ने कही है, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आदरणीय राम गोविन्द चौधरी जी और अम्बिका चौधरी जी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से कार्यरत् करीब 15 से 20 हजार नौजवान हैं जिन्हें सरकारी खजाने से वेतन मिल रहा है लेकिन उनकी सेवा नियमित न होने के कारण उनके ऊपर सदैव तलवार लटकती रहती है इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस सदन के माध्यम से कि उनकी सेवा को नियमित करने के लिए भी सरकार सोचे। जैसे एक लाख सत्तर हजार प्राथमिक शिक्षामित्रों को आपने समायोजित करने का काम किया है वैसे ही 15-20 हजार नौजवानों को विनियमित करने का काम करें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह-

मान्यवर, हमारे यहां पुल हैं सेमरा शेखपुर, गोड़वाघाट पुल टेड़ी नदी पर, डेमवा घाट पुल घाघरा नदी पर, कैथी घाट (पीपे का पुल) घाघरा नदी पर बनवाया जाए। इसके अतिरिक्त गोण्डा-बेलसर मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य तथा ऐली से लोलपुर बांध का निर्माण कराने का कार्य अगले बजट में शामिल किया जाए। आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का आपने अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, कल से चर्चा जारी है और लगातार हमारे सत्तापक्ष के तमाम साथी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो तीन-चार योजनाओं को बहुत ज्यादा प्रचारित-प्रसारित करने का काम किया जाता है उसकी जमीनी हकीकत के बारे में शायद हमारे साथी अवगत होंगे। लैपटॉप, टैबलेट की बात हो रही है। जमीनी हकीकत यह है कि लैपटॉप लेने के बाद बाजार में आज उसको खुलेआम बेचा जा रहा है पांच हजार, सात हजार व दो हजार रूपये में। टैबलेट आज तक किसी ने देखा भी नहीं कि कैसा है ? कृषि दुर्घटना बीमा की बात हो रही है। माननीय मंत्री जी सरकार कितनी उदासीन है आप देख सकते हैं, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और सत्तापक्ष के लोग गायब हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात रखिये। टोका-टाकी मत करिये।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

कृषि दुर्घटना बीमा की बात हो रही है और माननीय चौधरी साहब बैठे हुए हैं। कृषि दुर्घटना बीमा को आपने एक लाख रुपये से बढ़कार पांच लाख रुपया किया उसका हम लोगों ने भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वागत किया था। लेकिन जमीनी हकीकत है कि आज पैसा नहीं मिल पा रहा है। मैं एक घटना बता रहा हूं आप उसको नोट कर लीजिए।

(श्री अम्बिका चौधरी जी के खड़े होने पर)

आप सुन लीजिए। मैं एक घटना बता रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आपको इण्टरवीन थोड़े ही कर रहा हूं। आपकी बात को गम्भीरता देने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस किसी सदस्य के पास इस बात की जानकारी हो कि अमुक पात्र व्यक्ति को पैसा नहीं मिला। आप इन राइटिंग दे दीजिए उसको पैसा दिया भी जायेगा और विलम्ब के लिए जो दोषी होगा उसको दंडित भी किया जायेगा।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मैं आपको सिर्फ दो घटनायें बता रहा हूं। दोनों घटनाओं को सुन लीजिए। एक घटना में यहाँ से ओरियण्टल बीमा कम्पनी है यहां से चेक बन करके गया, चेक में खाता नम्बर गलत डाल दिया गया और एक हमारे यहां की घटना हुई थी..

श्री अम्बिका चौधरी-

किसी भी इंश्योरेंस कम्पनी को यह स्कीम दी ही नहीं गयी। पांच लाख रुपया जब से किया गया है तब से इसको देने का काम जिलाधिकारी के माध्यम से डायरेक्टली किया जा रहा है। यह इंश्योरेंस कम्पनी का मामला ही नहीं है। वह पुरानी स्कीम है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

एक कीलापुर गांव है ब्लाक मिर्जापुर में वहां का एक रविनाथ नाम का व्यक्ति दुघर्टना में उसकी मृत्यु हुई, डेढ़ साल हो गया और तमाम बार हमने भी तहसील में बात की लेकिन आज तक उसकी फाइल में कोई कार्यवाई नहीं हुई डेढ़ साल में, जबकि दुर्घटना बीमा में तत्काल उसको पैसा मिलना चाहिए लेकिन आज तक उसको भुगतान नहीं मिला। मान्यवर, यहां पर लोहिया ग्राम की बात होती थी लोहिया ग्राम के बारे में यहां से कहा भी गया कि मा0 विधायकों का भी लिया जायेगा। आज जो लोहिया ग्राम बनाये जा रहे हैं वहां वह कहीं 100 मीटर सी0सी0 रोड, कहीं पर 150 मीटर सी0सी0 रोड है, कहीं केवल गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया जी जो आपके आदर्श हैं, हम सभी के आदर्श हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं उनसे सीखते हैं। उनके नाम पर जो गांव बसाये जा रहे हैं कम से कम उन गांवों का ऐसा विकास हो जैसे हमारी सरकार में डा0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर गांव बनाये गये थे। एक-एक गली, एक-एक मोहल्ले की गली पक्का कराने का काम किया गया था और बगैर किसी गुणदोष के आधार पर और यहां तो आपने तय कर दिया कि प्रभारी मंत्री जी बतायेंगे कि कौन सा गांव बनना है। हमारे क्षेत्र में और उन लोगों के गांवों में, उन गलियों में जहां पर लोग नाक पर उंगली लगाकर निकलते थे उन गलियों के गांवों में जहां पर लोग जाते थे नाक पर रुमाल लगाकर निकलते थे, उन गलियों को भी पक्का कराने का हमारी सरकार ने काम किया। हमारे क्षेत्र में राम गंगा नदी है उसके कटान से लगभग 40 से 50 गांव बाढ़ के समय में प्रभावित होते हैं

और वह बेचारे बार-बार अपना सामान उठा करके इधर-उधर ले जाते हैं। उसके बारे में उसके बारे में कई बार यहां पर प्रश्न लगाया और जब हमारी सरकार थी तो उसका सर्वे भी कराया गया था लेकिन उस सर्वे के बाद आचार संहिता लगी चुनाव हुआ आपकी सरकार आई आज तक पौने दो साल में पता नहीं सर्वे कहां डाल दिया गया उसमें हमारे ही जनपद से हमारे पड़ोस के क्षेत्र के जो विधायक हैं आपकी पार्टी से हैं वह भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगा कि श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस योजना को जरूर जोड़ा जाय जिससे वहॉं के रहने वाले लोगों को राहत मिल सके।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

चूंकि आप समय बहुत कम दे रहे हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की जो घोषणाएं होती हैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने अगर मुंह से कुछ बोल दिया तो उस पर तत्काल काम चालू हो जाना चाहिए। मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी जनपद गए थे अधिष्ठाता जी आपके क्षेत्र की भी बात है हमने पहले यहां पर सवाल भी लगाया था कि हमारे जिले में शहर के अन्दर पुराना जिला अस्पताल है। बहुत बड़ा प्रांगण है उसका । बराबर यह मांग उठ रही है कि जब से नई बिल्डिंग में अस्पताल चला गया है तो उसको एक सिटी अस्पताल के रूप में घोषित कर दिया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषित भी किया लेकिन वहां पर अभी किसी तरह का काम एक इंच आगे नहीं बढ़ा है। तो उसको भी इस अभिभाषण में जोड़ा जाय। अन्त में मैं श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो संशोधन हमारे नेता के द्वारा और हम लोगों के द्वारा रखे गए हैं उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा किए जाने का जो आपने मुझे अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। साथ ही साथ माननीय श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में श्री अनूप सण्डा द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हुआ तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय जनता पार्टी और अन्य नेताओं द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ उल्लेख करना चाहूंगा माननीय अधिष्ठाता जी जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यह भारतवर्ष एक ऐसा भू-खण्ड है जिसको समूचा विश्व ऋषियों मुनियों मठों और मंदिरों वाला देश कहकर सम्मान प्रदान करता है। मठ मंदिरों की तो बहुत संख्या है लेकिन मैं सारे मठ मंदिरों की चर्चा नहीं करूंगा केवल सरस्वती जी के मंदिरों की चर्चा करूंगा सरस्वती जी के मंदिरों से अभिप्राय शिक्षा संस्थानों से है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विद्यालय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन हैं हमारा पीलीभीत ऐसा एक जनपद है सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का जहां के बारे में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनपद है जहां पर 200 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद पड़े हैं। 150 विद्यालय ऐसे हैं जो कि मात्र शिक्षा मित्र और एकल शिक्षक के सहारे संचालित हैं। हमारे जनपद पीलीभीत में तथा जनपद

बरेली और शाहजहांपुर में भी 100 से ज्यादा अध्यापक फर्जी हैं तथा शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और वेतन ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 भी दर्ज हुई एक अध्यापक जेल भी गया बाकी जो अध्यापक हैं उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। साजसज्जा, खेलकूद उपकरण एवं वाद्ययंत्रों में जो खरीद हुई है उसमें बहुत भारी घोटाला है जो हमारे यहां वेषभूषा का वितरण हुआ है उनका बाजारी मूल्य ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए होगा जबकि 400 रुपए के दोनों सेट होने चाहिए। इसमें हमारे यहां ए0डी0 बेसिक ने जांच की है जांच में अनियमितता भी पाई गई है लेकिन अब तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारे जनपद पीलीभीत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत भयावह है कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिस आवेदन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक महिला अध्यापक [x x x] यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस प्रकार से हमारे जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग की स्थिति बहुत खराब है। हमारे यहां उच्च शिक्षा के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि जनपद बीसलपुर में मात्र एक ही राजकीय महाविद्यालय है, जिसकी चहारदीवारी न होने के कारण शिक्षा में बहुत बड़ा व्यवधान रहता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करूंगा कि उसकी चहारदीवारी बनवाई जाय। उस विद्यालय में गृह विज्ञान, भूगोल और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों की मान्यता दी जाय जिससे उनमें शिक्षा का उन्नयन और विकास हो सके। मान्यवर, हमारे इस देश को दूध और दही की नदियों वाला देश कहकर भी पुकारा जाता है। लेकिन जनपद पीलीभीत एक ऐसा जनपद है जहां पर कि दो अवशीतन केन्द्र हैं एक पूरनपुर में और दूसरा पीलीभीत में है। दोनों बन्द पड़े हुए हैं। हम लोगों ने वर्ष 2012-2013 में 1 करोड़ 27 लाख 33 हजार धन आवंटित कर अवशीतन केन्द्र बीसलपुर में बनाये जाने के लिये धन की उपलब्धता करायी लेकिन दुग्ध विकास विभाग वालों ने अब तक वहां पर अवशीतन केन्द्र नहीं बनाया। मान्यवर, यहां पर मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि जनपद शाहजहांपुर के 94 गांव हमारे जनपद पीलीभीत में जोड़े गये हैं और वह क्षेत्र पंचायत पूरनपुर में जोड़े गये हैं। यह पूरनपुर सम्पूर्ण एशिया की सबसे बड़ी क्षेत्र पंचायत है। इसका परिसीमन किया जाना चाहिए और कम से कम 3 क्षेत्र पंचायतें बनायी जानी चाहिए। एक माधोटांडा के नाम से दूसरी पूरनपुर के नाम से तथा तीसरी गजरौला कलां के नाम से। इस तरह से हमारे तहसील बीसलपुर में भी तीन क्षेत्र पंचायतें हैं उनका भी परिसीमन किया जाना चाहिए। माधोपुर नाम से भी एक अन्य क्षेत्र पंचायत बनायी जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी अब समाप्त करें।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

तहसील पीलीभीत में भी तीन क्षेत्र पंचायते हैं उनका भी परिसीमन करके भमौरा नाम से एक अन्य क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जनपद में तीन तहसीलें हैं परिसीमन करके एक अन्य तहसील गजरौला कलां के नाम से गठित की जानी चाहिए तब ही मुझे लगता है कि हमारे जनपद की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जायेगा। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गयादीन अनुरागी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए आपके सामने बुन्देलखंड में अति पिछड़े जनपद हमीरपुर राठ विधान सभा से आया हूं। मैंने पिछले सत्र में भी 22 फरवरी, 2013 को भी इस अवैध खनन के बारे में आपके सामने प्रस्ताव रखा था। बुन्देलखंड में खासकर हमीरपुर जनपद में यह आलम है माननीय अधिष्ठाता जी कि डेली 8-8 10-10 घंटे जाम लगता है। उसका एक ही कारण है कि अवैध ढंग से ट्रकों में ओवरलोडिंग की वजह से ट्रकों से जाम लगता है और जब भी हमने और सदर विधायक माननीया निरंजन ज्योति जी अधिकारियों से कहते हैं कि जाम लगा हुआ है तो नाम मात्र पर खानापूर्ति करके जांच बन्द कर देते हैं। मेरे जनपद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 4 सड़कें स्वीकृत हुई थीं 2013 में उसका पैसा भी जनपद में आ गया था लेकिन आज तक उनमें से एक में भी काम शुरू नहीं हुआ। बार-बार वहां के एक्सीयन, जिलाधिकारी से कहने के बाद उसके दो-दो बार टेन्डर हुआ लेकिन आज तक सड़कें नहीं बनीं। राठ से धमना चक अमरपुरा चौराहा यह चार सड़कें ऐसी हैं जो आज तक नहीं बनी हैं। हमारे बुन्देलखंड पैकेज के नाम पर जो पैसा दिया कृषि विभाग से कृषि मंडियों के लिये दिया गया। पूरे जनपद में आज माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, जो मंडियों का निर्माण है, ऐसी जगह निर्माण हुआ है इन्टीरियर एरिया में, जहां न मेन सड़क है। वहां आवारा पशु रहेंगे। हमारे पूरे बुन्देलखंड में विशेषकर हमीरपुर में डाक्टरों की बड़ी भारी कमी है। वहां पर सी0एच0सी0 में मात्र एक-एक डाक्टर रह रहा है। कोई डाक्टर नहीं है और हमारे बुन्देलखंड में अभी बहुत बड़ी मांग बुन्देलखंड प्रान्त को लेकर चल रही है। वहां पर धरना चल रहा है और मान्यवर, कल से वहां पर आमरण अनशन भी शुरू हो गया है मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहूंगा कि जो भी बुन्देलखंड पैकेज में पैसा आया है उसकी जांच सी0बी0आई0 से कराने के आदेश निर्देश शासन को दें क्योंकि यहां पलायन अराजकता का माहौल है किसान कर्जे के कारण आत्महत्यायें कर रहा है एक पालिसी शासन बना दे कि जिनके खेतों में बालू है अगर वह अपने खेतों से बालू उठाये तो उसको परमीशन दे दी जाए, क्योंकि जिनके खेतों में बालू है उन किसानों को बालू नहीं उठाने दी जा रही है और दूसरे लोगों से जिस तरह से पिछली सरकार में जी0टी0 गुण्डा टैक्स लिया जाता था उसको दुगुना कर दिया गया है। हमारे हमीरपुर में आप जाइए, वहां आप पता लगा लीजिए कि किस तरह से वहां का हाल है वहां पर मान्यवर, जमीनें फट रही हैं वाटर लेबल नीचे जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो चार-पांच सालों में वहां पीने के पानी के लिए लड़ाई, दंगा फसाद होगा। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी पालिसी बना करके कि अवैध खनन न हो और ज्यादा से ज्यादा वहां पर अराजकता का जो माहौल है अवैध खनन को ले करके उसमें सरकार कोई दिशा-निर्देश देने का काम करे। मैं ज्यादा न कहकर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री फेरनलाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, संशोधन पर, मुझे अपने विचार रखने का जो मौका दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन का ज्यादा समय न लेते हुए कम समय में अपनी बात कहूंगा। मेरा उद्देश्य केवल अभिभाषण की आलोचना नहीं है मेरा उद्देश्य सुझाव है। जब मैंने अभिभाषण को पढ़ा तो मैंने मुख्य कमी यह पाई कि इसमें क्षेत्रीय असंतुलन है मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि जनपद ललितपुर में मेरा क्षेत्र महरौनी पड़ता है पूरे महरौनी क्षेत्र में मात्र पांच इण्टर कालेज हैं और दो सौ जूनियर हाई स्कूल हैं इनसे हर वर्ष करीब आठ नौ हजार बच्चे आठवां पास करके निकलते हैं जो नाइन्थ के एडमीशन के लिए भटकते रहते हैं। वह हम लोगों के पास आते हैं कि विधायक जी हमारा एडमीशन करा दीजिए हम जाते हैं तो वहां के प्रबन्धक या प्रिन्सिपल कहते हैं कि विधायक जी, हमारे कालेज के हाल की क्षमता सौ बच्चों की है और डेढ़ सौ बच्चों का एडमीशन हम कर चुके हैं बताइए कहां बैठालेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक तरफ तो सरकार 45 नवीन माडल स्कूल खोलने की बात कर रही है दूसरी तरफ एक क्षेत्र में साधारण विद्यालय भी नहीं हैं कि जो बच्चे आठवां पास करके आएं उनको एडमीशन मिल सके। दूसरी बात हमारी विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक डिग्री कालेज है किसी तरह से वह बच्चे इण्टर पास कर लेते हैं चाहे वह प्राइवेट तरीके से करें चाहे रेगुलर तरीके से करें,जब वह इण्टर पास कर लेते हैं तो उन्हें डिग्री कालेज में एडमीशन नहीं मिलता है जिनके 70 परसेन्ट नम्बर हैं उसके बाद भी उन्हें एडमीशन नहीं दिया जाता है तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं उनको पूरा किया जाए। इसमें महरौनी क्षेत्र के मतदाताओं का क्या दोष है क्या यही दोष है कि उन्होंने समाजवादी प्रत्याशी से हमको तीन हजार वोट ज्यादा देकर जिताने का काम किया है। वह क्यों सफर कर रहे हैं उनके साथ सरकार क्यों भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है। दूसरी बात सरकार जो रोड की बात अभिभाषण में करती है इसमें लिखा गया है कि नवम्बर 2013 तक 2270 किलोमीटर ग्रामीण रोड बनवाई जा चुकी है। मान्यवर, आप जरा कैलकुलेशन करके देखिए, एक विधान सभा में कितने किलोमीटर आती है, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर। विधान सभा किसी की हो न हो, मेरी विधान सभा डेढ़ सौ किलोमीटर की एरिया में बसी हुई है। अब आप बताइये, 5 किलोमीटर रोड एक विधान सभा में 1 वर्ष में बनायी जाय तो उसका क्या होगा। महरौनी विधान सभा या जनपद ललितपुर की किसी रोड की अगर हम मांग करते हैं, विकास की बात करते हैं तो हम भीख मांगने की बात नहीं करते हैं। जितनी ग्रेनाइट की खदानें हैं, वह ललितपुर में हैं, सैंड स्टोन की खदानें ललितपुर में हैं, जितनी राजस्व की आय ललितपुर से होती है, अगर उसका 25 परसेण्ट भी सड़कों में लगा दिया जाए तो सारे ललितपुर की रोड सुधारी जा सकती है। मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग स्वास्थ्य विभाग है, जनपद ललितपुर में एक मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय है, उसमें स्टाफ नर्स की इतनी कमी है, वहां 45 स्वीकृत पद हैं, लेकिन 45 स्टाफ नर्सों की जगह केवल 6 स्टाफ नर्स हैं। हमने देखा है कि जब एक नर्स मरीज को बोतल लगा कर चली जाती है तो उसको उसे बन्द करने का टाइम नहीं मिलता है। मरीज चिल्लाता रहता है कि बोतल खत्म हो गयी है, खून वापस होने लगा है, कोई इसे बन्द कर दीजिए तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि जो पोस्ट खाली हैं, स्टाफ नर्सों के उन्हें भरा जाए। एक अल्ट्रासाउण्ड की मशीन करीब डेढ़-दो वर्ष से धूल खा रही है, मरीजों का अल्ट्रासाउण्ड नहीं हो पा रहा है तो उनको संचालित करने के लिए किसी डाक्टर की पोस्टिंग वहां करा दी जाए ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके। मेरा आपसे एक और अनुरोध है, हमारी विधान सभा में एक नगर पंचायत पाली है, उसमें एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, इस कस्बे की लगभग 25-30 लाख की आबादी है, 50

गांव उसमें लगते हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर एक सीएचसी, कम से कम 100 बेड का एक अस्पताल बनवा दिया जाए और यह उसमें जोड़ दिया जाए। एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा, एक समस्या जो सरकार ने हम लोगों के लिए कर दी है, विधायकों के लिए, सभी लोग एहसास कर सकते हैं, कैंसर अथवा गंभीर बीमारी में एक व्यक्ति को 5 लाख तक हम दे सकते हैं लेकिन साथ ही शासनादेश जारी कर दिया कि केवल पीजीआई में इलाज कराने पर। मैंने जितने प्रस्ताव लिखे हैं, उसमें बताया गया है कि पीजीआई में इलाज कराने पर ही दिया जा सकता है। लेकिन जब मरीज पीजीआई जाता है तो उसका स्टीमेट ही नहीं बनाया जाता है। क्योंकि लोगों की मानसिकता है कि कैंसर का इलाज बाम्बे में होता है, भोपाल में होता है, अगर हम उन्हें पीजीआई की बात करते हैं तो उसे संतुष्टि ही नहीं मिलती है और वह वापस चला जाता है, मन में गालियां देता हुआ। अगर ऐसा कोई शासनादेश है तो उसमें परिवर्तन कराया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

आप समाप्त करें। अब श्रीमती विमला सोलंकी जी।

(श्री फेरन लाल का स्पीकर ऑफ कर दिए जाने के कारण अन्त में उनके द्वारा कही गयी कुछ बातें सुनायी नहीं दीं)

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है कि वहां अच्छी कानून व्यवस्था हो अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो अच्छी सड़कें हों अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो उद्योगों का विकास हो रहा हो लेकिन महामहिम श्री राज्यपाल जी का जब मैंने अभिभाषण पढ़ा, इसमें बहुत सारी बातें जो दर्शायी गयी हैं अगर जमीनी स्तर पर देखा जाये तो इसमें कुछ भी नहीं है। सड़कों की बात की जाती है। आज इधर और उधर बैठे हुए सभी सदस्य सड़कों की मांग करते हुए दिखायी देते हैं। पुलों की मांग करते हुए दिखायी देते हैं। यानी कि पूरे प्रदेश में आज सड़कों की व्यवस्था बिलकुल जर्जर है। मेरे सिकन्द्राबाद विधान सभा में नई सड़कों की तो बात छोड़ दीजिए जो पुरानी सड़कें हैं वह बिलकुल जर्जर हो चुकी हैं। उनके लिए कोई पैसा आवंटित नहीं किया जा रहा है। जिले में जिला योजना होती है और उसमें जिले के विकास के लिए योजना तैयार की जाती है। पुरानी जो बसपा की सरकार थी उन्होंने जिला योजनाओं में पैसा नहीं भेजने की परम्परा डाल दी। लेकिन हम सपा की सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि यदि आप सही मायने में प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो जिला योजना में पैसा भेजने की जो व्यवस्था है उसको आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि बुलन्दशहर की जिला योजना में लोक निर्माण के लिए 53 करोड़ रुपये की मांग की गयी और यहां से कुल 3 करोड़ रुपया भेजा गया तो इसमें कैसे वहां की सड़कों की मरम्मत की जायेगी कैसे उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। एक बात और मैं इस सदन में रखना चाहती हूं कि 73-74वें जो अधिनियम हैं जो जिला पंचायत एक्ट है, संशोधन है उसमें बिलकुल स्पष्ट निर्देश हैं। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और ब्लाक स्तर की पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा का काम करायेंगी, जिला पंचायतें जो जिले से गांव के सम्पर्क मार्ग है उनको जोड़ने का काम करवायेंगी और ब्लाक स्तर की जो पंचायतें हैं वह ब्लाक स्तर पर काम करवायेंगी। लेकिन आज क्या हो रहा है जिलो में, वह

गांव में टाइल्स का काम करवा रही हैं। वहां उनको सम्पर्क मार्ग बनवाने चाहिए उनको जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। जो पुरानी सड़कें जिला पंचायतों के द्वारा बनी हुयी हैं उनको भी पुनर्निर्माण कराने का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि टाइल्स का काम करवाने में भ्रष्टाचार होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जिला पंचायतों में यह जो घोटाला चल रहा है उस पर सरकार ध्यान दे। मा0 अधिष्ठाता जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं उनके संज्ञान में यह बात जरूर लाना चाहूंगी कि हम लोगों को सिर्फ बुराई करने का काम नहीं करना चाहिये। पहले की बसपा सरकार ने एक मानक तय किया कि जहां पर 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहेंगे वहां पर डा0 अम्बेडकर ग्राम में चयन किया जाएगा और उसका बिलकुल शत-प्रतिशत पालन हुआ और जब सपा की सरकार बनी तो नेता सदन आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर स्पष्ट निर्देश दिये कि जो सबसे पिछड़े गांव हैं जहां पर विकास की किरण नहीं पहुंची है सबसे पहले उनका चयन किया जाएगा। जिलों से लिस्ट बनकर भी आयी। जो सबसे पिछड़े गांव है वह सबसे पहले लिये जायेंगे उसके बाद जो कम पिछड़े हुए गांव हैं वह लिये जायेंगे। लेकिन इसे बड़ा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि पिछड़ेपन को इग्नोर करके सिर्फ जाति के नाम पर राजनीति करने लगे तो यह बहुत खराब बात है। जाति के आधार पर चयन किया जा रहा है, जो विकसित गांव हैं उनका चयन किया जा रहा है। मान्यवर मैं एक बात और सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं उद्योगों के बारे में, मेरी जो विधान सभा सिकन्दराबाद है, यहां पर काफी उद्योग लगे हुए हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, एक तो मा0 मुख्य मंत्री जी की यह घोषणा है कि यहां पर उद्योगों के लिए एक अच्छा माहौल बनाया जायेगा, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां पर जो लोग उद्योग लगाने आ रहे हैं, जहां पर उनके उद्योग लगे हुए हैं, दूसरी इण्डस्ट्री लगाने के लिए जब वह लोग बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो यह कहना पड़ रहा है कि प्रति किलोवाट के हिसाब से उनसे 1200 रुपये रिश्वत मांगी जाती है, अगर उन्हें 20 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए तो आप सोचिये कितनी धनराशि उनको रिश्वत के रूप में देनी पड़ेगी। घर-घर चक्कर लगाये जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री सुरेश बंसल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। अभिभाषण में यह चर्चा थी कि गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, यह सरकार गरीबों की हितैशी है। मैं गाजियाबाद शहर से आता हूं अपने शहर की दो समस्या जो गरीबों के प्रति हैं, यह बताना चाहता हूं कि उनके प्रति कैसे अन्याय हो रहा है। मेरे क्षेत्र में रोजी कालोनी, माता कालोनी, संघर्ष कालोनी तीन मलिन बस्तियां हैं, वहां पर लोग 20-20 गज के मकानों में रह रहे हैं और 25 वर्षों से रह रहे हैं, वहां पर बिजली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं थी, उन्होंने जिलाधिकारी से निवेदन किया कि विद्युतीकरण करा दो, उन्होंने स्टीमेट बनवाया, 30 लाख का स्टीमेट बना, नगर निगम ने मना कर दिया कि हम पैसा जमा नहीं करायेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने अपनी निधि से 15 लाख रुपया, एक राज्य सभा सांसद की निधि से 15 लाख रुपया, एक एम0एल0सी0 की निधि से 5 लाख रुपया जमा करा कर 35 लाख रुपया जमा कराया उसके उपरान्त भी उन्होंने विद्युतीकरण नहीं कराया, कहने लगे अब स्टीमेट 08 महीने बाद ही 90 लाख का हो गया है और हर आदमी को 10 हजार रुपया विकास शुल्क जमा कराना होगा। हमने कहा ये गरीबों के साथ अन्याय है, आपका जो 45 लाख रुपया शेष है, 1500 लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं, आप प्रति व्यक्ति 03 हजार रुपया विकास शुल्क ले लें पर उनका विद्युत कनेक्शन करा दें, परन्तु उसके लिए भी वह तैयार नहीं हैं, इससे ज्यादा गरीबों के साथ क्या अन्याय होगा। दूसरी समस्या गाजियाबाद शहर के अन्दर शहर के बीचो-बीच रेलवे लाइन जाती है, इधर विजय नगर क्षेत्र है, इधर शहर है, उसमें रेलवे पर कोटगाम फाटक पर ओवर ब्रिज बनना था, मैं तीसरी बार आज हाउस में उस पर बोल रहा हूं और कई बार सवाल लगाये हैं, डी0एम0 से भी कहा है और जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं मा0 आजम साहब उन्होंनें भी दो बार जिला योजना की मीटिंग में यह आश्वासन दिया कि रेलवे पर कोटगाम का ओवर ब्रिज बनेगा, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इससे यह होता है कि विजय नगर क्षेत्र के लोगों को जहां पर गरीब लोग रहते हैं, उनको आने-जाने में बहुत असुविधा होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इन सुझावों को इसमें जोड़ लिया जाय, धन्यवाद।

*श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं इस सरकार की नाकामियों के बारे में कुछ जिक्र करना चाहूंगा, अभी ताजा हाल आपने देखा था कि हैण्डपम्प अभी तक नहीं मिले, देखो कल मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने जाने कितनी चिट्ठी देने के बाद और सरकार के जो अधिकारी जैसे नगर निगम, के0डी0ए0, जल निगम में सैकड़ों चिट्ठी के बाद भी काम नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विधायक कोई सौतेला है कि किसी का हो, किसी का न हो। विधायक, विधायक होता है। सत्ता आती और जाती है। आपको अधिकारियों को बताना पड़ेगा और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में कई गांव ऐसे हैं जो आज देहात के गांवों से बेबदतर हैं और वह गांव हमारे यहां ऐसा लगता है कि वहां जाने के बाद नारकीय जीवन है। ये गांव हैं आजादनगर, कुम्हारन टोला, बाजपेई नगर, मनोहर नगर, बंगाली घाट, बुढ़िया घाट, शीतला नगर, त्रिवेणी नगर, दरगाह शरीफ, अशरफाबाद, पुरानी चुंगी, न्यौरा गांव, भगवन्त टटिया, गदियाना, नेताजी नगर, कर्मचारी नगर, कृष्णानगर, छेदा की टटिया, चन्द्र नगर, खलवां चरारी, नटवन टोला, हिन्दू कब्रिस्तान एवं गज्जूपुरवा, ये ऐसे भी गांव हैं जिनमें से 80 परसेण्ट उसको अभी नगर निगम में नहीं लिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इनको एक तो नगर निगम में लिया जाना चाहिये। दूसरी बात हमारे डी और सी ब्लाक जो नगर निगम से आते हैं उनकी सड़कें बहुत खराब हैं। मैं आपके माध्यम से कहना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि मा0 अधिष्ठाता महोदय कि सरकार हमारे क्षेत्र का काम कराये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कानपुर देहात में भी जहां नहरों से पानी सीधे नालियों में जाना चाहिये। नालियों में पानी नहीं जा रहा है। किसान वहां परेशान है, नलकूप लगाकर नहरों से पानी सींचकर अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं। ये किसानों की सरकार है लेकिन किसानों के लिये काम कुछ नहीं कर रही है। 100 रुपये का डीजल घण्टों जलाकर अपना काम किसान कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो गरीबों की सरकार है। यह सरकार जो कानपुर में जो गरीब हैं, वह आज पीछे होते चले जा रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है। जब कभी गरीब जहां जिस सरकारी कार्यालय में जाता है। आज उसका कोई काम नहीं हो रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं यह सरकार आपस में लड़ाई लड़ती है। वैसे ये चोर-चोर मौसेरे भाई हैं लेकिन कहीं-कहीं कबड्डी-कबड्डी करके लड़ने भी लगते हैं। 2014 में इस सरकार को भी पता चल जायेगा और इससे पहले जो सरकार रही वे इनके सगे भाई हैं, इनको भी पता चल जायेगा। 2014 में लोक सभा का चुनाव है और 2017 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तब दिखायी पड़ेगा कि अच्छा और बुरा काम क्या होता है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको पुनः सरकार रखनी है, आपको पुनः अगर वहां पर बैठना है तो बसपा वालों की तरह मत करो। इन्होंने तो काम नहीं किया था तो आज यह दशा है। आप भी काम नहीं करोगे तो आपकी भी वही दशा होगी इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता प्यासी है, हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है। हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि सत्तापक्ष के विधायकों के पास सुरक्षा कर्मी बहुत होते हैं और विपक्ष के पास एक दिया जाता है। वह हर हफ्ते में भाग जाता है। हर घण्टे पर गायब हो जाता है। मा0 अधिष्ठाता जी, बहुत जरूरी बात है, आपकी भी बात है यह और वह कभी बीवी का बहाना, कभी टीवी का बहाना। ये कब तक चलेगा। कम से कम दो गनर कर दिये जायें जिससे कि हम लोग रात दिन 24 घण्टा सुरक्षित रहें। सत्तापक्ष हमारी बात सुन रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे छावनी क्षेत्र में आज यह स्थिति है कि कोई काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, हमारे यहां छावनी क्षेत्र में आज यह स्थिति है कि वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। जिला परिषद् में लूट चल रही है। वहां पर लगातार लूट चल रही है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप भदौरिया जी, अच्छा आप बैठ जाएं, आप कृपया बैठ जाएं। आपकी पूरी बात आ गई है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

अध्यक्ष जी ने कहा था आप बोल लीजिएगा। आप पूछ लीजिए। मान्यवर, एक मिनट का समय दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

भदौरिया जी, अब आप कृपया बैठ जाइये।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने महामहिम के अभिभाषण पर हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। मा0 अधिष्ठाता जी, श्री राज्यपाल के इस अभिभाषण में मैं विरोध करता हूं इस बात को लेकर की सरकारें चाहें किसी की बनें। सरकार चलाने वाले जो लोग है, आज कार्यपालिका में बैठे लोग हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अजय कुमार लल्लू जी 5-6 सदस्य बोलने को रह गए हैं। 6 बजकर 10 मिनट हुए हैं और साढ़े छः बजे हाउस खत्म करने की बात हुई है। मेरा अनुरोध यह है कि अगर तीन-तीन मिनट में अपनी बात कहेंगे तो सब की बात आ जायेगी।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मान्यवर, 5 मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

3-3 मिनट का समय है।

*श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकारें चाहे किसी की बनें। आज जो स्थिति और हालात हैं, जिन जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए हमें जनता ने हम लोगों को चुनकर इस सदन में भेजने का उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का कार्य किया है। आज स्थिति कितनी बदली सी नजर आ रही है, ये सारे सदस्य इस बात को महसूस कर रहे हैं। अधिकारियों का एक ऐसा वर्ग है, जो पूरे सिस्टम को हाईजेक करके रखा हुआ है। आज हम जनप्रतिनिधि जगह-जगह जिस जिम्मेदारी के साथ, हमें जो करने के लिए जनता ने हमें भेजा है। आज शायद हम चाहकर भी जनता की व्यवस्थाओं को देने का काम नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी जो एक वर्ग है, जिस तरह हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है, उतनी ही जवाबदेही और जिम्मेदारी उन अधिकारियों की भी जनता के प्रति होनी चाहिए, लेकिन शायद उनकी जवाबदेही तय न हो पाने के कारण, स्थिति यह है कि आज जिस बात को लेकर अगर हम किसी भी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं और साक्ष्य और सबूत के साथ उन अधिकारियों से अपनी बात को कहते हैं, चाहे वह किसी तरीके के घोटाले का मामला हो, चाहे वह किसी अधिकारी के गलत कामों का मामला हो। अधिकारी सीधे तौर से उसे नकारने का काम करता है और कहता है कि मैं अपनी एजेन्सी से जांच कराऊंगा और जांच करने के बाद ही दोषी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा। श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि जनता के बीच से हम सब जन प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और चुने जाने के बाद हमारी उनके प्रति जिम्मेदारी होती है। जब जनता हमसे सवाल करती है अपने कार्यों के बारे में विकास के बारे में तो हम ऐसी स्थिति में खड़े हो जाते हैं कि अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और अपनी बेबसी का सहारा लेकर जनता से किनारा करने का कार्य करते हैं। मान्यवर, हमारे यहां बाढ़ पीड़ित विस्थापितों की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समस्या है। हमने पिछली बार सदन में भी इसे उठाया था और माननीय राजस्व मंत्री जी ने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया था कि इन बाढ़ पीड़ितों के पुर्नवासन कराने का कार्य किया जायेगा। लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। मान्यवर, 1984 से लेकर आज तक बाढ़ ए0पी0 तटबन्ध, अमुवा तटबन्ध, नरवाजोत तटबन्ध इन बांधों पर कोई कार्य नहीं किया गया है और पुनर्वासन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, हमारे यहां हर वर्ष बाढ़ पीड़ितों के समक्ष पुनर्वासन की समस्या खड़ी हो जाती है इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर बहुत से माननीय विधायक आते हैं जो नदियों के किनारे रहने वाली जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह इन परिस्थितियों को समझते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के बांधों के विकास पर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, हमारे यहां के बन्धों की स्थित संवेदनशील है, जो सरकार की टीम आती है वह भी परिस्थितियों को देखती है और यह सुझाव देती है कि पहले से बजट का प्राविधान कराया जाय और बांधों को तथा तटबन्धों को दुरुस्त कराया जाय। मान्यवर, हमारे यहां सीमावर्ती जिले हैं जो बिहार राज्य के हैं हम वहां देखते हैं कि छः महीने पहले ही वहां पर तटबन्धों पर बांधों पर समुचित व्यवस्था करा ली जाती है। लेकिन हमारी प्रदेश की सरकार ऐसी व्यवस्था सही समय पर और समय रहते नहीं करा पाती है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर समय रहते सभी व्यवस्थायें हो जायें, तो बाढ़ की विभीषिका से बहुत बड़े हिस्से को बचाया जा सकता है। मान्यवर, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मान्यवर, जो हमारे जिले में लोहिया ग्रामों का चयन होता है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि ग्रामों के चयन में कोई मतभेद नहीं होगा। लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे यहां जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके क्षेत्र में तो लोहिया ग्रामों का चयन किया जाता है लेकिन मेरे क्षेत्र के लोहिया ग्रामों को चयनित नहीं किया गया है। हमारी क्षेत्र की जनता को लोहिया गांव विकास योजना से वंचित रखा गया है। मान्यवर, हमारे यहां 'गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान केन्द्र' है वह तीन सौ एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है उसको कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देकर एक नई इबारत लिखी जा सकती है। वहां की बदहाली के लिए कई बार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया है सम्बन्धित माननीय मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट किया गया है। लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार उसके विकास पर ध्यान दे। वह एशिया का सबसे बड़ा कृषि का अनुसंधान केन्द्र है। मान्यवर, इसी तरह से हमारे जिले में इन्सेफ्लाइटिस का प्रकोप है उसके निवारण के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां राशन कार्डो की स्थिति यह है कि वर्ष 2000 की जनगणना के आधार पर युनिट निर्धारित हैं। मान्यवर, पहले एक परिवार में दस-दस लोग होते थे आज स्थिति यह है कि उन परिवारों के बच्चों की शादी व्याह हो जाने के बाद उनके परिवारों की स्थिति बदल गयी है। और एक-एक परिवार में छह-छह नये सदस्य हो गये हैं। आपकी राशन बनाने की व्यवस्था में वह नये परिवार नहीं जुड़ पा रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि 2011 की जनगणना के आधार पर राशन-कार्डों का नवीनीकरण कराया जाय और हमारे यहां जो लोग नये राशन-कार्ड बनवाना चाहते हैं उनको सुविधा दी जाय। मान्यवर, यदि आप हमें पांच मिनट बोलने का मौका नहीं देंगे तो हम अपनी बात इस सदन में कैसे कह पायेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर हम लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा तो हम लोग अपनी बात नहीं कह पायेंगे तो हमको कब समय देंगे। एक एक नेता लोग यहां दो दो घंटा भाषण दिये आपने उनको समय दिया हम लोग अगर 5 मिनट अपनी बात नहीं कह सकते हैं तो

सदन में मुंह दिखाकर फोटो खिचवाने आये हैं हम, क्या जवाब देंगे जनता को ? इतना तो संतोष कर लें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने....

श्री अजय कुमार लल्लू-

अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम लोगों को एक मिनट दीजिए और एक लोगों को तीन घन्टा दीजिए। हम लोगों को संरक्षण कैसे मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

ऐसा है, अब आप बैठ जाइये।

श्री प्रदीप चौधरी-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अधिष्ठाता महोदय, आपके संज्ञान में कुछ समस्याएं लाना चाहता हूं जो संशोधन के रूप में आपके सामने रखता हूं। हमारे यहां किसान बहुत बुरी दशा से गुजर रहा है किसानों के सामने पानी की मुख्य समस्या होती है हमारे क्षेत्र में नहर का वाटर लेबिल बहुत नीचे पहुंच गया है वाटर लेबिल नीचे पहुंचने की वजह से वहां के किसान अपनी फसलों को पानी नहीं दे पा रहे हैं इसके लिए हमारा आपसे आग्रह है कि मेरे क्षेत्र में एक नई नहर का निकाला जाना अति आवश्यक है हथनी कुण्ड से चिलकाना, सरसावां, नकुड़, गंगोह के देहात से निकलते हुए शामली की सीमा में नहर का निकाला जाना प्रस्तावित है शासन में उसका प्रस्ताव आया हुआ है उसमें काफी कार्यवाही हो चुकी है। इसमें आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए पैसा जारी करवा दिया जाय ताकि इस समस्या से हमारे यहां के किसानों को निजात मिल सके। दूसरी समस्या हमारी क्षेत्र की ही नहीं पूरे आसपास के मंडल के लोगों की भी है छात्रों की समस्या विशेष तौर से है हमारा जो मेरठ का विश्वविद्यालय बना हुआ है वहां पर लगभग 700 डिग्री कालेज मेरठ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चल रहे हैं, उस पर बहुत दबाव है। मेरी मांग है कि सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करा दी जाय। एक और समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहा है पिछले दिनों जो भयंकर बाढ़ आई उससे सड़के टूटी हैं, पुल टूटे हैं तमाम पुल खराब हुए हैं यह पहले से ही बन जाने चाहिए थे। इनके प्रस्ताव यहां आकर पेन्डिंग पड़े हुए हैं उनका पैसा जारी कराया जाय ताकि सड़कों की मरम्मत हो सके और पुल ठीक हो सके। मेरे क्षेत्र में सड़कों का बड़ा बुरा हाल है जो हमारी सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली सड़क है वह 4 वर्षों से बुरी हालत में है ऐसी स्थिति में उसको फोर लेन बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत है अभी तक उस पर कोई काम चालू नहीं हुआ है मेरी सरकार से मांग है कि उस पर शीघ्र से शीघ्र काम चालू कराया जाय। आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि हमारे यहां गंगोह से चौसाना बिडौली जाने वाली सड़क की मरम्मत कराई जानी अति आवश्यक है, फंदपुरी से खेड़ा अफगान गंगोह होते हुए जलालाबाद तक की सड़क, गंगोह से ननौता की सड़क की मरम्मत अति आवश्यक है वह कराई जाय। जिला योजना में, दो साल के अन्दर जो सरकार चली है जिला योजना के अन्दर जब जब हम लोग अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं उसको स्वीकृत कराने का काम करते हैं। मान्यवर, पिछले साल जो

प्रस्ताव गया उसमें भी हमारे क्षेत्र की एक भी सड़क पर पैसा जारी नहीं किया गया और उसके बाद दूसरे साल में फिर वहीं सड़के स्वीकृत कराई गयीं लेकिन उसके बाद उन सड़कों पर भी आज तक कोई पैसा जारी नहीं किया गया है। जो सड़के जिला योजना के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर की स्वीकृत हुई हैं उन पर पैसा जारी किया जाय। गंगोह से वजीरपुर, दूधला, गंगोह से तालाहेड़ी जुखेड़ी रोड पर अतिशीघ्र पैसा स्वीकृत किया जाय। हमारे यहां विद्युत ओवरलोड की बहुत समस्या है मेरी मांग है कि ग्राम रन्ढ़ेडी, दीराखेड़ी, दैदपुरा, मनोहरा में नये विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की जाय। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बब्बन सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, चन्दौली जनपद एक नया जनपद है उस जनपद में मान्यवर, ग्राम सभा लोहिया चयनित किया गया था वह पूरे प्रदेश की योजना थी लेकिन ग्राम सभा लोहिया में आज भी कार्य सीसी रोड 100-50 मीटर बनाकर छोड़ दिया गया, पानी की सुविधा नहीं है यहां तक मान्यवर, गांव सभाओं में जो मजरा होते हैं जो चयनित मजरा है उसमें आज भी विद्युतीकरण या इस तरह की जो सुविधाएं चयनित ग्राम सभाओं में होनी चाहिए थी वह आज भी वंचित पड़े हुए हैं पिछले साल के भी और इस साल के भी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके पहले हमारी सरकार में एक महामाया योजना विधवा और वृद्वा पेंशन लागू की थी, उस योजना को इस सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, इस पेंशन का लाभ उन गरीब विधवा और वृद्व महिलाओं पुरुषों को मिलता था जिनकी आजीविका की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको 400 रुपया मिलता था, आज उसको भी बंद कर दिया गया है, इससे हमारे चन्दौली जनपद में 15 हजार लाभार्थी आज बहुत ही दुखी हैं और जब हम लोग गांव में घूमते हैं तो उनके दर्द को देखकर मन को बहुत ठेस पहुंचती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी जनहित की जो योजनायें हैं उनको फिर से लागू किया जाय।

मान्यवर, विकास के कार्य के लिये ग्राम सभा में और चाहे शहरों में जिला पंचायत और ब्लाक के माध्यम से गांव सभाओं का विकास किया जाता है, आज हमारे यहां ऐसी स्थिति है कि चाहे जिला पंचायत हो, ब्लाक हो, आज वहां लूटखसोट की भरमार हो गयी है और किसी भी ग्राम सभाओं में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है। हमारे यहां नालियों की स्थिति बिल्कुल बदतर है पानी नहीं निकल पा रहा है और कई ग्राम सभाओं की स्थिति अत्यन्त बदतर है और लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, इसके लिये जिलाधिकारी, मुख्य मंत्री सहित सभी अधिकारियों को पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नगरों में भी यही स्थिति है, हमारे यहां बहुत बड़ी नगरपालिका है और नगर पंचायत भी है, इस नगरपालिका में पानी और रोड की जो व्यवस्था है, वह पूरी तरह चरमरा गयी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर सरकार अपना ध्यान आकृष्ट करें।

मान्यवर, हमारे यहां मुगलसराय में सब्जी मण्डी जो जी0टी0 रोड के किनारों पर लगती है, वहां पर आये दिन पुलिस की बर्बरता से सब्जी बेचने वालों और फल बेचने वालों को खदेड़ा जाता है, मारापीटा जाता है और बहुत स्थिति वहां की खराब है। यह व्यवस्था नगरपालिका और सरकार की है, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां मुगलसराय में सब्जी मण्डी की व्यवस्था कराने का

काम करायें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हम लोग जिले में जिलाधिकारी को जो पत्र लिखते हैं, किसी विकास के काम के लिये या जिला योजना के लिये, तो उस पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाता है और न ही पत्रों का जवाब दिया जाता है। सरकार तो आयेगी, जायेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि एक तरह से यह विधायकों का बहुत बड़ा अपमान है।

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां रोड की स्थिति बहुत जर्जर है जो बनी हुयी रोड हैं, यदि उन्हीं रोडों की रिपेयर और मेन्टीनेंस करा दी जाये तो मैं समझता हूं कि कुछ स्थिति अच्छी हो जायेगी। मान्यवर, हमारा जनपद नया जनपद है और हमारे विधान सभा में बी0एस0सी0 और उच्चस्तरीय कालेज अगर बन जाता तो उससे हजारों बच्चे जो दूसरे जिलों में पढ़ने जा रहे हैं, वह कम से कम अपने जिले में रहकर पढ़ने का काम करेंगे। मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का हमारे जनपद में पिछले छः महीनों में दो बार जाना हुआ, उनके कार्यक्रम लगे और माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा वहां घोषणायें की गयीं, अगर उनको लागू करा दिया जाय तो अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दल के नेता के संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री मोहम्मद रिज़वान-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देता हूं। हमारे साथी मा0 विधायक जी अपनी पीड़ा सुना रहे थे लेकिन हमारी पीड़ा जो इनके शासन में हुई है वह अगर आप सुन लेंगे तो आपके रौंगटे खड़े हो जायेंगे, दिल फट जायेंगे आपके। इतने फर्जी मुकदमें लिखे गये, इतने फर्जी काउंटर खोले गये, तीन-तीन साल पुराने मुकदमें लिखे गये और मा0 अधिष्ठाता जी डेढ़ साल में हमें घर देखने को मिला। हमारी सरकार ने इनके साथ अभी कुछ नहीं किया, इफ्तदाये इश्क रोता है क्या, आगे-आगे देखिये होता है क्या। अभी सरकार की देखिये कितनी उपलब्धि है अभी तो तीन साल का समय बाकी है, ये तो अभी से बौखला गये। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में जितने काम किये हैं, जितने हमारे मंत्रीगण हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी हैं, हर क्षेत्र में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चाहे दुग्ध के क्षेत्र में हो, बहुत विकास किया है। दुग्ध की जितनी भी डेयरी हैं खोली जा रही हैं, दूध की जो कमी चल रही थी उसे पूरा करने के लिए हमारी सरकार आगे आई है। जहां तक हमारे बसपा के साथी राशन कार्डों की बात कह रहे थे, पिछली सरकार में इन्होंने अपने लोगों के चुन-चुन कर राशनकार्ड बनवाये और हमारी पार्टी के समर्थकों के राशन कार्ड काट दिये गये लेकिन हमारी सरकार इनके द्वारा फर्जी बी0पी0एल0 कार्ड जो इनकी सरकार के समय बने थे, सभी को बराबर राशन देने का काम कर रही है। हमारी सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है हमने सभी पार्टियों को बराबर समझा है। जब हमारी पिछली सरकार थी तो सभी को पांच-पांच गांव विद्युतीकरण के लिए दिये गये और सभी को बारह-बारह किलोमीटर सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा दी गई, दो-दो सौ हैण्डपम्प दिये, इन्होंने अपनी सरकार में क्या दिया, इनको ढोलकिया बजाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ये हमारी सरकार के कामों को देखकर बौखला गये हैं, हर क्षेत्र में सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। इनको सीधे एक बात मिल जाती है कि कानून-व्यवस्था, कानून-व्यवस्था। मान्यवर, इनके कार्यकाल का ब्यौरा निकाल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लीजिए और हमारे कार्यकाल का पूरा ब्यौरा निकाल लीजिए, पता चल जायेगा। जितना विकास हमारे दो साल के कार्यकाल में हुआ है उतना विकास इनके पांच साल के कार्यकाल में नहीं हुआ होगा। इनके समय में हमारे खून-पसीने की गाढ़ी कमाई पार्क और पत्थरों में लगाई गई लेकिन हमारी सरकार यह पैसा प्रदेश के विकास पर लगा रही है। क्या हमारी सरकार ने किसी से भेदभाव किया, लैपटॉप बांटे गये तो क्या वह कांग्रेस, बसपा, भाजपा, लोकदल के बच्चों को नहीं मिला, हमारी सरकार ने हर तरह से बराबर देने का काम किया, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो चाहे कन्या विद्याधन हो, हमारी सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। ये बाजू पार्टियां बौखला गई हैं और हमारी सरकार को मीडिया का सहारा लेकर बदनाम करने की साजिश कर रही हैं लेकिन आने वाला समय इन्हें बता देगा और हमारी सरकार पांच साल में ऐसे काम करेगी कि आगे के पांच सालों के लिए सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पायेगा। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, चाहे कब्रिस्तान हों, मरघट हों, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, ये लोग दुखड़े रो रहे हैं इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, हजम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि माइनॉरिटी के काम हो रहे हैं, माइनॉरिटी को हर चीज मिल रही है। हमारी सरकार जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई हमारे बच्चों पर खर्च कर रही है पार्कों और पत्थरों पर खर्च नहीं कर रही है इसलिए यह बौखलाये हुए हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ और कितने बदले की भावना से इन्होंने काम किया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय यदि मैं गिनाना शुरू कर दूं तो पूरी रात हो जायेगी लेकिन खत्म नहीं होंगी। जितने मुकदमें फर्जी लगाये गये, नये-नये तमंचे ले करके पुलिस को दे दिये और कहा कि इनके ऊपर मुकदमा चला दो, फर्जी मुकदमें तीन साल पहले के लिख दो। ये लोग कम से कम शर्म करें कि हमारी सरकार में बदले की भावना से काम नहीं हो रहा है। हमारे साथी कह रहे थे कि हमें सौ-सौ मीटर सड़क दी गई है अरे तुम्हारे समय में तो एक-एक मीटर भी न मिली, कुछ तो शर्म करो, हमारी सरकार में तुम्हें मिला है और मिलता रहेगा। अधिष्ठाता महोदय, यह सब हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब आपकी पूरी बात आ गयी, अब समाप्त करिये।

श्री मोहम्मद रिजवान-

हमारी सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं हो सकती, हमारे मुख्य मंत्री से बढ़िया कोई मुख्य मंत्री नहीं हो सकते, बिल्कुल निष्पक्ष और निःस्वार्थ काम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी बात आ गयी। मा0 सीमा द्विवेदी जी आप अपनी बात रखें।

श्री मोहम्मद रिजवान-

मान्यवर, हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हमारी सरकार को मुजफ्फरनगर दंगे के नाम से बदनाम करने का काम किया गया। मा0 अधिष्ठाता जी, एक मिनट और सुन लें। माइनॉरिटी के सदस्य के हैसियत से मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग बार-बार मुजफ्फरनगर-मुजफ्फरनगर करते हैं, हमारी सरकार ने जितना पैसा माइनॉरिटी के लोगों को वहां पर

दे दिया, चाहे कैम्प वाले हों, चाहे मरने वाले हों इतना कोई सरकार ने आज तक नहीं दिया लेकिन उसका प्रचार-प्रसार मीडिया नहीं कर रही है। हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश सब लोग रच रहे हैं। ज्यादा न कहते हुए अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सीमा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मान्यवर, क्षेत्र की जनता ने इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का निर्णय लिया है उसके पीछे शायद उसका मकसद यही रहा होगा कि हम क्षेत्र की जनता की विकास की भी बात करेंगे और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई तकलीफ है या किसी प्रकार की समस्या है तो उनके प्रति हमारी पूरी की पूरी जवाबदेही भी बनती है। मान्यवर, दो दिन से चर्चा हो रही है बहुत सारे सदस्यों ने अपनी बात रखी है। मैं न तो कोई बहुत बड़ी नेता हूं न मंत्री हूं। मैं सिर्फ अपने विधान सभा की स्थिति देख करके पूरे प्रदेश की स्थिति का अंदाजा मैं लगा सकती हूं। सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किये हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हमें याद है कि प्राइमरी के टीचर बहुत दिन से दूसरे जिलों में तैनात थे, हमारी बहिनें भी तैनात थी। हम बेसिक शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने उनको उनके गृह जनपद में तैनाती दे करके उनके ऊपर नहीं बल्कि उनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मान्यवर, आपने किसान दुर्घटना बीमा की राशि भी बढ़ाकर अच्छा काम किया है लेकिन मा0 अधिष्ठाता महोदय, खाली इसी से प्रदेश की जनता का विकास नहीं हो सकता, प्रदेश की जनता को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, अस्पताल चाहिए, नहरों में पानी चाहिए। बहुत सारी उसकी मूलभूत समस्यायें हैं, आवश्यकतायें हैं, उन आवश्यकताओं पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। आपने अच्छे काम किये हैं उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य नहीं है कि हम आपकी निन्दा करें, मेरा तो खाली केवल यह उद्देश्य है कि हम आपको कुछ सुझाव दें और अपने क्षेत्र की बात को आपके सामने रखें और आप ईमानदारी से उसको अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से उसका निराकरण भी करेंगे। मान्यवर, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहती हूं गोरखपुर और जौनपुर को जोड़ने के लिए बीच में एक पुल पड़ता है वरुणा का पुल। पिछली बार जब विधान सभा चल रही थी तो मैंने नियम-301 के तहत इसको उठाया था कि वह पुल टूट जाने से दो जिलों का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। सरकार का एक जवाब आया कि पुल तो टूटा है लेकिन वित्तीय संसाधनों के अभाव में पुल बनना सम्भव नहीं है। उन्होंने तीन रोड़ों का नाम बताया कि जंघई और तरहटी होते हुए आवागमन चालू है। मान्यवर, मेरी बात आप न मानें, हमारे कई वरिष्ठ मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप खाली हमारे क्षेत्र की मात्र तीन रोडें, इलाहाबाद के हमारे मा0 विधायक जी बैठे हुए हैं, तमाम लोग यहां पर बैठे हैं जो उधर से जाते होंगे मुंगराबादशाहपुर से जंघई, मुंगराबादशाहपुर से तरहटी, सुजानगंज से बादशाहपुर और भिखारीपुर से सरायबीका अगर इन चार रोडों की आप जांच करा लें, दिखवा लें तो आपको समझ में आयेगा कि सरकार का जो जवाब आया है कि वरुणा पुल टूटने से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं समझती हूं कि सरकार के सामने अधिकारी जो गलत बयानी करते हैं उसका सच सामने आ जायेगा। मान्यवर,

बहुत पीड़ा है कई बार क्षेत्र की जनता ने कहा कि चलिये आमरण अनशन किया जाए, धरना-प्रदर्शन किया जाए मैं अभी कल मा0 लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल यादव जी से मिली थी आपने मेरे सामने चीफ को फोन किया कि क्या तुम चाहते हो कि सारे लोग धरने पर बैठ जांय। मान्यवर, उसके बाद जब मैंने चीफ को फोन किया तो चीफ का जवाब आया कि मंत्री जी का फोन आया जरूर था लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पुल नहीं बनवा सकता। पुल बनवाने में चार-छह महीने लग जाएगें तो तब तक जैसे नदियों में अस्थाई पुल पीपे डालकर बनते हैं तो अगर आप पीपे डालकर ही रास्ते को चालू कर दें तब भी हमारे क्षेत्र की जनता को आराम मिल जाएगा। मान्यवर, मैं आपके सामने कहना चाहती हूं कि अभी हमने बजट में पढ़ा कि प्रदेश के 9 जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था की गई है मान्यवर, हमारा जनपद जौनपुर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। हमारे जनपद में 9 विधान सभाओं में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है एक नहीं 8-9 लाल बत्तियां हमारे जिले में हैं हमारे जिला चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन की मशीन नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्रीमती सीमा-

हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि इन सारी बातों की तरफ अगर आपका ध्यान जाता है हमको क्या मान्यवर, हम तो कह देंगे कि हम विपक्ष में हैं हमने अपनी बात विधान सभा में उठाई हमने अपनी बात सरकार के सामने कही हम तो इतना कर सकते हैं लेकिन जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उससे हम मुकर नहीं सकते इसलिए मैं आप सबके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारी इन बातों पर यकीन मानते हुए इन बातों पर विश्वास मानते हुए इस पर आवश्यक कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अधिष्ठाता महोदय महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। अधिष्ठाता महोदय हमारी विधान सभा में एक गांव है निवाड़ा। निवाड़े की जमीन पर कलेक्ट्रेट बन गया उस जमीन का मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया। यह बड़े शर्म की बात है एक तरफ तो यह पार्टी कहती है कि हम किसानों की हितैषी हैं लेकिन वहीं कलेक्ट्रेट में रोज धरना प्रदर्शन होता है जहां कलक्टर बैठता है जहां सी0एम0ओ0 का अस्पताल है जहां अदालत लगती है उसका मुआवजा आज तक निवाड़ा ग्राम के किसानों को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह माइनारिटी के लोग हैं यह हितैषी बनते हैं माइनारिटी के लोगों के आज वही किसान भुखमरी के कगार पर हैं न उनके पास जमीन रही न मुआवजा मिला। मेरा आपसे कहना है कि जो पांच करोड़ रुपया चला भी गया है अधिकारी उसको वितरित नहीं कर रहे हैं मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार में जो मंत्री हैं वह कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं उनकी रुई निकाल दी जाए। जो 5 करोड़ रुपया गया हुआ है वह कम से कम वितरण कर दें। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से निवेदन है कि जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने सड़कें बनाई थीं तमाम मजबूत सड़कें आज उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम उन पर लेपन लगाने का तो काम करें आपसे तो वह रिपेयर होने वाली नहीं हैं मुझे ऐसा लगता है। आपसे एक बात और कहनी है कि हमारा जो जिला है वहां

पर किसान गन्ना ज्यादा बोता है उसका पेमेंट यह किसान विरोधी सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम किसानों का पेमेंट तो मिल जाए। एक काम और इन्होंने कर रखा है यह लाल बत्ती बांट देते हैं हमारे जिले में तीन-तीन चार-चार लाल बत्ती उन लोगों को दे दी जो विधायक तो क्या प्रधान भी आज तक नहीं बने। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे पास एक गनर रहता है लेकिन जो छुटभैया सरकार की दलाली करते हैं चार-चार, छह-छह गनर लेकर वह लोग भयभीत करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल ही जीवन है माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 100-100 नल देने का वायदा किया था एक साल पुराना वायदा भी पूरा नहीं कर पाए। आप क्या सरकार की बातें करते हैं अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि हमारी सरकार में यह हुआ वह हुआ यह दंगा किसकी देन है मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ पत्रकारों के माध्यम से हमें मालूम हुआ कि 124 बड़े दंगे आपकी सरकार में हुए। बहन कुमारी मायावती ऐसी सी0एम0उत्तर प्रदेश में हुई हैं जिनके समय में एक भी दंगा नहीं हुआ और किसी हिन्दू और मुस्लिम का बाल भी बांका नहीं हुआ। अधिष्ठाता महोदय हमारे यहां एक गुड़ व्यापारी है उसको दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया और जिन्होंने अपराध किया उनका कोई अता-पता नहीं है। आज अपराधियों का इतना बोलबाला है। बागपत जिले के अन्दर 6-6 मर्डर एक दिन के अन्दर होते हैं इससे घृणित बात और क्या हो सकती है। हमारी एक माइनारिटी की बहन थी दिन दहाड़े उसको मार दिया गया उसके तीन दुधमुहें बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। वजीतपुर के अन्दर एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छपरौली विधान सभा में उसी दिन गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। आप माइनारिटी की बात करते हैं। अगर लॉ एण्ड आर्डर किसी ने स्थापित किया उत्तर प्रदेश में, तो उसका नाम है बहिन कुमारी मायावती। उसकी बराबरी आप कभी नहीं कर सकते। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। उसको न पानी मिल रहा है न बिजली मिल रही है। ट्रांसफार्मर अगर फुंक गया तो उसको लगाने का तो क्या 10-10 हजार, 15-15 हजार रूपये की रिश्वत है अगर किसी को ट्रांसफार्मर चेंज कराना है। इतनी बुरी हालत किसान की हो गई है। अगर ट्रांसफार्मर फुंक गया तो उसको कम से कम 15-15 दिन 20-20 दिन लाइन में लगना पड़ता है और रोज ट्रैक्टर लेकर किसान जाता है। उसका पूरा डीजल भी फुंकता है ट्रैक्टर के अंदर, और मेहनत भी लगती है। फिर वह बेचारा शाम को थक हार कर अपने घर चला आता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक हमारा नेखला मोड़ है, वहां से अगर बीस-पच्चीस गांव तक चलो तो बहिन मायावती जी की सरकार में जो वह सड़क बहुत अच्छी हुआ करती थी उसमें आज 6-6 फुट के गड्ढे हो गये हैं, आज कोई देखने वाला नहीं है। किसान अगर अपनी भैंसाबुग्गी में अपना गन्ना लेकर आता है उसके साथ उसका कटरा जिसको भैंसा बोलते हैं, छोटा किसान उसको लेकर आता है। उसको डंडा मारने की किसान की मजबूरी है क्योंकि अगर वह किसान गन्ना मिल पर नहीं पहुंचायेगा समय से तो उसकी पर्ची भी कैंसिल कर दी जाती है। मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

*श्री विजय कुमार दुबे-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर देर से ही सही, अवसर दिया, इसके लिये हम आपके आभारी हैं लेकन चूंकि आज के सत्र में आपने हमको सबसे अंत में मौका दिया है इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरी पूरी बात आने दीजियेगा, टोका-टाकी न कीजियेगा। सबसे पहले हम अपने उस विधान सभा क्षेत्र खड्डा की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। जहां सरकार ने अपने विगत दो वर्षों की अपनी उपलब्धियों को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से दर्शाया तो है लेकिन वह विधान सभा जहां एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ बिहार की सीमा लगी हुई है यानि इस देश के आखिरी छोर पर बसे उस विधान सभा क्षेत्र खड्डा में आपके इन दो साल के विकास की उपलब्धियों का किरण कम ही पहुंच सका है। निश्चय ही यह विधान सभा क्षेत्र खड्डा वह क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष अगर नारायणी नदी की बाढ़ की विभीषिका झेलने के लिये जनता तैयार रहती है तो झोपड़ियों की अधिकता होने के कारण अग्नि आपदा की त्रासदी भी झेलने के लिये तैयार रहती है और उस पर 50 से 70 किमी0 दूरी तय करके वहां की जनता तहसील की एक छोटी सी सुविधा प्राप्त करने के लिये अपना पूरा दिन व्यय करती है जबकि उस खड्डा विधान सभा के अन्तर्गत एक आई0पी0एल0 शुगर मिल, खड्डा नगर पंचायत के अलावा दो पी0एच0सी0, दर्जनों सी0एच0सी0, चार महाविद्यालय, दर्जनों इन्टरमीडिएट कालेज यानि की मानक पूर्ण करने के बावजूद आज तक सभी सरकारों ने केवल आश्वासन दिया लेकिन खड्डा तहसील की घोषणा अभी तक कोई नहीं कर सके। अब की गोरखपुर की महारैली में इस विधान सभा की जनता को उम्मीद थी, कप्तानगंज क्षेत्र की जनता को भी उम्मीद थी कि महारैली में माननीय मुख्य मंत्री महोदय, खड्डा तहसील और कप्तानगंज तहसील की घोषणा करेंगे लेकिन अन्त में जनता को निराशा ही हाथ लगी। मैं अपने विधान सभा की सड़क मार्ग की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जहां विगत दो वर्ष के अन्दर, हमारे प्रभारी मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया था कि 60 करोड़ रुपये के आवंटन की स्वीकृति दिये थे लेकिन हमें लगता है कि 60 करोड़ के सापेक्ष में चंद करोड़ 6 करोड़ भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में क्या पूरे जनपद में आवंटन नहीं करा सके। नव निर्माण मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। खड्डा से लेकर भुजौली और बनवारी छपरा से गुलरिया रेगुलेटर मार्ग, दो प्रमुख मार्ग जो आज धन आवंटन की कमी से वर्षों से गिट्टी पड़ा हुआ है, जनता के आवागमन में पूरी तरह बाधित है। मैं अपने विधान सभा की प्रमुख समस्या जो कि गन्ना क्षेत्र पर 99 प्रतिशत कृषक वहां के आधारित हैं, निर्भर हैं, मैं गन्ना की तरफ से जाना चाहता हूं। हमें याद है पिछले शासन काल में इस सत्ता से जुड़े राजनीतिक 400 रूपया प्रति क्विंटल की मांग करके हमारे जनपद के प्रत्येक चौराहों पर गन्ना फूंका करते थे। लेकिन आज 260 और 280 रुपये कुन्तल के रेट पर उनके मुंह से कहीं बोली नहीं निकलती है। आज किसान केवल गन्ना मूल्य ही नहीं गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए भी बदहाल है और गन्ना मूल्य के भुगतान के साथ पर्चियों की दिक्कत और घटतौली धन्धे के चलते किसान बदहाली का शिकार है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इन्सेफ्लाइटिस प्रभावी क्षेत्र कुशीनगर जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर सबसे प्रभावी अगर कोई क्षेत्र है तो वह कुशीनगर जनपद का खड्डा विधान सभा क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष पचास बच्चों की मौतें होती हैं इन्सेफ्लाइटिस क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल हेतु मात्र 100 इण्डिया मार्का का आवंटन किया गया है उस क्षेत्र में शुद्ध पेयजल हेतु इण्डिया मार्का की सख्त आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था की तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री विजय कुमार दुबे-

जहां सत्ता के संरक्षण में दरोगा बेलगाम हो चुके हैं अगर किसी बलात्कारी को दंड दिलाना हो किसी कब्जा किए हुए गुण्डे से ग्राम की सार्वजनिक भूमि को मुक्त कराना हो, हमला करने वाले अपराधियों को दंड दिलाना हो, तो सड़कों पर बिना धरना प्रदर्शन किए हुए जनता को न्याय नहीं मिलने वाला है। मैं तो कहता हूं कि आप इसी तरह राजनीति करिए। आपके इसी राजनीति के चलते हम लोग धरना प्रदर्शन के बल पर इस सदन में आते हैं और आगे भी इसी तरह से आते रहेंगे आप लोग इसी तरह से हमें सदन में पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री छोटेलाल वर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, आपको बताना चाहता हूं फतेहाबाद वाईपास मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में 1980 में, फतेहाबाद वाईपास की जमीन एक्वायर की गई थी जिसमें 68 किसानों की जमीन को लिया गया था और जिसमें से नौ किसानों को केवल मुआवजा दिया है 59 किसान आज भी बाकी हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है धरना-प्रदर्शन होता रहता है उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है अभी हाल में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बाद, सपसाबाद और वाईपास की जो घोषणा की गई उसमें किसानों को मुआवजा न देकरके जबर्दस्ती किसानों की जमीनों में सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। किसानों ने उसको रुकवा दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन किसानों को पहले मुआवजा दिया जाए उसके बाद सड़क का निर्माण कराया जाए। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 765 के0वी0 का सब-स्टेशन बनाने का काम हो रहा है जिसमें दो सौ एकड़ जमीन ग्राम पंचायत को, किसानों की, जिसमें बंजरभूमि था जिससे किसानों का काम चलता था वह जबरर्दस्ती कब्जा करा दिया गया है मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभिभाषण में यह और जोड़ दिया जाए किसानों की जमीन जो ग्राम पंचायत को दी गई है ग्राम पंचायत को उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो कस्तूरबा गांधी स्कूल हैं दोनों की बाउन्ड्री नहीं है जिससे छात्रायें सुरक्षित नहीं हैं मार्गों में गड्डे हो रहे हैं अभी मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में पांच मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया था परन्तु डामर हो रही है और पीछे-पीछे वह उखड़ती जा रही है और पीछे मरम्मत का काम हो रहा है मै यह कहना चाहता हूं इस पर ध्यान दिया जाए अभी तो वह सड़कें बनी नहीं और आगे सड़क बन रही हैं पीछे उखड़ती जा रही हैं उनकी जांच करा ली जाए ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के तहसील भवन का निर्माण करा दिया गया है वहां अधिकारी न उपजिलाधिकारी न तहसीलदार का निवास न होने के कारण चालीस किलोमीटर का रोज सरकार का खर्चा होता है। आगरा हैड क्वाटर पर अधिकारी जाते हैं जनता की जो समस्यायें हैं उसका निदान

नहीं हो पाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महामहिम के अभिभाषण में जोड़ लें वहां आवास बनाने का काम करें। मान्यवर, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं एक महत्वपूर्ण बात है 16 जातियों के आरक्षण की, कि जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार आयेगी तो इन 16 जातियों को आरक्षण देने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं आपके द्वारा अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रजापति या धनगर के लिए आदेश जारी किया गया है, उसी प्रकार से अन्य जो जातियां हैं-मल्लाह, केवट, निषाद, बिन्द, कहार आदि के लिए आदेश जारी करने का काम सरकार करे। इस मुद्दे का मा0 बहन कुमारी मायावती जी ने राज्य सभा में उठाया था और कहा था कि इन 16 जातियों को भारत सरकार द्वारा आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तत्काल इसका शासनादेश जारी करें। यह जो दबी कुचली, पिछड़ी हुई जातियां हैं, उन्हें उसका लाभ मिल सके। मान्यवर, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी ने जब संविधान में यह व्यवस्था बनायी थी वह यही बनायी थी कि जो कमजोर, दलित और दबी-कुचली जातियां हैं, उनको आरक्षण दे करके उन्हें बराबरी के दर्जे पर लाया जाए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में चाहे बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही हो और चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, इनके द्वारा प्रस्ताव पास कराकर तो दे दिया जाता है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जातियों को तत्काल आरक्षण देने का काम किया जाए। मान्यवर, तालाब पट्टों के लिए जो 10 हजार रुपये का नियम है, इसका जो 1950 का शासनादेश है, उसमें इस बात को खत्म करके इन कमजोर जातियों को फ्री पट्टा देने का काम किया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब चुनाव हुआ था इन 16 जातियों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया था, इसलिए इनकी सरकार बनी है। अगर सरकार इसकी घोषणा नहीं करती है तो इनको मालूम हो जायेगा कि 2014 के चुनाव में इनकी कितनी सीटें आती हैं। इसलिए मान्यवर, इनको अपने किए हुए वायदे को पूरा करने की घोषणा सदन में की जाए ताकि इन गरीब जातियों को इसका लाभ मिले और बराबर का दर्जा उन्हें मिल सके। मान्यवर, मा0 हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इन जातियों को नौकरियों में कोई लाभ नहीं मिल पाया है। मान्यवर, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गयी, आपने शिक्षकों की भर्ती को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के आधार पर जो उत्तर प्रदेश की पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनको समानता पर लाने का काम किया जाए और महामहिम श्री राज्यपपल के अभिभाषण में इसको जोड़ने का काम किया जाए। मान्यवर, गरीब और इन पिछड़ी हुई जातियों के बच्चे अगर पढ़ेंगे-लिखेंगे नहीं, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन जातियों के लिए हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, उस संज्ञान के आधार पर इन जातियों को लाभ देने का काम करें। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री दीपक पटेल-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर मुझे अपना पक्ष रखने की स्वीकृति दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, जब से मैं इस विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, तीसरी बार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की यह पुस्तिका मिली है। मान्यवर, यह सिर्फ पुस्तिका ही नहीं है, यह सरकार के पूरे वर्ष भर का एक खाका है और हमें यह दी ही इसीलिए जाती है कि हम इसका विश्लेषण करें, इसकी समालोचना करें और जो चीजें रह गयी हैं, जो चीजें छूट गयी हैं, हम उसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम करें। मान्यवर, इस पुस्तिका को पढ़ा और अध्ययन करने के बाद जो चीज निकल कर आयी है, सिवाय पहली पुस्तिका, दूसरी पुस्तिका और तीसरी पुस्तिका में एक ही साम्यता है, मान्यवर। पिछले सभी भाषणों में एक ही चीज की पुनरावृत्ति होती है और प्रदेश के अवाम के साथ धोखा और छलावा के अलावा कुछ भी नहीं है। मान्यवर, बड़ी विस्तृत चर्चा पिछले दो दिनों से सदन के अंदर हो रही है। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन बड़ी निराशा और दुख होता है कि जो तथ्य इस पुस्तिका में रखे गये हैं उसका वास्तविकता के धरातल से उसका कोई लेना-देना नहीं है। मान्यवर, एक तथ्यपरक बात आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि पिछले दो सालों से इस सदन के अंदर बजटीय प्राविधान कर रहे हैं, बजट पास करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, आज किसी भी महत्वपूर्ण विभाग में 40 फीसदी से ज्यादा की धनराशि खर्च नहीं हुयी है। मान्यवर, इससे दुखद स्थिति इस प्रदेश की नहीं हो सकती। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि इसके लिए कौन दोषी है कौन उत्तरदायी है लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दोषी और उत्तरदायी कोई भी हो लेकिन इस प्रदेश का अवाम इसका भुक्तभोगी है वह इसको झेल रहा है उसका सामना कर रहा है। मान्यवर, मैं बहुत बातें नहीं रखूंगा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो इलाहाबाद से संबंधित है मैं उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मान्यवर, पिछले एक हफ्ते से पूरे इलाहाबाद में एक बात चल रही है कि इलाहाबाद का पुलिस मुख्यालय जो प्रदेश के गठन के समय से उत्तर प्रदेश में स्थित है और बहुत ही सफलतापूर्वक सुगमता से अपना काम कर रहा है। उसको लखनऊ स्थानान्तरित करने की साजिश रची जा रही है।

(इस समय 7 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

इस साजिश में चाहे सरकार के लोग हों चाहे उच्चाधिकारी हों मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि अगर यह काम हुआ तो इलाहाबाद की सुरक्षा और गरिमा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि पुलिस मुख्यालय को यथास्थान पर काम करते रहने का निर्देश इस सरकार को देने का काम करें। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद से लखनऊ के राजमार्ग की स्थिति बहुत जर्जर है। मैं सत्तापक्ष के लोगों से कहूंगा कि एक बार वह खुद यात्रा करके देखें कि आज उसकी क्या स्थिति है। मैं पिछले 20 सालों से यात्रा कर रहा हूं और जो मुझे लग रहा है कि आजादी के बाद से उस राजमार्ग की इतनी दुर्गति आज तक कभी नहीं हुयी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि बड़ी उम्मीद और अपेक्षा के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवान और किसान ने इस सरकार को स्पष्ट जनादेश देने का काम किया था लेकिन आज दो साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश का अवाम अपने आपको ठगा और छला महसूस कर रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी दो साल ही बीते हैं आप लोग अपने काम में सुधार

लाइये, सुधर जाइये, नहीं तो वही हश्र होगा जो हम चाहते हैं जो हमारी इच्छा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब और कोई बोलने वाला है। अच्छा आप बोलेंगे नहीं आप लिखकर दिये हैं।

(किसी मा0 सदस्य के बोलने के लिए खड़े न होने पर)

ठीक है, अब नहीं कोई बोलेगा। कल कोई न कहे कि नहीं बोल पाये हमने कहा था कि 10-12 बजे तक चलेगा। अब खत्म। अब कल कोई जिद् नहीं कर सकता।

[7.05 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 25-2-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 66 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है उनका विवरण निम्नवत् है :-

पहली सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 53 में सड़कों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईसानगर के कतिपय ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेश सिंह की जनपद लखीमपुर खीरी के थाना ईसानगर के अन्तर्गत दिनांक 11-01-2014 को ग्राम लालापुरवा मजरा में हुई हत्या के अभियुक्तों को पकड़े न जाने के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चयनित मार्गों का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में। पांचवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में वर्ष 2013 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में। छठी सूचना श्री गयादीन अनुरागी की जनपद हमीरपुर के पराखेड़ा गांव के निकट बिरमा नदी पर नया पुल निर्माण के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना श्रीमती अनुप्रिया पटेल की कोरी समाज के हिन्दू जुलाहा को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में। आठवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद शाहजहांपुर से पृथक जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के अन्तर्गत सम्बद्ध किये गये 94 राजस्व गांवों को हुई असुविधा के सम्बन्ध में। नवीं सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव के ग्राम नरांव आदमपुर अतरडिहा आदि ग्रामों में दिनांक 19-10-2013 से 22-10-2013 तक जहरीली शराब पीने से हुई 43 लोगों की अकाल मृत्यु के सम्बन्ध में। दसवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती का शुल्क महाशिवरात्रि के अवसर पर बढ़ा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। ग्यारहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की ताज संरक्षित क्षेत्र में आने वाले फिरोजाबाद क्षेत्र की कांच की औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस के कोटे में कमी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। बारहवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर विधान सभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बांस-बल्लियों पर चल रहे अवैधानिक विद्युत व्यवस्था को विनियमित कराये जाने के सम्बन्ध में। तेरहवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। चौदहवीं सूचना

श्री प्रभू दयाल बाल्मीकि की जनपद मेरठ के मवाना शुगर मिल में किसानों के बकाये गन्ने का भुगतान शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में। पन्द्रहवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के तहसील मुख्यालय पर 50 बेड का एक नवीन महिला चिकित्सालय के स्थापना की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में तथा सोलहवीं सूचना ठा0 दलवीर सिंह की मथुरा की छाता एवं मथुरा तहसील में हुलावना डार्वजना ड्रेन परियोजना में शासनादेशों का अनुपालन न कराने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। पच्चीसवीं है श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की जनपद शाहजहांपुर में निलम्बित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की सेवायें बहाल किये जाने के सम्बन्ध में है, भी स्वीकृत की जाती हैं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं :-

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू भईया श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री दीपक पटेल एडवोकेट, श्री उमाशंकर, श्री ओम कुमार, हाजी मुसर्रत अली बिट्टन, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री रामहेत भारती, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री प्रदीप माथुर, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री जगन प्रसाद गर्ग, डा0 अरुण कुमार, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बृजेश कुमार, श्री रामचन्द्र यादव, श्री आशीष कुमार यादव, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री लालमुन्नी सिंह, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), साध्वी निरंजन ज्योति, श्री राघव लखनपाल, श्री तसलीम अहमद, श्री कालीचरण सुमन, श्री गुटियारी लाल दुवेश, श्री अमरपाल शर्मा, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री अजय मिश्रा ''टेनी'', श्री रोशन लाल वर्मा, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री धर्मपाल सिंह, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री सुरेश बंसल, श्री अवस्थी, बाला प्रसाद श्री उमेश पाण्डेय, श्री विजय कुमार दुबे, श्री गोरख पासवान, श्री पूरन प्रकाश, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विजय बहादुर यादव, श्री सलिल विश्नोई, श्री रविन्द्र जायसवाल एवं श्री बंशी सिंह पहाड़िया।

[7.09 बजे] बरेली महानगर में स्मैक के नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार तथा श्री राजेश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

बरेली महानगर में स्मैक के नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्यवाही .....

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया''-

[करने के सम्बन्ध में डा0 अरूण कुमार एवं श्री राजेश अग्रवाल मा0 सदस्यगण विधान सभा द्वारा दिनांक 21-02-14 की नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विधान सभा सचिवालय (पटल कार्यालय) के पत्र सं0-152/वि0स0/प0का0/2013 दिनांक 21-02-14 द्वारा उक्त सूचना पर निर्धारित वक्तव्य दिनांक 25-02-14 के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली ने अपनी आख्या में अवगत कराया है कि जनपद बरेली महानगर में स्मैक के नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्यवाही हेतु समय-समय पर अभियान चलाया जा रहा है। दिनांक 01-01-14 से 24-02-14 तक नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :--

1-जनपद बरेली में ड्रग्स एवं कच्ची शराब बेचे जाने पर नियंत्रण हेतु नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानों को चिन्हित कर सादा वस्त्रों में पुलिस कर्मी नियुक्त किये गये हैं। कालेजों एवं शहर के चौराहों पर ड्रग्स का नशा करने वाले स्कूली बच्चों पर निगरानी एवं नियंत्रण हेतु पुलिस बल लगाकर प्रभावी अंकुश लगाया गया है। नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक, नगर/ग्रामीण/अपराध के द्वारा लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। ड्रग्स एवं शराब के सेवन से जनपद में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होना एवं अप्रिय घटना घटित होना संज्ञान में नहीं आया है।

2-दिनांक 06-01-14 को थाना कैण्ट क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु अभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप ग्राम वभिया से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला पाता राम पुत्र राम बहादुर निवासी ग्राम वभिया थाना कैण्ट जिला बरेली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 04 कि0ग्रा0 डोडा पाउडर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कैण्ट पर अं0सं0-2/14 धारा 8/18 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट पंजीकृत किया गया।

3-दिनांक 16-01-14 को थाना किला क्षेत्र में नशीले पदार्थो की बरामदगी हेतु अभियान चलाया गया जिसके फलस्वस्प नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला अनिल कश्यप पुत्र लालता प्रसाद कश्यप निवासी बिहारीपुर कसग्राम थाना कोतवाली बरेली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 140 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना किला पर अ0सं0 129/14 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट पंजीकृत किया गया।

4-दिनांक 20-01-14 को थाना कैण्ट क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु अभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला विपिन सिंह पुत्र अजय पाल सिंह निवासी चौबारी थाना कैण्ट जनपद बरेली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 200 ग्राम चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कैण्ट पर अ0सं0 66/14 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट पंजीकृत किया गया।

5-दिनांक 29-01-14 को थाना कैण्ट क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु अभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप नशीले पदार्थो की तस्करी करने वाला राकुमार पुत्र प्रताप सिंह निवासी मिर्जापुर थाना कैण्ट जनपद बरेली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

450 ग्राम डोडा पाउडर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कैण्ट पर अ0सं0 86/14 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

6-दिनांक 01-02-14 को थाना बारादरी क्षेत्र में ए0एस0पी0 श्री किरीट राठौर के निर्देशन में नशीले पदार्थो की बरामदगी हेतु अभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप नशीले पदार्थो की तस्करी करने वाल, 1-जावेद पुत्र रियासत निवासी जगतपुर थाना बारादरी, 2-चांद बाबू पूत्र रहीसउद्दीन निवासी एजाज नगर गोटिया थाना बारादरी, 3-अब्दुल हसन उर्फ गन्टा पुत्र चांद मोहम्मद निवासी एजाजनगर गोटिया, 4-फईम पुत्र जीमल अहमद निवासी दोहरा टांडा थाना भोजीपुरा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 250-250 ग्राम चरस कुल 1 कि0ग्रा0 चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बारादरी पर अ0सं 130 से 133/14 धारा 8/20 ए एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट पंजीकृत किया गया।

7-दिनांक 10-02-14 को थाना बारादरी क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु अभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला शंकर लाल पुत्र सुन्दर निवासी बलखण्डी नाथ मन्दिर के पास थाना जोगी नवादा बारादरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 225 ग्राम चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बारादरी पर अ0सं0 149/14 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट पंजीकृत किया गया।

8-दिनांक 17-02-14 को थाना बारादरी क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु अभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला, 1-असलम पुत्र महबूब निवासी नईबस्ती बीसलपुर रोड थाना फरीदपुर बरेली, 2-मंसूर अहमद उर्फ गुड्डू पुत्र नत्थू अहमद निवासी नगरिया विक्रम थाना फरीदपुर, 3-रियासत अली पुत्र अली हसन थाना फरीदपुर को गिरफ्तार कर तीनों के कब्जे से 2 कि0ग्रा0 अफीम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बारादरी पर अ0सं0 164,165,166/14 धारा 8/15 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट पंजीकृत किया गया।

9-उक्त के अतिरिक्त आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में अभियान चलाकर 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत किये गये जिनके बब्जे से 148 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी।

यह भी उल्लेखनीय है कि नशे के कारोबादियों के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाकर कार्यवाही प्रचलित है।]

जनपद मुरादाबाद में तहसील कांठ के ग्राम चंगेरी, ग्राम चैदरी अकबरपुर आदि में नरभक्षी बाघिन द्वारा दस लोगों की जान लिये जाने की जांच कराने एवं मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बाघ को पकड़ने की कार्यवाही वन्य जीव .....

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया''-

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बाघ को पकड़ने की कार्यवाही वन्य जी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। इस सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :--

1-सभी सम्भावित स्थानों पर उक्त बाघ को पकड़ने हेतु पिंजड़े लगवाए गये हैं। वर्तमान में कुल 4 पिंजड़े मौके पर लगे हुए हैं एवं 2 रिजर्व रखे गये हैं।

2-प्रश्नगत बाघ को ट्रैप किये जाने हेतु जिन्दा शिशु भैंस का उपयोग किया जा रहा है।

3-दुधवा टाइगर रिजर्व से दो हाथी प्राप्त कर इस बाघ आपरेशन में लगाये गये हैं। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने हेतु लगायी गयी टीमों द्वारा भी इन हाथियों का उपयोग किया जा रहा है।

4-वन विभाग की ट्रैकिंग टीम द्वारा पगमार्क इत्यादि की ट्रैकिंग की जा रही है तथा उक्त बाघ की सही-सही स्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास निरन्तर किया जा रहा है।

5-उक्त बाघ का फोटो प्राप्त करने के लिये कुल 15 कैमरा ट्रैप का उपयोग किया जा रहा है तथा अन्य संस्थानों यथा भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून आदि से सम्पर्क कर इनकी संख्या बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

6-स्थानीय निवासियों में जनजागरूकता फैलाए जाने के उद्देश्य से पैम्पलेट्स बटवाने के साथ-साथ डुगडुगी/मुनादी करवाने के साथ साथ जन सभाएं आयोजित कर उन्हें सावधान रहने के उपाय सुझाए जा रहे हैं जिससे आगे को मानव क्षति होने की आशंका पर रोक लगाई जा सके।

7-बाघ के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं भारत सरकार के सभी विशेषज्ञ संस्थानों/विशेषज्ञों से सम्पर्क करते हुए उनके सुझावों को बाघ आपरेशन में सम्मिलित किया जा रहा है।

इस प्रकार वैज्ञानिक विधि एवं जन सहयोग से बाघ को पकड़ने का पूर्णरूपेण प्रयास प्रचलित है। फिर भी सजगता के दृष्टिकोण से प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव को गहनता से जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राज्य सरकार ने मुआवजे की धनराशि को रु0 1.00 लाख से बढ़ाकर रु0 5.00 लाख कर दिया है तथा इस बाघ के द्वारा मारे गये 07 व्यक्तियों के आश्रितों को बढ़ी हुई दर से मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। आश्रितों को निम्न तालिका के अनुसार अनुग्रह सहायता दी गयी है :-

क्र0 सं0	घटना का दिनांक	जनपद	मृत व्यक्ति का नाम व पता	आश्रित/वारिस का नाम व पता	स्वीकृत अनुग्रह सहायता (रु0 लाख में)
1	29-12-2013	सम्भल	श्री विजय सिंह गौर्य पुत्र श्री रग्घू सिंह, नि0 ग्राम मिट्ठनपुरवा, तहसील चन्दौसी, जिला सम्भल	श्री रग्घू सिंह पुत्र श्री भूरे सिंह, निवासी मिट्ठनपुरवा, तहसील चन्दौसी, जिला सम्भल	5.00
2	05-01-2014	मुरादाबाद	श्री राजीव विश्नोई पुत्र श्री रघुनाथ सिंह नि0 ग्राम बंगेरी, तह0 कांठ, जिला मुरादाबाद	श्रीमती सरिता पत्नी स्व0 राजीव विश्नोई, नि0 ग्राम चंगेरी तह0 कांठ, जिला मुरादाबाद	5.00
3	07-01-2014	मुरादाबाद	कु0 शोभा पुत्री श्री मदन सिंह, नि0 चैंदरी अकबरपुर, तह0 कांठ, जिला मुरादाबाद	श्री मदन सिंह, नि0 चैंदरी अकबरपुर, तह0 कांठ, जिला मुरादाबाद	5.00
4	08-01-2014	मुरादाबाद	श्रीमती दुलारी पत्नी श्री सुरेश नि0 ग्राम दरियापुर, तह0 कांठ, जिला मुरादाबाद	श्री सुरेश, नि0 ग्राम दरियापुर, तह0 कांठ, जिला मुरादाबाद	5.00
5	10-01-2014	बिजनौर	श्री शिव कुमार पुत्र स्व0 शंकर सिंह, नि0 ग्राम फललाबाद परमानन्दपुर उर्फ मानियावाला, थाना अफजलगढ़, तह0 धामपुर, जिला बिजनौर	श्रीमती तारावती पत्नी स्व0 शंकर सिंह, नि0 ग्राम फजलाबाद परमानन्दपुर उर्फ मानियावाला, थाना अफजलगढ़, तह0 धामपुर, जिला बिजनौर	5.00
6	26-01-2014	बिजनौर	श्री देवेन्द्र सिंह सैनी पुत्र श्री कश्मीरी सिंह, आयु लगभग 35 वर्ष, तह0 नगीना, जिला बिजनौर	श्रीमती मुन्नी उर्फ सुमन पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह सैनी, तह0 नगीना, जिला बिजनौर	5.00

7	06-02-2014	बिजनौर	श्री लाल सिंह पुत्र श्री जागन सिंह, ग्राम साहूवाला गोसाईवाला, पो0 बढ़ापुर, तह0 नगीना, जिला बिजनौर	श्री विष्णु सिंह, पुत्र स्व0 लाल सिंह, ग्राम साहूंवाला गोसाईवाला, पो0 बढ़ापुर, तह0 नगीना, जिला बिजनौर	5.00
				कुल योग-	35.00 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 29-12-2013 को ग्राम मिट्ठन पुरवा में बाघ द्वारा घायल किये गये श्री रामवीर पुत्र श्री राम बहादुर निवासी मिट्ठन पुर मौजा तहसील चन्दौसी जिला सम्भल को रुपए 10,000 (दस हजार) की अनुग्रह सहायता का भुगतान किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने घायल व्यक्तियों को भी अनुग्रह सहायता की धनराशि रु0 10,000 (दस हजार) से बढ़ाकर रु0 50,000 (पचास हजार) कर दिया है, जिसके वितरण की कार्यवाही प्रचलित है।

अब तक के घटना क्रम से स्पष्ट है कि बाघ उत्तराखण्ड (कार्बेट टाईगर रिजर्व) एवं उत्तर प्रदेश (नजीवाबाद वन प्रभाग) की सीमा के आस-पास ही क्रियाशील है। उक्त बाघ सम्भवतः कार्बेट टाईगर रिजर्व से निकलकर नजीबाबाद वन प्रभाग के आस-पास की आबादी में आक्रमण करता है तथा पुनः कार्बेट टाईगर रिजर्व में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार उक्त बाघ के कार्बेट टाईगर रिजर्व में प्रवेश करने की दशा में सम्पूर्ण अभियान बाधित हो जाता है। कार्बेट टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग, उ0प्र0 के बीच बेहतर समन्वय एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु दिनांक 13-02-2014 को कालागढ़ स्थित उत्तराखण्ड वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान में एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्बेट टाइगर रिजर्व के समस्त अधिकारियों एवं उत्तर प्रदेश वन विभाग की ओर से वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद एवं प्रभागीय वनाधिकारियों व अन्य अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा बाघ को पकड़ने के लिए विशेशज्ञों की सहायता से पूर्ण सावधानी के साथ कार्य किया जा रहा है तथा जन सामान्य को जागरूक भी किया रहा है जिससे बाघ से मानव क्षति पर नियंत्रण हो सके।]

उत्तर प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों, उनके परिवार, जमाकर्ताओं एवं कर्मचारियों के हित की सुरक्षा हेतु बैंकिंग लाइसेन्स जारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय सहकारी साख ढांचा विद्यमान है .....

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया''-

[जिसमें जिले स्तर पर कुल 50 जिला सहकारी बैंक हैं। अल्पकालीन सहकारी साख व्यवस्था के पुर्नरूद्धार हेतु राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड एवं भारत सरकार के साथ रिवाइवल पैकेज लागू करने के सम्बन्ध में दिनांक 18-12-2006 के सहमति ज्ञापन पत्र हस्ताक्षरित किया गया। रिवाइवल पैकेज के अन्तर्गत भारत सरकार से रु0 1545.69 करोड़ तथा राज्य सरकार से रु0 265.68 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त होनी थी। राज्य सरकार द्वारा अपना समस्त अंश रु0 265.68 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है जबकि भारत सरकार से मात्र रु0 623.41 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। पैकेज के अन्तर्गत भारत सरकार से रु0 922.28 करोड़ की धनराशि अवमुक्त होना शेष है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कमेटी आन फाइनेन्शियल असेमेंट की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 31-03-2012 तक समस्त जिला सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। उक्त दिनांक तक 50 जिला सहकारी बैंकों में से 25 जिला सहाकारी बैंक बैकिंग लाइसेंस प्राप्त कर चुके थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों पर नये निक्षेप स्वीकार किये जाने पर दिनांक 15-5-2012 से रोक लगा दिये जाने के कारण इन बैंकों के कार्यक्षेत्र में किसानों को ऋण वितरण, गेहूं खरीद मूल्य भुगतान आदि का कार्य अवरुद्ध हो गया। समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गैर लाइसेंस 25 जिला सहकारी बैंकों में से 09 जिला सहकारी बैंक यथा-लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, मऊ, अलीगढ़, फतेहपुर, बाराबंकी एवं प्रतापगढ़ को बैंकिग लाइसेंस हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अर्हता पूर्ण करने हेतु रु0 219.15 करोड़ उपलब्ध कराये गये। फलस्वरूप लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों की संख्या 25 से बड़कर 34 हो गयी, किन्तु शेष 16 जिला सहकारी बैंक यथा-फैजाबाद, गाजीपुर, वाराणसी, हरदोई, आजमगढ़, बस्ती, सीतापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, बलिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, सुल्तानपुर, जौनपुर तथा देवरिया का पुर्नरुद्धार रिवाइवल पैकेज के अन्तर्गत प्राप्त होनी वाली केन्द्रांश की अवशेष धनराशि अवमुक्त न होने के कारण एवं नये निक्षेप स्वीकार करने के लिए रोक लगाये जाने के कारण संसाधनों के अभाव में बैंक अपना व्यवसाय बढ़ाने में सक्षम नहीं हो सकें हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लाइसेंस की पात्रता को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। मार्च 2013 में इन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए आदेशित किया गया कि क्यों न उनका लाइसेंस निर्गत करने सम्बन्धी आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया जाए। समयावधि भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नोटिस के क्रम में सभी बैंकों द्वारा निर्धारित (15 दिन) में मानीटरेबिल एक्शन प्लान के साथ अपना प्रति उत्तर प्रेषित किया गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 17-05-2013 को आदेश पारित किया गया है कि इन बैंकों को लाइसेन्स दिलाने हेतु वैद्यनाथन रिवाइवल पैकेज की धनराशि भारत सरकार अवमुक्त करे एवं इस बीच इनके विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही न की जाए।

उ0प्र0 में जिला सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों, उनके परिवार, जमाकर्ताओं एवं कर्मचारियों के हित की सुरक्षा हेतु बैंकिंग लाइसेन्स जारी कराये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार हेतु केन्द्रांश की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में लगातार उच्च स्तरीय बैंठकों एवं प्रमुख सचिव, सहकारिता, कृषि उत्पादन आयुक्त, मुख्य सचिव, सहकारिता मंत्री जी एवं मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से पत्रों के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक एवं केन्द्र सरकार को विभिन्न उच्च स्तर से 53 पत्र लिखे जा चुके हैं। दिनांक 15-01-2014 को पुनः मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा मा0 प्रधान मंत्री जी से केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रु0 922.28 करोड़ शीघ्र अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार इन बैंकों को चलाने के लिये निरन्तर प्रयास कर रही है एवं केन्द्रांश की अवशेष धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होते ही 16 जिला सहकारी बैंकों को लाइसेन्स प्राप्त किये जाने की कार्यवाही किया जायेगा।]

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, सहकारी बैंकों की भूमिका उत्तर प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन मान्यवर, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यवसाय का लाइसेन्स न देने के कारण 16 जिला सहकारी बेंकों का अस्तित्व आज खतरे में है इसलिये मान्यवर, यह प्रदेश की जनता से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुये मात्र दो छोटे-छोटे प्रश्न मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। पहला क्या उत्तर प्रदेश सरकार 16 जिला सहकारी बैंकों के बैंकिंग व्यवसाय का लाइसेन्स प्राप्त कराने के लिये अपेक्षित 1700 करोड़ रुपये का प्राविधान इन 16 जिला सहकारी बैंकों के संचालन हेतु बजट वर्ष 2014-2015 के बजट में प्राविधानित करेंगे, एक चीज। दूसरा मान्यवर, चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबन्ध के बाद जब वे बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकते तो स्वाभाविक रूप से तमाम लाखों लाख लोगों का जो उसमें धन जमा है, उससे विश्वास उठेगा इसलिये आज मैं प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि इन 16 बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिबन्ध न लगे, प्रभावी न हो या समय-समय पर इन बैंकों को कटघरे में खड़ा करने के लिये केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या नाबार्ड का कोई हस्तक्षेप न हो इसलिये इसको उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में इसका संविलयन सुनिश्चित करेंगे। केवल दो प्रश्न हैं मान्यवर। बस इसी का उत्तर आ जाये लेकिन मान्यवर, वक्तव्य में इसका स्पष्टीकरण नहीं है। चूंकि सहकारिता मंत्री जी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सहकारिता मंत्री जी, किन्हीं परिस्थितियों में यहां नहीं हैं और आपका जो प्रश्न है, वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वह प्रदेश के मामलों से सम्बन्धित है। आपने पश्न पूछ लिया और मंत्री जी आप जो जवाब देना हो दे दें। हम इस विषय पर मा0 सहकारी मंत्री जी को और आपको बैठाकर इस पर व्यापक बात करा देंगे इसलिये इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। कल मा0 सहकारी मंत्री

जी रहेंगे, 15 मिनट-आधा घण्टा इस वक्तव्य के साथ आप उनको बैठाकर पूरी बात करा देंगे कल। उसमें हमारा भी इण्ट्रेस्ट है। हमारे जिले का भी है, सबका है तो सामने बात हो जायेगी मंत्री जी से इस बारे में।

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोबिन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, आप उसमें करा दीजिये ठीक है। उसमें बात कुछ हुई लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि मा0 नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं। इस पर कैबिनेट में भी पूरी चर्चा हुई है लेकिन अब आपने खुद उसको अपने हाथ में ले लिया तो ठीक है।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भैय्या'-

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है।

इलाहाबाद से पुलिस मुख्यालय की लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने की शासन की योजना से लगभग 150 वर्ष पुराने भवनों के पुरातात्विक महत्व को क्षति पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-21 में अनुग्रह नारायण सिंह जी, निर्धारित वक्तव्य है, आप बतायें। आप तो पढ़े हैं इसको। उच्च शिक्षा मंत्री जी तो यहां हैं, वही बोलेंगे। आप बता दीजिए। वक्तव्य आपके पास है मंत्री जी। यह इनका सवाल जो पुरातात्विक महत्व के भवनों को क्षति पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भैय्या')-

मा0 सदस्य, अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा, इलाहाबाद, उत्तरी वि0स0 क्षेत्र द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2014 .....

बाल विकास एवं पुष्टाहार बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भैय्या'-

[को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत करया गया है कि जनपद इलाहाबाद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं साहित्यिक केन्द्र रहा है। यह उत्तर पश्चिम संयुक्त प्रान्त की राजधानी भी था। प्रदेश के सम्पूर्ण मुख्यालय-पुलिस, शिक्षा, बोर्ड आफ रेवेन्यू, आबकारी, मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् सहित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्य भवन इलाहाबाद में स्थित हैं। इस समय इलाहाबाद सबसे अधिक आबादी एवं शिक्षा में अग्रणी जनपद है। इस समय पुलिस मुख्यालय को लखनऊ स्थानान्तरित करने की शासन की योजना है जो जनपद की महत्ता तथा गरिमा के साथ भयंकर साजिश है। पुलिस मुख्यालय, राजस्व परिषद्, शिक्षा निदेशालय आदि भवन 150 वर्ष पुराने तथा पुरातात्विक महत्व के हैं। शासन की इस कार्यवाही से जनता में असंतोष तथा क्षोभ व्याप्त है। जगह-जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं।

इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के तात्कालिक विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद तथा अन्य मुख्यलयों को तोड़ने, स्थानान्तरित करने से रोकने तथा शासन द्वारा सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

पुलिस विभाग की दिन-प्रतिदिन बढ़ रही नयी-नयी चुनौतियों तथा कानून एवं व्यवस्था को और भी कारगर बनाये जाने की दृष्टि से राजधानी लखनऊ में पुलिस भवन को सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में बनाये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। अभी तक राजधानी लखनऊ में पुलिस विभाग के अन्तर्गत अपराध नियंत्रण हेतु विभिन्न इकाइयां स्थापित हैं। उक्त सभी इकाईयों को पुलिस भवन में एक साथ स्थापित करने की पहल की जा रही है ताकि पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैठ सकें तथा प्रदेश की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को लखनऊ स्थानान्तरित करने की सम्प्रति कोई योजना नहीं है।]

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह मेरा नियम-51 में 21 तारीख को इस सदन में आया था और आपने इस को बहुत सदशयता से स्वीकार करके सदन में वक्तव्य देने का निर्देश दिया था लेकिन मान्यवर, एक परम्परा है कि जब सदन चल रहा हो और कोई नीतिगत विषय हो तो उस पर सदन में ही वक्तव्य दिया जाता है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने आज वक्तव्य दिया है लेकिन कल ए0डी0जी0, लॉ एण्ड आर्डर ने प्रेस कान्फ्रेन्स करके कहा कि पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद का ट्रांसफर नहीं करेंगे। पहली बात तो उनको कल इस तरीके से नहीं कहना चाहिये जोकि संसदीय परम्परा के विरुद्ध है। दूसरा अब इसके विषय मे स्पष्टीकरण है कि इलाहाबाद मुख्यालय क्या पूरा का पूरा जितने कर्मचारी हैं, जो वहां पर काम है, वह यहां पर स्थानान्तरित नहीं करेंगे। ऐसा न हो कि वहां बस केवल बिल्डिंग-बिल्डिंग रह जाये और वहां के काम स्थानान्तरित हो जायें तो यह स्पष्टीकरण आपसे चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह आप पढ़ लीजिये, उत्तर तो निहित है। मंत्री जी से क्या पूछ रहे हैं ? यह नीचे लिखा हुआ है कि देखिये, उक्त सभी इकाईयों को पुलिस भवन में एक साथ स्थापित करने की पहल की जा रही है ताकि पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैठ सकें तथा प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को लखनऊ स्थानान्तरित करने की सम्प्रति कोई योजना नहीं है। आप पूछ रहे थे और ये कह रहे हैं कि नहीं है तो खत्म मामला। चलिये आगे चलिये।

जनपद सहारनपुर के ग्राम दौलतपुर में पुल के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री प्रदीप चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें श्री शिवपाल सिंह का पत्र आया है। इसको स्थगित करने को कहा है। इसको स्थगित रखा जाता है।

जनपद मेरठ नगर में श्री प्यारेलाल शर्मा राजकीय चिकित्सालय को धनी आबादी के बाहर दिल्ली मेरठ रोड पर पालीटेक्निक के सामने स्वास्थ्य विभाग की खाली पड़ी भूमि पर स्वास्थ्य चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया'')-

मेरठ नगर में श्री प्यारे लाल शर्मा, राजकीय चिकित्सालय अब सघन .....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)(श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भैय्या''-

[आबादी क्षेत्र में आ गया है। मरीज की किसी भी आपात कालीन स्थिति में अतिक्रमण और जाम के कारण उसको जीवित अस्पताल पहुंचाकर उसकी चिकित्सा व्यवस्था करना असम्भव हो गया है। मेरठ दिल्ली रोड पर पालीटेक्निक के सामने स्वास्थ्य विभाग की 18 हजार वर्ग गज जमीन खाली पड़ी है। इसके अतिरिक्त यहां स्वास्थ्य विभाग के दवाईयों का भण्डार एवं राजकीय कुष्ठ अस्पताल भी है। उचित होगा कि मूल अस्पताल की एक शाखा जो पूर्णतः सभी सुविधा व्यवस्था से परिपूर्ण हो, इस स्थान पर खोला जाना उपयुक्त होगा। इस सम्बन्ध में मेरा मत है कि मेरठ के मा0 सांसद, मा0 विधायक को अंशदान करने की छूट दिया जाय और उतने सरकार की ओर से धनराशि मिलायी जाय तो अस्पताल भवन को पूर्ण किया जा सकता है। यदि सरकार सहमत हो तो मेरठ के धनीमानी लोगों से चिकित्सालय भवन के निर्माण में सहयोग हो सकता है। सम्पूर्ण जनपद के रोगियों के हित में यह महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने और उसके सम्बन्ध में वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद मेरठ दिल्ली रोड पर पालीटेक्निक के सामने स्थित स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर रिजनल ड्रग वेयर हाउस एवं कुष्ठ आश्रम बना हुआ है। इस परिसर में स्थित रिक्त भूमि चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु पर्याप्त नहीं है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मानक के अनुसार चिकित्सालय का निर्माण आबादी के निकट कराया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त आख्या के अनुसार भूमि शहर से लगभग 8 कि0मी0 दूरी पर स्थित हैं। अतः जनपद मेरठ दिल्ली रोड पर पालीटेक्निक के सामने स्थित स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर चिकित्सालय का निर्माण कराया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 25 फरवरी, 2014

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-02 का उत्तर पीछे पृष्ठ-------पर।)

ग्राम का नाम	कार्यक्रम का नाम जिसमें कार्य होना था	संतृप्तीकरण की स्थिति	असंतृप्तीकरण का कारण
1	2	3	4
अमरौला	ग्रामीण विद्युतीकरण	असंतृप्त	धनराशि की अनुपलब्धता।
	आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण	कार्य प्रगति पर है।	-
	वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था/ वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	असंतृप्त	भारत सरकार से 30 प्रतिशत अनुदान राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बजट की व्यवस्था नहीं हो सकी।
सैदपुर हुसैनपुर डीलना	ग्रामीण विद्युतीकरण	कार्य प्रगति पर है।	-
	आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण	असंतृप्त	धनराशि की अनुपलब्धता।
	वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था/ वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	असंतृप्त	भारत सरकार से 30 प्रतिशत अनुदान राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बजट की व्यवस्था नहीं हो सकी।
पूठरी	आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण	असंतृप्त	धनराशि की अनुपलब्धता।
	वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था/ वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	असंतृप्त	भारत सरकार से 30 प्रतिशत अनुदान राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बजट की व्यवस्था नहीं हो सकी।
यूसूफपुर नंगला बेर	ग्रामीण विद्युतीकरण	कार्य प्रगति पर है।	-
	आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण	असंतृप्त	धनराशि की अनुपलब्धता।

1	2	3	4
	वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था/ वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	असंतृप्त	भारत सरकार से 30 प्रतिशत अनुदान राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बजट की व्यवस्था नहीं हो सकी।
डबाना	आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण	असंतृप्त	धनराशि की अनुपलब्धता।
	वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था/ वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	असंतृप्त	भारत सरकार से 30 प्रतिशत अनुदान राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बजट की व्यवस्था नहीं हो सकी।
जोया	आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण	असंतृप्त	धनराशि की अनुपलब्धता।
	वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था/ वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	असंतृप्त	भारत सरकार से 30 प्रतिशत अनुदान राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बजट की व्यवस्था नहीं हो सकी।
मुकीमपुर	ग्रामीण विद्युतीकरण	असंतृप्त	धनराशि की अनुपलब्धता।
	आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण	असंतृप्त	धनराशि की अनुपलब्धता।
	वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था/ वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	असंतृप्त	भारत सरकार से 30 प्रतिशत अनुदान राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बजट की व्यवस्था नहीं हो सकी।

नत्थी 'ख'

परम् आदरणीय,

मा0 अध्यक्ष जी,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

मा0 अध्यक्ष जी, सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पूर्वांचल के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया बल्कि निराश किया है इस लिए अनुरोध है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में निम्नलिखित प्रस्ताव को भी शामिल किया जाय :--

1-कि जब उत्तर प्रदेश के कई जनपदों को 24 घन्टे बिजली दी जा रही है तो बलिया जनपद का क्यों नहीं। बलिया जनपद के साथ कर्मिशियल दरों से भुगतान करने वाला नगर पालिका परिषद् रसड़ा को भी 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जाए, 2-रसड़ा नगर पालिका परिषद् के शहर के मध्य से एक बड़ा खुला हुआ नाला बहता है जिसका गन्दा पानी पूरे शहर को दुषित कर रहा है एवं नाले की पूरी खुदाई न होने के कारण नगर पालिका के एक भाग में पूरा गन्दा पानी फैलता है जिससे तमाम तरह की बिमारिया उत्पन्न होती है इसलिए इस नाले की खुदाई कराकर नाले पर आर0सी0सी0 स्लैब डालकर सड़क चालू किया जाय।

मान्यवर, मेरे विधान सभा में दो ऐसी रेलवे क्रासिंग है जिसमें पूरे दिन जाम लगा रहता है। इसलिए प्यारे लाल चौराहा (रसड़ा) एवं गढ़ीया (रसड़ा) के पास रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

मान्यवर, बाढ़ के दिनो में टोंस नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांव पानी से घिर ही नहीं बल्कि डूब जाते हैं तमाम जान-माल का नुकसान होता है। इसलिए टोंस नदी के किनारे बंधा एवं ठोकर बनाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही रसड़ा चीनी मिल जर्जर हो जाने के कारण इस साल से सरकार चला ही नहीं पाई किसानों को कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये कहने की बात नहीं बल्कि एहसास करने की आवश्यकता है। इसलिए जर्जर चीनी मिल को ठीक करा कर चालू कराया जाय एवं वहां के गन्ना किसानों के साथ मील कर्मचारियों का शीघ्र भुगतान कराया जाय।

मान्यवर, पिछले बजट सत्र में सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि बलिया जनपद में मात्र एक उद्योग जो रसड़ा में कताई मिल बन्द है उसे चालू कराया जाएगा परन्तु मान्यवर अध्यक्ष जी ये सरकार दो साल बाद भी अपने सदन के आश्वासन के बाद भी चालू नहीं कराया गया इसे भी चालू कराया जाय। मान्यवर, मेरे विधान सभा में कुछ ऐसी नहरें है जिसका पानी टेल तक नहीं जाता है जैसे रतनपुरा से जो नहर सिगही चट्टो, अमहर, सवरा, उचेड़ा तक जाती है। इसके टेल पर खुदाई न होने से पानी नहीं मिल पाता, दूसरी नगरा से रेकूवां सोनाड़ी, खनकर होते हुए आवेरा नाले तक जाना चाहिए उसकी भी खुदाई टेल पर न होने से पानी नहीं मिल पाता है। इन नहरों को टेल तक खुदाई कराकर पानी पहुंचाया जाय।

मान्यवर, पिछले बजट सत्र में यह प्रस्ताव आया था कि सभी शमसान/कब्रिस्तानों पर बाऊण्ड्री कराया जाएगा परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी कब्रिस्तान बाऊण्ड्री से परिपूर्ण नहीं

कराया गया। कृपया इसे भी कराया जाय। मान्यवर, मेरे विधान सभा में कई ग्रामों में पानी की टंकी स्वीकृत हुई थी जैसे मुड़ेड़ा, प्रधानपुर, टीकादेऊरी नगपूरा, नगपूरा, डूमरी हजौली, जाम, खनवर, शीशवार, खरूआंव एवं अठीला में अभी तक कई कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग में हमारे बलिया जनपद के सरप्लस के नाम पर जिनका वेतन रोका गया है उनका शीघ्र वेतन भुगतान कराकर उनके परिवार को बचाया जा सकता है पिछले बजट सत्र में मा0 पर्यटन मंत्री जी श्री नाथ बाबा के सर्वांगीण विकाश के लिए 25 लाख की घोषणा की थी परन्तु आज तक वह धनराशि अवमुक्त नहं हुई, रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर खाली पड़ी जमीन पर महिला चिकित्सालय खोलने की भी चर्चा हुईं थी परन्तु आज तक उस पर भी अमल नहीं हुआ। हमने कई बार नियमों के तहत प्रश्न उठाया था कि विद्युत सब-स्टेशन चोगड़ा एवं खसआंव, अठीला के सामने एवं एक रसड़ा नगर के लिए मांग की थी परन्तु इसमें से एक ही सब-स्टेशन रसड़ा नगर में बनाए जाने की बात मानी है। इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को एवं मेरी मांग पर लगातार मेरे निवेदन पर विचार करके मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने टोंस नदी पर नगपूरा के सामने पुल निर्माण की स्वीकृति दी है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं एवं धन्यवाद स्थापित करता हूं। मान्यवर अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कि हमारे क्षेत्र में एक पालीटेक्निक कालेज की स्थापना कराये जाने का प्रस्ताव भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो दिया गया।

पी0 एस0 यू0 पी0 एल0-15 विधान सभा (23)-5-5-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।